खण्ड-339, अंक-9
मंगलवार, 8 ज्येष्ठ, शक संवत् 1901
(29 मई, 1979 ई0)

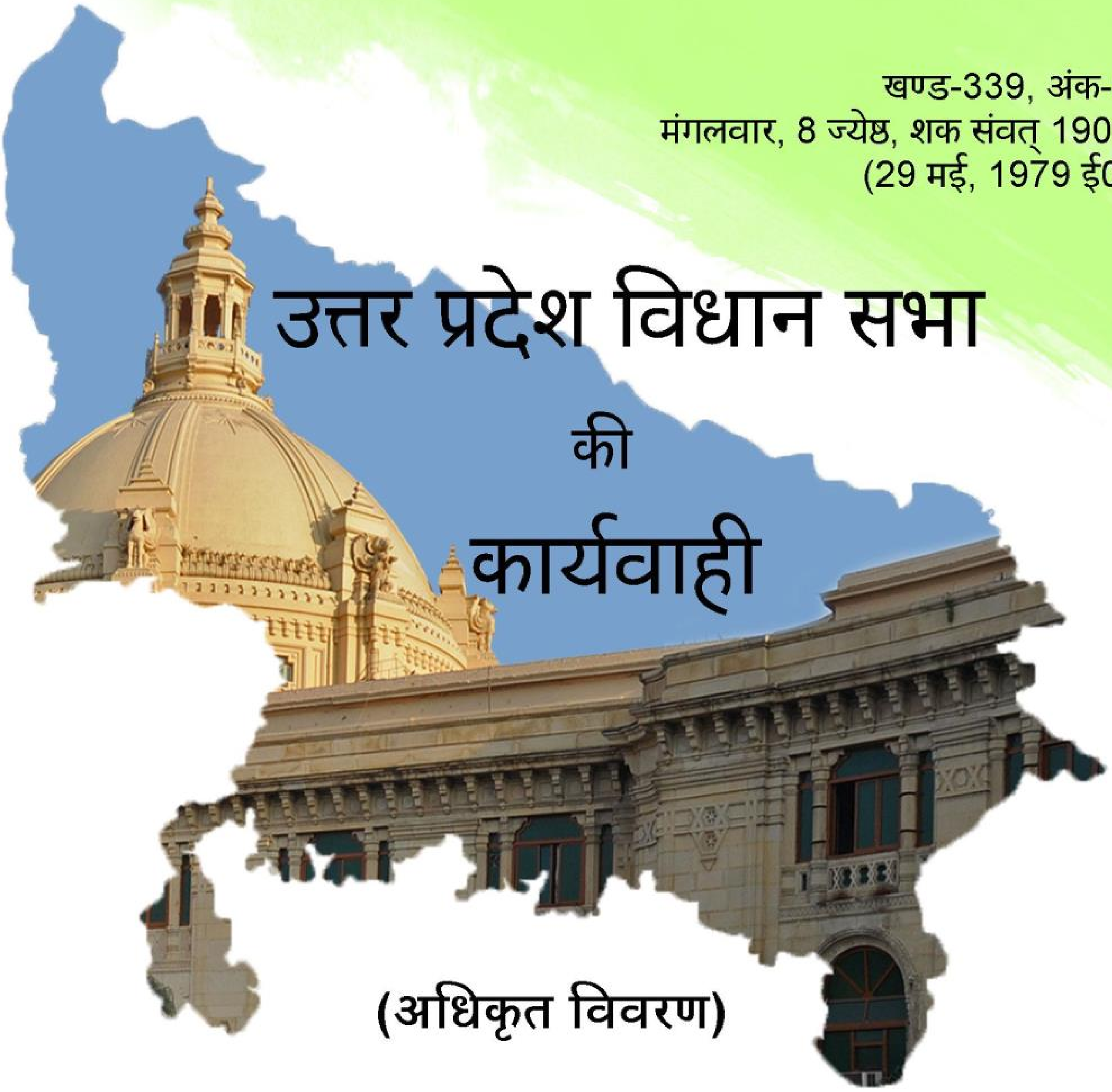

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 339 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
1979

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 29 मई, 1979

विधान सभा की बैठक सभा मन्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में उपाध्यक्ष, श्री जगन्नाथ प्रसाद की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्य—314

अजब सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
अजब सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
अठई राम, श्री
अनवार अहमद, चौधरी
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल वहीद, श्री
अब्दुल हफीज, श्री
अब्दुल हलीम खां, श्री
अवधेश कुमार श्रीवास्तव, श्री
अवधेश नरायन, श्री
अवधेश प्रसाद, श्री
अवनीश कुमार सिंह, श्री
अशफाक अहमद खान, श्री
अशर्फी लाल यादव, श्री
अशोक बाजपेयी, श्री
अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश', डाक्टर
आबिद अली, श्री
इन्द्रमणी बड़ौनी, श्री
इसमाईल, श्री
ईशदत्त यादव, श्री
ईश्वर प्रसाद, श्री
उदयनाथ, श्री
उदय नारायण सिंह, श्री
एदल सिंह, श्री
ए0 सी0 ग्राईस, श्री
ओंकार सिंह, श्री
ओम प्रकाश, श्री (उर्फ राम मिलन सिंह)
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कबूल सिंह, श्री
कमल किशन पाण्डेय, श्री
कमला प्रसाद वर्मा, श्री
करन सिंह, श्री
कल्याण सिंह, श्री
काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन, श्री
काली चरण, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम ऐजाज रसूल)
कृष्ण कान्त मिश्र, श्री
कृष्ण कुमार पालीवाल, श्री
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर
कृष्ण स्वरूप, श्री
कृष्णा राय, श्री
कैलाश नाथ सिंह, श्री
कौशल किशोर, श्री
खान मोहम्मद आतिफ खां, श्री
ख्याली राम शास्त्री, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा सहाय यादव, श्री
गजाधर प्रसाद, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गनेशी लाल चौधरी, श्री (वकील)
गया प्रसाद मेहरोत्रा, श्री (उर्फ मन्ने बाबू)
गिरधारी लाल, श्री
गिरीश चन्द्र तिवारी, श्री
गुन्जेश्वर, श्री
गुरु प्रसाद, श्री
गुलाब सेहरा, श्री
गेंदा लाल गुप्त, श्री
गोविन्द सिंह नेगी, श्री
गोविन्द सिंह मेहरा, श्री
गौरी शंकर एडवोकेट, श्री
गौरी शंकर भैया, श्री
चन्द्र पाल, श्री
चन्द्रपाल सिंह, श्री
चन्द्र भान मौर्य, श्री
चन्द्र भूषण सिंह, श्री
चन्द्र शेखर सिंह, श्री
छज्जू सिंह, श्री
छेदा सिंह चौहान, श्री
छेदी, श्री (उर्फ छेदी लाल)

छोटे लाल, श्री
जंगबहादुर सिंह पटेल, श्री
जगदम्बा प्रसाद सिंह, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश प्रसाद त्रिवेदी, श्री
जगदीश सिंह, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जयराम, श्री
जय शंकर पाण्डेय, श्री
जवाहर लाल, डाक्टर
जागन सिंह, श्री
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, डाक्टर
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री
ज्ञानेन्द्र स्वरूप, श्री
झाम लाल अहेरवार, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
तेज भान सिंह, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
तेज सिंह, श्री
त्रिवेनी सिंह, श्री
दयाराम भास्कर, श्री
दिनेश चन्द्र रस्तोगी, श्री
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री
दीनानाथ सेवक, श्री
दुक्खी प्रसाद, श्री
देवकी नन्दन, श्री
देवकुमार, श्री
देवबहादुर सिंह, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र दत्त शास्त्री, श्री
धर्मगज सिंह, श्री
धर्मदत्त वैद्य, आचार्य
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला बिजनौर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धीरेन्द्र सहाय, श्री
नंगाराम, श्री
नत्थू सिंह, श्री
नन्दराम, श्री
नन्हेंलाल कुरील, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायण सिंह, श्री
नारायण सिंह भैंसोरा, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नेमसिंह चौहान, श्री
पद्माकर लाल श्रीवास्तव, श्री
पूरन लाल, श्री
प्यारे लाल, श्री
प्यारे लाल शाक्य, श्री
प्रताप सिंह, श्री
प्रदीप कुमार यादव, श्री
प्रभू दयाल यादव, श्री (एडवोकेट)
प्रेम नारायण अहेरवार, श्री
फजलुर्रहमान अन्सारी, श्री
फजलुलबारी, श्री (उर्फ बन्ने भाई)
बंगाली सिंह, डाक्टर
बनारसी दास चाँदना, श्री
बरफिया लाल जुआँठा "अरविन्द", श्री
बलदेव, श्री
बलबीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
बलबीर सिंह, श्री (जिला मैनपुरी)
बसंत, श्री
बाबू बदरे, श्री
बाबूराम प्रभाती, डाक्टर
बाबूराम वर्मा, श्री
बाबूराम शुक्ल, श्री
बाबू लाल वर्मा, श्री
बाबू लाल विद्यार्थी, श्री
बाबू लाल 'सरोज', श्री
बाबू सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
बाबू सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
बाल कृष्ण, श्री
बिन्दू लाल, श्री
बिहारी लाल हन्स, श्री
बृज बल्लभ सिंह, श्री
बेचू राम, श्री
बेनी प्रसाद माधव, श्री
भगवत दयाल, डाक्टर
भगवती चरण 'निर्मोही', श्री
भगवती प्रसाद सिंह, श्री
भगवानदीन कुशवाहा, श्री
भगवान सिंह, श्री
भगौती सिंह, श्री
भाभी, श्री
भीषम, श्री
मंगल राम प्रेमी, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मधुकर दिघे, श्री

मन्जूर अली खां, श्री (उर्फ शन्नू खां)
मन्जूर अहमद, श्री
मन्ना लाल, श्री
मन्नी लाल, श्री
मन्नूराम, श्री
मन्नू लाल द्विवेदी, श्री
मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री
मलिखान सिंह, श्री
मसूदुल हसन नोमानी, श्री
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा
महेन्द्र सिंह यादव, श्री
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री
मान सिंह आजाद, श्री
माधव, श्री
मालती शर्मा, श्रीमती
मिठाई लाल, श्री
मित्रसेन , श्री
मुकन्दी सिंह, श्री
मुकीमुर्रहमान, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुनीन्द्र पाल सिंह, श्री
मुफ्ती जलील अहमद, श्री
मोअज्जिज अली बेग, डाक्टर
मोती राम, श्री
मोती लाल देहलवी, श्री
मोहन लाल त्रिपाठी, श्री
मोहन सिंह, श्री (जिला देवरिया)
मोहम्मद मसूद खां, श्री
मोहम्मद शमीम अन्सारी, श्री
मौजी लाल कुरील, श्री
यशपाल सिंह, श्री
रघुवर दयाल वर्मा, श्री
रणजीत सिंह, श्री
रणजीत सिंह 'जूदेव' श्री
रणवीर सिंह, श्री
रफी उल्लाह, श्री
रफीक अहमद खां, श्री
रमा शंकर कौशिक, श्री
रमेश चन्द्र, श्री
रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री
राघव राम मिश्र, श्री
राज कुमार शर्मा, श्री
राज नरायन , श्री
राजपति मिश्र, श्री
राजबली तिवारी, श्री
राज ब्रजराज सिंह, श्री
राजमंगल तिवारी, श्री
राम मंगल पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र चौधरी, श्री
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री
राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री
राधे श्याम शर्मा, श्री
राम अधार, श्री
राम अधार यादव, बाबा
राम आसरे अग्निहोत्री, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
राम कृष्ण, श्री
राम गोबिन , श्री
राम चरन शाह, श्री
राम जनम, श्री
राम जनम राय, श्री
राम दुलारे, श्री
राम देव दुबे, श्री
राम देव यादव, श्री
राम नरायन वर्मा, श्री
राम नरेश पाण्डेय, श्री
राम नरेश यादव, श्री
रामपति, श्री
राम प्यारे, श्री
राम प्रकाश, श्री
राम बक्श, श्री
राम बरन वर्मा, श्री
राम रतन सिंह, श्री
राम रति देवी, श्रीमती
राम लखन, श्री
राम शिरोमणि दुबे, श्री
राम सजीवन, श्री
राम सिंह, श्री
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री
राव मुश्ताक अहमद खां,
रेवती रमण रस्तोगी, श्री
रेवती शरण मौर्य, श्री
लक्खी सिंह, श्री
लक्ष्मण सिंह, श्री
लक्ष्मी नरायन, श्री
लाल दास, श्री
लील वत सिंह, श्री

वंश गोपाल चतुर्वेदी, श्री
विक्रमा राय, श्री
विजय राज सिंह, श्री
विद्या शंकर, श्री
विमला राकेश, श्रीमती
विश्वनाथ पाण्डेय, श्री
विष्णु प्रताप सिंह, श्री
वीरेन्द्र चतुर्वेदी, श्री
वीरेन्द्र पति यादव, श्री
शंकर सिंह, श्री
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शतरुद्र प्रकाश, श्री
शफीकुर्रहमान बर्क, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शारदा देवी, श्रीमती
शारदा प्रसाद रावत, श्री
शारदा भक्त सिंह, श्री
शिवदास, श्री
शिव प्रसाद, श्री
शिव मंगल सिंह, श्री
शिवलाल मित्तल, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
श्याम दत्त पालीवाल, श्री
श्यामदेव, श्री
श्यामधर मिश्र, श्री
श्याम नारायन तिवारी, श्री
श्याम बिहारी सिंह, श्री
श्याम सुन्दर गुप्त, श्री
श्रीचन्द्र, श्री
श्रीनारायण, श्री (उर्फ भुलई भाई)
श्रीराम द्विवेदी, श्री
संगम लाल, श्री
संग्राम सिंह, श्री
सखावत हुसैन, श्री
सत्यदेव त्रिपाठी, श्री
सत्य प्रकाश, श्री
सत्य प्रकाश मालवीय, श्री
सत्यवीर, कुंवर
सन्त बख्श रावत, श्री
सुखपाल पाण्डेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दर लाल, श्री
सुन्दर लाल दीक्षित, श्री
सुमेर चन्द गोयल, श्री
सुरेन्द्र पाल, श्री
सुल्तान सिंह, श्री
सूरज प्रसाद, श्री
सूरवीर सिंह, श्री
सूर्यमुखी शर्मा, श्रीमती
सोहन बीर सिंह तोमर, श्री
सोहन लाल, श्री
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती
हरदेव सिंह, श्री
हर प्रताप सिंह, श्री
हरि चरणयादव, श्री (एडवोकेट)
हरिपाल सिंह शास्त्री, श्री
हरिश्चन्द्र, श्री (उर्फ हरीश जी)
हरी किशन श्रीवास्तव, श्री
हरी राम वर्मा, श्री
हरी राम शाक्य, श्री
ह ी सिंह, श्री
हामिद रजा खां, श्री
हुकम चन्द तिवारी, श्री
हुक्म सिंह परिहार, श्री
हेम राज, श्री

नोट—श्रम मन्त्री, श्री क्रान्ति कुमार तथा हरिजन एवं समाज कल्याण मन्त्री, श्रीमती चन्द्रावती भी सदन में उपस्थित थीं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, 29 मई, 1979

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

आगरा व लखनऊ विश्वविद्यालय में कुलपतियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में मुख्य मंत्री और श्री राज्यपाल के बीच पत्र-व्यवहार

**1—श्री रामसजीवन (जिला बाँदा) तथा श्री ऊदल (जिला वाराणसी)—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के आगरा और लखनऊ के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की अभी हाल में की गयी नियुक्ति के फलस्वरूप सरकार में संवैधानिक संकट पैदा हो गया है ? क्या इस सम्बन्ध में मुख्य मन्त्री ने कोई पत्र राज्यपाल, प्रधान मन्त्री और राष्ट्रपति को भेजे हैं ? यदि हाँ, तो वे क्या हैं ?

स्वास्थ्य मन्त्री (श्री रमा शंकर कौशिक)—

आगरा और लखनऊ विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति से कोई संवैधानिक संकट पैदा नहीं हुआ है। इस सम्बन्ध में मैंने प्रधान मंत्री और राष्ट्रपति को कोई पत्र नहीं भेजे हैं। केवल राज्यपाल महोदय से पत्रों के माध्यम से विचारों का आदान-प्रदान किया है। जनहित में पत्र के तथ्यों से अवगत कराना सम्भव नहीं है।

श्री राम सजीवन—

यह बात मुख्य मंत्री जी जानते हैं कि संविधान के नियमों के अन्तर्गत राज्यपाल महोदय को ही उप कुलपतियों को नियुक्ति करने का अधिकार है। क्या इस नियम का पूर्णतया अनुपालन किया गया या आपकी ओर से कोई सलाह राज्यपाल महोदय को दी गयी ? यदि दी गयी, तो क्या सलाह दी गयी ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

मान्यवर, राज्यपाल की हैसियत से नहीं बल्कि चाँसलर की हैसियत से राज्यपाल के द्वारा कुलपतियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में सम्पादन किया जाता है। लेकिन जैसा माननीय विधायक जानते है, जो भी काम राज्यपाल के जरिये सम्पादित किया जाता है, वह सरकार की सिफारिश के आधार पर ही किया जाता है।

(श्री श्यामधर मिश्र का नाम पुकारे जाने पर)

श्री राम सजीवन—

मान्यवर, मेरा उत्तर अधूरा ही रह गया। मैंने पूछा था कि राज्यपाल को क्या सलाह दी.....

श्री उपाध्यक्ष—

दुबारा पूछ लीजियेगा.....

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

श्रीमन्, जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा उस संदर्भ में पूछ रहा हूं कि यह बात साफ है कि विश्वविद्यालयों के सम्बन्ध में राज्य सरकार कार्य करती है और राज्यपाल चाँसलर है, तो कोई सिफारिश जो मंत्रि मंडल और उनके बीच की है वह सदन को क्यों नहीं बताई जा सकती, हो सकता हो वह खर्च के बारे में हो, तो वह गोपनीय कैसे मानी जा रही है ? खर्च के संबंध में कोई भी बात राज्यपाल और मंत्रिमण्डल के बीच हो, हम उसकी जानकारी के हकदार हैं, इसलिए वह बता दी जाय।

श्री रमा शंकर कौशिक—

मान्यवर, मैं माननीय मिश्रा जी का ध्यान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमावली के नियम 28 की उपधारा (15) की ओर दिलाना चाहूंगा कि उसमें ऐसे विषयों के संबंध में सूचना नहीं माँगी जायगी, जो गोपनीय प्रकृति के हों, जैसे मंत्रि परिषद के विनिश्चय अथवा कार्यवाहियाँ विधि अधिकारियों द्वारा राज्यपाल को दी गयी मन्त्रणा तथा अन्य तत्सम विषय। मान्यवर, हमने क्या मन्त्रणा दी राज्यपाल को यह गोपनीय है। इसे सदन को बताया जाना सम्भव नहीं हो पायगा।

श्री देव कुमार (जिला बाँदा)— —

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आम तौर से चांसलर महोदय जो नियुक्तियाँ करते हैं, सरकार की संस्तुति पर करते हैं, तो इन विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्तियों में क्या सरकार की ओर से कोई परामर्श या संस्तुति दी गयी थी या नहीं?

श्री रमा शंकर कौशिक—

मान्यवर, मैंने पहले ही निवेदन किया कि इसको बताया जाना जनहित में नहीं है।

श्री देव कुमार—

मैंने यह पूछना चाहा कि क्या कोई संस्तुति सरकार की ओर से दी गयी या स्वतः चांसलर महोदय ने नियुक्तियाँ कर दी बिना सरकार की किसी संस्तुति के ?

श्री उपाध्यक्ष—

वह तो उन्होंने इंकार कर दिया।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (जिला सीतापुर)—

राज्यपाल को अधिकार दो स्थानों से मिलते हैं एक संविधान तथा दूसरा विधि के द्वारा, तो कुलाधिपति के नाते जो अधिकार उनको विधि से मिला है और प्रशासनिक आयोग ने अपनी अनुशंसा दी है कि जो अधिकार उनको विधि से मिले हैं उनके सम्बन्ध में वह मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में यह जानना चाहता हूं कि सरकार ने जो सुझाव दिये उस सम्बन्ध में उन्होंने क्या नीति अपनाई?

श्री उपाध्यक्ष—

यह इससे नहीं उठता।

श्री रघुबर दयाल वर्मा (जिला आगरा)—

माननीय मुख्य मंत्री जी के इस पत्र के बाद कुलपति तथा अधीनस्थ कर्मचारियों में गतिरोध पैदा हो गया, तो इस गतिरोध को दूर करने के लिये सरकार क्या कर रही है?

श्री रमा शंकर कौशिक—

कार्य में अगर कोई गतिरोध पैदा हो गया है, तो इसकी कोई जानकारी शासन को नहीं है। अगर कोई एसी बात होगी, तो जरूर उसका निराकरण किया जायगा।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

यह सर्व विदित है कि राज्यपाल कॉस्टीट्यूशनल हेड होता है और वह मन्त्रि परिषद् की परामर्श से ही कार्य करता है, तो जो पत्र कुलपतियों के बारे में माननीय राज्यपाल को लिखा गया है, उन पत्रों के बारे में क्या मंत्रिपरिषद् में कोई बातचीत हुई और यदि हुई, तो वह अखबारों में आ गयी तो फिर वह गोपनीयता का विषय कैसे बनता है?

श्री उपाध्यक्ष—

यह इससे नहीं उठता।

श्री कमला प्रसाद वर्मा (जिला बहराइच)—

महामहिम राज्यपाल तथा माननीय मुख्य मंत्री में विचार विमर्श हुआ नियुक्तियों के बारे में तो इसमें जो बात गोपनीय है, उन बिन्दुओं को छोड़ कर क्या माननीय मंत्री जी अन्य बिन्दुओं पर प्रकाश डालेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष—

आप उसी को दोहरा रहे हैं। मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

आगरा विश्वविद्यालय के बारे में कुछ बाधायें उत्पन्न हो गयी हैं, तो क्या माननीय मंत्री उन बाधाओं को दूर करेंगे और बतलायेंगे कि वे बाधायें कौन सी हैं ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

शासन को ऐसी कोई जानकारी नहीं हैं कि कार्य सम्बन्धी कोई गतिरोध पैदा हो गया है। यदि ऐसा है, तो उसको दूर करने का प्रयास किया जायगा।

श्री श्याम देव (जिला वाराणसी)—

[× × ×]

श्री उपाध्यक्ष—

यह आक्षेप है। मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

श्री राम सजीवन—

चाँसलर की हैसियत से गवर्नर ने जो नियुक्तियाँ की है, उसमें उन्होंने आपकी सलाह नहीं मानी, तो क्या उस सम्बन्ध में आपने भारत सरकार से लिखा पढ़ी की है ?

श्री उपाध्यक्ष—

इसकी मैं इजाजत नहीं देता।

श्री राम आसरे वर्मा—

आपने हर सप्लीमेंटरी के उत्तर में यही कहा है मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

श्री उपाध्यक्ष—

जो तीन चार प्रश्न पूछे गये उनमें घुमा फिराकर यही पूछने की कोशिश की गयी राज्यपाल तथा सरकार के बीच मे क्या पत्र व्यवहार हुआ। इसलिये मैंने उनको अस्वीकृत कर दिया।

लोक आयुक्त की रिपोर्ट

**2—श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि लोकायुक्त द्वारा दी जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट सदन की मेज पर कब तक प्रस्तुत कर दी जायेगी ?

मुख्य मंत्री (श्री बनारसी दास)—

लोक आयुक्त द्वारा अपना प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन 1977–78 (सितम्बर, 1977 से दिसम्बर, 1978 तक) श्री राज्यपाल को प्रस्तुत किया जा चुका है और शीघ्र ही सदन की मेज पर प्रस्तुत किया जायगा।

नोट—[×××] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

बन्दियों के लिये प्रोबेशन बोर्ड का गठन

**3—श्री मित्रसेन (जिला फैजाबाद) तथा श्री देव कुमार—

क्या यह सही है कि प्रदेश में इस समय विधिवत् कोई प्रोबेशन बोर्ड न होने के कारण बन्दियों के मुक्तिकरण के प्रार्थना-पत्र पर विचार नहीं हो पा रहा है? यदि हाँ, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई तत्कालिक व्यवस्था करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)—

प्रोबेशन बोर्ड का गठन हो गया है।

श्री मित्र सेन—

यह प्रोबेशन बोर्ड जो गठित हुआ है, यह कब गठित हुआ और इसमें कितने सदस्य है?

श्री मधुकर दिघे—

25 मई, 1979 को इसके आदेश दे दिये गये। एडीशनल आई0 जी0 श्री जोशी तथा कल्याण कुमार बख्शी, विशेष सचिव, इसके सदस्य हैं।

श्री देव कुमार—

21-5-79 को यह प्रश्न दिया गया था। मंत्री जी उत्तर दे रहे है कि 25-5-79 को बोर्ड का गठन किया गया। यह सवाल इसलिये संज्ञान में लाया कि प्रदेश में स्थिति यह है कि प्रोबेशन में छोड़ने का प्राविधान भी है। कोई कैदी किन्हीं शर्तों को पूरा कर देता है, तो उसको छोड़ दिया जायगा, लेकिन स्थिति यह है कि बोर्ड की बैठक नियमित रूप से नहीं होती। जब सरकार बदल जाती है, तो बोर्ड भी गठित नहीं होता। यह दुखद स्थिति होती है कि कभी-कभी आदेश बोर्ड के हो जाते है, लेकिन कैदी को इतने बिलम्ब से छोड़ा जाता है कि उसकी सजा ही कट चुकी होती है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस बोर्ड की पिछली बैठक कब हुई थी और अगली बैठक कब होगी?

श्री मधुकर दिघे—

मुझे इसकी सूचना नहीं है कि इस बोर्ड की बैठक कब हुई और अब कब होगी? वैसे बोर्ड को नियमित हर महीने बैठक करना चाहियें। जो राज्य मंत्री होता है, वही नियमतः इसका अध्यक्ष भी होता है। तत्कालीन राज्य मंत्री चूंकि अब के बिनट स्तर के मंत्री हो गयें हैं, उनके स्थान पर नियुक्ति नहीं हुई इसलिये यह बोर्ड गठित कर दिया गया और नियमतः इसकी बैठक भी होंगी।

श्री मुनीन्द्र पाल सिंह (जिला पीलीभीत)—

इसका चेंयरमन कौन है?

श्री मधुकर दिघे—

विशेष सचिव बख्शी इसके अध्यक्ष हैं। दूसरे सचिव सदस्य है। केवल दो सदस्य हैं।

श्री श्याम सुन्दर गुप्त (जिला जालौन)—

अभी तक यह परम्परा रही है जो बन्दी 5 वर्ष की सजा काट लेते थे, उनको प्रोबेशन पर छोड़ने के लिये बोर्ड द्वारा संस्तुति की जाती थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से यह किया गया कि 10 वर्ष की सजा काटने के बाद ही प्रोबेशन कमेटी विचार करेगी, ऐसा निर्णय पिछली सरकार ने लिया था, तो क्या वर्तमान कारागार मंत्री इस निर्णय पर पुनर्विचार करने की सोच रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष—

इससे यह प्रश्न नहीं उठता।

सचिवालय में संयुक्त सचिव के रिक्त पद पर अनुसूचित जाति के अधिकारी की नियुक्ति की मांग

**4—श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि 1 नवम्बर, 1978 से रिक्त होने वाले सचिवालय सेवा के संयुक्त सचिव के दो पदों में से क्या कोई पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित तथा अग्रेनीत किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त पद के अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी द्वारा कब तक भरे जाने की आशा है ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

जी हाँ। उक्त आरक्षित रिक्ति को अनुसूचित जाति के एक अधिकारी द्वारा भरे जाने की कार्यवाही की जा रही है।

श्री गनेशी लाल चौधरी—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह कार्यवाही कब तक पूरी कर ली जायेगी और कब तक यह स्थान भर दिया जायेगा ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

मान्यवर, ऐसा है 23 अक्तूबर, 78 को जो चयन समिति का आयोजन किया गया था इस पद की रिक्त को भरने के लिए उस वक्त कोई अनुसूचित जाति का उप सचिव उपलब्ध नहीं था। इसलिए नियम के अनुसार जो कि 8 मार्च, 73 का शासनादेश है, उसके अनुसार अग्रेनीत कर दिया गया। अब 28 अप्रैल को एक उप सचिव का कनफरमेंशन हुआ है जो कि 18 मार्च से लागू समझा गया है। अभी चूंकि 28 अप्रैल को ही यह हुआ है मैं समझता हूं कि बहुत शीघ्र ही उनकी नियुक्ति इस पद पर हो जायेगी।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न।]

भूतपूर्व विधायक, श्री प्यारेलाल, गाजियाबाद की हत्या

*1—श्री मन्जूर अहमद (जिला मेरठ)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भूतपूर्व कांग्रेस (आई0) विधायक श्री प्यारे लाल शर्मा, गाजियाबाद के कत्ल को लगभग पाँच माह व्यतीत हो जाने पर भी मुलजिमान अभी तक पकड़े नहीं जा सके ? सरकार ने सी0 आई0 डी0 द्वारा जो जाँच कराई है वह जाँच रिपोर्ट क्या है ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

प्रश्न गत अपराध के संबंध में मृतक के पुत्र द्वारा अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध थाना सिहानी गेट गाजियाबाद पर दी गई लिखित सूचना के आधार पर धारा 302 भा0 दं0 वि0 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था। उक्त अभियोग की विवेचना केन्द्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा की जा रही है।

श्री मन्जूर अहमद—

मान्यवर, मैंने यह पूछा है कि क्या मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि भूतपूर्व कांग्रेस आई के विधायक और मृतक श्री प्यारे लाल जी के सम्बन्ध में जाँच सी0 आई0 डी0 द्वारा कराई जा रही है, तो उसकी रिपोर्ट क्या है और अब तक मुलजिमान न पकड़े जाने के क्या कारण है ? तो एक तो मेरा सवाल यह था कि जिसका अधूरा जबाव दिया है ? दूसरा मैं पूछना चाहता हूं.....

श्री उपाध्यक्ष—

एक ही प्रश्न पूछें ।

श्री मन्जूर अहमद—

और कितने दिन हुए प्यारे लाल जी के कत्ल की जाँच करने के लिए सी0 बी0 आई0 को दिया गया और इस बीच सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

मान्यवर, जो यह हत्या की घटना है वह 27/28 नवम्बर, 78 की रात्रि की है और 28 को ही इसकी विवेचना स्थानीय पुलिस द्वारा शुरू कर दी गई थी, लेकिन 29 तारीख को आदेश हुए शासन के कि इसकी जाँच सी0 आई0 डी0 द्वारा कराई जाय, तो सी0 आई0 डी0 ने जाँच शुरू कर दी। लेकिन माननीय नारायण दत्त तिवारी तथा दूसरे अन्य विधायकों ने शासन को इस बात को लिखा कि इस अपराध की जाँच सी0 बी0 आई0 से अगर कराई जाय तो ज्यादा उचित होगा। उनकी इस बात को स्वीकार करके ही शासन ने केन्द्र सरकार को लिखा और उसमें जो उन्होंने जानकारी प्राप्त की, पत्रों और रिपोर्ट का आदान प्रदान हुआ, जिसमें कुछ समय लगता ही है। लेकिन केन्द्र सरकार ने 26–3–79 को यह आदेश दिये कि इसको हम अपने यहाँ पंजीकृत करते हैं। उस दिन से सी0 बी0 आई0 द्वारा जांच हो रही है ।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

मान्यवर, कितनी लज्जा की बात इस सरकार के लिये है कि एक राजनैतिक कार्यकर्त्ता की हत्या 6 महीने पूर्व हो जाती है जो कि इस माननीय सदन का सदस्य रह चुका है। लेकिन अब तक यह मालूम नहीं कि उस हत्या के पीछे किस का हाथ है ? सरकार द्वारा जो अब तक विवेचना हुई है, उसके अनुसार इस हत्या के पीछे क्या मोटिव था और क्या कुछ ऐसा मालूम हो सका है कि किन लोगों का इस हत्या के पीछे हाथ है ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

मान्यवर, जैसा मैंने निवेदन किया, इस अपराध के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट मृतक के पुत्र द्वारा दर्ज कराई गयी थी, और उसमें भी किन्हीं नामजद व्यक्तियों का उल्लेख नही किया गया है। उसके बाद जैसे ही पुलिस ने विवेचना शुरू की, सी0 आई0 डी0 के आदेश हो गये और क्या उसने जांच शुरू ही की थी कि श्री नारायणदत्त तिवारी जैसे व्यक्तियों ने आग्रह किया कि सी0 बी0 आई0 द्वारा इसमें जांच कराई जाए, जिसे मान लिया गया। तो ऐसी स्थिति में इस बीच कैसे जांच हो जाती है और अभियुक्त पकड़ लिए जाते। सी0 बी0 आई0 द्वारा कोई अन्तरिम रिपोर्ट देने की व्यवस्था भी नहीं है। वह अपनी अन्तिम रिपोर्ट ही देंगे ।

श्री हुकम चन्द्र तिवारी (जिला मथुरा)—

सी0 आई0 डी0 ने जो जांच की और जो बयानात लिए गये वह कितने गवाहान के लिए गये थे और उसमें क्या-क्या तथ्य उनके सामने आए ?

श्री उपाध्यक्ष—

जब जांच हो रही है, तो तथ्यों की सूचना उनको अभी कैसे मिलेगी ? इसका यह जवाब कैसे देंगे ?

श्री हुकम चन्द्र तिवारी—

मेरा सवाल है कि 1 से 10 तक सी0 आई0 डी0 ने कितने लोगों के बयान लिए और सी0 बी0 आई के पास केस जाने के पूर्व उनके सामने क्या-क्या तथ्य आए ?

(उत्तर के लिए मंत्री जी को नहीं पुकारा गया।)

श्री मन्जूर अहमद—

क्या मंत्री जी को जानकारी है कि मृतक प्यारे लाल ने अपनी हत्या के पूर्व वर्तमान और भूतपूर्व मुख्य मंत्री, डी0 एम0, डी0 आई0 जी0 को जिला गाजियाबाद के जिला अधिकारी, अधिकारियों और कुछ राजनीति करने वाले लोगों के खिलाफ शिकायत की थी ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

मान्यवर, इसकी सूचना इस समय मेरे पास उपलब्ध नहीं है।

श्री श्यामधर मिश्र—

क्या यह बात सही है कि मृतक प्यारे लाल शर्मा ने शासन को एक शिकायत दरख्वास्त दी थी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि एक सब इन्सपेक्टर श्री इन्दराज सिंह, जो मेरठ मंडल में 18 वर्ष से तैनात हैं, उनका कत्ल करना चाहता है और क्या इस बात के तथ्य भी गवाहान ने सी0 आई0 डी0 के सम्मुख अपने बयान में दिये हैं ? और क्या वही इन्दराज सिंह अब भी वहीं पोस्टेड हैं ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

ऐसी कोई सूचना नहीं है।

श्री राम आसरे वर्मा—

अभी मंत्री जी ने बताया कि पहले सी0 आई0 डी0 जांच चली, जो जब तक सी0 आई0 डी0 जांच चली, उसकी ओर से कुछ लोगों के बयान लिए गये होंगे और वह किसी निष्कर्श पर पहुंची होगी, तो तब तक की उनकी रिपोर्ट क्या है ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

सी0 बी0 आई0 की विवेचना के दौरान यह बताना उचित नहीं होगा।

श्री मन्जूर अहमद—

क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञान है और जिसकी मुझे निजी जानकारी है कि उन्होंने अपनी हत्या से पहले डी0 आई0 जी0, कलेक्टर और मुख्य मंत्री को यह दरख्वास्त दी थी कि मेरी जान को फला अधिकारियों से खतरा है, क्योंकि उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ मैंने आवाज उठाई है, जिनमें इन इन्दराज सिंह, जो मुजफ्फरनगर के रहने वाले है और अपनी ससुराल मेरठ में कार्यरत हैं, के ट्रांसफर की बात हमने कही है ?

(मंत्री जी को उत्तर के लिए नहीं पुकारा गया।)

टेहरी गढ़वाल एवं उत्तरकाशी जिलों के निवासियों को वनों से दी जाने वाली सुविधा

*2—श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला टिहरी गढ़वाल व उत्तरकाशी में आरक्षित वनों में ग्राम वासियों के जो पुश्तैनी हक-हकूक प्राप्त थे वह समाप्त कर दिए गए हैं और अब ग्रामवासियों को अपने निजी प्रयोग ,घरों की मरम्मत एवं बी0 डी0 के लिए पेड़ नहीं दिये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार ने पर्वतीय क्षेत्र में हरे पेड़ों को काटने पर पूर्ण प्रतिबन्ध भी लगा दिया है ? यदि हां, तो उसका आधार क्या है ?

वन मन्त्री (श्री काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन)—

जी नहीं।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या माननीय वन मन्त्री बतायेंगे कि क्या बीच में ऐसे आदेश हो गये थे कि पर्वतीय अंचल में एक भी हरा पेड़ नहीं काटा जायगा ?

श्री काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन—

जी हां, इस तरह के आदेश दिये गये थे। माननीय सुन्दर लाल बहुगुणा जी ने आमरण व्रत रखा था। उनकी जान बचाने के लिये तत्कालीन माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस प्रकार के आदेश दिये थे, जब तक उनसे वार्ता न हो जाय उस समय तक हरे पेड़ों का कटान बन्द रहे। उसके बाद फिर उनसे बातचीत हुई और यह 26 अप्रैल को मीटिंग हुई और 4 मई को आदेश वापस ले लिये गये।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आखिर जंगल के कटाने के बारे में पेड़ कटने चाहिए, नहीं कटने चाहिए, कितने और क्या कटने चाहिए, इस सम्बन्ध में सरकार ने कोई निश्चित नीति बनायी है ? यदि हां, तो क्या है ?

श्री काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन—

माननीय उप मुख्य मंत्री ने उस मीटिंग में यह निर्णय लिया था कि साइंटिफिक आधार पर पेड़ों का कटान होगा, हक हकूक के लिए पेड़ों का कटान जारी रहेगा और निर्माण कार्यों के लिये जहां आवश्यकता होगी, वहां पेड़ काटे जायेंगे।

श्री गोविन्द सिंह नेगी—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह साइंटिफिक कटान का आधार क्या है और जो वहां के उद्योग धंधे हैं, उनके लिए कच्चे माल के लिए भी कटान होगा या नहीं ?

श्री काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन—

मान्यवर, यह तो जो फारेस्ट के एक्सपर्ट्स होते हैं, वह प्लान बनाते हैं और उसी प्लान को हम साइंटिफिक आधार मानते हैं क्योंकि हम लोग कोई एक्सपर्ट्स नहीं हैं। इसलिए जो योजना वह बनाते हैं, यहां से इतने पेड़ काटे जायगे, इतने उम्र के काटे जायं, उनकी जगह पर इतने पेड़ लगाये जायं, उसको साइंटिफिक ढंग कहते हैं और उस प्रकार से वह कटान जारी रहेगा।

श्री अशोक बाजपेयी (जिला हरदोई)—

माननीय नेगी जी के प्रश्न के प्रथम भाग का उत्तर नहीं दिया गया है। इसमें प्रश्न किया गया है कि जो जंगलात के ग्रामवासी हैं, उनके हक हकूक को, जलाने की लकड़ी और घर में प्रयोग करने के लिए लकड़ी को रोक दिया गया है, उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हो रही है और क्यों रोका गया है ?

श्री उपाध्यक्ष—

उन्होंने 'जी नहीं' कह दिया है, कि इस तरह का कोई आदेश नहीं है। यह साफ है। नहीं तो मैंने खुद टोका होता। नेगी जी ने टोका होता।

श्री देव कुमार—

माननीय मंत्री जी स्पष्ट उत्तर नहीं दे रहे हैं। क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो साइंटिफिक आधार आप कह रहे हैं इस आधार पर वनों का कटान शुरू हो गया है, क्या वहां स्थानीय उद्योग धंधों के लिए इन वनों के कटान की इजाजत प्रदान की गयी है या नहीं ?

श्री काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन—

मान्यवर, मैंने जैसा अर्ज किया 4 मई को साइंटिफिक आधार पर कटान के आदेश दे दिये गये हैं। जहां तक उद्योगधंधों से सम्बन्धित बात है, उसकी सूचना की आवश्यकता है। अगर माननीय सदस्य चाहें, तो दूसरा प्रश्न कर लें। उसका जवाब मैं दे दूंगा।

*3—श्री राम सजीवन—

[8-5-79 को वक्तव्य होने के कारण निरस्त]

पुलिस विभाग में कान्स्टेबुलों की भर्ती के लिये संवर्ण अभ्यर्थियों की आयु सीमा

*4—श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

क्या यह सही है कि प्रदेश के पुलिस विभाग में सिपाहियों की भर्ती हेतु संवर्णों के लिये अधिकतम आयु सीमा 22 वर्ष से घटाकर 20 वर्ष कर दी गई है ? यदि हां, तो किन परिस्थितियों में ? क्या यह भी सही है कि भविष्य में होने वाली विभागीय प्रोन्नतियों एवं परीक्षाओं में भी इन नियुक्तियों के दूरगामी तथा विपरीत प्रभाव पड़ेंगे ? यदि हां, तो क्या सरकार इस निर्णय पर पुनर्विचार करेगी ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

पुलिस विभाग में कान्स्टेबुलों की भर्ती हेतु अधिकतम आयु सीमा 20 वर्ष निर्धारित है। हाई स्कूल से उच्चतर शिक्षा प्राप्त अभ्यर्थियों को 2 वर्ष की छूट दिनांक 29-9-78 के पूर्व अनुमन्य थी जिसे शासन द्वारा उक्त दिनांक से समाप्त कर दिया गया है। इसका भविष्य में होने वाली विभागीय प्रोन्नतियों एवं परीक्षाओं में कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की सम्भावना नहीं प्रतीत होती है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में मैं यह जानना चाहता हूं कि सवर्णों के लिए 2 साल की छूट समाप्त कर दी गयी है, जिससे वे हाई स्कूल शिक्षा वाले मिलें। क्या यह सही है कि कानिस्टेबिलों का प्रमोशन सब-इन्सपेक्टर पर जो होता है, उसके लिए शैक्षणिक योग्यता के लिए कुछ अंक निर्धारित हैं। यदि संवर्ण हाई स्कूल होगा। और दूसरे लोग ग्रेजुएट होंगे, तो उनकी प्रोन्नति पर कैसे प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

मान्यवर, 1974 में भारत सरकार ने गोरा कमेटी का गठन किया था और गोरा कमेटी ने जो संस्तुतियाँ की थी, उन्हीं के आधार पर इस प्रकार का फैसला लिया गया और परेशानी यह थी कि सिपाही के पद पर भी हाई स्कूल से अधिक शैक्षणिक योग्यता रखने वाले लोग आते थे। इससे बहुत असन्तोष होता था और हाई स्कूल के विद्यार्थी जो होते थे, वह भी आते थे,लेकिन उनकी काफी संख्या हो जाती थी इसलिए अधिकतम आयु सीमा 20 वर्ष कर दी गयी। जहाँ तक आयु की छूट का प्रश्न है उनको तो 5 वर्ष की छूट दी जाती थी और आज भी दी जा रही है। यानी अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के लोगों के लिए 5 वर्ष की छूट अब भी है। इस फैसले के बाद जो भर्ती हुई, वह संख्या 1462 की है। प्रोन्नति में कोई बाधा नहीं पहुंचेगी, इसका कोई आधार नहीं लगता है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी ने कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि कानिस्टेबिल का जब इन्सपेक्टर के लिए प्रमोशन होता है, जो व्यक्ति हाई स्कूल होता है, उसको कितने नम्बर, इण्टरमीडिएट होता है, उसको कितने नम्बर तथा जो ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट होता है, उसको कितने नम्बर निर्धारित हैं तथा आयु में अनुसूचित जाति तथा पिछड़े वर्ग की जातियों के लिए 5 साल और बढ़ा दिया, 25 का 30 कर दिया लेकिन 20 वर्ष कर देने से सवर्ण के हाई स्कूल ही आते हैं, तो यह बेसिक डिफरेंस हो जाता है, उसको आप कैसे दूर करेंगे ? माननीय मन्त्री जी ने कहा कि प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो मैं जानना चाहता हूं कि कैसे प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

मान्यवर, जहाँ तक 20 वर्ष में हाई स्कूल, इण्टर पास करने का प्रश्न है, माननीय सदस्य जानते होंगे कि 20 वर्ष की आयु में लोग बी0-ए0 पास कर जाते हैं। संवर्ण विद्यार्थी है वह 20 वर्ष में ग्रेजुयेशन कर लेते हैं। मान्यवर, जहाँ तक सब इन्सपेक्टर का सवाल है, 18 वर्ष की आयु में अर्ह हो जाते हैं। उसके लिए इण्टरमीडिएट की अर्हता रखना आवश्यक है। हैड कानिस्टेबिल के लिए परीक्षा 3 वर्ष की नौकरी होना जरूरी है तो 3 वर्ष के बाद

वह उस परीक्षा में बैठ सकते हैं अगर वह इण्टर है, तो वह बैठ सकते हैं। उनकी प्रोन्नति के सम्बन्ध में कोई बाधा नहीं है। तिवारी जी की जो आशंका है, उसके बारे में मैं कह देना चाहता हूं कि प्रोन्नति के सम्बन्ध में पिछड़ी जातियों के मामले में अभी कोई शासन के आदेश नहीं है।

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (जिला कानपुर)—

मैं माननीय मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि जो निर्णय किया जाता है वह उच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया जाता है। मैं नहीं जानता कि इस निर्णय को भी उच्च न्यायालय रद्द कर सकता है। सवर्ण 20 साल में विधायक भी हो सकता है और मन्त्री भी हो सकता है। मैं माननीय मन्त्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह संवैधानिक मान्यताओं के अनुरूप है, समतावादी दृष्टि, दर्शन और कार्यक्रम के अनुरूप है, जो आप इस प्रकार का जातीय भेदभाव कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हाई कोर्ट आपके निर्णय को भी रद्द कर दे जैसा कि पिछली बार किया था?

श्री रमा शंकर कौशिक—

जब हम पिछड़े लोगों का ध्यान रखेंगे तभी समतावादी होंगे।

डाक्टर अश्वनी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश'—

आप पिछड़े लोगों के बड़े हमदर्द बनते हैं। आप संवर्णों का नाम लेकर न आप हरिजनों का, न पिछड़े वर्ग का और न आप मुसलमानों का कोई हित कर पा रहे हैं। यदि आप चाहते हैं, तो डाक्टर लोहिया के अनुसार 60 प्रतिशत पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान कीजिए?

(उत्तर के लिए मन्त्री जी को नहीं पुकारा गया।)

श्री गुरु प्रसाद (जिला इलाहाबाद)—

आपने कहा है कि भारत सरकार ने एक गोरे कमेटी गठित की थी, उसी के अनुसार आजकल भर्ती हुई, तो क्या उसको निरस्त करने पर मन्त्री जी विचार करेंगे?

श्री रमा शंकर कौशिक—

जैसा मैंने शुरू में निवेदन किया, यह एक प्रश्न ऐसा है कि जो लोग सर्विस में आते हैं, कान्सटेबिल के पद के लिए आते हैं, तो अगर वे यह महसूस करते हैं कि मेरी योग्यता बहुत अधिक है तब वे काम नहीं कर पाते हैं। दूसरे इसमें बहुत अधिक प्रोमोशन के चान्सेज भी नहीं हैं क्योंकि एवेन्यूज बहुत कम हैं। बी0ए0, एम0ए0 पास करके जो लोग आते हैं, वे इस अनुमान से आते हैं कि हमारी तरक्की हो जायगी, तो उनमें असन्तोष पैदा हो जाता है और कार्य में अवरोध पैदा हो जाता है। 20 वर्ष के हाई स्कूल पास भी बहुत से लोग नौकरी की तलाश करते रहते हैं।

श्री राम सजीवन—

सभी कर्मचारियों के लिए अवकाश प्राप्त करने की आयु 58 वर्ष है, तो उस हिसाब से 22 वर्ष वाले भर्ती के लोग 2 साल उनसे कम सर्विस करेंगे, तो क्या यह सुविधा देने के लिए ऐसे नियम बनाए गए हैं?

श्री उपाध्यक्ष—

यह प्रश्न इससे नहीं उठता है।

श्री जय शंकर पाण्डेय (जिला फैजाबाद)—

जिस गोरे समिति की संस्तुतियों के आधार पर निर्णय लिए गए, तो उनकी प्रमुख-प्रमुख संस्तुतियाँ क्या-क्या हैं?

श्री रमा शंकर कौशिक—

जो सन्दर्भित थीं, उनको मैंने बता दिया है।

श्री श्याम सुन्दर गुप्त—

क्या माननीय मन्त्री जी को यह जानकारी है कि पुलिस के सिपाहियों की भर्ती में शैक्षिक योग्यता के अतिरिक्त शारीरिक क्षमता विशेष योग्यता होती है, तो शारीरिक दृष्टि से सिपाहियों की भर्ती में बाधा होगी जब कि आपने सवर्णों के लिए 22 वर्ष से 20 वर्ष की आयु कर दी और 22 वर्ष से आयु सीमा 20 वर्ष करते समय क्या उन्होंने इस बात को ध्यान में रखा कि शारीरिक क्षमता उतनी ही होगी, जितनी सवर्ण वर्ग में होगी ? फिर यह 20 वर्ष करके उनमें एक कुण्ठा की भावना पैदा करने का क्या कारण था ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह इससे नहीं उठता है ?

श्री अशोक बाजपेयी—

शिक्षित एवं सवर्ण नवयुवकों में असन्तोष को देखते हुए, जो आयु सीमा घटाई है, क्या इसे बढ़ाने के प्रश्न पर सरकार पुनः विचार करेगी ?

श्री उपाध्यक्ष—

इसकी मैं इजाजत नहीं देता हूं।

नागरिक सुरक्षा एवं होमगार्ड विभाग के एकीकरण पर विचार

*5—श्री मोहन सिंह (जिला देवरिया)—

क्या नागरिक सुरक्षा मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि 27 मार्च, 1979 को प्रश्नकर्ता सहित कतिपय विधायकों ने नागरिक सुरक्षा तथा होमगार्ड विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की सेवा शर्तों को ठीक करने तथा दोनों विभागों के एकीकरण के सम्बन्ध में कोई ज्ञापन होम-गार्ड एवं नागरिक सुरक्षा मन्त्री को दिया था ? यदि हाँ, तो होम-गार्ड तथा नागरिक सुरक्षा विभाग के एकीकरण के सम्बन्ध में शासन द्वारा क्या निर्णय लिया गया ?

नागरिक सुरक्षा मन्त्री (श्री देव राम)—

जी हाँ।

मामला शासन के विचाराधीन है।

श्री मोहन सिंह (जिला देवरिया)—

शासन के समक्ष जितने भी विचारणीय विषय हैं क्या उनमें यह भी विचारणीय है कि सिविल और होम-गार्ड विभाग में बहुत सारे लोग प्रतिनियुक्ति पर आते हैं जिससे इनकी सारी तरक्की के अवसर बन्द हो जाते हैं, तो क्या यह विचारणीय है कि दूसरे विभागों से प्रति-नियुक्ति पर आये लोगों को हटा दिया जाय और इसी विभाग के लोगों के लिए तरक्की के अवसर खोले जायं।

श्री देवराम—

इस प्रकार का कोई प्रश्न इस वक्त विचारणीय नहीं है। शासन के सामने एक विचार है कि उप नियन्त्रक के पदों पर इन अधिकारियों को प्रोन्नत किया जाय जिसके लिए भारत सरकार को लिखा गया है।

श्री मोहन सिंह (जिला देवरिया)—

क्या सरकार ने इस प्रकार के आँकड़े तैयार किए हैं कि नागरिक सुरक्षा और होम-गार्ड्स को मिलाने पर वार्षिक कितना व्यय-भार बढ़ जायगा और केन्द्र से कितना प्राप्त होगा ?

श्री देवराम—

दोनों संगठन सारे देश में ही हैं और भारत सरकार के प्रारूप तथा संरचना के अनुसार ही इनका संचालन होता है।

श्री मोहन सिंह (जिला देवरिया)—

जवाब नहीं आया।

श्री देव कुमार—

होम गार्ड्स में बहुत सारे लोग कई वर्षों से दैनिक वेतन पर काम कर रहे हैं। क्या उनको नियमित करने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है ?

श्री देवराम—

होम-गार्ड विभाग में बहुत से स्वयं सेवकों की भरती की जाती है। इसमें इस समय 1 लाख 32 हजार पुरुष और 4 हजार स्त्रियाँ काम कर रहे हैं। इनको प्रशिक्षित करके गाँव में भेजा जाता है और यह पुलिस के कार्य में सहायता करते हैं। इनको नियमित करने का प्रश्न नहीं उठता है।

श्री जिज्ञास कुमार हरिजन छात्र, ग्राम नई बस्ती, जिला लखनऊ द्वारा लोटा, बाल्टी के प्रयोग के सम्बन्ध में मार-पीट की घटना

*6—श्री गनेशी लाल चौधरी (जिला सीतापुर) तथा श्री लाल दास—

क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिनाँक 24 मार्च, 1979 को श्री जिज्ञास कुमार हरिजन छात्र, ग्राम नई बस्ती, मौजा गोन्दा, जिला लखनऊ के अपने स्कूल के लोटा, बाल्टी से पानी पीने पर स्कूल के टीचरों द्वारा उसी गाँव के एक सरकश जबरदस्त श्री श्याम बाबू पुत्र श्री हजारी लाल को बुलाकर पिटवाया गया ? जिसकी रिपोर्ट थाना मलिहाबाद, जिला लखनऊ में अपराध धारा 73 पर लिखी गयी ? यदि हाँ, तो इस मामले में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

विद्यार्थी जिज्ञास कुमार द्वारा ही थाना मलिहाबाद में लिखाई गयी सूचनानुसार दिनांक 24 मार्च, 1979 को स्कूल में जब वह बच्चों को पानी पिलाने के लिए स्कूल का ही लोटा, बाल्टी लेकर जा रहा था तो उसी गाँव के एक व्यक्ति श्याम बाबू ने उसके साथ मारपीट की। इसमें स्कूल के अध्यापकों के सम्मिलित होने की सूचना नहीं थी।

इस पर अभियोग संख्या 73 धारा 7 नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम व 323 भारतीय दण्ड विधान के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया।

दिनाँक 27 मार्च, 1979 को अभियुक्त श्याम बाबू को गिरफ्तार करके जेल भेज गया तथा उसके विरुद्ध आरोप-पत्र दिनाँक 30 मार्च, 1979 को न्यायालय भेजा गया। अभियोग न्यायालय के विचाराधीन है।

श्री गनेशी लाल चौधरी—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि यह घटना केवल इस स्कूल की नहीं है, देहात के प्रत्येक स्कूलों में इस तरह का बर्ताव किया जाता है। क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि यह पानी लाने की और पिलाने की जिम्मेदारी किसकी है ? माननीय मन्त्री जी को कैसे यह मालूम हुआ कि अध्यापकों का इसमें हाथ नहीं था। मेरी निश्चित जानकारी है कि अध्यापकों का इसमें हाथ है। क्या इसकी जाँच माननीय मन्त्री जी करायेंगे ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

जहाँ तक विधायक के पहले चरण का प्रश्न है ऐसी कोई सूचना नहीं है कि हर विद्यालय में ऐसी घटना घटित हो रही है। मान्यवर, यह घटना थी और यह शासन के प्रकाश में आई। जहाँ तक अध्यापकों को सम्मिलित होने का प्रश्न है, वादी ने स्वयं रिपोर्ट लिखाई है और उसने किसी अध्यापक को शामिल होने की रिपोर्ट में नहीं लिखा है। लोटा और बाल्टी लेकर तो वह स्कूल से ही जा रहा था, स्कूल के सामने से ही जा रहा होगा। अगर अध्यापक में यह बात होती तो अध्यापक लोटा, बाल्टी ही लेकर न जाने देता। ऐसी कोई बात नहीं है कि अध्यापक ने उसको रोका। तो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें अध्यापकों का हाथ नहीं था। फिर भी मैं इसकी जानकारी हरिजन सेल से करा रहा हूं कि क्या इसमें अध्यापकों का हाथ था।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)--

मान्यवर, यह घटना जो है, लड़के की पिटाई स्कूल के प्रांगण में हुई ? यदि हाँ, तो उस बच्चे को बचाने के लिए अध्यापक या छात्र कोई वहाँ पर गया ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो तफसील का सवाल आप पूछ रहे हैं।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

मान्यवर, स्कूल के प्रांगण में पिटाई हुई, उसको बचाने के लिए कोई अध्यापक गया कि नहीं गया, क्योंकि संरक्षण वहाँ पर अध्यापक ही करता है ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह जो विस्तृत जानकारी चाहते हैं, इसकी इजाजत मैं नहीं देता।

श्री देव कुमार--

मान्यवर, जो लड़का लोटा, बाल्टी लेकर पानी लेने जा रहा था, जो स्कूल में, पानी छात्रों को पीने के लिए सामूहिक घड़े में रखा जाता है,वह हरिजनों को नहीं पीने दिया जाता है, और जब वह लोटा, बाल्टी लेकर पानी लेने जा रहा था, तो इसका मतलब यह है कि उसे उस सामूहिक घड़े से पानी पीने की इजाजत नहीं थी। क्या वह छुआछूत की वजह से पानी भरने जा रहा था ? इसकी जाँच माननीय मन्त्री जी करायेंगे ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

जैसा माननीय सदस्यों ने कहा है, इन सारे बिन्दुओं की जाँच हरिजन सेल द्वारा कराई जा रही है।

मन्त्रि परिषद् के सदस्यों द्वारा वाहनों एवं हेलीकाप्टर के प्रयोग पर पेट्रोल का खर्च

*7--श्री शम्भूनाथ चौधरी--

क्या सरकार कृपया बताएगी कि केन्द्र सरकार ने राज्यों को वर्ष 1979 में निर्देश दिया है कि वे अपने-अपने राज्यों में तेल (पेट्रोल) की खपत में कमी करें, किन्तु उत्तर प्रदेश सरकार के मन्त्रि परिषद् के सदस्यों ने अप्रैल, सन् 1979 में विभिन्न जनपदों में सरकारी वाहनों और हेलीकाप्टरों का प्रयोग अन्धाधुन्ध किया है जिससे तेल की खपत में काफी वृद्धि हो गयी है ? यदि हाँ, तो इसका औचित्य क्या था ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

जी नहीं।

वाहनों एवं हेलीकाप्टर का प्रयोग आवश्यकतानुसार किया गया है। यह कहना सत्य नहीं है कि माह अप्रैल, 1979 में मन्त्रि परिषद् के सदस्यों द्वारा अन्धाधुन्ध सरकारी वाहनों का प्रयोग किया गया। अतः पेट्रोल की खपत में वृद्धि का प्रश्न नहीं उठता।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि मन्त्रि परिषद् के सदस्यों की यात्रा में गाड़ियों का प्रयोग अन्धाधुन्ध नहीं हुआ है ? यदि हुआ है, तो कुल वाहनों पर अप्रैल माह में कितना पेट्रोल खर्च हुआ ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

अन्धाधुन्ध प्रयोग नहीं हुआ है, प्रयोग तो होता ही है। अप्रैल की जो जानकारी माननीय सदस्य ने माँगा है, कोई मन्त्रि परिषद् के सदस्य जब बाहर जाते हैं, तो रोडवेज की टैक्सी का बिल आता है जिसमें पेट्रोल भी शामिल होता है। अप्रैल की सूचना एकत्रित करना सम्भव नहीं हो पाया है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी---

अप्रैल में हेलीकाप्टर का अन्धाधुन्ध प्रयोग किन-किन मन्त्रियों ने कहाँ-कहाँ के लिए किया ?

श्री उपाध्यक्ष---

यह तफसील है आपके पास ?

श्री रमा शंकर कौशिक---

इसकी सूचना नहीं है ?

श्री मोती राम (जिला कानपुर)---

प्रायः यह देखा गया है कि मन्त्रि परिषद् के सदस्यों, अधिकारियों की गाड़ियाँ स्थानीय स्कूलों में बच्चों को छोड़ने जाती हैं, तो क्या उन पर रोक लगायेंगे ?

श्री रमा शंकर कौशिक---

किसी भी मन्त्री को 5 लीटर पेट्रोल प्रति दिन मिलता है। इसका मतलब यही है कि वह इसका इस्तेमाल अपने बच्चों में कर सकते हैं। ज्यादा पेट्रोल फूंकने पर अपना पैसा देना पड़ेगा।

आचार्य धर्मदत्त वैद्य (जिला बरेली)---

राज्य का वायुयान और हेलीकाप्टर हिन्द फ्लाइंग क्लब के अधीन है या राज्य का है और यदि हिन्द फ्लाइंग क्लब के अधीन है, तो उसको प्रतिवर्ष कितना दिया जाता है ?

श्री रमा शंकर कौशिक---

यह दोनों शासन के अधीन हैं।

श्री वीरेन्द्र चतुर्वेदी (जिला देवरिया)---

क्या सदन को माननीय मन्त्री जी आश्वासन देंगे कि मन्त्रि परिषद् के सदस्य महीने में इतने किलोमीटर की यात्रा करेंगे और यहाँ भी महीने में निश्चित किलोमीटर की यात्रा करने की व्यवस्था करेंगे ?

श्री रमा शंकर कौशिक---

मन्त्रि परिषद् के सदस्यगण केवल जनहित के कार्य के लिए जाते हैं, इस प्रकार की व्यवस्था या रोक लगाना सम्भव न होगा। पेट्रोल की कमी करने पर विचार किया जायगा।

श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)---

मन्त्रि परिषद् के सदस्यगण जनहित के कार्य न कर निजी दावतों में भाग लेते हैं। इस प्रकार के दौरों पर प्रतिबन्ध लगाने की कृपा करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष---

यह प्रश्न इससे नहीं उठता।

श्री अशोक बाजपेयी---

पेट्रोल की कमी को ध्यान में रखते हुए सरकार अधिकारियों द्वारा पेट्रोल के दुरुपयोग के सम्बन्ध में कार्यवाही करने जा रही है ?

श्री रमा शंकर कौशिक---

प्रश्न पैदा नहीं होता, दुरुपयोग का।

श्री अशफाक अहमद खान (जिला गोंडा)---

1979 और 78 में खपत में कितना अन्तर रहा ?

श्री उपाध्यक्ष---

क्या यह सूचना है आपके पास, माननीय मन्त्री जी ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

मान्यवर, मैंने निवेदन किया था कि अप्रैल, 1979 की सूचना एकत्रित नहीं है। जैसी व्यवस्था है उसके मुताबिक, हर जिले में, ऐसा होता है कि उस जिले के रोडवेज की एक टैक्सी आती है। उससे जब बिल आता है, तब पता चलता है।

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मन्त्रि मण्डल के किस सदस्य ने हेलीकाप्टर का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया तथा सबसे ज्यादा पेट्रोल किस मन्त्री पर खर्च हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष--

इसकी इजाजत मैं नहीं देता।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

यह जरूरी है, जो पेट्रोल का खर्च आया है, वह सबसे ज्यादा किसने किया ?

श्री उपाध्यक्ष--

इसकी पूरी तस्वीर उन्होंने बता दिया।

श्री शतरुद्र प्रकाश--

यह लोक हित का मामला है, मान्यवर। यह लोक महत्व का है। शायद इनके पास सूचना तैयार है यदि यह आ जायेगी, तो इससे कोई बुरा नहीं होगा।

श्री रमा शंकर कौशिक--

इसके लिए सूचना की आवश्यकता नहीं।

श्री उपाध्यक्ष--

अब बहुत काफी समय इसके लिए हो गया, अब और समय नहीं देता।

श्री श्याम सुन्दर गुप्त--

मान्यवर, माननीय मन्त्री जी के उत्तर से सम्बन्धित एक बात कहना चाहता हूं जैसा कि अभी उन्होंने कहा कि मन्त्री जनहित में दौरा करते हैं। मेरा एक व्यावहारिक सुझाव है कि क्या माननीय मन्त्री जी इस बात की व्यवस्था करेंगे कि जब मन्त्री जी सड़क निर्माण या बिल्डिग के उद्घाटन के लिए जाते हैं तो जिन स्थानों पर रेल की यात्रा सुलभ है, तो क्या वे निर्दिष्ट करेंगे कि उन स्थानों पर रेल द्वारा जाया जाये ताकि पेट्रोल की खपत में कमी की जा सके।

श्री उपाध्यक्ष--

यह आक्षेप है, मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

श्री श्याम सुन्दर गुप्त--

मेरा सवाल जो है, जरूरी है, इसका उत्तर देना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष--

इसको आप लिख कर मन्त्री जी के पास भेज दीजिए।

हजरतगंज, लखनऊ स्थित 'अलहिलाल' फर्म द्वारा विदेशों में नौकरी दिलाने के लिये ली गयी धनराशि एवं गिरफ्तारी

*8--श्री बाबूलाल वर्मा (जिला बहराइच), श्री जयशंकर पाण्डेय, श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, श्री गनेशी लाल चौधरी, श्री लाल दास तथा श्री गोकरन प्रसाद (जिला सीतापुर)--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि दिनाँक 29 अप्रैल, 1979 को हजरतगंज, कैपिटल सिनेमा के निकट स्थित 'अल-हिलाल' नामक विदेशों में नौकरी दिलाने की एक बड़ी फर्म का पुलिस द्वारा घिराव किया गया और तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया ? क्या यह

सही है कि सैकड़ों बेरोजगार लोगों से 4 से 10 हजार रुपया लेकर नकली पार-पत्र बनाकर नौकरी दिलाने के बहाने 60 लाख रुपया उक्त फर्म द्वारा अब तक ठगा गया ? यदि हाँ, तो सम्पूर्ण मामला क्या है ? गिरफ्तार व्यक्तियों के नाम क्या हैं तथा उनके पास कौन-कौन सा सामान बरामद हुआ ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

प्राप्त सूचना के अनुसार 27 अप्रैल, 1979 को थाना हजरतगंज, लखनऊ में यह रिपोर्ट प्राप्त हुई कि विदेशों में नौकरी दिलाने के लिए 'अल-हिलाल' नामक फर्म द्वारा धोका व प्रलोभन देकर रुपये लिये गये हैं। इस संबंध में थानों पर धारा 420 भा0दं0वि0 का अभियोग 5 नामजद अभियुक्तों में से जुल्फकार अली खां, लक्ष्मन रुपानी तथा केवल कुमार पाठक, पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए। दिनांक 29 अप्रैल, 1979 को उक्त फर्म के कार्यालय तथा मैनेजर के निवास स्थान पर पुलिस द्वारा छापा मारा गया फर्म से दो पार पत्र, बड़ी संख्या में प्रार्थना-पत्र तथा फोटो-ग्राफ प्राप्त हुए। पुलिस द्वारा विस्तृत जाँच की जा रही है।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी—

मान्यवर, मन्त्री जी के उत्तर के सन्दर्भ में पूछना चाहता हूं कि क्या अब तक की जाँच से कुछ ऐसे तथ्य भी प्रकाश में आये हैं जिससे यह पता चलता है कि इस संस्था से कुछ राजनीतिक, कुछ ऐसे लोग जो राजनीतिज्ञों के संरक्षण में हैं और कुछ उच्च अधिकारी भी सम्बन्धित हैं ? यदि हाँ, तो पूरा विवरण क्या है ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

मान्यवर, अभी कोई ऐसे तथ्य प्रकाश में नहीं आये हैं। सारी चीजों की ठीक से जाँच हो सके, इसके लिए मामला सी0आई0डी0 को प्रेषित कर दिया है।

श्री राम अधार (जिला आजमगढ़)—

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि यह 'अलहिलाल' नामक जो चार सौ बीसी संस्था बनी थी, उसके अन्दर 5 अभियुक्तों के नाम रिपोर्ट दर्ज कराई गयी। तीन सम्भवतः गिरफ्तार किए गए हैं और दो जिनके नाम वारन्ट हैं और गिरफ्तार नहीं हुए हैं, तो क्या उनमें पुष्पा दीक्षित भी हैं, जिनका कई मन्त्रियों से सम्बन्ध है ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

श्री किशन लाल कपूर तथा अब्दुल अजीज वह दो व्यक्ति हैं। तीन के नाम मैं बता चुका हूं कि जुल्फकार अली खां, लक्ष्मन रूपानी, केवल कुमार है। किशन लाल कपूर ने 2/5 को आत्म समर्पण कर दिया है। अब्दुल अजीज के खिलाफ 82/83 की कार्यवाही की गई है।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

आखिरी प्रश्न का जवाब नहीं दिया।

श्री राम अधार—

मैंने पूछा था कि 5 व्यक्तियों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट थी। वह दो कौन हैं और क्या उनमें पुष्पा दीक्षित का भी नाम है ?

श्री रमा शंकर कौशिक—

माननीय सदस्य जरा ध्यान से सुनें। 5 नाम मैंने बता दिए हैं। पुष्पा दीक्षित नामक किसी भी महिला का नाम रिपोर्ट में नहीं है।

नोट—नियम 29(4) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न संख्या 8 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

*9—श्री माधव—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया ।]

वित्तीय निगम के भूतपूर्व प्रबन्धक निदेश, श्री सुरेन्द्र मोहन एवं श्री बी० प्रसाद, सचिव के विरुद्ध सतर्कता अधिष्ठान की जांच

*10—श्री बाबू राम शुक्ल (जिला कानपुर)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम के पूर्व प्रबन्ध निदेशक (श्री सुरेन्द्र मोहन) व वर्तमान सचिव (श्री बी0 प्रसाद) के विरुद्ध गम्भीर भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच सतर्कता अधिष्ठान के द्वारा की जा रही है ? यदि हाँ, तो क्या शासन को इसकी रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है ? यदि हाँ, तो रिपोर्ट क्या है ? क्या यह भी सच है कि गम्भीर भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच चलते हुए भी श्री सुरेन्द्र मोहन की पदोन्नति कर दी गयी है ? यदि हाँ, तो ऐसा क्यों ?

श्री बनारसी दास—

जी हाँ। प्रश्नगत विषय में छानबीन की जा रही है ।

श्री सुरेन्द्र मोहन को अप्रैल, 1979 में आई0 ए0 एस0 के सुपर टाईम स्केल में प्रोन्नति दी गयी है क्योंकि भारत सरकार के निर्देशानुसार किसी अधिकारी के विरुद्ध लम्बित जाँच उसकी प्रोन्नति में बाधक नहीं होती जब तक कि जाँच के निष्कर्षों के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अभियोजन चलाने का निश्चय न कर लिया गया हो ।

गाजीपुर जिले में हत्या, डकैती व राहजनी

*11—श्री अवधेश नरायन (जिला गाजीपुर)—

जनपद गाजीपुर में मई, 1978 से अप्रैल, 1979 की अवधि में हुई हत्या, लूट, डकैती तथा राहजनी की घटनाओं की संख्या को देखते हुए क्या सरकार यह बतायेगी कि क्या यह सही है कि गाजीपुर में अपराध स्थिति प्रशासन के नियन्त्रण से पूरी तरह बाहर हो गयी है ? यदि हाँ, तो इसे नियन्त्रित करने हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री बनारसी दास—

जी नहीं। उल्लिखित अवधि में गाजीपुर जिले में हत्या, लूट (राहजनी) तथा डकैती की घटनाओं को देखते हुए वहाँ की अपराध स्थिति नियन्त्रण में है ।

अपराधों पर नियन्त्रण हेतु प्रशासन सजग है और प्रभावी कार्यवाही की जा रही है ।

थाना नसीराबाद, जिला रायबरेली के अन्तर्गत हत्या एवं थानाध्यक्ष, श्री ननके सिंह के विरुद्ध सतर्कता अधिष्ठान की जांच

*12—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या सरकार को जानकारी है कि थाना नसीराबाद, जिला रायबरेली के अन्तर्गत 13/14 अप्रैल, 1979 को 4 हरिजनों तथा इस वर्ष 27 जनवरी, 1979 को एक राजस्थानी व्यक्ति की हत्या हुई थी जिसमें तत्कालीन थानाध्यक्ष (श्री ननके सिंह) का हाथ होना बताया जाता है ? क्या यह भी सही है कि उक्त थानाध्यक्ष का स्थानान्तरण इसी आधार पर तथा सी0आई0डी0 द्वारा दी गयी जाँच रिपोर्ट पर जनपद हरदोई कर दिया गया, जो अप्रैल, 1979 में निरस्त कर दिया गया और उन्हें पुनः रायबरेली जनपद में कर दिया गया ? यदि हाँ, तो इतने गम्भीर मसले के होते हुए थानाध्यक्ष का स्थानान्तरण रद्द किए जाने और पुनः इनकी जनपद रायबरेली में नियुक्ति करने के क्या कोई विशेष कारण थे ? क्या उपरोक्त विषय पर अप्रैल, 1979 में प्रश्नकर्ता का पत्र मुख्य मन्त्री को प्राप्त हुआ था ? यदि हाँ, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बनारसी दास—

जी हाँ, मामले की जाँच अपराध अनुसन्धान विभाग द्वारा की जा रही है। यह सही है कि थानाध्यक्ष का स्थानान्तरण हो चुका है और वह रायबरेली से कार्यमुक्त हो गये हैं। यह सही नहीं है कि स्थानान्तरण निरस्त करके उन्हें पुनः जनपद रायबरेली में तैनात किया गया है।

जी नहीं, स्थानान्तरण हो चुका है।

प्रश्न में उल्लिखित पत्र प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखीमपुर में न्यू पंजाब सिंध बैंक के मैनेजर की हत्या

*13—श्री नरेश चन्द्र (जिला खीरी) तथा श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि दिनाँक 18 अप्रैल, 1979 को दिन के तीन बजे लखीमपुर कोतवाली के सन्निकट न्यू पंजाब सिंध बैंक के मैनेजर की हत्या के सिलसिले में अब तक कोई हत्यारे गिरफ्तार हुए हैं? क्या यह भी सत्य है कि इस हत्या को आत्म-हत्या में बदलने का निर्देश एस0पी0, खीरी ने जाँच अधिकारी को दे दिया है? यदि हाँ, तो उसका क्या औचित्य है?

श्री बनारसी दास—

अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।

जी नहीं।

आगरा जिले के ग्राम गढ़ी तुरसी के श्री केवल सिंह का अपहरण

*14—श्री हुक्म सिंह परिहार (जिला आगरा)—

क्या सरकार को पता है कि थाना शमसाबाद, जनपद आगरा में ता0 26 फरवरी, 1979 को गढ़ी तुरसी, मौजा बिमिश्री से एक बालक केवल सिंह, पुत्र श्री गेन्दा लाल का डाकुओं द्वारा अपहरण कर लिया गया और यह बालक अब तक डाकुओं के कब्जे में है? प्राप्त सूचनाओं के अनुसार उपरोक्त बालक का जीवन खतरे में है? यदि हाँ, तो उस बालक को डाकुओं के पंजे से मुक्त कराने हेतु अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री बनारसी दास—

प्राप्त सूचना के अनुसार दिनाँक 26 फरवरी, 1979 को वादी श्री नत्थी लाल, निवासी गढ़ी तुरसी ने थाना शमसाबाद, जिला आगरा पर यह रिपोर्ट लिखाई कि उसके भाई केवल सिंह को 6—7 सशस्त्र बदमाश धन लेने के उद्देश्य से पकड़ ले गये हैं। इस सूचना पर धारा 365 भा0दं0वि0 का अभियोग कायम किया गया। उक्त श्री केवल सिंह दिनाँक 17 मई, 1979 को वापस आ गया है।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

बनवासी सेवा आश्रम, गोविन्दपुर जिला मिर्जापुर के विरुद्ध शिकायती-पत्र

*1—श्री सूबेदार प्रसाद (जिला मिर्जापुर), श्री कमला प्रसाद वर्मा, श्री सोहनवीर सिंह तोमर, (जिला गाजियाबाद), श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी तथा श्रीमती पुष्पा तलवार (जिला कानपुर)—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि बनवासी सेवा आश्रम गोविन्दपुर (मिर्जापुर) में व्याप्त भ्रष्टाचार, अनियमितता तथा बनवासियों के शोषण के सम्बन्ध में तत्कालीन क्षेत्रीय विकास उप मन्त्री को कोई पत्रक 1455/78, दिनाँक 20/24 मई, 1978 (संलग्नक) 23, 24, 25 अप्रैल, 1978 की भ्रमण रिपोर्ट के साथ शीर्षक बनवासी सेवा आश्रम,

गोविन्दपुर, मिर्जापुर, का है, सचिव, सतर्कता विभाग को प्राप्त हुआ था ? यदि हाँ, तो शिकायतों की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं तथा जाँच कार्यवाही रिपोर्ट क्या है ?

श्री बनारसी दास—

जी हाँ ।

मुख्य शिकायतें संस्था द्वारा की जा रही आर्थिक अनियमितताओं से सम्बन्धित हैं, जिनकी जाँच जारी है ।

(दिनांक 29 मई, 1979 के लिए निर्धारित ताराँकित प्रश्न)

शाहजहांपुर रेलवे स्टेशन के सिपाहियों द्वारा श्रीमती मुन्नीदेवी के साथ बलात्कार एवं श्री छोटे लाल की हत्या

*1—श्री ऊदल—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि शाहजहाँपुर रेलवे स्टेशन पर दिसम्बर, 1978 के आखिर में या फरवरी, 1979 के प्रथम सप्ताह में रेलवे पुलिस के तीन सिपाहियों ने मुन्नी देवी के साथ सामूहिक बलात्कार किया और उसके पति छोटे लाल के विरोध करने पर उसकी हत्या कर दी ? क्या यह सत्य है कि छोटे लाल जोरहाट में सेना का सफाई मजदूर था ? इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बनारसी दास—

श्री नानक चन्द्र द्वारा इस आशय की लिखित रिपोर्ट देने पर कि छोटे लाल नामक एक हरिजन, जो जोरहट में सेना का सफाई मजदूर था, जब दिनांक 31 जनवरी, 1979 को शाम 6 बजे शाहजहाँपुर रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतरा तो जी0आर0पी0 कर्मचारी उसकी पत्नी को थाना ले गए और उसके साथ बलात्कार किया व श्री छोटे लाल द्वारा विरोध करने पर उसे रेलगाड़ी के सामने ढकेल कर उसकी हत्या कर दी । मुकदमा अन्तर्गत धारा 302/376 थाना जी0आर0पी0, शाहजहाँपुर पर पंजीकृत हुआ था । इस घटना के सम्बन्ध में सोहन लाल, सहायक अभियोजन अधिकारी एवं कान्सटेबुल करन सिंह व अखिलेश कुमार को दिनाँक 2 फरवरी, 1979 को व नजरुद्दीन होमगार्ड को 18 मार्च, 1979 को बन्दी बनाया गया ।

इस अपराध की विवेचना अपराध अनुसन्धान विभाग को प्रदत्त कर दी गयी थी, जिन्होंने अभी तक एकत्रित साक्ष्य के आधार पर उपर्युक्त अभियुक्तगणों के विरुद्ध अपराध धारा 193/218/201/347/392/354 भा0दं0वि0 के अन्तर्गत आरोप पत्र दिनाँक 2 मई, 1979 को न्यायालय प्रेषित कर दिया ।

अपराध शाखा द्वारा अन्य धाराओं के सम्बन्ध में विवेचना जारी है ।

गोरखपुर जिले के औद्योगिक केन्द्र की स्थापना

*2—श्री रवीन्द्र सिंह (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार बताएगी कि गोरखपुर में औद्योगिक केन्द्र स्थापित करने के विषय में प्रदेश सरकार ने अगस्त, 1978 में आदेश जारी कर दिया था यद्यपि गोरखपुर का नाम औद्योगिक विकास के दूसरे चरण में व आजमगढ़ का तीसरे चरण में था ? क्या आदेश जारी होने के बाद भी गोरखपुर को तीसरे चरण में व आजमगढ़ को दूसरे चरण में कर दिया गया ? यदि हाँ, तो क्यों ?

उप मुख्य मन्त्री (श्री राम नरेश यादव)—

जी नहीं ।

आजमगढ़ का नाम द्वितीय चरण में तथा गोरखपुर का तृतीय चरण में था । तद्नुसार ही आदेश जारी किए गए तथा आदेशों में बाद में कोई रद्दो-बदल नहीं किया गया ।

मुस्लिम अवकाफ का सर्वेक्षण

*3—श्री अजीत सिंह सेठी (जिला मेरठ)—

क्या वक्फ मन्त्री बतायेंगे कि मुस्लिम अवकाफ के सर्वेक्षण का कोई कमीशन बनाया गया है ? यदि हाँ, तो किस-किस श्रेणी के अवकाफ का सर्वेक्षण करने के लिए तथा किन-किन मुद्दों के आधार पर सर्वेक्षण के आदेश दिए हैं ?

आवास मन्त्री (श्री मोहम्मद मसूद खां)—

मुस्लिम अवकाफ के सर्वेक्षण के लिए शासन द्वारा वक्फ आयुक्त की नियुक्ति की गयी है। वक्फ आयुक्त द्वारा प्रदेश में स्थित समस्त अवकाफ का सर्वेक्षण उ0 प्र0 मुस्लिम वक्फ अधिनियम, 1960 के अध्याय–1 के प्राविधानों के अनुसार किया जायगा। इस सर्वेक्षण का मुख्य ध्येय अवकाफ के प्रशासन में सुधार लाना, दुरुपयोग से उनकी सुरक्षा करना तथा वक्फ बोर्ड की आय में वृद्धि करना है।

आपात स्थिति में परिवार नियोजन के संबंध में दोषी पाये गये कथित आई० ए० एस० एवं आई० पी० एस० अधिकारी

*4—श्री जय शंकर पाण्डेय—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि आपात स्थिति के समय परिवार नियोजन में ज्यादती किए जाने के अपराध में कितने आई0ए0एस0तथा आई0पी0एस0 अधिकारियों को दोषी पाया गया है ? दोषी पाए गए अधिकारियों के खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री बनारसी दास—

अभी किसी आई0ए0एस0 आई0पी0एस0 अधिकारी को दोषी नहीं पाया गया है। अतः कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

पुलिस सब इन्सपेक्टर्स व कान्सटेबिल को मोटर साइकिल एवं साइकिल भत्ता एवं अधिकारियों को वर्दी एलाउन्स

*5—श्री मित्र सेन—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पुलिस सब-इन्सपेक्टर्स को 30 रुपया मासिक मोटर साइकिल मेंटीनेंस एलाउन्स तथा कान्सटेबिलों को कोई एलाउन्स नहीं दिया जाता है ? यदि हाँ, तो क्यों ? क्या सरकार पुलिस प्रशासन में यात्रा सम्बन्धी भत्ता देने में एक रूपता लाने पर विचार करेगी ? क्या यह सही है कि सब-इन्सपेक्टरों को 5 साल में वर्दी एलाउन्स सिर्फ 350 रुपया दिया जाता है और गजेटेड अफसरों को 1,000 रु0 वार्षिक वर्दी एलाउन्स दिया जाता है ? यदि हाँ, तो दोहरा मापदण्ड क्यों है ?

श्री बनारसी दास—

सिविल पुलिस के सब-इन्सपेक्टरों, जो मोटर साइकिल का प्रयोग करते हैं, को रू030.00 प्रति माह मोटर साइकिल भत्ता स्वीकृत है। अपराध अनुसन्धान विभाग (अंगुल चिन्ह विभाग तथा प्रज्ञान विभाग को छोड़कर) अभिसूचना विभाग तथा जनपद हरदोई, शाहजहाँपुर, बदायूं, एटा, मैनपुरी, इटावा एवं फतेहगढ़ के थानों पर नियुक्त सिविल पुलिस के हेड कान्स0 तथा कान्स0 एवं ट्राफिक पुलिस के हेड कान्सटेबिलों को रु0 4.00 प्रति माह की दर से साइकिल भत्ता दिया जाता है।

प्रत्येक श्रेणी के कर्मचारियों को यात्रा भत्ता नियमानुसार अनुमन्य है तथा उसमें एकरूपता लाने का प्रश्न नहीं उठता।

पुलिस विभाग के सब-इन्सपेक्टरों को प्रत्येक पाँच वर्ष में रु0 350.00 वर्दी भत्ता दिया जाता है। राजपत्रित अधिकारियों को प्रारम्भिक वर्दी भत्ता रु0 1,200 तथा नवीकरण वर्दी भत्ता प्रत्येक वर्ष नहीं बल्कि प्रत्येक 7 वर्ष के बाद रु0 1,000.00 दिया जाता है।

श्री शमशाद अहमद, सचिव, नियुक्ति एवं सतर्कता विभाग का निलम्बन

*6—श्री सोहनवीर सिंह तोमर—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि श्री शमशाद हुसैन, वर्तमान सचिव, नियुक्ति विभाग के विरुद्ध सतर्कता विभाग ने भ्रष्टाचार के आरोपों की जाँच की तथा उन्हें निलम्बित किया गया था और सतर्कता विभाग ने शासन से उन पर मुकदमा चलाने की स्वीकृति माँगी थी ? क्या यह सही है कि उन्हीं श्री शमशाद हुसैन को सचिव, सतर्कता विभाग नियुक्त कर दिया गया है ? यदि हाँ, तो इसका क्या कारण है ?

श्री बनारसी दास—

जी नहीं, श्री शमशाद अहमद, वर्तमान सचिव, नियुक्ति एवं सतर्कता विभाग को एक आख्या के आधार पर 4 सितम्बर, 1970 को निलम्बित किया गया था और उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही आरम्भ की गयी थी। विभागीय कार्यवाही में वह पूर्णता निर्दोष पाए गए। श्री शमशाद अहमद ने शासन के निलम्बन के विरुद्ध भारत सरकार में अक्तूबर, 70 में एक अपील दायर की थी और भारत सरकार द्वारा उनकी वह अपील भी स्वीकृत हो गयी। तत्पश्चात् 24 जुलाई, 1973 को उन्हें सेवा में पुनः स्थापित कर दिया गया और अपने क्रम में उन्हें प्रोन्नति भी दे दी गयी थी। उनके विरुद्ध मुकदमा चलाने का कोई प्रस्ताव सतर्कता अधिष्ठान ने शासन को नहीं भेजा। अतः उपरोक्त स्थिति में श्री शमशाद अहमद की वर्तमान नियुक्ति में इस कार्यवाही के बाधक होने का प्रश्न नहीं उठता।

नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, बक्शी का तालाब में नायब तहसीलदारों का कथित प्रशिक्षण

*7—श्री गनेशी लाल चौधरी तथा श्री लाल दास—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण केन्द्र बख्शी का तालाब, लखनऊ में इस वर्ष 45 वर्ष से अधिक आयु वाले नायब तहसीलदार प्रशिक्षण हेतु भेजे गए ? यदि हाँ, तो क्यों ?

श्री देवराम—

जी नहीं। वर्तमान कैलेण्डर वर्ष 1979 की प्रथम छमाही में नायब तहसीलदारों के लिए कोई पाठ्यक्रम अभी तक नहीं चलाया गया। अतः 45 वर्ष से अधिक आयु के नायब तहसीलदारों का प्रशिक्षण में भाग लेने का प्रश्न ही नहीं उठता।

*8—श्री राम आसरे वर्मा—

[6ठे सोमवार में तारांकित प्रश्न संख्या 5 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

थाना इन्चार्ज, श्री रघुबर सिंह चौहान, जी० आर० पी०, कानपुर की पदोन्नति की मांग

*9—श्री पुरुषोत्तम कौशिक (जिला देवरिया)—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि थाना इंचार्ज जी0 आर0 पी0, कानपुर सेन्ट्रल (श्री रघुवर सिंह चौहान) ने चम्बल घाटी के दर्जनों खूंखार डकैतों का उन्मूलन कर राष्ट्रपति द्वारा वीरता पुरस्कार 1963 में प्राप्त किया था ? क्या यह सही है कि उन्हें आज तक पदोन्नत नहीं किया गया ? यदि हाँ, तो क्यों ?

श्री बनारसी दास—

श्री रघुवर सिंह चौहान को वर्ष 1965 में डाकू नंगा के गिरोह से मुठभेड़ में शौर्य प्रदर्शित करने हेतु वीरता का पुलिस पदक प्रदान किया गया था। विभागीय चयन समिति द्वारा स्थानापन्न निरीक्षक के पद पर प्रोन्नति हेतु अनुमोदित नहीं किए जाने के कारण उन्हें अब तक पदोन्नत नहीं किया गया है।

श्री ज्ञान चन्द्र गुप्त, मंत्री, विधायक निवास कर्मचारी संघ का मांग-पत्र

*10—श्री सन्त बख्श रावत (जिला लखनऊ)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री ज्ञान चन्द गुप्त, मन्त्री, विधायक निवास कर्मचारी संघ का कोई माँग-पत्र स्थायीकरण आदि के सम्बन्ध में दिनाँक 12 फरवरी, 1978 को मिला है ? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बनारसी दास—

श्री ज्ञान चन्द्र गुप्त, मन्त्री, विधायक निवास चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघ का दिनाँक 12 फरवरी, 1978 का तो कोई माँग-पत्र शासन को नहीं प्राप्त हुआ है, अपितु दिनाँक 16 फरवरी, 1978 व दिनाँक 12 दिसम्बर, 1978 के माँग-पत्र प्राप्त हुए हैं। शासन द्वारा माँगों पर विचार किया जा रहा है।

*11—श्री देव बहादुर सिंह तथा श्री श्यामधर मिश्र—

[5वें शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 27 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

*12—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

[5वें शुक्रवार में तारांकित प्रश्न संख्या 27 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

हथकरघा उद्योग के सूती धागा, रेशम कतान एवं स्टेपुल धागे की मूल्य में वृद्धि

*13—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री गोकरन प्रसाद—

क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सूती धागा, रेशम कतान तथा स्टेपुल धागे के मूल्यों में हो रही वृद्धि के कारण हथकरघा उद्योग पर आये संकट के निवारणार्थ सरकार क्या प्रयास कर रही है ?

श्री राम नरेश यादव—

सरकार द्वारा बुनकरों को स्थानीय रूप से आर्थिक मूल्य पर सूत उपलब्ध कराने, अपेक्षित काउन्ट्स के धागों के उत्पादन को बढ़ाने, सार्वजनिक क्षेत्र की कताई मिलों की उत्पादन क्षमता को बढ़ाने, बुनकरों को वेयर हाउसिंग की सुविधा उपलब्ध कराने, ग्रामीण अंचलों में जनता वस्त्र उत्पादन करा कर बुनकरों को लगातार काम उपलब्ध कराने तथा बुनकरों द्वारा तैयार किए गये माल की बिक्री कराने का प्रयास किया जा रहा है।

*14—श्री राम सिंह—

[7-5-79 को अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 4 द्वारा उत्तरित]

*15—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा तथा श्री हरिकेवल प्रसाद—

[5वें मंगलवार के लिए स्थगित]

दीपावली की छुट्टी

*16—श्री मुहम्मद रफी खां (जिला शाहजहाँपुर)—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इस वर्ष दीपावली के महान राष्ट्रीय एवं सामाजिक पर्व में केवल एक दिन का ही अवकाश रखा गया है जबकि केन्द्रीय सरकार में 2-2 दिन का अवकाश है? यदि हाँ, तो इसका आधार क्या है? क्या सरकार इस घटे हुए अवकाश को पूर्व की भांति इस वर्ष भी दीपावली में 3 दिन का अवकाश देने के प्रश्न पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बनारसी दास—

भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा घोषित छुट्टियों में सामंजस्य रखने के अभिप्राय से राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार की भांति दीपावली की एक दिन की सार्वजनिक छुट्टी घोषित की गयी है। इसके अतिरिक्त दीपावली तथा भाई-दूज के उपलक्ष में क्रमशः

दिनाँक 19 तथा 22 अक्तूबर, 1979 को निर्बन्धित अवकाश भी राज्य सरकार द्वारा घोषित किया गया है।

दीपावली के उपलक्ष में तीन दिन का अवकाश घोषित करना राज्य सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार नहीं होगा।

*17—श्री गुरु प्रसाद—

[5वें मंगलवार के लिए स्थगित।]

*18—श्री कृष्ण स्वरूप—

[4थे गुरुवार में तारांकित प्रश्न संख्या 19 के अन्तर्गत उत्तरित।]

पुलिस चौकी सिसवा बाजार, गोरखपुर के भवन को खाली कराने के संबंध में श्री शिव पूजन राम का प्रार्थना-पत्र

*19—श्री शारदा प्रसाद जायसवाल (जिला गोरखपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शिवपूजन राम, निवासी ग्राम सिसवा बाजार (गोरखपुर) का प्रार्थना-पत्र बाबत किराए पर ली गयी पुलिस चौकी सिसवा बाजार को खाली कराने हेतु प्रश्नकर्ता द्वारा दिनाँक 17 दिसम्बर, 1977 तथा 28 मार्च, 1978 को माननीय मुख्य मन्त्री जी को लिखित दिया गया था जिसकी पावना रसीद संख्या एम0/1594/सी0 एम0, दिनाँक 28 मार्च, 1978 को प्राप्त हुआ, परन्तु आज तक कार्यवाही विभाग द्वारा नहीं की गयी ? यदि हाँ, तो ऐसा क्यों ?

श्री बनारसी दास—

पुलिस चौकी सिसवा बाजार हेतु श्री शिवपूजन राम के किराए पर लिए गए भवन को खाली कराने हेतु माननीय सदस्य के पत्र दिनाँक 17 दिसम्बर, 1977 तथा 19 मार्च, 1978 प्राप्त हुए थे। उपर्युक्त पुलिस चौकी के लिए प्रयास किए जाने के बावजूद कोई उपयुक्त वैकल्पिक भवन उपलब्ध न होने के कारण श्री शिवपूजन राम का प्रश्नगत भवन खाली करना सम्भव नहीं हुआ।

*20—[नियम 47 (1) के अन्तर्गत प्रश्न उपलब्ध न होने के कारण निरस्त।]

नानपारा, बहराइच में कस्टम अधिकारियों द्वारा पकड़ी गयी जीप

*21—श्री मित्रसेन—

क्या सरकार कृपया बताएगी कि दिनाँक 10 अप्रैल, 1978 को नानपारा पुलिस ने एक सरकारी जीप (यू0 पी0 एक्स 02325) पकड़ी थी, जो फैजाबाद क्षेत्र में किसी अधिशासी अभियन्ता की थी जिस पर भारी संख्या में तस्करी का सामान था ? यदि हाँ, तो वह जीप किस विभाग की थी और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बनारसी दास—

जी नहीं। केन्द्रीय कस्टम विभाग के अधिकारी द्वारा दिनाँक 9 अप्रैल, 1978 को चेकिंग करना बताया गया है।

अपराध अनुसन्धान विभाग द्वारा जाँच की जा रही है।

*22—श्री गनेशी लाल चौधरी तथा श्री लालदास—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

गोरखपुर और नैपाल राज्य की सीमा पर सक्रिय अवांछनीय गिरोह

*23—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

क्या सरकार को जानकारी है कि गोरखपुर से संलग्न नैपाल की अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर अनैतिक अवांछनीय तत्वों के अनेकों गिरोह सक्रिय हो गए हैं, जिससे शासन की छवि धूमिल हो रही है ? यदि हाँ, तो उक्त गिरोहों का सफाया करने हेतु शासन कोई विशेष अभियान चलाएगा? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बनारसी दास—

जी हाँ, दो गिरोह सक्रिय हो गए थे। इन गिरोहों पर काबू पाने के लिए एक विशेष अभियान गोरखपुर पुलिस ने नैपाल पुलिस के सहयोग से चलाया, जिसके परिणाम-स्वरूप अब स्थिति पूर्ण नियन्त्रण में है।

*24—श्री देव बहादुर सिंह तथा श्री श्यामधर मिश्र—

[27-3-79 के अन्तर्गत प्रश्न संख्या 26 द्वारा उत्तरित।]

अतारांकित प्रश्न

थाना हजरतपुर, जिला बदायूं के मुलजिम, श्री विजय सिंह के संबंध में लगायी गयी फाइनल रिपोर्ट

1—श्री सत्यपाल सिंह यादव (जिला शाहजहाँपुर)—

क्या मुख्य मन्त्री बतायेंगे कि जनपद बदायूं, थाना हजरतपुर के इल्जाम नं 160 सन् 1979, धारा 302 ता0रा0 हिन्द जिसमें विजय सिंह आदि चार मुलजिमान हैं, में साक्ष्य के बावजूद भी फाइनल रिपोर्ट लगा दी गयी है ? क्या यह भी सही है कि अदालत ने उपरोक्त फाइनल रिपोर्ट इसी आधार पर वापस कर दी है ? यदि हाँ, तो सरकार तफ-तीश कर्ता अधिकारी को क्या दण्ड देगी ?

श्री बनारसी दास—

जी नहीं। पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में अन्तिम रिपोर्ट लगाई गयी थी।

जी नहीं।

इसका प्रश्न नहीं उठता, न्यायालय द्वारा विवेचना पर कोई टीका नहीं की गयी है।

दुद्धी वन प्रभाग, जिला मिर्जापुर में वृक्षारोपण

2—श्री ईश्वर प्रसाद (जिला मिर्जापुर), श्री सूबेदार प्रसाद तथा श्री राजनाथ सिंह (जिला मिर्जापुर)—

क्या वन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पिपरी वन प्रभाग के अन्तर्गत वर्ष 1975 से आज तक कितने प्लानटेशन लगाये गये तथा उस पर कितना सरकारी व्यय हुआ ? वर्तमान जीवित पौधों की संख्या क्या है ?

श्री काजी मोहम्मद मुहिउद्दीन—

प्रश्न में उल्लिखित पिपरा वन प्रभाग नाम का कोई वन प्रभाग नहीं है। पिपरी में मुख्यालय दुद्धी वन प्रभाग नहीं है। जिसमें वर्ष 1975 से अब तक कुल 1960 हेक्टर क्षेत्र में तथा सड़कों के किनारे 194-85 पंक्ति किलोमीटर पर वृक्षारोपण किया गया है जिस पर क्रमशः 14,73,900 रु0 तथा 2,65,300 रु0 धनराशि व्यय हुई। जीवित पौधों की कुल संख्या 10,22,000 है।

नैनीताल के रज्जु मार्ग का निर्माण

3—श्री रामदत्त जोशी (जिला नैनीताल)—

क्या पर्वतीय विकास मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रसिद्ध पर्यटन नगर नैनीताल में मनोरंजन एवं सुविधाजनक रज्जु मार्ग (रोप-वे) निर्माण के लिए कितने धनराशि का प्राविधान किस आर्थिक वर्ष के बजट में किया गया और रज्जु मार्ग की यांत्रिक सामग्री और सारे उपकरण बनाने का कार्य किस कम्पनी को कब दिया गया था ? उपरोक्त तैयार शुदा रज्जु मार्ग की स्थापना करने में असाधारण विलम्ब का क्या कारण है?

पर्वतीय विकास मन्त्री (श्री आबिद अली)—

वर्ष 1976–77 में शासन द्वारा कुमायूं मण्डल विकास निगम को कुमायूं मण्डल में विभिन्न रज्जु मार्गों का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के लिए 60 लाख रुपया ऋण के रूप में स्वीकृत किया था। नैनीताल पैसेन्जर रज्जु मार्ग के लिए अलग से कोई विशिष्ट धनराशि का प्राविधान नहीं किया गया था। कुमायूं मण्डल विकास निगम द्वारा मार्च, 1977 में मेसर्स त्रिवेणी स्ट्रकचरल्स लि0, नैनी, इलाहाबाद को कुमायूं में अन्य रज्जु मार्ग के साथ-साथ नैनीताल के रज्जु मार्ग के निर्माण, यांत्रिक सामग्री और उपकरण बनाने का कार्य दिया गया था। इस रज्जु मार्ग के निचले स्टेशन हेतु चिकित्सा विभाग की 1.05 एकड़ भूमि प्राप्त करने हेतु कार्यवाही चल रही है। अभी इस भूमि का तकनीकी एवं भूगर्भीय परीक्षण भी किया जाना है। उपरोक्त कार्यवाही के बाद निर्माण कार्य आरम्भ करना सम्भव हो सकेगा

कानपुर जिले के ए० पी० के सिपाही, श्री लीला सिंह की मृत्यु एवं उनका जी० पी० एफ० व ग्रेच्युटी

4—श्री गिरीश चन्द्र तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या मुख्य मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कानपुर जनपद के ए0पी0 के सिपाही लीला सिंह की 17 अप्रैल, 1978 को मृत्यु होने के उपरान्त उनका बीमा, जी0पी0एफ0, ग्रेच्युटी तथा 17 दिन का वेतन अभी तक उनके उत्तराधिकारियों को क्यों नहीं मिला है ? मिलने में विलम्ब का क्या कारण है ? कब तक पैसा मिलने की आशा है ?

श्री बनारसी दास—

सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत देय धनराशि तथा बकाया वेतन की राशि स्वर्गीय श्री लीला सिंह के उत्तराधिकारियों को क्रमशः दिनाँक 21 मई, 1979 तथा 18 मई, 1979 को भुगतान कर दी गयी है।

जी0पी0एफ0 तथा ग्रेच्युटी के भुगतान के सम्बन्ध में कार्यवाही की जा रही है।

शाहजहांपुर में आग्नेयास्त्रों के लम्बित प्रार्थना-पत्र

5—श्री सत्यपाल सिंह यादव—

क्या मुख्य मन्त्री बतायेंगे कि जिला शाहजहाँपुर में पिछले पाँच वर्षों के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के आग्नेयास्त्रों के लिए प्रतिवर्ष के हिसाब से कुल कितने आवेदन-पत्र विचाराधीन हैं ? इन समस्त आवेदन-पत्रों पर निर्णय क्यों नहीं लिया जा रहा है ? क्या सरकार इन समस्त आवेदन-पत्रों का निस्तारण तत्काल कराने की व्यवस्था करेगी ?

श्री बनारसी दास—

जनपद शाहजहाँपुर में वर्ष 1974 के 16, 1975 के 1218, 1976 के 589, 1977 के 3387 तथा 1978 के 969 आवेदन पत्र लाइसेन्स हेतु विचाराधीन हैं। आवेदन पत्रों के निस्तारण के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

6—श्री रवीन्द्र सिंह—

[5वें मंगलवार के लिए स्थगित ।]

फैजाबाद थाना कोतवाली में पंजीकृत राहजनी एवं डकैती के अभियोग

7—श्री जयशंकर पाण्डेय—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद थाना कोतवाली में 31 मार्च, 1978 से 31 मार्च, 1979 तक कुल कितने राहजनी के केस कायम हुए तथा कितने केस में अभियुक्त पकड़े गए और माल बरामद हुआ ?

श्री बनारसी दास—

प्राप्त सूचना के अनुसार कुल 11 मुकदमें कायम हुए । 4 मुकदमों में अभियुक्त पकड़े गए । मुकदमें में अभियुक्तों ने न्यायालय में आत्म समपर्ण किया तथा 1 मुकदमें में लूटी गयी सम्पत्ति बरामद हुई ।

8—श्री जयशंकर पाण्डेय—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद थाना कोतवाली में 31 मार्च, 1978 से 31 मार्च, 1979 तक डकैती के कुल कितने केस कायम हुए और कितने केस में अभियुक्त पकड़े गए तथा कितने केस में माल बरामद हुए ?

श्री बनारसी दास—

प्राप्त सूचना के अनुसार कुल एक अभियोग पंजीकृत हुआ, जिसमें कोई अभियुक्त पकड़ा नहीं गया और न ही माल बरामद हुआ ।

आई० ए० एस० की प्रवरण सूची में परिगणित एवं पिछड़ी जाति का कथित आरक्षण

9—श्री प्रदीप कुमार यादव (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि वर्तमान शासन द्वारा पदोन्नतियों में आरक्षण किए जाने की घोषित नीति के आधार पर इस समय प्रदेश भर में कितने डिप्टी कलेक्टर ऐसे हैं जिन्हें विशेष वेतनमान से आई०ए०एस० की सेलेक्ट लिस्ट में रखा गया है? उसमें से परिगणित एवं पिछड़ी जाति के अधिकारियों की संख्या अलग-अलग क्या है ?

श्री बनारसी दास—

आई०ए०एस० की प्रवरण सूची भारतीय प्रशासनिक सेवा (प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति) अधिनियम, 1955 में दिए गए प्राविधानों के अनुसार गठित चयन समिति द्वारा उक्त नियमों के अन्तर्गत निर्मित की जाती है । इन नियमों में परिगणित एवं पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण का प्राविधान नहीं है । राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत आरक्षण सम्बन्धी निदेश प्रवरण सूची के मामलों में लागू नहीं होते ।

कारागार के आई० जी० तथा आई० ए० एस० आई० जी० के वेतनमान में विषमता

10—श्री मित्रसेन—

क्या कारागार मन्त्री कृपया बतायेंगे कि कारागार विभाग में विभागीय आई०जी० के वेतन मान तथा आई०ए०एस०, आई०जी० के वेतनमान में कोई अन्तर है ? यदि हाँ, तो आई०ए०एस०, आई०जी० की नियुक्ति का क्या औचित्य है ?

कारागार मन्त्री (श्री बेनी प्रसाद वर्मा)—

जी हाँ ।

प्रशासन के हित में कारागार महानिरीक्षक के पद पर भारतीय प्रशासकीय सेवा के अधिकारी की नियुक्ति की गयी है ।

जेल अधिकारियों को रिवाल्वर दिये जाने की मांग

11—श्री मित्रसेन—

क्या कारागार मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जेल अधिकारियों की सुरक्षा की कोई व्यवस्था है ? जेल अधिकारियों को उनकी सुरक्षा हेतु सरकारी रिवाल्वर न दिए जाने का क्या कारण है ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा—

जी हाँ ।

अधीक्षक और उसके ऊपर के जेल अधिकारियों को रिवाल्वर दिए जाने पर विचार सम्भव है । उनके अधीनस्थ कर्मचारियों को इस प्रकार के शस्त्र देना उचित नहीं समझा जाता ।

मेसर्स न्यू अग्रवाल कोल कम्पनी का फिरोजाबाद में कथित कोल डम्प

12—श्री रघुवर दयाल वर्मा—

क्या उद्योग मन्त्री को जानकारी है कि जनपद आगरा व फिरोजाबाद में लघु उद्योग इकाइयों के उपभोग को कोयला आवंटित किए जाने हेतु मेसर्स न्यू अग्रवाल कोल कम्पनी, आगरा तथा लघु उद्योग निगम, उत्तर प्रदेश के दो कोल डिपो फिरोजाबाद में हैं ? यदि हां, तो वर्ष 1978 में तत्कालीन उद्योग मन्त्री (श्री राम प्रकाश गुप्त) ने अधिकृत रूप से कोल डिपो दिए ? यदि हाँ, तो क्यों और क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करेगी?

श्री रामनरेश यादव—

जनपद आगरा व फिरोजाबाद में मेसर्स न्यू अग्रवाल कोल कम्पनी, आगरा का कोई डम्प नहीं है ।

फिरोजाबाद में दो कोल डम्प मेसर्स मोहन लाल एण्ड सन्स तथा मेसर्स ए0के0 रानीवाला हैं । इन दोनों डम्प्स को कोयला उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम के माध्यम से प्राप्त होता है ।

वर्ष 1978 में मेसर्स न्यू अग्रवाल कोल कम्पनी आगरा को नट कोक का कोल डम्प खोलने की स्वीकृति दी गयी ।

उपरोक्त डम्प्स की स्वीकृति तत्कालीन उद्योग मन्त्री द्वारा नहीं दी गयी थी ।

प्रदेश में ग्रामीण लघु उद्योग विकास केन्द्रों की स्थापना

13—श्री बाबू लाल वर्मा, श्री रामजी (जिला आजमगढ़) तथा श्री औसान सिंह (जिला इटावा)—

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश के किन-किन जिलों और कहाँ-कहाँ ग्रामीण लघु उद्योग विकास केन्द्र अब तक खोले गये हैं ? और उनका आधार क्या है ? ये उद्योग विकास केन्द्र स्थापित होकर कब तक कार्य आरम्भ कर देंगे ? तथा स्थानीय जनता को क्या-क्या सुविधायें मिलेंगी ?

श्री राम नरेश यादव—

विकास केन्द्र योजना के अन्तर्गत अब तक कुल 82 तथा प्रत्येक जनपद में कम से कम एक विकास केन्द्र स्थापित किये गये हैं, जिनकी सूची संलग्न तालिका "क" में दी गयी है ।

विकास केन्द्र की स्थापना हेतु जनपद के उन स्थानों का चयन किया गया है जिनकी आबादी 50,000 से कम है तथा उन स्थानों पर यथा संभव प्रारम्भिक अव स्थापना की सुविधायें उपलब्ध हैं ।

विकास केन्द्रों पर शासन को स्वयं उद्योग नहीं लगाना है वरन उद्योग स्थापनार्थ वहाँ पर उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जाता है। वर्ष 1977–78 में चुने गये 60 विकास केन्द्रों में मार्च, 1979 तक विभिन्न प्रकार के 1562 लघु एवं कुटीर उद्योगों की स्थापना हो चुकी है। वर्ष 1978–79 में चुने गये नये 22 विकास केन्द्रों में उद्योगों के स्थापनार्थ एवं अभिज्ञापन का कार्य किया जा रहा है।

विकास केन्द्र योजना के अन्तर्गत उद्योग स्थापनार्थ उद्यमियों को प्रोत्साहन हेतु दी जा रही सुविधायें एवं सहायतायें अनुलग्नक "ख" में उल्लिखित हैं।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 935–937 पर)

फैजाबाद जिले के मकबरा बहू बेगम की मरम्मत

14—श्री श्रीनारायण (जिला देवरिया)

क्या वक्फ मन्त्री को जानकारी है कि फैजाबाद में ऐतिहासिक बहू-बेगम का मकबरा दिन-प्रति-दिन क्षति ग्रस्त होता जा रहा है।? यदि हाँ, तो इसके लिये सरकार कौन सा उपाय बचाने के लिये करने जा रही है ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

मकबरा बहू बेगम की इमारत में सफाई, पोताई व मामूली मरम्मत की आवश्यकता है। इसके लिये जिलाधिकारी फैजाबाद ने सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा रु0 95,000 का आगणन तैयार करा लिया है। जिला अधिकारी, फैजाबाद से कहा गया है कि पर्यटन विभाग से मकबरे की देखरेख के संबंध में अनुबन्ध करने की आवश्यक कार्यवाही करें।

15—श्री प्रदीप कुमार यादव—

[23–3–79 को अतारांकित प्रश्न संख्या 39 द्वारा उत्तरित]

16—श्री प्रदीप कुमार यादव—

[27–3–79 को अतारांकित प्रश्न संख्या 65 द्वारा उत्तरित]

17—श्री प्रदीप कुमार यादव—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

बहराइच जिले के अपराधों में वृद्धि

18—श्री कमला प्रसाद वर्मा—

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्यसूची दिनाँक 27 मार्च, 1979 ई0 के नत्थी (घ) के अतारांकित प्रश्न संख्या 62 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच में पिछले एक वर्ष में अपराधों में वृद्धि होने का एकमात्र कारण पुलिस फोर्स की कमी नहीं है तो अन्य कौन-कौन कारण है तथा उनके निराकरण के लिए कौन-कौन उपाय कब-कब किए गये ? कब तक स्वीकृत नियतन के अनुसार पुलिस फोर्स पूरी कर दी जाएगी ?

श्री बनारसी दास—

अपराधों में वृद्धि के सामाजिक, आर्थिक परिस्थितियाँ, नैतिक मूल्यों में ह्रास, जनसंख्या में वृद्धि आदि अनेक कारण हैं। स्थिति को नियंत्रित रखने हेतु हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है।

जहाँ तक स्वीकृत नियतन के अनुसार पुलिस फोर्स की कमी का प्रश्न है, हेड कान्स0 की रिक्तियों को प्रोन्नति द्वारा भर दिया गया है। कान्सटेबिल की रिक्तियों के विरुद्ध भर्ती के बाद प्रशिक्षण चल रहा है। प्रशिक्षण समाप्त होते ही तैनाती कर दी जायेगी।

पोलो ग्राउन्ड, इलाहाबाद में आवास योजना के विकास की मांग

19—श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

क्या आवास एवं विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद नगर में स्थित पोलो ग्राउन्ड जो कि बेकार पड़ा है, उसका विकास अवास के लिये करने पर शीघ्र विचार करेंगे ? यदि हाँ, तो कब तक यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त व्यवस्था लागू करते समय भवन विहीन अल्प आय वालों को ही अवसर दिया जायेगा ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

प्रश्नगत भूमि पर आवास योजना चलाने हेतु उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् द्वारा विचार चल रहा है लेकिन भूमि भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय की है जिसे प्राप्त करने के लिये उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् द्वारा विवरण एकत्र किये जा रहे हैं। यदि भारत सरकार से भूमि उपलब्ध हो जाती है और आवास योजना कार्यान्वित की जाती है तो उसमें भवन विहीन अल्प आय वर्ग वालों के लिए भी भवन बनाये जाना अपेक्षित है।

फैजाबाद जिले के कतिपय थानों के अन्तर्गत हत्या

20—श्री जय शंकर पाण्डेय—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद जनपद के थाना कोतवाली तथा थाना अयोध्या कोतवाली एवं थाना कैन्ट में पिछले दो वर्षों में क्रमशः 1 जनवरी, 1977 से 31 दिसम्बर, 1977 तथा 1 जनवरी, 1978 से 31 दिसम्बर, 1978 हत्या के कितने मामले दर्ज हुए हैं ? क्या हत्याओं का अनुपात क्रमशः बढ़ा है ? यदि हाँ, तो सरकार इन्हें रोकने के लिए कौन-कौन से उपाय कर रही है ?

श्री बनारसी दास—

वर्ष 1977 में थाना कोतवाली में 2, थाना अयोध्या कोतवाली में 1 एवं थाना केन्ट में 2 तथा वर्ष 1978 में थाना कोतवाली में 8, थाना अयोध्या कोतवाली में 2, एवं थाना केन्ट में 4 हत्या के अभियोग पंजीकृत हुये। यह सही है कि हत्याओं का अनुपात क्रमशः बढ़ा है। थानाध्यक्षों को हिंसात्मक घटनाओं की विवेचना तत्परता के साथ निस्तारण करने एवं पुरानी रंजिश के मामलों में निरोधात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दे दिये गये हैं।

फैजाबाद जिले के इन्डस्ट्रियल एरिया में बनाये गये प्लाट्स

21—श्री जयशंकर पाण्डेय—

क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद में इन्डस्ट्रीयल एरिया में कुल कितने प्लाट अब तक बनाये गये हैं ? उनमें से कितने प्लाट फैजाबाद के उद्योग लगाने वालों को दिये गये हैं और कितने प्लाट अभी शेष बचे हैं ?

श्री राम नरेश यादव—

जिला फैजाबाद में, उ0 प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम लि0, कानपुर द्वारा विकसित किये जा रहे औद्योगिक क्षेत्र में 94 भू-खण्ड बनाये गये हैं। इनमें से 9 भू-खण्ड पाँच उद्यमकर्त्ताओं को, जिन्होंने अपने पते फैजाबाद के ही दिये हैं, आवंटित हैं। एक भू-खण्ड उक्त निगम द्वारा प्रस्तावित संयुक्त क्षेत्र की एक वृहत्त इकाई हेतु आवंटित है। शेष 84 भू-खण्ड आवंटन हेतु उपलब्ध हैं।

फैजाबाद मण्डल में युक्लिप्टस का उत्पादन

22—श्री जयशंकर पाण्डेय—

क्या उद्योग मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि फैजाबाद मन्डल में युक्लिपिट्स का उत्पादन अधिक है और क्या सरकार उत्पादन के आधार पर फैजाबाद में सनमाइका का उद्योग लगाने जा रही है ? यदि हाँ, तो कब तक ?

श्री राम नरेश यादव---

फैजाबाद मण्डल में युक्लिपिट्स वृक्षों की संख्या कम होने के कारण उनका औद्योगिक उत्पादन में उपयोग सम्भव नहीं है, और न सनमाइका के उत्पादन में युक्लिपिट्स का उपयोग ही कच्चे माल के रूप में होता है। शासन द्वारा फैजाबाद मण्डल में, सनमाइका उद्योग लगाने का कोई विचार नहीं है।

हरिजन और पिछड़ी जाति के आई० ए० एस० एवं पी० सी० एस० अधिकारी

23---श्री शम्भूनाथ चौधरी---

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वित्तीय वर्ष 1978-79 में राज्य में कितने आई० ए० एस० और पी० सी० एस० अधिकारी कार्यरत रहे हैं और इनमें हरिजन और पिछड़ी जाति के व्यक्ति कितने-कितने थे और इनका प्रतिशत कुल उक्त पदों की संख्या के अनुपात में कितना-कितना रहा है ?

श्री बनारसी दास---

वित्तीय वर्ष 1978-79 में राज्य में 393 आई० ए० एस० और 910 पी० सी० एस० अधिकारी कार्यरत रहे हैं। 393 आई० ए० एस० अधिकारियों में से 50 अधिकारी अनुसूचित जाति तथा 5 अनुसूचित जनजाति के थे। 910 पी० सी० एस० अधिकारियों में से 125 अधिकारी अनुसूचित जाति के एवं 35 अधिकारी पिछड़ी जाति के थे। चूंकि आई० ए० एस० में पिछड़ी जाति के लिये आरक्षण का प्राविधान नहीं है, अतएव इनके बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है। तद्नुसार आई० ए० एस० में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के अधिकारी 14 प्रतिशत तथा पी० सी० एस० में अनुसूचित जाति के अधिकारी 13.7 प्रतिशत तथा पिछड़ी जाति के अधिकारी 3.8 प्रतिशत थे।

लखनऊ नगर में लड़कियों के गायब होने की सूचना

24---श्री जगदीश प्रसाद त्रिवेदी (जिला उन्नाव)---

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की राजधानी लखनऊ नगर में 1 जनवरी, 1979 से 15 अप्रैल, 1979 तक कितनी लड़कियाँ गायब की गयीं और इन गायब लड़कियों में से कितनी बरामद हुई और कितनी लड़कियों का पता लगाने में पुलिस अब तक असफल रही है ? क्या सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी के विरुद्ध समुचित कार्यवाही करने की कृपा मुख्य मन्त्री जी करेंगे ?

श्री बनारसी दास---

प्रश्नगत अवधि में लखनऊ नगर में 36 लड़कियों के गायब होने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई। 27 लड़कियां बरामद हो चुकी हैं और 9 लड़कियों की बरामदगी के लिये पुलिस द्वारा कार्यवाही की जा रही है। यदि कोई पुलिस कर्मचारी दोषी पाया जायगा तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायगी।

सचिवालय के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में अनुसूचित जाति एवं मुसलमानों की संख्या

25---श्री शफीकुर्रहमान बर्क (जिला मुरादाबाद) तथा श्री अब्दुल वहीद (जिला बिजनौर)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश सचिवालय में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों में कितने-कितने प्रतिशत अनुसूचित तथा मुसलमानों का प्रतिनिधित्व है ?

श्री बनारसी दास---

उत्तर प्रदेश सचिवालय में दिनांक 30-4-79 को कार्यरत तृतीय/चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों

में अनुसूचित जाति एवं मुसलमान कर्मचारियों के प्रतिनिधित्व का प्रतिशत निम्न प्रकार था—

	प्रतिशत
तृतीय श्रेणी	
अनुसूचित जाति	6.5
मुसलमान	11.1
चतुर्थ श्रेणी	
अनुसूचित जाति	24.6
मुसलमान	18.5

बरेली रेन्ज में अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के थानाध्यक्षों की संख्या

26—श्री सत्यपाल सिंह यादव—

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि बरेली रेंज के समस्त जिलों में अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग के थानाध्यक्षों की संख्या निर्धारित संख्या से कम है ? क्या सरकार निर्धारित कोटा के अनुसार प्रत्येक जिले में चार्ज दिलाने का कष्ट करेंगे ?

श्री बनारसी दास—

बरेली रेंज के सभी थानों में अनुसूचित जाति के थानाध्यक्षों की संख्या निर्धारित कोटे के अनुरूप है। पिछड़े वर्ग के थानाध्यक्षों के लिये कोई कोटा निर्धारित नहीं है।

शाहजहांपुर के थानाध्यक्षों के विरुद्ध लगायी गयी कथित चार्जशीट

27—श्री सत्यपाल सिंह यादव—

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि जनपद शाहजहाँपुर में इस समय ऐसे कितने थानाध्यक्ष हैं जिन पर विभिन्न मुकदमों के अन्तर्गत चार्जशीट लगा दी गई है ? ऐसे लोगों पर थानों का चार्ज क्यों है ? क्या सरकार ऐसे लोगों को चार्ज से हटाकर तत्काल कानूनी कार्यवाही कराने का कष्ट करेगी ?

श्री बनारसी दास—

शाहजहाँपुर जनपद के किसी भी थानाध्यक्ष के विरुद्ध चार्जशीट नहीं लगायी गयी है।

मालवीय इंजीनियरिंग कालेज, गोरखपुर में गबन

28—श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वर्ष 1976 के अगस्त में मालवीय इन्जीनियरिंग कालेज, गोरखपुर में धनराशि के गबन के विषय में पुलिस में कोई रिपोर्ट लिखाई गई थी ? यदि हाँ, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

श्री बनारसी दास—

जी हाँ, जाँचोपरान्त अभियुक्त के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है।

थाना अकबराबाद, जिला अलीगढ़ श्रीमती राधा की मृत्यु संबंधी लिखायी गयी रिपोर्ट

29—श्री श्यामदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या श्री कुन्दनलाल, निवासी 11/109 बाग, मुज्जफर खां, आगरा ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अलीगढ़ को दिनांक 17 जून, 1977 को शिकायत की थी कि उनके भाई श्री दत्त सिंह की पुत्री राधा की हत्या उसके पति श्री अमर सिंह उसकी माँ, उसके पिता सोनपाल व उसके चाचा घनश्याम ने रस्सी से गला घोंट कर कर दी है ? यदि हाँ, तो पुलिस ने क्या कार्यवाही की ?

श्री बनारसी दास—

प्राप्त सूचना के अनुसार प्रश्न में उल्लिखित श्री कुन्दन लाल का प्रार्थनापत्र माह जून, 1977 में प्राप्त हुआ था। इस संबंध में थाना अकबराबाद जिला अलीगढ़ पर दरियाफ्तहाल कायम कर जाँच की गई। जाँच से श्रीमती राधा की मृत्यु बीमारी के कारण होना पाई गई।

30—श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी—

[5वें मंगलवार के लिये स्थगित।]

मेरठ सहकारी गृह निर्माण समिति, साकेत, मेरठ में प्रशासक की नियुक्ति

31—श्री सोनहवीर सिंह तोमर—

विधान सभा के प्रथम सत्र 1978 के तीसरे गुरूवार के लिए निर्धारित ताराँकित प्रश्न संख्या 66 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या आवास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिन कारणों से सहकारी गृह समिति, साकेत मेरठ को प्रशासक के नियन्त्रण में लिया गया था उनका विवरण क्या है ? क्या मन्त्री जी उन व्यक्तियों की सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिन्हें उक्त समिति को प्रशासक के नियन्त्रण में लेने के पश्चात् समिति का सदस्य बनाया गया तथा प्लाट्स आवंटित किये गये ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

मेरठ सहकारी गृह निर्माण समिति लि0 साकेत, मेरठ को प्रशासक के नियंत्रण में किये जाने के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:—

(1) समिति की प्रबन्ध कमेटी में ऐसे सदस्य थे जो उपविधियों के अनुसार विभिन्न कारण से अनर्ह थे।

(2) समिति द्वारा भूमि अधिग्रहण के मुआवजे के मामले में अनियमितता बरती गई।

(3) समिति की प्रबन्ध कमेटी द्वारा श्रीमती शान्ती देवी के वारिसान को बढ़े हुए दर पर मुआवजे का भुगतान गलत ढंग से किया गया था।

(4) समिति के तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा रु0 4000 का दान अवैध रूप से मनोहर लाल शिक्षा समिति को किया गया था।

(5) गाटा संख्या ई–226 के आवंटन में अनियमितता की गई।

(6) समिति की प्रबन्ध कमेटी कुछ सदस्यों से ऋण की बकाया धनराशि की वसूली करने में असमर्थ रही थी।

(7) समिति की सामान्य निकाय की बैठक दिनाँक 20–1–74 में समिति के तत्कालीन अध्यक्ष के कार्यकलापों के बारे में की गई भर्त्सना के सम्बन्ध में प्रबन्ध समिति द्वारा कोई कार्यवाही न करना।

(8) गाटा नं0 153 तथा 175 की बिक्री की स्वीकृति गलत ढंग से दी गई थी।

(9) प्लाट नं0 42/1 के दो भाग करके एक भाग एक गैर सदस्य को अनियमित रूप से आवंटित करना।

(10) प्रबन्ध कमेटी द्वारा समिति का वार्षिक सन्तुलन पत्र प्रस्तुत न किया जाना।

(11) प्रबन्ध कमेटी द्वारा समिति के सदस्यों को अपने मकान–दफ्तरों, दुकानों, कारखानों तथा गोदाम आदि के लिए प्रयोग किये जाने के विरुद्ध कोई प्रभावशाली कार्यवाही नहीं की गई।

जी हाँ। सूची संलग्न है।†

इन सदस्यों को प्रशासक काल में कोई प्लाट आवंटित नहीं किये गये थे।

---

†छापी नहीं गई।

कानपुर जिले के पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारियों का कार्यकाल

32—श्री बाबू लाल वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर में कितने राजपत्रित पुलिस अधिकारी इस समय ऐसे हैं जिनकी तैनाती वहाँ दोबारा की गई है और कितने अराजपत्रित कर्मचारियों को नगर में दस वर्ष से अधिक हो गया है ?

श्री बनारसी दास—

कानपुर जनपदीय पुलिस शाखा में सात राजपत्रित अधिकारी ऐसे नियुक्त हैं जो इससे पूर्व भी कानपुर में नियुक्त रहे हैं। 10 वर्ष से अधिक समय से नागरिक पुलिस के 12 सब इन्सपेक्टर, 120 हेड कॉस्टेबिल तथा 276 कानिस्टेबुल तथा सशस्त्र पुलिस के 14 हेड कानिस्टेबुल एवं 244 कानिस्टेबुल नियुक्त हैं।

न्यायिक दण्डाधिकारी, श्री आई० जी० सिंह, देवरिया के विरुद्ध आरोप-पत्र

33—श्री पुरुषोत्तम कौशिक—

क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि वर्ष 1978 में प्रश्नकर्त्ता ने अनेक विधायकों के हस्ताक्षर से एक आरोप-पत्र कसया (देवरिया) के न्यायिक दन्डाधिकारी (श्री आई० जी० सिंह) के विरुद्ध न्याय मन्त्री को दिया था ? यदि हाँ, तो उक्त आरोप-पत्र में गम्भीर आरोपों की जाँच किस माध्यम से कराई गई तथा उसका क्या निष्कर्ष निकला ?

श्री बनारसी दास—

जी हाँ।

जाँच उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के माध्यम से करायी जा रही है तथा मामला अभी उच्च न्यायालय के विचाराधीन है।

34—श्री रामदत्त जोशी—

[6ठे बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 69 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

नेहरू ब्रिग्रेड अथवा नेहरू यूथ सेन्टर के नाम से दिया गया कथित अनुदान

35—श्री रामदत्त जोशी—

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1975–76 में नेहरू बिग्रेड अथवा नेहरू यूथ सेन्टर नामक संस्था को मुख्य मन्त्री कोष तथा अन्य सरकारी विभागों से कितनी धनराशि अनुदान के रूप में दी गई थी और किस कार्य विशेष के लिये ?

श्री बनारसी दास—

जी नहीं।

36—श्री राम दत्त जोशी—

[4थे सोमवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 65 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

37—श्री रामदत्त जोशी—

[26–12–78 को अतारांकित प्रश्न संख्या 49 द्वारा उत्तरित।]

38—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

[4थे बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 53 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

39—श्री बाबू लाल वर्मा—

[5वें बुधवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 61 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

40—श्री बाबू लाल वर्मा—

[5वें बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 12 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद की सी० आई० डी० द्वारा जांच

41—श्री गुरु प्रसाद—

विधान सभा के दिनाँक 12 अप्रैल, 1978 के तारांकित प्रश्न संख्या 66 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या प्राविधिक शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि इन्जीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद की सी0 आई0 डी0 जाँच की अब तक रिपोर्ट तथा कृत कार्यवाही से अवगत कराने की कृपा करेंगे ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

मामले की विवेचना अभी जारी है।

गोरखपुर के पिपरौली बाजार का हथकरघा प्रशिक्षण केन्द्र

42—श्री रवीन्द्र सिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जिले के पिपरौली बाजार में कोई हैन्डलूम केन्द्र स्थापित किया गया था ? क्या उसकी इमारत भी बन गई थी ? क्या उसे पिपरौली से कहीं अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया गया है ? यदि हाँ, तो क्यों ?

श्री राम नरेश यादव—

सघन हथकरघा विकास परियोजना के अन्तर्गत गोरखपुर जिले के पिपरौली बाजार में एक हथकरघा प्रशिक्षण केन्द्र प्रारम्भ किया गया है। इस प्रशिक्षण केन्द्र हेतु भवन निर्माण कराया गया। इस प्रशिक्षण केन्द्र को कहीं अन्यत्र स्थानान्तरित नहीं किया गया है। प्रश्न के शेष भाग के उत्तर देने का आधार नहीं बनता।

बस्ती जिले के कटरा गृहस्थान योजना

43—श्री ओम प्रकाश (जिला बस्ती)—

क्या आवास विकास मन्त्री कृपया बतायेंगे कि बस्ती जिले में आवास विकास परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा आवास एवं भूखन्ड आवंटन हेतु दिनाँक 31 दिसम्बर, 1978 तक कितने लोगों से आवेदन-पत्र तथा जमानत की धनराशि प्राप्त की है ? बस्ती जिले में उपरोक्त भूमि पर कब तक भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ होने जा रहा है ? भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ कराने में क्या कोई वैधानिक रुकावटें हैं ? यदि हाँ, तो वे कौन सी वैधानिक रुकावटें हैं ?

श्री मोहम्मद मसूद खां—

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् ने बस्ती जिले में कटरा गृहस्थान योजना संचालित की है। योजना में भूखण्ड एवं भवन आवंटन हेतु पंजीकरण के प्रथम दौर तक, जो दिनाँक 28–2–78 को समाप्त हुआ, 19 आवेदन पत्र भूखण्ड हेतु तथा 71 आवेदन पत्र भवन हेतु प्राप्त हुए थे। पंजीकरण का दूसरा दौर दिनाँक 26–12–78 से 28-2-79 तक रहा। उक्त दौर में दिनाँक 26–12–78 से 31–12–78 तक बस्ती जिले से कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं हुआ। उक्त योजना में निर्माण कार्य अप्रैल, 1980 तक प्रारम्भ होने की आशा है। योजना में निर्माण कार्य प्रारम्भ कराने में कोई वैधानिक रुकावट नहीं है। भूमि अध्याप्ति की कार्यवाही ही अभी पूर्ण नहीं हुई है। भूमि कब्जा जून, 1979 तक प्राप्त होने की सम्भावना है।

44—श्री जगन्नाथ सिंह परमार—

[माननीय सदस्य ने वापस लिया।]

45—श्री राम नारायन वर्मा—

[5वें मंगलवार के लिये स्थगित।]

थाना लोहामण्डी, आगरा में अंकित जन आन्दोलन संबंधी मुकदमें की वापसी के संबंध में प्रार्थना-पत्र

46—श्री श्यामदत्त पालीवाल—

क्या न्याय मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि उनको दिनाँक 22 जनवरी, 1979 को श्री विवेक शर्मा, पुत्र श्री भगवानदास शर्मा, निवासी 1/195, खालसा गली, रावतपाड़ा, आगरा ने श्री श्यामदत्त पालीवाल, विधायक की संस्तुति के साथ जन आन्दोलन से सम्बन्धित मु0 नं0 109 धारा 143/448/451 ता0 हि0, जिला आगरा, थाना लोहामन्डी को वापस लेने का प्रार्थना-पत्र दिया था ? यदि हाँ, तो उपरोक्त प्रार्थना-पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

न्याय मंत्री (श्री श्रीचन्द्र)—

जी हाँ। प्रश्नगत अभियोजन के वापसी के प्रस्ताव पर समुचित विचारोपरान्त न्यायालय की कार्यवाही में हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझा गया।

47—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त तथा श्री गोकरन प्रसाद—

[8-5-79 को अतारांकित प्रश्न संख्या 11 द्वारा उत्तरित]

मंत्रि मण्डल के सदस्यों पर विभिन्न मदों पर व्यय की गयी धनराशि

48—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार बतायेगी कि वित्तीय वर्ष 1978-79 में मन्त्रिमन्डल के प्रत्येक सदस्य पर अलग-अलग वेतन, यात्रा-भत्ता, टेलीफोन, पेट्रोल और साज-समाज पर कितनी-कितनी धनराशि व्यय हुई है और उक्त अवधि में किन-किन मन्त्रियों ने कब-कब विभिन्न जनपदों का दौरा किया ?

श्री बनारसी दास—

प्रश्न की सूचना एकत्र करने में जो श्रम एवं समय लगेगा वह उसके लाभ के अनुरूप न होगा।

49—श्री हुकम चन्द्र तिवारी—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया।]

प्रभारी अधिकारी, नगरपालिका, मुरादाबाद के विरुद्ध शिकायती-पत्र

50—श्री राम आसरे वर्मा—

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरकार द्वारा, श्री सत्य प्रकाश बाल्मीकि नामक किसी व्यक्ति द्वारा अगस्त, 1978 में नगरपालिका, मुरादाबाद के विरुद्ध की गयी शिकायत की जाँच हेतु जिला मैजिस्ट्रेट, मुरादाबाद को जाँच अधिकारी नियुक्त किया गया था ? यदि हाँ, तो क्या जाँच रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गयी है और उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बनारसी दास—

अक्टूबर, 1978 में श्री सत्य प्रकाश बाल्मीकि द्वारा प्रभारी अधिकारी, नगरपालिका मुरादाबाद के विरुद्ध शिकायत की गयी थी जिसकी जाँच जिलाधिकारी मुरादाबाद कर रहे हैं।

जाँच रिपोर्ट अभी शासन को प्राप्त नहीं हुई है।

51—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

[6ठे शुक्रवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 25 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

52—श्री सन्त बक्श रावत—

[8वें बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 33 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

53—श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय—

[8 वें बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या 31 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

सचिवालय के निःसंवर्गीय (एक्स-कैडर) पदों को संवर्गीय पदों में परिवर्तन की मांग

54—श्री संगम लाल (जिला प्रतापगढ़)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिवालय में अनेक उच्च श्रेणी के निःसंवर्गीय (एक्स-कैडर) पद हैं, जिन पर सचिवालय से अधिकारियों की नियुक्ति लोक सेवा आयोग या किसी अन्य चयन समिति द्वारा चयन के बिना ही कर दी जाती है ? क्या यह भी सही है कि इन निःसंवर्गीय पदों पर कार्य करने वाले सचिवालय सेवा के अधिकारी 20, 25 वर्षों से एक ही विभाग में कार्य करते चले आ रहे हैं ? यदि हाँ, तो क्या ऐसे समस्त निःसंवर्गीय पदों को जो तीन या अधिक वर्षों से चल रहे हैं संवर्गीय पदों में परिवर्तित करने एवं उनके लिए नियमानुसार चयन किये गये अधिकारियों की नियुक्ति करने के आदेश सरकार देगी जिससे इन पदों पर भी आरक्षण के पात्र लोगों को उसका हक मिल सके ?

श्री बनारसी दास—

जी हाँ। सचिवालय को कुछ विभागों में विशिष्ट कार्यों के लिए उच्च श्रेणी के कतिपय निःसंवर्गीय पद विभिन्न वेतन-क्रमों में स्वीकृत हैं और उनमें से अधिकांश पदों पर सचिवालय के अधिकारी अस्थायी/तदर्थ आधार पर कार्यरत हैं। इनकी नियुक्तियाँ सम्बन्धित विभागों द्वारा सक्षम अधिकारियों के आदेशों से उनकी विशिष्ट योग्यताओं एवं उनक द्वारा अर्जित अनुभव को दृष्टिगत रखते हुए की गई है। चूंकि कथित पद पृथक-पृथक वेतन मानों में विशिष्ट कार्यों के लिए स्वीकृत हैं और यह अधिकांशतः अस्थायी तथा एक-एक, दो-दो पद हैं, अतएव सामान्यतया उन्हें संवर्गीय पदों में परिवर्तित करने का औचित्य प्रतीत नहीं होता।

विधान सभा अध्यक्ष पद के लिये निर्वाचन तिथि को श्री राज्यपाल द्वारा निरस्त किये जाने की सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्यों को एक सूचना देनी है। श्री राज्यपाल के सचिव ने कैम्प राजभवन नैनीताल से 28 मई, 1979 के रेडियोग्राम द्वारा यह सूचना भेजी है कि श्री राज्यपाल ने मुख्य मंत्री के परामर्श पर यह आदेश दिया है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष पद पर निर्वाचन के लिये 29 मई, 1979 की निर्धारित तिथि निरस्त कर दी जाय।

फैजाबाद जिले में लगने वाली अकबरपुर गन्ना मिल का लाइसेन्स रद्द किये जाने से जनता में असंतोष के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री श्रीराम द्विवेदी (जिला फैजाबाद)—

मान्यवर, फैजाबाद जिले में सहकारी क्षेत्र के अन्तर्गत प्रस्तावित अकबरपुर गन्ना मिल के लाइसेंस निरस्त कर दिये गये जाने के कारण किसानों में क्षोभ व असंतोष व्याप्त हो गया है। प्राप्त सूचनाओं के अनुसार प्रदेश सरकार कृषकों द्वारा लगायी गयी अंश पूंजी वापस करने तथा संबंधित स्टाफ को अन्यत्र हटाने की व्यवस्था कर रही है। इस क्षेत्र में गन्ना मिल की महती आवश्यकता है।

इस मिल के लाइसेंस निरस्त हो जाने के कारण विशेषकर अकबरपुर तथा टाँडा के किसानों के समक्ष अभूतपूर्व संकट उत्पन्न हो गया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को सदन के संज्ञान में लाकर मैं सरकार से माँग करता हूं कि अकबरपुर सहकारी गन्ना मिल के लाइसेन्स को पुर्नजीवित कराये।

गाजीपुर नगर में पेय जल संकट के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री अवधेश नरायन (जिला गाजीपुर)—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से इस माननीय सदन के संज्ञान में एक अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न लाना चाहता हूं। इस भीषण गर्मी में गाजीपुर नगर में पानी का जबरदस्त अभाव पैदा हो गया है। गाजीपुर नगर पालिका अपने नागरिकों को जल आपूर्ति में पूर्णत:असफल है, क्योंकि जल निगम द्वारा निर्मित टाउनहाल तथा उर्दू बाजार के पेयजल के नलकूप एकदम बेकार हो गये हैं। दूसरे नलकूपों के भी ठीक से काम न करने के कारण पेयजल वितरण प्रणाली भी लगभग ठप्प है। गाजीपुर नगर की इस परेशानी की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट कर माँग करता हूं कि नगर के पेयजल संकट को दूर करने हेतु तत्काल प्रभावी कदम उठाया जाय तथा समस्या के स्थायी समाधान हेतु उपरोक्त खराब नलकूपों की तत्काल मरम्मत के साथ नगर के पूरब स्थित कोट पर तथा गाजीपुर शहर स्टेशन के पास अतिरिक्त नलकूप लगाये जायं तथा पूरी प्रणाली की जाँच कराकर इसे प्रभावी बनाया जाय।

हरदोई जनपद की बिलग्राम तहसील के कतिपय गेहूं क्रय केन्द्रों पर अनियमितता के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

मान्यवर, हरदोई जनपद क तहसील बिलग्राम में साण्डी बिलग्राम, माधोगंज, हीरापुर कस्बे में स्थित आर0 एफ0 सी0 के गेहूं क्रय केन्द्रों पर उच्च अधिकारियों की साँठगाँठ से अनियमितता खुलेआम की जा रही है। विभाग के उच्च अधिकारी किसी केन्द्र को देखने नहीं जाते। किसानों को खुलेआम लूटा जा रहा है। गरीब किसानों को गेहूं बेचने के बजाए घर वापस लौटा लाना पड़ता है। किसान रु0 2 प्रति बोरा दस्तूरी, ढाई किलो प्रति बोरी पल्लेदारी तथा प्रति बोरा एक किलो गेहूं अधिक तौलाकर देता है। तभी क्रय केन्द्र पर उसके गेहूं की तौलाई की जाती है। माधोगंज में समिति के अध्यक्ष द्वारा चेक पर हस्ताक्षरों हेतु 2–2, 3–3 दिन किसान को लाइन लगानी पड़ती है। केन्द्र पर छोटे-छोटे किसानों के कई दिनों तक पड़े रहने के बाद मुश्किल से तौलाई हो पाती है। इन केन्द्रों पर व्यापारियों और बिचौलियों से खरीद चुपचाप हो जाती है। केन्द्र के कर्मचारी प्रति दिन सैकड़ों रुपयों के गेहूं की बचत कर केन्द्रों पर ही बेचकर रुपया नकद कर लेते हैं। माधोगंज केन्द्र पर सिर्फ व्यापारियों की ही खरीद होती है जिन चन्द किसानों की खरीद भी होती है उसके लिये अध्यक्ष की अनुमति ली जाती है।

अत: ऐसे लोक महत्व के प्रश्न की ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। तथा उक्त केन्द्रों की उच्चस्तरीय जाँच कराये जाने की माँग करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कानपुर के ग्राम मनोह की कुमारी सावित्री के साथ थाना सिवली की पुलिस द्वारा बलात्कार तथा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के विरुद्ध शिकायत के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री मौजी लाल कुरील (जिला कानपुर)—

मान्यवर, अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर जनपद कानपुर की बिगड़ती हुई पुलिस प्रशासन की स्थिति पर माननीय मुख्य मंत्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। थाना सिवली की पुलिस ने ग्राम मनोह की लड़की कुमारी सावित्री हरिजन से यह पूछा कि तुम्हारा भाई डकैत है, चलो थाने वहाँ जाँच की जायेगी। इस बहाने थाने दिनाँक 25-4-79 को ले गये वहाँ पर इस लड़की को थाने में तीन दिन बन्द रखा। उसके साथ बलात्कार, दुष्कर्म किये गये, मारा पीटा गया जिसका उस लड़की ने मेडिकल भी कराया। पुलिस के गुण्डों से छूटने के बाद यह लड़की कुछ कार्यकर्त्ताओं के साथ माननीय मुख्य मंत्री से मिली और मुख्य मंत्री ने फोन से गृह सचिव से कहा कि थाना इंचार्ज सिवली को निलम्बित करें व सिपाहियों का स्थानान्तरण करें तथा मुकदमा भी कायम करें, परन्तु अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। जिन कार्यकर्त्ताओं ने उस हरिजन लड़की की मदद की थी उन्हें डकैती व राहजनी में फंसा देने की धमकी दी जा रही है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार के कारण मौन हो गये हैं। सिवली थाने में हरिजनों में पुलिस द्वारा घोर अत्याचार किया जा रहा है।

मान्यवर, जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक थानेदारों के स्थानान्तरण करके रोक देते हैं अभी हाल में थाना मूसानगर के थानेदार श्री गंगवार का स्थानान्तरण बिठूर किया गया इसके बाद वहाँ से रोक कर थाना सिकन्दरा कर दिया, क्योंकि सिकन्दरा में अच्छी आमदनी होती है। इसी प्रकार भोगनीपुर के इंस्पेक्टर का स्थानान्तरण घाटमपुर किया गया। बाद में वहाँ से रोककर थाना फजलगंज कर दिया, क्योंकि फजलगंज में भी अच्छी आमदनी होती है। जो थानेदार व सिपाही जिस थाने में पोस्टिंग कराना चाहता है पोस्टिंग की जा रही है। हमारे क्षेत्र के अन्तर्गत गत दोनों थानों में दो माह से कोई इन्सपेक्टर थानों में नहीं है, पुलिस प्रशासन बिल्कुल निष्क्रिय है। हत्यायें व डकैती इन दो माह के अन्दर पिछले 8 महीने के बराबर पहुंच गयी हैं। अतः कानपुर पुलिस प्रशासन ठीक किया जाय अन्यथा हम सभी का जीवन खतरे से खाली नहीं है।

सीतापुर जनपद के ग्राम बरगांवा के श्री राम लाल व श्री किसन को झूठे मुकदमे में जेल यातना के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री राम रतन सिंह (जिला सीतापुर)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार का ध्यान अपने विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र मिश्रिख, जनपद सीतापुर के ग्राम बरगाँवा, थाना विसवाँ के दो हरिजनों की अन्यायपूर्ण जेल यातना की ओर आकृष्ट करना चाहते हैं।

मान्यवर, ग्राम बरगाँवा का श्री राम लाल हरिजन जो कि उप जाति चमार है अपनी व अपने बच्चों की गुजर-बसर गाँव में मजदूरी कर के करता था। गाँव के पुराने राजपूत जमींदारों के घर उसने मजदूरी की। मजदूरी के पैसे भी नहीं मिले। उल्टे मजदूरी माँगने पर मार खाई तथा झूठे मुकदमें में एक डकैती केस में हरदोई जिला जेल में बन्द करा दिया गया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सरकार हरिजनों को बड़ी सुविधाओं और संरक्षण देने के ढोल पीट रही है किन्तु श्री राम लाल द्वारा दिनाँक 17–3–79 को थाना बिसावाँ में रिपोर्ट करने के बावजूद भी मुल्जिमों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी, जबकि जिले के अनेकों अधिकारियों ने थाना इन्चार्ज विसावाँ को उपरोक्त मामले में मुल्जिमों के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही करने के लिए बार-बार लिखा।

श्री राम लाल की पिटाई करने वाले व्यक्तियों का कथन है कि हरदोई जिले के थाना टंडियावाँ से साँठ-गाँठ करके अपने सी0 आई0 डी0में काम करने वाले निकटतम संबंधी अधिकारी की मदद से श्री रामलाल तथा उसके गवाह श्री किशन का चालान एक डकैती के मुकदमे में करवा दिया गया तथा उस मुकदमे से संबंधित गवाहों को बुलाकर शिनाख्त भी कराई।

इस आश्चर्यपूर्ण घटना के संबंध में हमने पुलिस अधीक्षक, सीतापुर को एक पत्र लिखा, इस पर पुलिस अधीक्षक, सीतापुर ने अपने पत्र संख्या सी–54 आयु 74, दिनाँक 3–5–1979 द्वारा पुलिस अधीक्षक हरदोई को लिखा कि "तथ्यों के छानबीन करने के बाद श्री रामलाल के विरुद्ध कार्यवाही की जाये। मैंने थानाध्यक्ष, बिसावाँ से पूछा। उन्होंने श्री रामलाल को एक अच्छा व्यक्ति बताया। उन्होंने बताया है कि उन्होंने इस बात को आपके थाने के उपनिरीक्षक को बता दिया था। ऐसा लगता है कि श्री रामलाल की वैमनष्यता अथवा गलती से मुकदमे में फंसाया गया है। इन परिस्थितियों में उसके साथ न्याय किये जाने की अपेक्षा है।" इस विषय में हमने तथा माननीय विधायक, श्री चौधरी गनेशी लाल जी ने दिनाँक 10–5–1979 को माननीय मुख्य मंत्री को भी इस आशय का एक पत्र श्री राम लाल के प्रार्थना-पत्र के साथ पत्र दिया था कि मामले की उच्चस्तरीय जाँच कराकर न्याय प्रदान करें किन्तु अभी तक संबंधित व्यक्ति जेल में ही पड़े हैं।

मान्यवर, आपके माध्यम से हम शासन से निवेदन करेंगे कि श्री रामलाल तथा उसके गवाह को जिला जेल हरदोई से अविलम्ब छोड़ा जाय, उसके बाल-बच्चों के भरणपोषण के लिए शासन द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान की जाय तथा दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध शासन द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाय।

मोहल्ला दुर्गा प्रसाद, बीसलपुर, पीलीभीत के श्री फूल चन्द्र की हत्या में पुलिस की साजिश के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री मुनीन्द्रपाल सिंह (जिला पीलीभीत)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे प्रार्थना पत्र श्रीमती कमला देवी पत्नी श्री फूलचन्द्र मो0 दुर्गा प्रसाद, बीसलपुर, जिला पीलीभीत से प्राप्त हुआ था जिसको मैंने संलग्न करके अपने पत्र दिनाँक 23–3–79 द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान थाना बीसलपुर जिला पीलीभीत के अन्तर्गत असुरक्षा व अव्यवस्था की वस्तुस्थिति की ओर आकर्षित किया था। इस पत्र की प्राप्ति की पुष्टि गृह विभाग, संयुक्त सचिव ने अर्ध शा0 प0 सं0 139–एम/आर–4–252 बी-79, दिनाँक 3 अप्रैल, 1979 को की और मामले की आवश्यक कार्यवाही किये जाने के लिये सूचित किया।

अपने प्रार्थना-पत्र में श्रीमती कमला देवी ने स्थानीय थानाध्यक्ष पर शंका व्यक्त की थी और आरोप लगाया था कि लालचवश थानाध्यक्ष बीसलपुर द्वारा उसके पति फूलचन्द्र जी को मरवा डालने का निश्चित षडयंत्र रचाया जा रहा है और सरकार से उसकी जीवन रक्षा की प्रार्थना की थी जिसका पूर्ण विवरण उसने अपने प्रार्थना-पत्र में दिया है। विभाग द्वारा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मुनीन्द्रपाल सिंह]

कोई कार्यवाही अथवा समुचित प्रबन्ध नहीं किया गया। फलस्वरूप दिनाँक 26-5-79 को दिन के 8-50 बजे कस्बे के मध्य सड़क पर उसके पति (फूलचन्द्र) को मरवा दिया गया। इस प्रकार अन्य घटनायें कत्ल तथा लूटपाट की लगभग एक वर्ष से होती चली आ रही हैं जिनमें से कुछ विशेष घटनाओं का विवरण सरकार को अपने पूर्व पत्र में दे चुका हूं।

दिन दहाड़े उक्त घटना से जनजीवन में असंतोष, भय तथा बीसलपुर की पुलिस से सुरक्षा का विश्वास टूट गया है। ऐसी परिस्थिति में तुरन्त जाँच कराकर सुनिश्चित प्रबन्ध शासन द्वारा कराये जाने की अपेक्षा की जाती है।

प्रतापगढ़ जनपद के कतिपय ग्रामों में कत्ल तथा डकैती की घटनाओं के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

*श्री विद्याशंकर (जिला प्रतापगढ़)---

मान्यवर, प्रतापगढ़ जनपद में गड़बाड़ा विधान सभा क्षेत्र के थाना जगदीशपुर और देवराजपुर में घटित घटनाओं तथा लहरनगंज के अवसर ग्राम में पड़ी डकैती के अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को इस सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। दिनाँक 26/27 मई की रात में जगदीशपुर के सुदामा कुर्मी के यहाँ डकैती पड़ी। डाकुओं ने सुदामा कुर्मी को गोलियों से मारकर मौत के घाट उतार दिया। उसकी पत्नी को भी मार डाला तथा उसके लड़के को भाला से मारा और उसके पुत्रवधू की गुप्ताँग में डंडा कर जखम पहुंचाया। इसके एक माह पूर्व इसी ग्राम के चौकीदार को डाकुओं ने मार डाला। इसी प्रकार उसी 26-27 मई को जगदीशपुर ग्राम में कतल कर डाकुओं ने पड़ोसी देवराजपुर के गनेश, बाबूलाल बुधिराम के घरों में डकैती डाली तथा संपत्ति को लूटा। इसी प्रकार से 27/28 मई को थाना लालगंज में अवकवापुर ग्राम में राम कुमार के यहाँ डकैती पड़ी और उसे मार डाला। डाकुओं ने आतंक मचा रखा है। लोगों के जानमाल की सुरक्षा नहीं रह गयी है। जगदीशपुर में बुर्रा नामक मशहूर डकैत है जिसके डर के मारे गाँव का प्रधान भी भाग गया है। बुर्रा का गैंग उक्त इलाके में आपरेट कर रहा है। पुलिस निष्क्रिय है तथा कुछ कर पाने में असमर्थ है। इसी प्रकार से संग्रामगढ़ तथा पट्टी थाने में डकैती की घटनायें घटी हैं। आपके माध्यम से इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं तथा सरकार से माँग करता हूं कि बुर्रा के गैंग का सफाया कराये जाने तथा पी0 ए0 सी0 की तैनाती कराकर वहाँ के आतंक का माहौल समाप्त कराया जावे।

जिला परिषद् कर्मचारियों द्वारा क्रमिक अनशन के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

डाक्टर अवश्नी कुमार चतुर्वेदी 'राकेश' (जिला कानपुर)---

मान्यवर, 25 मई, 1979 से जिला परिषद कर्मचारियों द्वारा क्रमिक अनशन और उनमें व्याप्त भीषण असन्तोष के सम्बन्ध में मैं उत्तर प्रदेश सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कई बार आश्वासन दिये जाने के बावजूद अभी तक जिला परिषद कर्मचारियों को राज्य कर्मचारी नहीं घोषित किया गया। जबकि इसी स्तर के अनेक कर्मचारियों को जैसे गाँव सभा के सेक्रेटरी एवं क्षेत्र समितियों के कर्मचारी, राज्य कर्मचारी घोषित किये जा चुके हैं और उन्हें राज्य कर्मचारियों जैसी सुविधायें प्रदान की जा रही हैं। राज्य सरकार द्वारा दिये जाने वाले आश्वासन की पूर्ति वित्तीय संसाधनों के अभाव में 3 करोड़ 30 लाख जैसा कि मंत्री जी ने कहा है, नहीं पूरा हो पा रहा है। यह न्याय संगत प्रतीत नहीं होता। जिला परिषद् को जो सरकारी सहायता 1 करोड़ 35 लाख प्राप्त होती है

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उससे एवं शेष धन 1 करोड़ 94 लाख धन जो बचता है। अत: जिला परिषदों को अधिकार दे कि वह अपने साधन जुटाकर उपरोक्त राशि से खर्च वहन करे। जिससे उन्हें राजकीय कर्मचारियों के समान सुविधायें प्राप्त हो सकें। अत: निवेदन है कि सरकार इस सम्बन्ध में निर्णय एक मास में लेकर जिला परिषद् कर्मचारियों को राज्य कर्मचारी घोषित कर उन्हें राज्य कर्मचारियों का स्तर प्रदान करे।

प्रतापगढ़ जनपद में कतिपय नदियों द्वारा भूमि का कटाव के विषय को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री रामदेव दुबे (जिला प्रतापगढ़)—

मान्यवर, आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक अत्यन्त लोक महत्व के विषय की ओर आकृष्ट करता हूं। प्रतापगढ़ जनपद की सई, बकुला ही, लोनी सकरनी परैया आदि नदियों तथा अनेक नालों ने चाल डाला है। इन नदियों एवं नालों के तटों पर लाखों एकड़ भूमि ऊंची-नीची, कटी बंटी एवं झाड़ झंखाड़ से आवृत्त नार-खोह एवं बीहड़ के रूप में पड़ी हुई है। आये दिन ग्रामों एवं बस्तियों की उर्वर भूमि भी कटाव के अन्तर्गत आती जा रही है। फलत: सम्बन्धित जनता में घोर निराशा, असंतोष एवं हाहाकार व्याप्त हो गया है। विधान सभा क्षेत्र बीरापुर के अनेक तटवर्ती ग्रामों की दशा बड़ी चिन्तनीय, दयनीय एवं भयावह हो गयी है। वहाँ की भूमि की विनाश लीला देख कर अत्यन्त कष्ट एवं आश्चर्य होता है। सई नदी के तट पर गोई चौपई कठार, दुखियापुर, श्रीपुर, सोनीपुर, आशापुर, गोधपट्टी, गजरिया, बड़ारी, टंडवा, महोखरी, बंसीपट्टी, डामीन, मदेयरा, रसूनाहा, पिपरी, चौखड़ा, वसीरपुर, चौरज, नजियापुर, प्रजापतिपुर, बीरापुर, पुरा, जगनीपुर, खम्नपुर, ताला, खभोर, चलाकपुर आदि अनेक ग्रामों की भूमि प्रतिवर्ष कटाव की चपेट में पड़ कर हजारों एकड़ कट कर ऊबड़-खाबड़, ऊंची नीची एवं गहरी होकर कृषि के अयोग्य होती जा रही है। श्रीमन्, ज्ञातव्य है कि उक्त ग्रामों में होकर जो नहरें गयी हैं, उनसे भी कटाव को पूर्ण बल मिल रहा है। इन नहरों का कोई उपयोग नहीं है। ये नहरें क्यों खोदी गयीं मेरी समझ में बात नहीं आती।

अस्तु, मान्यवर, उक्त भयावह स्थिति और उर्वर भूमि की विनाश लीला सदन के संज्ञान में लाकर सरकार से माँग करता हूं कि प्रतापगढ़ की प्रतिवर्ष कटती हुई भूमि के बचाने की कोई तुरन्त व्यवस्था की जाय। बीहड़ सुधार योजना प्रतापगढ़ में लागू करने की सरकार तत्काल अनुशंसा करे। वर्णित स्थानों पर जहाँ-जहाँ नहरें निकाली गयी हैं, उन्हें तुरन्त पटवा दिया जाय, क्योंकि वे सब निष्प्रयोज्य हैं और प्रकृति की भूमिगत विनाश लीला में योगदान कर रही हैं। इन नहरी शाखाओं को समाप्त करके राजकीय नलकूप लगवाये जायं और उनकी नालियाँ तत्काल पक्की करा दी जायं जिससे कटाव रुक सके। श्रीमन्, ऊपर वर्णित स्थितियों के अध्ययनार्थ सरकार कोई व्यवस्था करे और सदन में वक्तव्य दे।

बस्ती की कतिपय सड़कों की मरम्मत किये जाने की मांग को नियम 301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान में लाना

श्री शिव लाल मित्तल (जिला बस्ती)—

मान्यवर, बस्ती के बाँसी नौगढ़ सड़क इटवा-बढ़नी व टेस्ट वर्क द्वारा निर्मित कटहर महरथा सड़क तनुजवा, देवरवा शोहरतगढ़ बरगदवा सड़क जो कि गत वर्ष बाढ़ से कट गयी थी जिन्हें अभी परमाला तक मरम्मत कर यातायात के योग्य नहीं बनाया जा सका है। मान्यवर,बरसात निकट है। यदि उक्त सड़क की मरम्मत बरसात प्रारम्भ होने के पूर्व नहीं की गयी तो पुन: जिला मुख्यालय का संबंध इस वर्ष भी नौगढ़ तहसील से समाप्त हो जायेगा। गत वर्ष सड़कों के कटान के कारण गोरखपुर होकर सहायता सामग्री

[श्री शिवलाल मित्तल]

भेजी गयी थी जिसमें काफी कठिनाइयों का सामना करने के पश्चात् सामग्री समय से नहीं पहुंच सकी। बरसात ज्यों ही नजदीक आ रही है इसको देखते हुए वहाँ की जनता में उपरोक्त सड़कों के मरम्मत न होने से घोर असंतोष एवं क्षोभ व्याप्त है।

अस्तु इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री एवं राजस्व मंत्री का ध्यान आकृष्ट करने की सूचना देता हूं।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री उपाध्यक्ष—

श्री रणवीर सिंह, सदस्य, विधान सभा ने 26 मई, 1979 को माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना की सूचना दी थी जिसमें उन्होंने यह कहा कि उन्होंने 26 मार्च, 1979 को नियम 301 के अन्तर्गत सार्वजनिक निर्माण विभाग के अन्तर्गत सरकारी वाहनों को किराये पर उठाने तथा विभाग की अनियमितताओं का एक मामला उठाया था, किन्तु 22 दिन बाद उस संबंध में माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री का केवल एक अन्तरिम उत्तर प्राप्त हुआ और 23 मई, 1979 तक भी उस संबंध में कोई अन्तिम उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

मैंने माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री से इस संबंध में वस्तुस्थिति की जानकारी माँगी। माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री ने वस्तुस्थिति बताते हुए यह सूचना दी कि माननीय सदस्य ने उक्त विषय की सूचना उन्हें 22 मार्च, 1979 को ही दे दी थी और उसी दिन उन्होंने मुख्य अभियन्ता को जाँच कराकर अपनी रिपोर्ट शासन को भेजने के आदेश दिये थे। नियम 301 के अन्तर्गत सूचना प्राप्त होने पर मुख्य अभियन्ता से पुनः दिनाँक 27 मार्च, 1979 को जाँच कराकर रिपोर्ट भेजने को कहा गया। मुख्य अभियन्ता ने इन शिकायतों की जाँच करने के लिए एक अधीक्षण अभियन्ता तथा एक अधिशासी अभियन्ता की जाँच कमेटी नियुक्त की। इसी बीच माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री ने माननीय सदस्य को एक अन्तरिम उत्तर भेज दिया था कि उनके पत्र में उल्लिखित शिकायतों की जाँच की जा रही है और उसके परिणाम से उनको शीघ्र अवगत कराया जायेगा। माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री ने यह भी कहा है कि माननीय सदस्य मुख्य अभियन्ता से तथा उनसे मिले थे और अनुरोध किया था कि जाँच सतर्कता विभाग द्वारा कराई जाय। माननीय सदस्य की भावनाओं का आदर करते हुए सभी मामलों की जाँच सतर्कता विभाग द्वारा कराने के आदेश दिनाँक 19 मई, 1979 को दे दिये गये हैं। माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री ने यह कहा है कि इस प्रकार प्रश्नगत मामले में माननीय सदस्य समय-समय पर हुयी प्रगति से अवगत रहे हैं यद्यपि यह सही है कि माननीय सदस्य को औपचारिक रूप से प्रगति से अवगत नहीं कराया गया, जिसके लिये उन्होंने अपने विभाग को भविष्य में सतर्क रहने के लिए सचेत कर दिया है और माननीय सदस्य को जो असुविधा हुई है उसके लिए खेद प्रकट किया है।

उपर्युक्त परिस्थितियों में मैं माननीय श्री रणवीर सिंह द्वारा अभिसूचित प्रश्न को विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न के रूप में सदन में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं।

वित्त मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री सोहन वीर सिंह तोमर (जिला गाजियाबाद)—

मान्यवर, मैंने माननीय वित्त मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार की सूचना दी है। मान्यवर, वित्त मंत्री के बजट भाषण के पेज 38 के पैरा 2 में मंत्री जी का चार करोड़ रुपये का अतिरिक्त अधिभार सिनेमा वालों पर कर लगाने से बढ़ाने का है। इतना ही नहीं, अभी सदन चल रहा है और अनुच्छेद 204 के अनुसार जब तक सारे धन विधेयक सरकार द्वारा

इस सदन में पेश करके स्वीकार नहीं कर लिए जाते तब तक सरकार एक पैसा खर्च करने के लिए अधिकृत नहीं है। मान्यवर, माननीय वित्त मंत्री जी ने एक शासनादेश द्वारा यह घोषणा की है कि 1 जून से सिनेमा घरों पर, टिकटों पर 100 प्रतिशत और इन्टरटेनमेंट टैक्स बढ़ाया जायगा जिसके द्वारा प्रदेश को 4 करोड़ रुपये की आमदनी होगी।

मेरा यह निवेदन है कि संविधान की धारा 202, 203 और 204 में इस संबंध में स्पष्ट निर्देश हैं। 202 के अंदर प्रदेश की सरकार सारे साल का आय-व्ययक का विवरण, बजट, प्रस्तुत करेगी। 203 में वह प्रक्रिया बताई गई है किसके द्वारा अलग-अलग विभाग के अनुदान पेश किये जायेंगे। 204 की जो अंतिम प्रक्रिया है उसके द्वारा सरकार सदन के सम्मुख आयेगी इस बात को लेकर कि उनकी आमदनी कितनी है और कितना खर्च है। एप्रोप्रियेशन बिल के पास हो जाने के बाद सरकार पैसा खर्च कर सकती है।

इस संबंध में अमेरिकन कान्सटिट्यूशन का मान्य सिद्धान्त है, "नो टैक्सेशन विदहाउट रिप्रिजेन्टेशन" सदन इस समय सत्र में है और इस समय बजट सेशन चल रहा है, विनियोग विधेयक आपके सामने पेश नहीं है तो माननीय वित्त मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से इस सदन की अवमानना की है उन टैक्सों को लेकर के। मान्यवर, केन्द्र सरकार ने, माननीय चौधरी चरण सिंह ने, बजट पास हो जाने के बाद, एप्रोप्रिएशन बिल के पास हो जाने के बाद टैक्सों को लागू किया।

इस संबंध में आपका ध्यान संविधान की धारा 184 की ओर ले जाना चाहूंगा जिसमें यह उल्लेख है कि इस सदन के वे अधिकार होंगे जो हाउस आफ कामन्स के है। मेज पार्लियामेंट ी प्रैक्टिस के पेज 777 पर लिखा है कि " The practice in respect of the Common's financial privileges is based upon the resolution of 1971." That in all aids given to the King by Commons, the rate or tax ought not to be altered by the Lords"

इसका अर्थ यह हुआ कि कामन्स द्वारा सम्राट को दी गयी सहायता, दर या टैक्स को लार्डस द्वारा परिवर्तित नहीं किया जाना चाहिए।

मान्यवर, इसी पुस्तक के पेज 676 पर उल्लेख है कि "The Crown, therefore, acting with the advice of its responsible ministers, makes known to the commons the pecuniary necessities of the government the commons, in turn, grant such aids or supplies as are required to satisfy these demands and they provide by taxes, and by the appropriation of other sources of the public income, the ways and means to meet the supplies which they have granted." Thus the Crown demands money, the Commons grant it and the Lords assent to the grant."

श्री उपाध्यक्ष—

इसका हिन्दी में अनुवाद कर दें।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर—

सका अर्थ यह है कि सम्राट मंत्रिमंडल की सलाह से हाउस आफ कामन्स में अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को प्रस्तुत करता है और उन वित्तीय आवश्यकताओं को हाउस आफ कामन्स स्वीकार करते हैं जिसका समर्थन हाउस आफ लार्डस करते हैं।

इस समय सदन सत्र में है? साधारण मार्यादाओं के अनुसार भी कोई मंत्री घोषणा सदन के बाहर नहीं कर सकता है और न कोई अध्यादेश सरकार जारी कर सकती है क्योंकि सदन के सत्र में रहते हुए यह मान्य सिद्धान्त है कि वह जारी नहीं होंगे। विश्व के इतिहास में हमा वित्त एवं संस्थागत वित्त मंत्री ने ऐसा करके कंटेम्पट आफ दि हाउस किया है जो कि पहला केस है। दुनियाँ में कहीं ऐसी मिसाल नहीं मिलेगी कि जब बजट पर चा हो रही ो। मैं निवेदन करता हूं, मान लीजिये कि एप्रोप्रिएशन बिल को यह सदन स्वीकार नहीं करता है तो क्या होगा? जो रुपया वसूल हो जायेगा वह कहाँ जायेगा? वित्त मंत्री का

[श्री सोहन बीर सिंह तोमर]

तो उस हालत में इस्तीफा हो जायेगा, ठीक है, लेकिन यह व्यक्तिगत सवाल नहीं है। मैं माननीय सिंह साहब से निवेदन करूंगा कि वह जो पालियामेंटरी प्रैक्टिस है उसे वह ग्रिप करें.....

श्री उपाध्यक्ष—

एप्रोप्रिएशन बिल से कोई टैक्स नहीं लगाया जाता है।

श्री सोहन वीर सिंह तोमर—

कल एप्रोप्रिएशन बिल मान लिया कि हमने अस्वीकार कर दिया, वित्त मंत्री तो इस्तीफा दे देंगे लेकिन जो रुपया इकट्ठा कर लिया गया है उसका क्या होगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप चाहें तो एडवोकेट जनरल को बुला ले, यहाँ वित्तीय एक्सपर्ट लोग बैठे हैं, माननीय नेता विरोधी दल और माननीय मुख्य मंत्री भी यहाँ हैं कि किस प्राविधान के अन्दर यह हो रहा है जब कि बजट सेसन में हो और एप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं हुआ हो। मान्यवर, वित्त मंत्री ने जी० ओ० के द्वारा घोषणा कर दी है यह सदन की अवहेलना है मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप इसे विशेषाधिकार समिति को भेज दें ताकि इस ऐतिहासिक घटना पर वहाँ निर्णय हो।

*श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)—

मान्यवर, माननीय तोमर जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न इस सदन के सामने प्रस्तुत किया है मान्यवर, आप देख लें संविधान के अन्दर जो नियम है जिनको वित्तीय नियम कहा गया है उसमें पहले विभिन्न अनुदानों की माँगें सदन पास करता है उसके बाद फिर एप्रोप्रिएशन बिल पास होगा कि सरकार की निधि सें इतना खर्च हो सकता है। जब यह तमाम चीजें पास हो जायेगी तभी खर्च मीट किये जायेंगे। मान्यवर, अभी तक बहुत सी माँगों पर मतदान नहीं हुआ है। यह कहा नहीं जा सकता है आजकी परिस्थिति में, बावजूद इसके कि सरकार बहुमत में है यह नहीं कहा जा सकता है कि हर एक डिमांड को पास करा ली जायेगी। जब तक सदन द्वारा माँगें स्वीकार नहीं की गई जब तक एप्रोप्रिएशन बिल पास नहीं किया गया तब तक इस ढंग सें टैक्स लगाना वह भी जी० ओ० द्वारा करना सरासर सदन का अवमान है। सदन में बजट में चर्चा हो रही है, अनुदानों पर चर्चा हो रही है। अभी तक कोई एप्रोप्रिएशन बिल नहीं आया कि कितना रुपया यह सदन स्वीकार करने को तैयार है। ऐसी स्थिति में जो तोमर जी ने प्रश्न उठाया है वह सही है, संवैधानिक है। प्राग्दर्शन में यह सरासर सदन का अवमान है। लिहाजा मेरा निवेदन है कि इस प्रश्न को आप प्रिवेलेज कमेटी को सौप दें।

श्री राज मंगल पाण्डेय (जिला देवरिया)—

मान्यवर, जो सबसे बड़ी चीज है वह आपकी व्यवस्था की बात है और वह यह है कि क्या यह सदन सर्वोपरि है या कैबिनेट सर्वोपरि है या कैबिनेट का कोई मेम्बर सर्वोपरि है? अगर सदन सर्वोपरि है तो जहाँ-जहाँ हमने संसदीय प्रणाली को अपनाया है, वहाँ पर हमने हमेशा यह माना है कि सदन सर्वोपरि है और सदन जब सेशन में हो, तो उस अवधि में—कोई भी कैबिनेट चाहे और उस पर गवर्नर की स्वीकृति भी मिल जाए, कोई भी आर्डिनेन्स या जी० ओ० नहीं हो सकता है। सदन सत्र में होने के बाद एक मंत्री यह हिम्मत करें, सदन में उसकी घोषणा न करे और बाहर कर दें, तो उससे बढ़ कर इस सदन का ब्रीच या कान्टेम्ट कोई नहीं हो सकता है। आज कैबिनेट भी यह फैसला कर ले

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

गवर्नर को भी राजी कर ले आर्डिनेन्स को जारी करने के बारे में, तब भी वह नहीं हो सकता है। उसके बारे में पहला नियम यह है कि जब सदन सत्र में होगा तो गवर्नर को भी किसी आर्डिनेन्स को जारी करने का अधिकार नहीं होगा और सदन न होने की स्थिति में जारी कर दे तो दो या एक महीने के अन्दर उसका इन्डोर्स कराना जरूरी है। तो जो अधिकार गवर्नर को, कैबिनेट को नहीं है, जो केवल सदन को है, तो उसके विरुद्ध और सदन की मर्यादाओं के विरुद्ध कोई मंत्री और उसी विभाग का मंत्री यदि यह कार्य कर रहा हो तो इससे बढ़कर इस सदन का अपमान और क्या हो सकता है ?

इस सम्बन्ध में हमारे उधर के बैठने वाले माननीय सदस्य यदि दुनिया के किसी देश का कोई हवाला इस सदन में दे दें कि सदन के सत्र में होते इस तरह की घोषणा सदन में न करके बाहर की गयी है तो मैं बैठ जाऊंगा और इस पद पर से इस्तीफा देने के लिए भी तैयार हूं। लेकिन यह यहाँ हो रहा है, क्योंकि इनको मालूम है कि जो हम कर देंगे सही या गलत, उसका कन्डोनेशन हो जाएगा और उसकी कोई निगरानी करने वाला नहीं है। किन्तु यह उनकी केवल भूल है। वह उधर से जो कुछ भी पास कराना चाहें नहीं करा सकते हैं इस तरह से। कोई क्यों न गलत काम करे, लेकिन विधान मंडल जनता पार्टी का सदस्य होते हुए भी मैं उसका विरोध करूंगा और मैं साफ कह देना चाहता हूं कि इससे बढ़कर सदन का अपमान न कभी हुआ है और न भविष्य में होने की सम्भावना है। इसलिए उसको विदड्रा किया जाय।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

अब तक इस सदन के माननीय सदस्यों ने जो कुछ कहा है, उसमें मुझे केवल यह जोड़ना है कि इस सदन के अपने कुछ विशेषाधिकार हैं जो अपर हाउस के भी नहीं हैं। इसके लिए मैं आर्टिकिल 207 का हवाला दूंगा, जिसमें स्पष्ट है कि वित्तीय मामलों के बारे में जो भी बिल होगा उसका पुरःस्थापन भी इसी हाउस में होगा, अपर हाउस में पुरःस्थापन बिलकुल नहीं होगा। दूसरी बात, अपर हाउस को यह भी अधिकार नहीं है कि वह उन वित्तीय प्रपोजल्स में ऐसा संशोधन कर दे, जिससे मद में कटौती हो या उसके मकसद में हेराफेरी हो। तो इस तरह के हमारे जो प्रिविलेजेज हैं, उन पर कुठाराघात होने लगे तो यह किसी हालत में भी उचित नहीं है। आर्टिकिल 194 में हमारे विशेषाधिकार दिये हुए हैं, उसमें यह भी है कि जिस दिन हम चाहें उसको कोडीफाई कर लें जो उसमें हमें अधिकार है, यह हाउस उनको कोडीफाई कर देता है, तो क्या उसके बाद भी सरकार को अधिकार होगा कि वह उस कोडीफाईड ला के खिलाफ अलग से एक्जीक्यूटिव आर्डर या जी0 ओ0 जारी कर सके, कतई यह उसे अधिकार नहीं है। इसके अलावा आर्टिकिल 202 से 204 तक की जो व्यवस्था है, वह भी एक प्रकार से हमारा विशेषाधिकार है, उसकी उपेक्षा करके इस तरह के शासनादेश प्रसारित करना इस सदन का और हमारा खुला अपमान है।

मेरा केवल आपसे एक निवेदन है कि कहीं-कहीं पर अन्याय का मूक दर्शन बनना भी, उससे बड़ी परेशानी होती है। मैं एक निवेदन करके अपनी बात समाप्त करूंगा। एक बार इस तरह की परिस्थिति आयी थी महाभारत में जब भीष्म पितामह ने मूक दर्शक हो कर सारे अन्याय को देखा। उसका नतीजा आज तक देश भुगत रहा है। दूसरा आपात काल में इंदिरा गाँधी के अन्याय को विनोबा भावे जैसे मनीषी ने मूकदर्शक बन कर सुना। उसका परिणाम आज सामने है। तीसरी बार भीष्म पितामह को इस मनोवृत्ति को सहन करने के लिए मजबूर न करें। इस संविधान की और इस विधान सभा की गरिमा की रक्षा के दायित्व का निर्वाह करें, और इसे विशेषाधिकार समिति के सुपुर्द करें और इस तरह से जो संविधान का उल्लंघन करने वाली प्रवृत्ति को बढाते हैं उनको कठघरे में खड़ा करें। मेरा यही निवेदन है।

*श्री श्याम र मिश्र (जिला वाराणसी)--

मान्यवर, मैं वकित रहा, मैं आश्चर्य में रहा तोमर जी औचित्य का प्रश्न लाते तो मैं कहता, उचित अनुचित की बात सोची जा सकती थी, एक मंत्री ने सदन के बाहर ऐसी बात कही जो उन्हें सदन में कहनी चाहिए थी। मैं राजमंगल पाँडेय जी की बात की ताईद करता हूं, जब सदन चल रहा हो, उसके बाहर माननीय मंत्री जी को नहीं कहना चाहिए। एक औचित्य की बात है। लेकिन जो तोमर जी उसको विशेषाधिकार का जामा पहनाना चाहते हैं, उससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। आप देखें, यह मुझे पूरी तरह से ज्ञात है, तिवारी जी ने कहा कि अभी अनुदान चल रहा है, यह मुझे मालूम है। 12 तारीख को ऐप्रोप्रियेशन बिल पेश होगा। इसके मानी कदापि यह नहीं है कि किसी निश्चित तारीख से टैक्स का प्रोपोजल हो, वह लग नहीं सकता। जिस दिन केन्द्र में फाइनेंस मिनिस्टर का प्रस्ताव आता है, उसके एक महीने पूर्व से टैक्स लगने का प्रस्ताव हो जाता है और वह लगना शुरू हो जाता है। आप पता लगा लें। अगर लगा नहीं रहता है तो निधि बन कर जमा हो जाता है। जमा नहीं हो जाता तो फिर से वसूल किया जाता है। इस सम्बन्ध में माननीय तोमर जी इसको विशेषाधिकार की अवहेलना कहें तो मैं इससे सहमत नहीं हूं। लेकिन पाँडेय जी ने जो औचित्य का प्रश्न किया, वह बात माननीय मंत्री जी सदन में ला कर कह देते, और हमारे जरिये देश और प्रदेश को बतलाते कि हमने यह कर लगाये हैं तो संसदीय प्रथा का पालन करते। औचित्य अनौचित्य की बात आपके हाथ की बात है। आप निर्णय करें। जहाँ तक विशेषाधिकार का सवाल है कदापि उसकी मर्यादा का भंग नहीं हुआ है।

*श्री वीरेन्द्रपति यादव (जिला मैनपुरी)--

उपाध्यक्ष जी, यह तो आपको निर्णय करना है कि विशेषाधिकार का उल्लंघन हुआ या नहीं। लेकिन संविधान के भिन्न अनुच्छेद है, उनके देखने से पता चलता है कि उनका उल्लंघन अवश्य हो गया। अनु छेद 202 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसे बजट कहते है वह आता है। 203 में भिन्न-भिन्न अनुदान आते हैं। जब यह हो जाता है तो ऐप्रोप्रियेशन बिल आता है। टैक्स के प्रस्ताव कार्यान्वित तभी किये जा सकते है जब कि फाइनल स्टेज आ जाती है। अन्तिम स्टेज ऐप्रोप्रिएशन बिल की है। अगर यह मान लिया जाय कि शासन द्वारा बीच में ही कोई प्रस्ताव कार्यान्वित किया जा सकता है तो यह कहा जा सकता है कि सदन की जो शक्तियाँ और अधिकार हैं वह किसी विशेष परिस्थितियों में शासन में निहित हो सकती हैं। लेकिन कॉंस्टीट्यूशन की मंशा यह नहीं हैं। इस तरह से कभी भी आप संविधान के अन्तर्गत बजट पास कर सकते हैं और टैक्स लगा सकते हैं जब फाइनल स्टेज में बजट पास हो जाता है। श्री श्यामधर मिश्र जी ने एक परम्परा बतायी लेकिन अगर लोक सभा में परम्परा है तो वह संविधान का रूप धारण नहीं कर सकती है। अगर ऐसी बात है तो वह गलत है।

*वित्त मंत्री (श्री मधुकर दिघे)--

मान्यवर, कुछ माननीय सदस्यों को बुद्धि का अपच हो गया है। न तो यह विशेषाधिकार का प्रश्न है और न औचित्य का प्रश्न है। यह माननीय सदस्य भूल गये कि केवल यह घोषणा की गयी बजट भीषण में कि कोई नया टैक्स नहीं लगायेंगे। अगर यह लोग कानून देखे होते तो जो भ्रम इन लोगों को हो गया है वह न होता। यह अधिकार तो पिछले वर्ष ही कानून द्वारा ले लिया गया है।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)--

बुद्धि का अपच कैसे हो गया है, यह माननीय मंत्री जी से बतलवा दें।

श्री मधुकर दिघे--

पिछले वर्ष यह अधिकार ले लिया गया था कि एक रुपये के प्रवेश शुल्क पर 25 पैसा का अधिभार और एक रुपये से अधिक वाले टिकटों पर 50 पैसे का अधिकार लगाया जायेगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस वर्ष बजट भाषण द्वारा घोषणा की है और एक जून से जो घोषणा कर दी उसको लागू कर दिया। बगैर सदन में घोषणा किये उसको लागू नहीं किया जा सकता था। यह 10 मई को अधिसूचना जारी की गयी और 1 जून को लागू कर दी गयी। माननीय श्यामधर मिश्र जी ने ठीक बताया, इसका अधिकार पिछले वर्ष कानून द्वारा मिल चुका है जो इस सदन द्वारा मान्यता प्राप्त ह। इसलिए इस पर विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं बनता है और औचित्य का प्रश्न तो बिल्कुल ही नहीं बनता है। कानून में व्यवस्था को गयी थी, उसी को लागू कर दिया गया है।

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने माननीय सदस्यों को सुन लिया है और इस पर मैं अपना निर्णय बाद में ूंगा।

श्री राजमंगल पाँडेय--

मान्यवर, मुझे एक मिनट सुन लें। मैं अधिक समय नहीं लूंगा। मान्यवर, बुद्धि का अपच किसको हुआ है, इसका निर्णय तो आप करेंगे। संसदीय परम्परा में हमें अपने अधिकारों को माँगना हमारा नैतिक कर्त्तव्य है। श्यामधर मिश्र जी ने बड़ी तारीफ की। मुझसे तेज समर्थन शासन पक्ष का श्यामधर मिश्र ही कर रहे हैं।

श्री श्यामधर मिश्र--

अगर आप विरोधी दल में आ जाते तो बड़ा अच्छा होता।

श्री राजमंगल पाँडेय--

अगर विरोधी पक्ष के लोग सरकार का समर्थन करेंगे तो मुझ जैसे लोगों को मजबूर हो कर विरोध करना पड़ेगा। सीधी बात है माननीय मंत्री जी ने बजट भाषण किया तो घोषणा अपने आप ही लागू हो जाती है जब 12 तारीख को एप्रोप्रियेशन बिल पास होता। मान्यवर, हमारे साथी ने बिलकुल ठीक कहा.....

श्री श्यामधर मिश्र--

यह बराबर मौके के नाम पर बोले जा रहे हैं, तो मान्यवर, मुझे भी तो अपनी बात कहने का अवसर आप दें। वह किस प्रकार का आचरण और व्यवहार कर रहे हैं।

श्री राम आसरे वर्मा--

बुद्धि की अपच की बात कैसे आ गयी, उसका स्पष्टीकरण कर दें। इसको माननीय वित्त मंत्री जी ने उठाया और माननीय पाण्डेय जी ने भी कहा और हम लोग उससे वाकिफ नहीं हैं। इसलिए माननीय वित्त मंत्री जी से उसका स्पष्टीकरण करा दें।

श्री उपाध्यक्ष--

उसको तो दोनों ने कह दिया।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री उपाध्यक्ष--

नियम 56 के अन्तर्गत एक कार्य-स्थगन प्रस्ताव श्री राम आसरे वर्मा का प्रदेश के हथकरघा उद्योग पर भारी संकट आ जाने से बुनकर परिवारों में बेरोजगारी के कारण 28 मई, 1979 से क्रमिक भूख हड़ताल के सम्बन्ध में है। इसको मैंने अस्वीकार किया है लेकिन नियम 51 में ऐसे ही विषय की सूचना को वक्तव्य के लिए स्वीकार किया है।

श्री गोविन्द सिंह नेगी (जिला टेहरी गढ़वाल)--

चूंकि भूख हड़ताल चल रही है इसलिये यदि इसे कल या परसों को नियम 51 में ले लिया जाय तो उचित होगा।

श्री उपाध्यक्ष—

जब नियम 51 में आयेगा, देख लिया जायगा।

1979-80 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 10 आबकारी विभाग, अनुदान संख्या 39—चिकित्सा विभाग (चिकित्सा), अनुदान संख्या 40—चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण), अनुदान संख्या 41—चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) तथा अनुदान सख्या 84—चिकित्सा विभाग—पूंजीगत परिव्यय

स्वास्थ्य मंत्री (श्री रमाशंकर कौशिक)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 10—आबकारी विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,26,18,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 39—चिकित्सा विभाग (चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 47,31,58,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 40—चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 10,54,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 41—चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 17,58,92,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से मैं प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 84—चिकित्सा विभाग—पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 13,74,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से पहले चिकित्सा के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। लगभग 102 करोड़ रुपये की जिस धनराशि के लिए उपरोक्त मदों में सदन की स्वीकृति चाही है, यह इतना आवश्यक खर्च है जिसको सभी माननीय सदस्य अच्छी तरह से जानते हैं। मान्यवर, इस सम्बन्ध में एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी जिन्दगी की अनिवार्यता से दूसरी अनिवार्यताओं से इसका सम्बन्ध बहुत गहरा जुड़ा हुआ है। यह सही है कि हमारी जिन्दगी बिलकुल अलग-अलग नहीं, एकांगी नहीं है लेकिन स्वास्थ्य

और चिकित्सा विभाग हमारी जिन्दगी की दूसरी अनिवार्यताओं से जितना जुड़ा हुआ है उतना दूसरे कार्यों से नहीं। उसका कारण यह है कि मानव की तरक्की अगर करना है तो गरीबी को पहले हमें दूर करना होगा। गरीबी के कारण पैसा न होने के कारण पौष्टिक आहार में सुधार नहीं किया जा सकता और जब पौष्टिक आहार नहीं मिलता तो उसका प्रभाव स्वास्थ्य पर पड़ता है।

जनता पार्टी की यह नीति रही है कि अपेक्षाकृत ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की अधिक से अधिक सुविधायें बढ़ायी जायें। दूसरा लक्ष्य हमारा यह है कि चिकित्सा की अपेक्षा स्वास्थ्य को हम अधिक सुदृढ़ करें। दूसरे देश जो तरक्की प्राप्त कर चुके हैं, जिनके यहाँ अच्छा खानपान है वे भी चिकित्सा की अपेक्षा स्वास्थ्य पर अधिक खर्च कर रहे हैं। सरकार की तरफ से जो पैसा खर्च किया जाता है वह स्वास्थ्य पर ही किया जाता है खेद यह है कि पिछली सरकारों ने इसकी ज्यादा उपेक्षा की है। अगर स्वास्थ्य पर हम अधिक ध्यान नहीं देंगे तो चिकित्सा के मामले में हम तरक्की नहीं कर सकते। हमें पहले यह व्यवस्था करनी होगी कि हमारा स्वास्थ्य खराब न होने पाये। स्वास्थ्य अगर ठीक रहेगा तो चिकित्सा की आवश्यकता न होगी। उदाहरण के लिये तपेदिक का रोग अगर फैलता है तो अस्पतालों में उसके लिये शय्यायें बढ़ाने की अपेक्षा, सेनीटोरियम में बेड्स बढ़ाने की अपेक्षा, उस रोग की रोकथाम का प्रबन्ध करना बहुत जरूरी है। 1977—78 में स्वास्थ्य पर इस सम्पूर्ण चिकित्सा बजट का साढ़े 22 प्रतिशत खर्च किया गया। 1978—79 में 24 प्रतिशत खर्च किया गया और इस वर्ष 27 प्रतिशत हम खर्च करने जा रहे हैं। हमारी इच्छा तो यह थी कि हम और ज्यादा खर्च करते पर वह हम नहीं कर पाये। अस्पतालों की संख्या कितनी ही बढ़ जाये, उससे कोई लाभ नहीं होगा अगर स्वास्थ्य विभाग के कार्यों की अवहेलना की गयी। सबसे पहले हमें स्वास्थ्य को देखना होगा। हमारी तरफ से यह प्रयास होगा कि रोग फैलने ही न पाये। तरक्कीशुदा देशों में चिकित्सा पर जो पैसा खर्च किया जाता है वह रोगी से वसूल किया जाता है वहाँ स्वास्थ्य पर ही सरकार की ओर से खर्च होता है। हमें इसको मूलभूत रूप से स्वीकार करना होगा कि स्वास्थ्य के मामले में हम आगे बढ़ें और कोई रोग पैदा न हो।

हमने यह प्रयास किया है कि जो अब तक उपेक्षित अंचल रहे हैं वहाँ इस सेवा को बढ़ायें। ग्रामीण अंचलों में इसका प्रसार करें। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि शहरी क्षेत्रों में सारी सुविधायें हमने उपलब्ध करा दी हैं। ऐसा नहीं है, मान्यवर, अभी हमें उसमें और आगे बढ़ना है, बहुत कोशिश करना है, तब जाकर हम आगे बढ़ पायेंगे। लेकिन यह बात निश्चित है कि इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा, उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी आबादी अब तक उपेक्षित रही है, इसको ध्यान में रख कर योजना के अन्तर्गत जो चिकित्सा और स्वास्थ्य का बजट है, हमने 61 प्रतिशत उन क्षेत्रों के लिए रखा है, जो अब तक उपेक्षित रहे हैं। 77—78 में इन्हीं लोगों के लिए 54 प्रतिशत था और 76—77 में 46 प्रतिशत था और 1975—76 में 42 प्रतिशत था। निरन्तर हमारी कोशिश है कि जो ग्रामीण अंचल के क्षेत्र हैं उन अंचलों में चिकित्सा और स्वास्थ्य का क्षेत्र बढ़ता चला जाय। जो आयोजनेतर के अन्तर्गत हैं, उनमें से 61 प्रतिशत उन लोगों के लिए रखा गया है जो अब तक उपेक्षित रहे हैं।

जैसा कि माननीय सदस्य अवगत हैं कि स्वास्थ्य केन्द्र हमारी धुरी है, इस समय ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारी सुविधायें चिकित्सा की है, वहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं, उनमें बढ़ोत्तरी हमें करते जाना है जो लोगों को जिला अस्पतालों में जाना पड़ता है, जहाँ पर बहुत

[श्री रमाशंकर कौशिक]

भीड़ होती है वह सुविधायें हम प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों पर दे सकें। ऐसा तो कहीं भी सम्भव नहीं है कि हर मर्ज की दवा एक अस्पताल में मिल जाय। हमारा जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है, वह हमारी धुरी है उसको हम जितना सुदृढ़ करेंगे वह उतना ही मजबूत होगा और उसी दिशा में हम आगे बढ़ेंगे, तब हम ग्रामीण अंचलों की उतनी ही तरक्की करते जायेंगे। 875 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हमारे स्थापित है उत्तर प्रदेश में, जिनमें से 366 का हम निर्माण नहीं कर पाये। 875 में काफी हो गये हैं और 366 के भवन अभी तक नहीं बन पाये। 60 भवन इस वर्ष निर्माण करने का लक्ष्य है। इसी के साथ-साथ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को एक धुरी मान कर हर 4 स्वास्थ्य केन्द्रों में से एक का उच्चीकरण कराया जाय और प्रत्येक में एक शैय्या रखी जाय। 21 ऐसे हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है जिनका उच्चीकरण किया गया है, 8 के निर्मित हो चुके हैं शेष का होना है। 45 स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण हम करेंगे, ताकि जो तहसील स्तर पर हैं उनमें पैथालोजी और रेडियोलोजी, एक्सरे की व्यवस्था हो सके। चूंकि मान्यवर, जैसा सभी माननीय सदस्यगण जानते हैं कि पैथालोजी के मामले में ही एलोपैथिक का जो विज्ञान है, उसमें पैथालोजी एक बहुत बड़ा भाग है। पैथालोजी के लिए जब आदमी को जिला हेडक्वार्टर पर जाना पड़ता है या प्राइवेट डाक्टर के पास जाना पड़ता है, तो उसे बहुत धन खर्च करना पड़ता है। तो हमारी कोशिश है कि तहसील स्तर के अस्पतालों में पैथालोजी की व्यवस्था कर दी जाय। इसमें हमारा बहुत ही खर्च निहित है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारी कोशिश है कि अधिक से अधिक इन उच्चीकृत तहसील स्तर के अस्पतालों में इसकी व्यवस्था हो जाय। हमारे जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं वे एक धुरी का काम करते हैं और इसके चारों तरफ उप-केन्द्रों की व्यवस्था की जाय, तो अब तक की जो व्यवस्था थी, एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में 8 उपकेन्द्र स्थापित किये जाते थे और उनकी व्यवस्था इस दृष्टि से की गयी है कि कम से कम हमारी महिलाओं, माताओं और बहनों को प्रसव के लिए जो परेशानी होती है, उनको वे सुविधायें मिल सकें जो जिला हेडक्वार्टर पर जाकर प्राप्त होती हैं। इसी के साथ ये 10 हजार की आबादी पर एक केन्द्र आता है। उत्तर प्रदेश में ऐसे केन्द्र बनाने की व्यवस्था में, 7597 उप केन्द्र स्थापित हो चुके हैं। जहाँ तक भवन निर्माण का सवाल है 1086 ही निर्मित हुए हैं। 10 हजार की आबादी पर एक केन्द्र कम पड़ता है। अब एक स्वास्थ्य केन्द्र की धुरी पर 16 उप-केन्द्रों की व्यवस्था करने का प्राविधान किया गया है। 650 उप केन्द्र स्थापित करेंगे जिनमें प्रशिक्षित ए0 एन0 एम0 और दाई की व्यवस्था करेंगे ताकि उन्हें सुविधा मिल सके।

ग्रामीण स्वास्थ्य रक्षक भी हैं उनके साथ-साथ। इन लोगों को मामूली प्रशिक्षण देकर उन लोगों की सेवाओं के लिए भेज दिया जाता है जो पूरी तरह से अपने स्वास्थ्य की रक्षा करने में अपने को असमर्थ पाते है और वे छोटे-मोटे रोगों का इलाज करते हैं। 1977–78 में 194 रुपये, 1978–79 में 140 बढ़ाया है और इस वर्ष हम 560 कर देंगे। इस धुरी के चारों तरफ ऐसी व्यवस्था की जायेगी जिसमें लोगों की दवा की व्यवस्था हो जाये 12 हजार की दवा हम प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और हर उप केन्द्र को 2 हजार की देते हैं। इस तरह से 8 उप केन्द्रों को भी मिला लिया जाये और साथ में ग्रामीण रक्षक को 600 रुपये की दवा देते हैं। इस तरह से 28 हजार की दवायें हमारे केन्द्र में उपलब्ध हो जायेंगी। यह एक लाख की आबादी के लिए कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है लेकिन जो हमारे संसाधन हैं, उनके साथ जो प्रयास है उससे हमारे मिश्रा जी को संतोष हो जायेगा।

श्री श्यामधर मिश्र (जिला वाराणसी)—

हाँ, अगर आप बता देंगे कि उनका प्रयोग हो रहा है।

श्री रमा शंकर कौशिक ——

आप जब बतायेंगे। क्योंकि ये आपके सहयोग से ही होगा। क्योंकि सब आप के हमारे संबंधी हैं।

पर्वतीय क्षेत्र में डाक्टरों की कमी है। पिछले कई वर्षों से बहुत सी रिक्तियाँ ग्रामीण क्षेत्रों में और पर्वतीय क्षेत्रों में अब भी हैं। इस संबंध में जो रिक्तियों की स्थिति है वह 600 डाक्टरों की रिक्तियाँ हैं। बहुत से कारण थे जिनमें एक पब्लिक सर्विस कमीशन की लिस्ट प्रकाशित न हो पाने का भी कारण था, जिनके निवारण की व्यवस्था करने में मुझे समय लगा, पर्वतीय क्षेत्र में जाने के लिये कोई डाक्टर तैयार नहीं है। इस समस्या के हल हेतु यह व्यवस्था मैंने की है कि पर्वतीय क्षेत्र के डाक्टरों की जो रिक्तियाँ हैं उनको भरने के लिये हमने विज्ञापन किया। यह विज्ञापन सिर्फ पर्वतीय क्षेत्र में नियुक्ति के लिये ही किया गया है। मैं समझता हूं कि दूसरे विभागों को भी इसका अनुकरण करना पड़ेगा। इसलिये कि कोई भी मैदान का व्यक्ति यह भी देखने में आया है कि जो पर्वतीय क्षेत्र के रहने वाले हैं और यहाँ तक कि जो उसके कोटे से आते है, वह भी पर्वतीय क्षेत्र में जाने के लिये तैयार नहीं होते है। फिलहाल यही हल हमें महसूस हुआ कि इस कमी को पूरा करने के लिये सिर्फ पर्वतीय क्षेत्र में नौकरों के लिये विज्ञापन करे और वह हमने किया। मुझे आशा है कि इस प्रकार जो रिक्तियाँ हैं वह भर जायेंगी।

इसके साथ-साथ जो ग्रामीण क्षेत्र की समस्या है वह भी कोई मामूली समस्या नहीं है। ऐसा महसूस हो रहा है कि कहीं यह हमारी पढ़ाई का ही तो दोष नहीं है। जो पढ़ाई एम0 बी0 बी0 एस0 का कोर्स कराने के लिये है, उसके पाठ्यक्रम में तो कहीं दोष नहीं है कि उनको प्रेरणा नहीं मिलती कि वह जनता की सेवा करने के लिये गाँवों में जायें। प्राथमिक चिकित्सा परिषद् ने भी इसकी संस्तुति की है। यह प्राविधान किया जा रहा है कि हर एम0 बी0 बी0 एस0 का कोर्स पूरा करने वाले को कम से कम 8 सप्ताह देहाती क्षेत्र में काम करना पड़ेगा। इन्टर्नशिप जो साल भर करनी पड़ती है, उसमें 6 महीने ग्रामीण क्षेत्र में जाकर कार्य करना पड़ेगा। हर मेडिकल कालेज से तीन पी0एच0सी0 को सम्बद्ध किया जा रहा है। इन तीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में रहकर वे देहात के रोगियों को देखेंगे। इस कार्य के लिये उनमें आकर्षण पैदा करने के लिये, उन्हें प्रोत्साहन देने के लिये, 5 लाख रुपये प्रति मेडिकल कालेज हम प्राविधान कर रहे हैं। उनके रहने के लिये समुचित व्यवस्था हो सके, उनके पढ़ने के लिये जो व्यवस्था करनी है, वह हो सके इसके लिये हर मेडिकल कालेज को 5 लाख रुपये का प्राविधान किया जा रहा है। जैसा कि मैंने बताया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के अतिरिक्त हमारी और भी विभिन्न डिस्पेन्सरीज चल रही हैं——

एलोपैथिक राजकीय चिकित्सालय——1825

उप केन्द्र ——7597

(जिसमें 650 हम बढ़ायेंगे)

राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय ——1086

(इस वर्ष 35 मैदानी क्षेत्र में, 19 पर्वतीय क्षेत्र में बढ़ायेंगे)

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के उच्चीकरण हेतु भवन जो स्वीकृत हो चुके हैं——23, जिनमें 45 का कार्य प्रारम्भ हो चुका है।

अन्धेपन की रोकथाम के लिये ——85

(40 केन्द्र की व्यवस्था की गयी)

[श्री रमाशंकर कौशिक]

ग्रामीण क्षेत्रों में सामूहिक शौचालयों का प्राविधान भी किया गया है। 27 गाँवों में इसकी व्यवस्था कर दी गयी है। सामूहिक शौचालयों में किसी भंगी आदि के काम करने की आवश्यकता नहीं होगी। यह पी0 आर0 ए0 आई0 टाइप होते हैं। यह व्यवस्था पहली बार की जा रही है।

मान्यवर, इसके अतिरिक्त जो ग्रामीण दाइयाँ हैं, तो प्रशिक्षित दाइयाँ 21,364 हैं। 20 हजार हम और प्रशिक्षित करेंगे। ए0 एन0 एम0 के 44 सेंटर्स हमारे यहाँ चल रहे हैं, इस वर्ष हम 8 और सेन्टर्स स्थापित करने जा रहे हैं। इसके साथ-साथ नर्सों के लिये हमारे यहाँ 11 सेन्टर्स हैं, निश्चित रूप से हमें नर्सों को बढ़ाना होगा। हमारी कोशिश है कि पर्वतीय विकास विभाग के जरिये एक ऐसा सेन्टर हम पर्वतीय क्षेत्र में स्थापित करने में सक्षम हो सकें। मान्यवर, जहाँ तक दवाओं का संबंध है, हम अपने प्रदेश में एक रुपया फी आदमी के हिसाब से दे पाने में असमर्थ रहे हैं। पिछले साल 11 करोड़ 90 लाख रुपये का प्राविधान औषधियों के लिये किया गया था। इस वर्ष इसको बढ़ाकर 13 करोड़ 70 लाख किया गया है।

मान्यवर, यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक रुपया फी व्यक्ति भी नहीं आता है। दवाओं की कमी होने के कारण ऐसी अशोभनीय घटनायें कई बार हो जाया करती हैं, बड़े-बड़े लोगों के जरिये से हो जाती हैं, हम लोग जो जिम्मेदार हैं उनके जरिये भी हो जाया करती हैं। इस मामले में हमें गंभीरता से सोचना पड़ता है कि 12 करोड़ के अपने सूबे में सिर्फ 13 करोड़ 90 लाख की दवायें दे रहे हैं। जब हम अपने ऊपर नजर डालते हैं तो हमारा ही 26 लाख रुपये का बजट अकेले विधायकों का है। इस संबंध में हमको सोचना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि यह सब बातें माननीय विधायकों की वजह से होती हैं या उनके परिवार पर खर्च होती हैं लेकिन इसका गलत इस्तेमाल भी हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। 22 लाख रुपये हम अपने राज्य कर्मचारियों के ऊपर खर्च कर रहे हैं। तो यह एक सोचने का विषय है कि क्या हम ऐसे गरीब प्रदेश में जिसमें फी आदमी एक रुपया प्रतिवर्ष दवाओं के लिये नहीं दे रहे हैं वहाँ अपने ऊपर इतना खर्च करें, इस मामले पर विचार करना पड़ेगा। लेकिन मेरा विभाग स्वयं इसमें विचार करने में सक्षम नहीं है। अच्छा होगा कि माननीय सदस्यगण अपनी राय दें, विधायकों की उपलब्धियों के सम्बन्ध में जो समिति बनी है, उसमें विचार कर लें।

श्री श्यामधर मिश्र--

हम श्रीमन्, आज ही राय देंगे।

श्री रमा शंकर कौशिक---

आप राय देंगे तो बहुत अच्छा होगा। मान्यवर, इसकी वजह से अशोभनीय घटनाएं घटित होती हैं, दूसरे लोगों के साथ और माननीय विधायकों के साथ। तो मेरी अपेक्षा है कि आप सभी लोग इस संबंध में जरूर विचार करें और अपने सुझावों से अवगत करायें ताकि उन पर काम कराया जा सके और उस दिशा की ओर हम बढ़ सकें। जिसकी ओर बढ़ना चाहिये। मान्यवर, जहाँ तक जिला अस्पतालों का सवाल है हम लगभग 7 विशिष्टियाँ उपलब्ध कर रहे हैं, बाल रुजालय, दन्त रुजालय, हड्डी विभाग, गायना कोलोजी, रेडियोलोजी, पैथालोजी, एनस्थिसियोलाजी, मैदानी क्षेत्रों में यह सारी की सारी उपलब्ध हो गयी है और पहाड़ी क्षेत्रों में यह विशिष्टियाँ उपलब्ध कराने की बात है। हम इसके लिये कोशिश कर रहे हैं। 6 जिलों पर इन्टेसिव केयर यूनिट की व्यवस्था की गयी है। इसी प्रकार से सात नये ई0 एन0 टी0 विभाग खोले गये हैं। इस साल सात और जिला चिकित्सालयों में इस सुविधा को प्रदान किया जायगा। मान्यवर, दन्त चिकित्सकों के मामले को लेकर माननीय विधायकों का पर्याप्त रोष समय-समय पर दृष्टिगत होता रहा है और वह यह माँग

करते हैं कि जब दन्त चिकित्सक उसी काम को करते हैं, तो उनका जो वेतन वगैरह है, उसमें समानता हो। तो यह व्यवस्था कर दी गयी है कि दन्त चिकित्सकों को वही वेतन और उपलब्धियाँ प्राप्त होंगी जो पी0 एम0 एस0 डाक्टर को प्राप्त होती हैं। उनके लिये भी वही व्यवस्था की जा रही है और की गयी है।

मान्यवर, एक अहम सवाल जो चिकित्सा से जुड़ा है और जैसा कि निवेदन किया कि हमारे मेडिकल कालेजेज में किस प्रकार की शिक्षा दी जाय कि वहाँ से हमारी आवश्यकता के अनुरूप डाक्टर निकलें और देश तथा प्रदेश की परिस्थितियों के अनुसार जनता की वह सेवा करें। हमारे प्रदेश की जनता का स्वास्थ्य ठीक करने में वह सक्षम हों। जब तक इस ओर ध्यान नहीं दिया जायेगा तब तक हम सारी व्यवस्थाओं को सुचारु रूप से नहीं चला पायेंगे। हम जो सेवायें प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रों द्वारा देना चाहते हैं वह इस बात पर निर्भर करती हैं कि हम कैसे स्नातकों को उत्पन्न करें और इसके लिये मेडिकल कालेजों में कैसी व्यवस्थायें हों। इस सम्बन्ध में जैसा कि निवेदन कर चुके हैं कि इस वर्ष यह व्यवस्था की जा रही है कि 8 सप्ताह तक डाक्टरों को ग्रामीण क्षेत्रों में काम सीखने का मौका अनिवार्य रूप से दिया जायेगा और 6 महीने शहरों में इन्टर्नशिप करना आवश्यक होगा।

मान्यवर, मेडिकल कालेज के संबंध में भी विचार आ रहे हैं कि दूसरे विश्वविद्यालयों की जो समस्यायें हैं वह व्यापक हो गयी हैं। एक तो विश्वविद्यालय में जो समस्यायें रहती हैं वह बहुत रहती हैं वह चाहे कला की फैकल्टी हो या कामर्स की। तो हमारी जो विशिष्ट फैकल्टी है उस ओर ध्यान नहीं रहता है। जैसे लखनऊ मेडिकल कालेज है जो लखनऊ विश्वविद्यालय से सम्बद्ध है। यह सही है कि मेडिकल कालेज के लिये शासन बहुत बड़ी धनराशि दे रहा है। लेकिन उसमें यह देखने में आया है कि उस धनराशि को विश्वविद्यालय अपने ढंग से खर्च कर लेता है और जहाँ एड दी जाती है वहाँ वह नहीं खर्च की जाती है। इसलिये जो एक रुपता और सामन्जस्य लाने की बात है कि होम्यो-पैथिक, आयुर्वेदिक और एलोपैथिक में सामन्जस्य पनपे और यह सारी व्यवस्थायें एक साथ चलें तो इसके लिये एक अलग से विश्वविद्यालय की अत्यन्त आवश्यकता है। इसलिये प्राविधान किया जा रहा है कि हम उस विश्वविद्यालय को खोलें जिससे तमाम मेडिकल कालेजेज सम्बद्ध होंगे और वह प्रदेश की समस्याओं को हल करने में सक्षम हो सकें तथा व्यवस्थाओं को ठीक करने में सक्षम हो सकें। इसलिये मान्यवर, लखनऊ में एक मेडिकल इंस्टीट्यूट की बात बहुत दिनों से चली आ रही है लेकिन अभी तक उस पर कोई निर्णय नहीं हो पाया था। तो मान्यवर, मुझे घोषित करते हुए हर्ष है कि हम उस मेडिकल कालेज के कार्य जो इस वर्ष से शुरू कर देंगे और 5 वर्ष में 7 करोड़ रुपये की लागत से वह मेडिकल इन्स्टीट्यूट बनेगा। वह संस्थान स्वायत्तशासी संस्था जैसी रहेगी और विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करने की बात पर विचार किया जायेगा।

मान्यवर, मुझे यह भी बताते हुए हर्ष है कि उत्तर प्रदेश में इस वर्ष से दो क्षेत्रीय नेत्र शोध संस्थान स्थापित किये जा रहे हैं—एक सीतापुर में और एक अलीगढ़ में। भारतवर्ष में ऐसे संस्थान 6 हैं। हमारा सौभाग्य है कि उत्तर प्रदेश में ऐसे दो संस्थान खोलने का हमको मौका मिला है। इस संस्थान के जरिये शोध तो होंगे ही इसके जरिये से जो लोगों की ट्रेनिंग की समस्या है, उनको सुविधाएं उपलब्ध हो जायेंगी और लोगों को पढ़ने का अवसर प्राप्त होगा और उन संस्थानों के जरिये विभिन्न सेवा केन्द्रों को जोड़कर ऐसी योजना कार्यान्वित की जायेगी कि जिससे पूरे उत्तर प्रदेश में नेत्र रोगों का निदान सम्भव हो सके

[श्री रमाशंकर कौशिक]

और उचित व्यवस्था हो सके रोग को खत्म करने के लिये। इसी के साथ शिक्षा के मामले में बहुत आवश्यक है कि ऐसी व्यवस्था हो कि जो सारी चीजों को लेकर, अनुशासन के मामलों को लेकर और छात्रों की परेशानियों को भी दृष्टि में रखते हुये निदान निकाला जाय ताकि अच्छे लोगों को विद्यालयों में पैदा कर सकें।

जो पोस्टग्रेजुशन की बात है, उसमें मेडिकल कालेजेज में रोष रहा है, लड़कों में रोष रहा है, कि किस प्रकार से उनको प्रवेश मिले जो कि स्नातक के बाद पढ़ाई जारी रखना चाहते हैं। उसमें यह व्यवस्था की जा रही है कि जिस प्रकार से सी0 पी0 एम0 टी0 के जरिये पूरे उत्तर प्रदेश की प्रतिभाओं को आमन्त्रित करते हैं, लोग अपनी प्रतिभाओं को देखते हुये इम्तहान में बैठें और जो उत्तीर्ण हों, वे प्रवेश पावें, उसी प्रकार से एम0 एस0 और एम0 डी0 और पोस्टग्रेजुएशन क्लासेज के लिये भी ऐसी व्यवस्था की जा रही है कि पूरे उत्तर प्रदेश का एक इम्तहान हो और जो उस इम्तहान में उत्तीर्ण हों, उन लोगों को आगे पढ़ने की सुविधा प्राप्त हो सके ताकि अच्छी प्रतिभाओं को आगे पढ़ने का मौका मिल सके और जनता को भी उन प्रतिभाओं से लाभ मिल सके।

इसी प्रकार से शिक्षण संस्थाओं में कुछ विसंगतियाँ पैदा हो गयी हैं जिसके कारण बड़ा रोष होता रहा है। मसलन मेडिकल कालेज का जो प्रिंसिपल हो जाता है, उसको प्रोफेसर से कम तनख्वाह मिलती है। अब वह निश्चित रूप से ऐडमिनिस्ट्रेशन का काम करता है, उसका दायित्व बढ़ जाता है, मेहनत भी ज्यादा करनी पड़ती है, उसके बावजूद भी उसे विसंगतियों का सामना करना पड़ता है। तमाम शिक्षण संस्थाओं में ऐसी व्यवस्था है कि वहाँ के प्रिंसिपल की सेवा निवृत्ति का समय 60 वर्ष है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुये हमारे प्रशासक, जो प्रिंसिपल के रूप में मेडिकल कालेज में मौजूद हैं, में विसंगितियों को लेकर आक्रोष न पैदा हो, इस बात का ध्यान रखते हुये यह निश्चय कर लिया है कि मेडिकल कालेज में उनकी सेवा निवृत्ति का समय 58 के बजाय 60 वर्ष होगा।

मान्यवर, जैसा कि मैंने निवेदन किया, हमारे प्रदेश और देश में आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक की एक मान्यता है, लोगों का इस पर विश्वास है, आस्था है। सब लोगों का विश्वास है कि वह भी एक विज्ञान है। इसमें संदेह नहीं है। यद्यपि बहुत से लोग इस बात के कहने वाले हैं जो कहते हैं कि दुनिया में विज्ञान की तरक्की सभी जगह की तरक्की को मिला कर होती है और कहीं पर चाहे जैसा हो, तरक्की को स्वीकार कर लें। मसलन भौतिक विज्ञान है। भौतिक विज्ञान की जो इंगलैण्ड की उपलब्धियाँ हैं, उन उपलब्धियों की मान्यता को प्राप्त करते हुये आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो यह भौतिक विज्ञान के लिये सही है, दूसरे विज्ञानों में सही हो सकता है, लेकिन जहाँ तक मेडिकल साइंस का प्रश्न है, उसमें निश्चित रूप से यह बात लागू नहीं होती और मेडिकल साइंस में जो तरक्की हुयी, उस तरक्की के कारण हुयी। इसके परिणामस्वरूप हमारी जो चिकित्सा प्रणाली थी, उसको हानि उठानी पड़ी और उस दौड़ में हम आगे निकल पाने में सक्षम नहीं हो पाये क्योंकि हम गुलाम थे, दूसरों से जकड़े हुये थे। जहाँ तक मेडिकल साइंस का सवाल है, यह प्रश्न इस पर लागू नहीं होता कि दूस क्षेत्र में साइंस के साथ चलते हैं। हम चाहते हैं कि होम्योपथी और आयुर्वेद दोनों का विकास उनकी क्षमता के अनुसार करें और उनको अवसर दें, उनकी तरक्की करें। लेकिन यह केवल शासन से पूरा नहीं होने वाला है। इसके लिये आयुर्वेद में विश्वास रखने वालों को पहल करनी होगी और अपने दायित्वों का निर्वहन करना होगा। स्थिति यह है कि जो आयुर्वेदिक में प्रशिक्षित होकर हमारे डाक्टर और वैद्य आते हैं, वह स्वयं आयुर्वेदिक को छोड़कर ऐलोपैथिक चिकित्सा करने लगते हैं। ये अच्छे लक्षण नहीं हैं। अगर आयुर्वेद की तरक्की करना चाहते हैं तो उसके लिये प्रयास करें और शासन का इरादा है कि आयुर्वेद और होम्योपैथ को बढ़ने का अवसर प्रदान करें लेकिन जो आयुर्वेद में विश्वास रखने वाले हैं, वह भी इस दिशा में अग्रसर हों और इस तरह से आयुर्वेद के जरिये अपने प्रदेश की चिकित्सा को सुधारने में सक्षम हो सकते हैं।

मान्यवर, हमारे 8 शासकीय विद्यालय हैं और दूसरे भी हैं जिनको हम सहायता देते हैं। एक ऐसा है जिसको शतप्रतिशत सहायता देते हैं। तो उसको हम प्रदेश का राजकीय महाविद्यालय बनायेंगे। यूनानी में भी एक राजकीय विद्यालय बनाने जा रहे हैं। इस के अलावा 42 विद्यालय और उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं। आयुर्वेदिक के नाम पर और होम्योपैथिक कालेज के बारे में माननीय सदस्यगण अच्छी तरह से अवगत हैं कि किस प्रकार से होम्योपैथिक कालेज खोलने पर लोगों का शोषण कर रहे हैं और विद्यार्थियों का शोषण कर रहे थे। इस प्रकार से आयुर्वेदिक के मामले में भी हमारी निश्चित रूप से राय बन गयी है और यह फैसला हो गया है कि जो 42 कालेजेज चल रहे हैं, जो विद्यापीठ दिल्ली की है या कहीं की है, उनको लेती हैं, हम उनको राजकीय के समकक्ष मानने में असमर्थ हैं। जो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रेक्टिशनर के तौर पर सार्टीफिकेट मिलता था, वही सार्टीफिकेट उनको मिलता रहेगा। लेकिन सरकारी नौकरी में उनको नहीं रख पायेंगे और न यह कर पायेंगे कि जैसे हम अपने महाविद्यालयों के जरिये शिक्षण की व्यवस्था करते हैं। मान्यवर, आयुर्वेदिक कालेजेज में भी परीक्षा के लिये ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं जैसे कि एलोपैथी में करते हैं—सी0 पी0 एम0 टी0 की तरह की। जिस तरह से सी0 पी0 एम0 टी0 में परीक्षा प्रवेश के लिये लेते हैं, उसी तरह से पूरे उत्तर प्रदेश के लिये आयुर्वेदिक में भी पूरे प्रदेश की प्रतिभाओं को मौका मिलेगा।

इसी प्रकार से होम्योपैथिक के मामले में भी कहना है कि उसमें भी इसी प्रकार के कालेजेज हैं। मैं माननीय वर्मा जी से कहना चाहता हूं कि शय्यायें हैं लेकिन कमरे नहीं उपलब्ध हैं। कमरे हैं नहीं जहाँ शय्यायें बिछायी जा सकें। अब 15 ऐसे कालेजेज के प्रबन्ध का अधिग्रहण करने जा रहे हैं। आज उसका विधेयक पास करना है। ऐसी व्यवस्था करेंगे कि उन कालेजेज में ठीक से पढ़ाई हो सके और ऐसी व्यवस्था हो सके जो मेडिकल कालेज में होनी चाहिये। इस बात की कोशिश कर रहे हैं। मान्यवर, जहाँ तक संक्रामक रोगों का सवाल है इस सम्बन्ध में पिछले वर्ष ऐंटीफेलाइटिस से काफी जानें गयीं।

श्री उपाध्यक्ष—

आप कितना समय और लेंगे ? अभी आबकारी पर भी बोलेंगे।

श्री शतरुद्र प्रकाश (जिला वाराणसी)—

आज इनको समय का पता नहीं चलेगा क्योंकि आबकारी का भी बजट है।

श्री उपाध्यक्ष—

और सदस्यों को भी बोलना है। दस मिनट में समाप्त कर दें।

श्री मसूदल हसन नोमानी (जिला बाराबंकी)—

माननीय मंत्री जी ने यूनानी के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं।

श्री रमा शंकर कौशिक—

यूनानी और आयुर्वेद दोनों एक ही हैं। नाम में अन्तर है। जैसा मैंने कहा जो यूनानी कालेज चल रहे हैं उनमें से एक को राजकीय कालेज भी बनायेंगे।

श्री फजलुल बारी (जिला गोण्डा)—

आप यूनानी कालेजेज को क्या वही सुविधायें दे रहे हैं जो आयुर्वेद को दे रहे हैं ?

श्री रमाशंकर कौशिक—

देंगे। यूनानी को भी उतना ही संरक्षण प्राप्त होगा जितना कि आयुर्वेद को। आप जैसा निर्देश दिया है, अब मैं आबकारी पर आता हूं। आबकारी विभाग को तो अब मद्य निषेध

[श्री रमाशंकर कौशिक]

विभाग ही कहना ज्यादा उचित होगा। हमारी कोशिश है कि हम मद्य निषेध को 4 वर्षों में कर लें और उस दिशा में प्रयास भी किया है। एक बड़ा भारी प्रश्न उठता है ताड़ी के सम्बन्ध में और यह प्रश्न शराबबन्दी के बारे में भी उठाया जायगा। हमारे प्रदेश में इतनी बड़ी तादाद में अल्कोहल होता है उसका क्या होगा, लोग बेरोजगार होंगे, उनका क्या होगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे यहाँ जो अल्कोहल पैदा होता है उसका मात्र 7 फीसदी पीने के काम में आता है। बाकी जो अल्कोहल है वह औद्योगिक प्रयोग में आता है। इसमें कोई शक नहीं कि हमारे प्रदेश में कच्चे माल के रूप में शीरा बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। यह एक धन है और यह एक ऐसा पदार्थ है जिसके जरिये से बहुत अच्छी-अच्छी औद्योगिक इकाइयाँ खड़ी की जा सकती हैं। जैसा माननीय सदस्य जानते हैं अल्कोहल से स्ट्रेप्टोमाइसिन का रा मैटीरियल बनाया गया है, रबर बनाया जा रहा है। एक ऐसा कारखाना लगने वाला है कि अल्कोहल से प्लास्टिक का रा मेटीरियल तैयार किया जा सके। अल्कोहल की उपयोगिता में कोई सन्देह नहीं रह गया है। मौजूदा टेक्नीक ने जो विकास किया है उससे इसकी और भी संभावनाए बढ़ी हैं। हमने भारत सरकार से निवेदन किया है कि पेट्रोल की कमी को दूर करने के लिए अल्कोहल का भी किसी मात्रा में पेट्रोल में उपयोग कराया जाय और यह कोई नया प्रयोग नहीं है, द्वितीय महायुद्ध में यह प्रयोग हमारे भारतवर्ष में हो चुका है जब पेट्रोल में थोड़ी मात्रा में अल्कोहल मिलाया जाता था। भारत सरकार का पेट्रोलियम विभाग हमारे सुझाव पर विचार कर रहा है, अगर वह भी बात हो गई तो हमारे पास बहुत ही अच्छे साधन उपलब्ध हो जायेंगे।

हमारे पास शीरे का बहुत बड़ा भंडार है, 80 लाख कुन्टल तो हमें चीनी मिलों से ही मिल जाता है और इसके अतिरिक्त क्रशर, जो कि लगभग चीनी मिलों के बराबर ही गन्ना पेरते हैं, उनसे भी हमको शीरे की उपलब्धि होगी जिसके जरिये हम बड़ी मात्रा में अलकोहल बना सकते हैं। हमारी कोशिश है कि अपने प्रदेश में हम अलकोहल बेस्ड इन्डस्ट्रीज खड़ी कर सकें। अलकोहल पर आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में एक अलकोहल समिति के निर्माण की बात की गई थी और अब उस समिति का निर्माण हो चुका है और उसमें जो लोग भारतवर्ष में अलकोहल पर आधारित उद्योग चलाते हैं, उन लोगों को, शुगर कारपोरेशन के लोगों को, शुगर इन्डस्ट्रीज की एसोसियेशन के लोगों को भी रखा है और इससे हमारे प्रदेश के बहुमुखी विकास की संभावनायें हैं। शीरे की अगर कीमत बढ़ेगी, गन्ना क्रशरों के उद्योग में विकास होगा तो निश्चित रूप से गन्ना काश्तकारों को भी उसकी कुछ उपलब्धि होगी। इसके साथ-साथ हमारी अलकोहल बनाने की जो इकाइयाँ हैं, अगर अलकोहल बेस्ड इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ बड़ी मात्रा में लगती हैं जैसा कि हमारे संसाधनों से हो भी सकता है, तो हमारे प्रदेश का बहुमुखी विकास संभव है।

बहुत से माननीय सदस्यों को शिकायतें होंगी कि जहाँ-जहाँ हमने मद्यनिषेध लागू किया है, उसका कार्यान्वियन में बहुत बड़ी सफलता नहीं मिल रही है। मै यह मानता हूं कि अपनी जगह उनका यह आरोप सही होगा लेकिन उसके बहुत से कारण हैं। इतना निश्चित है कि जिन क्षेत्रों में शराबबन्दी हुई है वहाँ पर कोई पब्लिक न्यूसेन्स आपको दिखाई नहीं पड़ेगी यानी जो जनता को परेशानियाँ होती थीं, सड़कों पर लोग गाली गलौज किया करते थे, वह नहीं होता। जो पीने वालों की तादाद बढ़ती जा रही थी, वह भी बहुत कम हो गई है। जो भी नया आदमी नशे की आदत में पड़ता है तो वह अपने सभी संगी साथियों के साथ पड़ता है और जब उसे फ्री की मिलती है तब पड़ती है और जब सहज उपलब्ध होती है तब पड़ती है, जब सहज उपलब्ध नहीं है, 10–20 लोगों को एक साथ पीने के अवसर नहीं रहे हैं, इसलिए नये पीने वालों में तो गिरावट आई ही है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में तो यह हालत हो गई थी कि भले आदमियों का किसी बारात में शामिल होना मुश्किल हो गया था क्योंकि यदि किसी लड़की वालों के यहाँ शादी में रहें तो

बारात में आने वाले लोग शराब के नशे में कितनी देर तक नाचते रह जायें और पता नहीं कब तक आप स्वागत के लिये बैठे रह जायें। यह भी होता था। ऐसी स्थिति में यह कहना कि उसकी कुछ उपलब्धियाँ नहीं हैं, यह उचित नहीं है। यह एक ऐसा दोष है जिसे केवल शासन ही दूर नहीं कर पाएगा। मैं ऐसा मानता हूं कि इस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए हम सब लोगों को इसके लिए कटिबद्ध होना पड़ेगा और तमाम धार्मिक संस्थाओं और सामाजिक कार्यकर्त्ताओं को इसमें लगना पड़ेगा। और इतना मुश्किल इसको छोड़ना है, भुक्तभोगी इस बात को जानते होंगे और बताते हैं कि कितना मुश्किल होता है।

इन सारी ीजों को ेखते हुये मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि इस परिवर्तन के मामले में, इनफोर्समेन्ट के मामले में दिलचस्पी लें और अपने जिले में जहाँ शराबबंदी है व्यापक तौर पर एक इस प्रकार का आन्दोलन चलायें जिससे मद्यपान करने वाले लोगों को अपनी आदत छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़े तभी इस मामले में सफलता प्राप्त होगी।

इन्हीं चन्द शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और माननीय सदस्यों से यह अनुरोध करता हूं कि वे अपने बहुमूल्य विचारों और सुझावों से मुझे अवगत करायें और इन अनुदानों को सर्वसम्मति से पारित करें।

आचार्य धर्म दत्त वैद्य (जिला बरेली)––

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 10––आबकारी विभाग–सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक पया कर ी जाय। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 39––चिकित्सा विभाग (चिकित्सा)–सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 40––चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)–सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 41–चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)––सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 84–चिकित्सा विभाग–पूंजीगत परिव्यय सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे प्रसन्नता है इस बात की कि सरकार ने मद्य निषेध का कार्यक्रम लागू किया। मैं उसके लिये बधाई देता हूं। श्रीमन्, मद्य निषेध का लागू कर देना बहुत आसान है लेकिन उसका कार्यान्वयन बहुत कठिन है। हमारे इस प्रदेश में अब से पहले भी कुछ जिलों में मद्य निषेध था, कुछ तीर्थ स्थानों पर भी मद्य निषेध था, लेकिन श्रीमन्, जिस प्रकार से उन जिलों में अनुचित तरीक से मद्य पहुंचती थी और नजदीक के जिलों से पहुंचायी जाती थी और वह भी गलत किस्म की शराब पहुंचती थी उससे मरने वालों की संख्या बढ़ गयी और एक बड़ी कठिनाई का

[आचार्य धर्मदत्त वैद्य]

सामना सरकार को करना पड़ा। कुछ भी हो पुनीत उद्देश्य के लिए पुनीत कार्य किसी भी समय शासन को करना ही पड़ेगा इस दृष्टि से यह कार्य किया गया है। श्रीमन्, मैं आप के माध्यम से यह अनुरोध करूंगा कि मंत्री जी से कि इसको सख्ती से कार्यान्वित करें और इस बात को ध्यान में रखें कि जो अनुचित तरीके से शराब बनाने वाले स्थान हैं उन पर प्रतिबन्ध लगाया जाय। एक निवेदन और करना चाहता हूं कि फार्मास्यूटिकल वर्क्स है जहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में अलकोहल सप्लाई की जाती है, कहीं-कहीं उन कारखानों से शराब के स्थान पर टिंचर सप्लाई होती है, इस पर भी मंत्री महोदय विशेष ध्यान दें।

अब मैं सबसे पहले स्वास्थ्य के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। मंत्री जी ने कहा कि स्वास्थ्य के सम्बन्ध में पिछली सरकार ने विशेष ध्यान नहीं दिया। मुझे अधिक तो नहीं कहना है लेकिन इतना अवश्य है कि पिछली सरकार ने स्वास्थ्य के सम्बन्ध में ध्यान नहीं दिया तो केवल पौने दो वर्ष में ही सारा स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्य नहीं हो गया होगा। पिछली सरकार ने काफी काम किया। मंत्री जी स्वयं उस जिले के रहने वाले हैं जिसके निकट हर साल लाखों आदमी मर जाते थे, तराई के इलाके में। शासन ने जो व्यवस्था उसके लिये की उससे निश्चित रूप से मानना पड़ेगा कि उस क्षेत्र के निवासियों के स्वास्थ्य में सुधार हुआ है लेकिन मनुष्य का स्वास्थ्य वाह्य उपायों से नहीं। प्रकृति स्वयं मानव स्वास्थ्य की रक्षा करती है तो प्रकृति के कार्यों में हम ज्यादा अव ोध पैदा न करें। ऐसा करने पर अन्य उपाय करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जलवायु मानव जीवन के लिये बहुत महत्वपूर्ण वस्तुएं हैं। आज वे दोनों दूषित हो रहे हैं। प्रदेश के कारखानों द्वारा फेंका हुआ अशुद्ध जल हमा ी नदियों को प्रदूषित कर रहा है जिससे स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ रहा है।

मैं मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हमारा यह प्र ेश नदियों का प्रदेश है। गंगा और जमुना का यह प्रदेश है। हिमालय की तराई से निकलने वाली नदियाँ इस प्रदेश के जन जीवन को बहुत अच्छा बना सकती हैं। अगर हमको इसकी रक्षा करनी है तो हमको नदियों के इस प्रदूषण को रोकना होगा। जमुना दिल्ली से चलती है, दिल्ली की गंदगी लेकर फ ीदाबाद आती है। वहाँ तमाम फैक्टरीज का पानी लेकर वह बृन्दा-बन तथा मथुरा आती है और ये वे स्थान है जहाँ देश तथा विदेश से हजारों आदमी आते हैं और जब मथुरा में वह जमुना है नहाते है तो जो जमुना के बहते हुए जल में जब मैला बहते देखते है तो उनकी श्रद्धा अश्रद्धा में परिणत हो जाती है। मंत्री जी इसका कुछ उपाय सोंचें। मैं यह भी बतला दू कि सन् 71 में मथुरा में जो गंदे नाले गिरते थे उनको रोकने के लियेएक योजना तैयार की गयी थी और केन्द्रीय सरकार की मदद से उसको पूरा किया जाना था लेकिन मथुरा नगरपालिका ऋणी होने के कारण वह कार्य पूरा न हो सका और यह योजना विभाग में पड़ी होगी। जिस प्रकार से वाराणसी के गन्दे नालों को गंगा में जाने से रोका गया है उसी प्रकार जमुना में गंदे नाले आते हैं उनको भी रोकना है। इस सम्बन्ध में जो पिछली सरकार की योजनाएं थीं उनको पूरा कराने की कोशिश की जाय। हमारे इस प्रदेश में जो कारखाने हैं उन पर कड़ा नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। उनके माध्यम से नदियों में जो पानी छोड़ा जाता है उससे जिन गाँव तथा नगरों से वे निकलती हैं वहाँ के जानवर उस पानी को पीकर मरते हैं और आदमियों को भी कठिनाई होती है। इसके अलावा जब वह गंदा पानी फैक्टरीज से छोड़ा जाता है तो लाखों टन मछलियाँ मर जाती है जो नदियों के किनारे सड़ती हैं और वातावरण को दूषित करती हैं। इस पर कड़े नियंत्रण की आवश्यकता है। जब तक प्रकृति के नियमों को मनुष्य के लिये उपलब्ध नहीं कराया जायेगा तब तक ऊपर से चाहे कितने ही उपाय करें, हम इसमें सफल नहीं हो पायेंगे। साथ ही एक निवेदन और करना चाहता हूं कि आज सारी चीजें दूषित ही दूषित नजर आ रही है। अनाज के भण्डारों से जो अनाज निकलता है। वह कीटनाशक दवाओं से युक्त होता है जिससे कि

वह सुरक्षित रखा जाता है। फल जो आते हैं वह भी रासायनिक पदार्थों में पकाये जाते हैं उनमें भी प्रदूषण रहता है। सबसे बड़ी चीज जो आप देखेंगे वह सब्जी है उसमें भी कीटनाशक दवाओं का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार प्रदूषण की वजह से जनजीवन के लिए समस्या उत्पन्न हो गई है। खाद्यान्न की जितनी भी वस्तुयें मिलती हैं वह दूषित ही दूषित हैं। सब्जी बेचने वालों को आपको ऐसा परामर्श देना चाहिये कि वह सब्जियाँ किसी ऐसे रसायनिक पदार्थ मे धोयें जिससे कि कीटनाशक दवाओं का जो उसमें प्रयोग किया गया है वह समाप्त हो जाय और मनुष्य उसके कुप्रभाव से अपन को सुरक्षित रख सकें।

चिकित्सा के संबंध में आपने अपनी पुस्तिका में और अपने भाषण में भी कहा है। लेकिन आज वास्तव में यह देखने की बात है कि क्या हमारे प्रदेश के लोगों को जितनी चिकित्सा की आवश्यकता है वह सही मानों में उसको मिल रही है। जिले के अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में लम्बी-लम्बी लाइनें लगी हुई रहती हैं जहाँ न बैठने का प्रबन्ध है और न ही पीने के पानी का प्रबन्ध है। चार-चार घंटे तक मरीज इन्तजार करते-करते मूर्छित हो जाता है तब कहीं मुश्किल से उसका नम्बर आता है और उसके बाद फिर कम्पाउन्डर से दवा लेने में उसे घंटों लग जाते है। इसलिए इस पर हमें विचार करना चाहिये कि जो हमारे अस्पताल हैं या प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं उनमें औषधियाँ उचित मात्रा में रहें और सुगमता से लोगों को मिल सके।

जहाँ हम प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के विस्तार की बात करते हैं जैसा कि मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि हमने काफी मात्रा में उपकेन्द्र बना दिये हैं। उन्होंने बताया कि एक ग्रामीण स्वास्थ्य रक्षक होगा। तो जिसको आप दो तीन महीने की ट्रेनिंग देंगे क्या वह वास्तव में स्वास्थ्य रक्षक हो सकता है। श्रीमन्, यह स्वास्थ्य रक्षक ग्रामवासियों को क्या स्वास्थ्य की बातें बतायेगा जिसको स्वास्थ्य रक्षा का स्वयं पूरा ज्ञान नहीं है। श्रीमन्, बहुत पहले यह केन्द्र सरकार की योजना थी जिसे ग्राम स्वास्थ्य योजना का नाम दिया गया था। इस पर काफी विवाद हुआ। मुझे भी कम से कम 6 साल भारत के हेल्थ मिनिस्टरों की बैठक में भाग लेने का मौका मिला। यह योजना जनता के पैसे का दुरुपयोग है इससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। मैं हमेशा से इसका विरोधी रहा हूं। यह स्वास्थ्य रक्षक नहीं यह स्वास्थ्य भक्षक बनेंगे।

आप प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उपकेन्द्र बना रहे हैं। तो उपकेन्द्र तो आप बाद में बनाइये पहले इन स्वास्थ्य केन्द्रों को साज-सज्जा से पूर्ण कर दीजिये, उनके अन्दर रोगियों के लिए शैय्यायें दीजिये और पर्याप्त मात्रा में दवायें दीजिये। यह जो तीन महीने की ट्रेनिंग देकर लोगों को उप केन्द्र में भेजेंगे इससे स्वास्थ्य की रक्षा होने वाली नहीं है। आज गाँव का आदमी सजग हो गया है वह अच्छे चिकित्सक की सेवायें चाहता है, शहर में भी अच्छे चिकित्सक के पास जाता है। आप उसको ऐसा आदमी दे रहे हैं जिसे व्यावहारिक ज्ञान नहीं है। तो जैसा कि पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत प्राविधान किया गया है, आज प्रदेश में जो स्वास्थ्य केन्द्र चल रहे हैं वह 1 लाख या 75 हजार की आबादी में है उनको 25 हजार या 10 हजार की आबादी पर बनाइये और जो उपकेन्द्र बनायें उन्हे साज-सज्जा, दवाइयों और अच्छे डाक्टरों से चलाइये। इस प्रकार खाली कागज पर लिख देने से कि इतने उपकेन्द्र बन गये हैं उचित नहीं है यह पैसे का दुरुपयोग होगा। आपके उप केन्द्रों पर जिस प्रकार से काम हो रहा है, उसके बारे में मैं साफ कहे देता हूं वह नहीं के बराबर

[आचार्य धर्मदत्त वैद्य]

है, उनकी केन्द्रों की बड़ी दुर्दशा है।

आपने एक अच्छा कार्य किया है जो प्राइवेट प्रैक्टिस पर प्रतिबन्ध लगाया है, लेकिन क्या उस प्रतिबन्ध पर वास्तव में अमल हो रहा है? मेरी जानकारी में बिलकुल नहीं हो रहा है। किसी समय दलाल होते थे बिल्डिंग आदि बेचने के लिए किन्तु आज डाक्टरों के दलाल हो गये हैं, जो मरीजों को फांसकर डाक्टरों के पास ले जाते हैं। आपके सरकारी अस्पतालों में मरीजों की न कोई देखभाल होती है, न डाक्टर्स मिलते हैं और न उन्हें ठीक से देखकर दवाएं ही दी जाती हैं। लेकिन जो मरीज इन दलालों के माध्यम से डाक्टर के पास पहुंचते हैं, उनकी चिकित्सा की उसी वक्त व्यवस्था हो जाती है और आवश्यकता होने पर दाखिला भी हो जाता है तथा सारी दवाएं और सुविधाएं भी सुलभ करा दी जाती हैं, यदि इन सब के लिए वह डाक्टर को निर्धारित धनराशि देने के लिए तैयार है। एक तरफ डाक्टर नान-प्रैक्टिसिंग भत्ता सरकार से लेते हैं और दूसरी तरफ प्राइवेट प्रैक्टिस भी करते हैं, यह बहुत ही गलत बात है। आपने जो आदेश दिये हैं, उनका सख्ती से पालन कराने की भी आप कोई करागर व्यवस्था करें, चाहे कोई सेल बनावें या सरप्राइज चेकिंग की कोई व्यवस्था करें। गरीब जनता के लिए है कि एक तरफ तो टैक्स देती है और दूसरी तरफ अस्पतालों में डाक्टरों द्वारा उसका मनमाना शोषण हो, आप इस पर विशेष तौर पर ध्यान दें। आपने पिछले सप्ताह में अपने उत्तरों में कुछ ऐसी बातें कहीं हैं, जो बड़ी हास्यास्पद है।

मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपके संरक्षण में कभी-कभी बहुत ही असंगत उत्तर यहाँ पर दिये जाते हैं, जिनको सुनकर आश्चर्य होता है। एक बात आपने कहा कि हम अपने यहाँ मेडिकल कालेज इसलिए नहीं खोलते हैं कि यहाँ डाक्टर बहुत हैं और उनमें बेकारी अधिक न फैलने पाए, और फिर एक बार कहा कि हमें इतने डाक्टरों की आवश्यकता है, जिसके लिए हमने लोक सेवा आयोग को लिखा है, और एक बार यह कहा कि एक अस्पताल में तीन वर्ष से चिकित्सक नहीं है। और जब इसके अनुपूरक प्रश्न के रूप में माननीय सदस्य ने पूछा कि अब आप इसके लिए क्या व्यवस्था करेंगे, मंत्री जी ने बड़े उपहास से कह दिया कि ठीक है, कभी-कभी डाक्टर भेज दिया करेंगे। इस देश के अलावा और कोई देश होता तो मैं समझता हूं, किसी जिम्मेदार मंत्री ने ऐसी बात कही होती तो उस मंत्री से इस्तीफा माँगा गया होता और उसका सड़क पर निकलना मुश्किल ही जाता। डाक्टरों के लिये आप यह भी कहते हैं कि हम ऐडहाक नियुक्तयाँ नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपने अभी 50 एक्साईज इन्सपेक्टरों की तदर्थ नियुक्तियाँ की हैं। जो डाक्टर इतने महत्व का काम करते हैं, आवश्यकता होने पर उनकी तदर्थ नियुक्तियाँ क्यों नहीं होनी चाहिए। आज हजारों चिकित्सालय बिना डाक्टर के और कम्पाउन्डर्स के पड़े हुए हैं, जो कि बड़े अफसोश की बात है। इस चीज को गम्भीरता से लिया जाये और ऐसे सभी स्थानों पर डाक्टर नियुक्त किये जायं। मंत्री जी को उन सदस्य को धन्यवाद देना चाहिए था, जो उन्होंने उनके विभाग की अकर्मण्यता की ओर ध्यान दिलाया, किन्तु उन्होंने उसके विपरीत इस प्रकार का उत्तर दिया, जो किसी भांति उचित नहीं है।

इस पुस्तिका में विश्व स्वास्थ्य संगठन की किसी मीटिंग का जिक्र है, उस मीटिंग में यहाँ माँग की गयी कि देशी चिकित्सा पद्धति से भी जन स्वास्थ्य के लिये लाभ उठाया जाए। तब आपके दिमाग में यह बात आयी कि आपको आयुर्वेदिक पद्धति को प्रोत्साहन देना चाहिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन को जिन कारणों से यह आभास हुआ है देशी चिकित्सा पद्धति जो आप उन कारणों से प्रभावित हों, विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रस्ताव से प्रभावित न हों। कोई भी चिकित्सा विज्ञान पूर्ण नहीं होता अगर वह मनुष्य को यह नहीं बताता कि क्या खाओ क्या न खाओ, किस मौसम में किस ढंग से रहो, क्या करना है क्या नहीं करना है। जो चिकित्सा विज्ञान यह नहीं बताता वह पूर्ण नहीं है। इस दृष्टि से आयुर्वेदिक देशी चिकित्सा पद्धति

पूर्ण वैज्ञानिक है जो यह बताती है। इसलिए मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि आप उन वैज्ञानिकों की दूरदर्शी और उनका विवेक देखिए उन्होंने चिकित्सा को इतना बल नहीं दिया जितना मानव की स्वास्थ्य रक्षा पर, मनुष्य के स्वस्थ्य रहने पर, उसकी ऋतु चर्या "दिन चर्या, जीवन चर्या राष्ट्रीय चर्या पर बल दिया। मनुष्य अपनी कमजोरी से जब गलत काम करता है, तब उससे रोग हो सकता है, तभी चिकित्सा की बात होती है। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान का प्रादुर्भाव मनुष्य की स्वास्थ्य रक्षा के लिए हुआ है इस विज्ञान की अहमियत को देख कर, आप कुछ करना चाहते हैं, आप उस विज्ञान के लिए कुछ करेंगे लेकिन दूसरी ओर आपने चिकित्सा विश्वविद्यालय की घोषणा की है ? आपने आयुर्वेदिक और यूनानी कालेजों को किन्हीं विश्वविद्यावयों से सम्बद्ध कर दिया है। लखनऊ आयुर्वेदिक कालेज, लखनऊ विश्वविद्यालय से और दूसरे विद्यालय सम्बन्धित हैं कानपुर विश्वविद्यालय से। सिवा एक फैकल्टी बनाने के अलावा उसमें कोई शोध कार्य नहीं हुआ। ऐंटीबायटिक्स दवाओं से देश और प्रदेश ही नहीं सारा संसार दुखी है। अरबों रुपया खर्च कर रहे हैं देश विदेश के वैज्ञानिक इसकी प्रतिक्रिया से छुट्टी पाने के लिये, इसके प्रतिशोध से बच सकें। अतः वह जानना चाहते है कि देशी आयुर्वेदिक पद्धति में क्या-क्या विशेषताएं है, पंचकर्म क्या है और पंचभूत क्या है, निक्षेप क्या है विदेशों से यह जानने के लिए वैज्ञानिक आते हैं। 1979 में इस सदन के अन्दर आश्वासन दे दिया गया था एक आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय का। आप आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय के अन्दर आयुर्वेद के आठ अंगों की फैकल्टी बनाइये, आप पंचकर्म, और शल्य चिकित्सा, योगिक चिकित्सा की फैकल्टी बनाएं। सरकार यदि चिकित्सा विश्वविद्यालय का भुलावा दे कर अगर यह कहे कि आयुर्वेद और यूनानी की उन्नति चाहती है, तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। जब तक आयुर्वेद विश्वविद्यालय की प्रारम्भ से स्थापना नहीं होगी। (लाल बत्ती जलने पर) मैं यह चाहूंगा कि जो समय मुझे बाद में मिले उसमें कम करें। थोड़ा सा मुझे कहना है।

श्री उपाध्यक्ष––

24 मिनट आपके पूरे हो गये। दो-तीन मिट और बोल लीजिये।

आचार्य धर्मदत्त वैद्य––

मैं कह रहा था कि आप चाहते हैं कि आयुर्वेद की चिकित्सा, प्रभावी चिकित्सा हो सके लेकिन उसके लिए जो उपाय किये जाते हैं उनको अमल में नहीं लाते। पूर्व सरकार ने यह भी निश्चय किया था एक आयुर्वेद औषधि निर्माण निगम बनाएंगे। उसकी घोषणा भी हो गयी थी। उसका एक आलेख भी तैयार हो गया था। लेकिन आपने इस पुस्तिका में लिख दिया कि हरिद्वार, पोलीभीत, गुरुकुल में दवाएं बनायेंगे लेकिन स्टेट आयुर्वेदिक फार्मेसी जो पूर्ण-रूपेण इस कार्य के लिये सक्षम है जिसके अन्दर शोध कार्य हो सकता है, क्यों नहीं उसी को निगम का स्वरूप दिया जाता जिसकी घोषणा इस सदन में की जा चुकी है ? श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उसकी स्थापना की जाय। अगर आयुर्वेद और यूनानी पद्धति को सक्षम बनाना चाहते हैं तो आप उसके लिए शोध का कार्य कराएं, आप रिसर्च को महत्व दें। आपको आयुर्वेद के अध्यापकों को मेडिकल कालेजों के अध्यापकों के समान वेतन देना पड़ेगा। मेडिकल कालेज में जो वेतन वहाँ के डाक्टरों को मिल रहा है वह आयुर्वेद के कालेजों के लोगों को आप नहीं देते हैं। श्रीमन्, केवल यह कह देने मात्र से काम चलने वाला नहीं है अगर आप इस पद्धति से सेवा करना चाहते हैं तो आप उनको साधन दीजिए, समानता का उनके साथ व्यवहार कीजिए, तभी वह इसके लिए सक्षम हो सकेंगे।

[आचार्य धर्मदत्त वैद्य]

मुझे आशा है कि माननीय मन्त्री जी ने बजट का जो कार्यक्रम बनाया है उसमें मेरे सुझावों को स्थान देंगे उस पर अमल कर प्रदेश के जन-जीवन की रक्षा करेंगे। इन शब्दों के साथ मान्यवर, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री फजलुल बारी--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आबकारी और स्वास्थ्य मन्त्री के पेश किये हुए बजट का स्वागत करता हूं और यह चाहता हूं कि जो कटौती का प्रस्ताव आया हैं वह वापस हो जाय, लेकिन अगर माननीय मन्त्री जी अपने भाषण में जो तूल तवील की बातें कहते हैं, उनकी पूरे तौर से पूरे होने की उम्मीद हो तो हम लोग यह चाहेंगे कि जो उन्हें 75 करोड़ से ज्यादा रुपया मिलने वाला है उससे ज्यादा दिया जाय ताकि उत्तर प्रदेश की कथित व्यवस्था अच्छी हो सके। मान्यवर, मैं मंत्री जी का ध्यान खास तौर से यूनानी तरीके के इलाज की तरफ ले जाना चाहता हूं। उनकी पूरी तकरीर से जो पूरे जोर शोर से इस सदन में दी है दो चार

(इस समय 2 बजकर 13 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री श्यामधर मिश्र पीठासीन हुए।)

मरतबा यूनानी कालेजों के सिलसिले में यूनानी पद्धति का नाम आया। मैं यह कहना चाहूंगा कि उर्दू जबान इस प्रदेश में खास तौर से इसलिए उपेक्षित है कि यह सोचा जाता है कि वह मकसूस पड़ेगी। यूनानी के सिलसिले में तो यह सोचा जाता है कि तिबिया यूनानी एक खास कौम से मुताल्लिक है लेकिन यह हकीकत नहीं है? माननीय मन्त्री जी काफी समझदार किस्म के आदमी है, उनके नजदीक यह सब भेदभाव नहीं है इसलिये मैं समझता हूं और मैं यह कहना चाहता हूं कि तिबिया कालेज इस प्रदेश में तीन जगह है--एक अलीगढ़ मुसलिम यूनिवर्सिटी के मुताल्लिक है उसकी बात तो अलग है, बचे दो इलाहाबाद में एक और लखनऊ में एक। इलाहाबाद और लखनऊ के दोनों तिबिया कालेजों की हालत बहुत खराब है और जब तक इस सिलसिले में बातचीत की गयी तो कहा गया कि यह कौन सी दुकान है और किस मुहल्ले में है। मुझे इस बात पर अफसोस हुआ लेकिन वह मन्त्री जी हैं और मैं उनका आदर करता हूं। उन्हें इस पर सोचना चाहिए। तिब्बिया यूनानी की तरक्की की बात करना है तो कुछ अम्ली कदम उठाना पड़ेगा। लखनऊ का तिबिया कालेज एक पुरानी संस्था है और इस संस्था में अगर ईमानदारी के साथ देखा जाय तो उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कभी किसी किस्म की मदद नहीं मिली है कि तिबिया कालेज तरक्की कर सके। लगभग 7 महीने से जो डाक्टर पढ़ा रहे हैं उनको तनख्वाह नहीं मिल रही है। जब तनख्वाह नहीं मिल रही है तो वे कैसे तुल्बा को सही तरीके से तालीम दे सकते हैं। वर्ष 1978-79 का मार्च में जो सेशन खतम हुआ उसमें 3 लाख 38 हजार 188 रुपये का सैलरी का बजट था और हमारी सरकार ने 1 लाख 86 हजार 498 रुपये की ग्रान्ट उनको दी। जब इस तरह की ग्रान्ट और उनकी तनख्वाह के सिलसिले में एक फर्क महसूस कर रहे हैं तो यह पूरा कहाँ से होगा। जब इसके बारे में पता किया जाता है तो कहा जाता है कि जो लड़कों से फीस आती है, उससे पूरा किया जाय। जो टोटल डैवलपमेंट और ट्यूशन फीस मिलती है वह कुल 70 हजार 580 रुपये है। इस प्रकार से 1 लाख 46,110 रुपया उस कालेज को चाहिए और जब तक यह पैसा नहीं मिलेगा वे अपने टीचर्स को तनख्वाह नहीं दे सकते हैं। मैं माँग करता हूं कि इस तरह के कालेज को सरकारी संरक्षण में लेना बहुत जरूरी है।

इसके अलावा मुझे यह अर्ज करना है कि यहाँ पर आयुर्वेदिक और यूनानी का एक मिला हुआ डायरेक्टोरेट है लेकिन अफसोस यह है कि वहाँ पर एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो यूनानी सिस्टम से किसी भी किस्म से वाकिफ रहा हो। जब हमारे माननीय मंत्री जी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

खुद ही यह कहते हैं कि आयुर्वेदिक और यूनानी एक ही चीज है और जब वे ऐसा सोच रहे हैं तो आगे चल कर तिब्या कालेजों को खत्म करके उनका नाम भी आयुर्वेदिक कालेज ही कर दिया जायेगा। इस सिलसिले में मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे माननीय मंत्री जी इस ओर ध्यान दें और तिब्या कालेजों को उनके भवनों के लिए अनुदान दें। 28–20 का जो फार्मूला है वह इन कालेजों पर भी लागू करें, यह मेरा उनसे अनुरोध है और मुझे उम्मीद है कि माननीय मंत्री जी इसे कुबूल करेंगे ताकि इन कालेजों की तरक्की हो सके और जो तिब्या यूनानी बदहाली की ओर जा रहे है, वे उससे बच सकें।

अब मैं अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य के बारे में कुछ बातें कहना चाहता हूं। मान्यवर, हमारे जिले गोंडा में एक बहुत बड़ा अस्पताल है जिसमें 174 बेड्स हैं लेकिन जहाँ तक डाक्टरों का सवाल है छोटे-छोटे अस्पतालों में भी 3–3 और 4–4 सीनियर कैडर के डाक्टर्स होते हैं लेकिन गोंडा में जहाँ पर 174 बैड्स का अस्पताल है सिर्फ एक सीनियर कैडर का डाक्टर है। इस पिछड़े हुए क्षेत्र के अस्पताल को दो रूखी निगाह से न देखकर वहाँ पर सीनियर कैडर के डाक्टरों को भेजा जाय, यह मेरी गुजारिश है।

वहाँ पर नरसों के क्वार्टर्स हैं लेकिन उस सिलसिले में माननीय मंत्री जी को आगाह करना चाहता हूं कि जैसे फैजाबाद में एक स्कूल की इमारत गिर पड़ी थी और बहुत से तुल्बा मर गये थे तो कहीं आने वाली अगली बरसात में इन नर्सों के क्वार्टर्स न ढह जायें और माननीय मुख्य मंत्री जी भाग कर जायें और फिर हाउस में बयान दें। तो मेरी गुजारिश है कि तबाही आने से पहले ही उसका इलाज कर लिया जाय। इन अल्फाज के साथ मैं माननीय मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि तिब्या -यूनानी पर खास तौर से ध्यान दें और तास्सुब की निगाह से हट कर उसको तरक्की देने के लिए कुछ कदम उठायें।

श्री राम प्यारे (जिला वाराणसी)––

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे स्वास्थ्य एवं चिकित्सा की अनुदानों के सम्बन्ध में बोलने का अवसर दिया। स्वास्थ्य सम्बन्धी जो बजट आज सदन में पेश है, इसका मैं स्वागत करता हूं और इसी के समर्थन में बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मुझे एक सुझाव देना है और वह यह कि मनुष्य को केवल दवा के बल पर स्वस्थ रखना सम्भव नहीं है और अगर वह कुछ सम्भव है तो केवल पैसे वालों के लिये ही। गरीबों के लिये यह सम्भव नहीं है कि वह एलोपैथिक इलाज कर सके। इससे गरीबों का भला नहीं हो सकता। इस दवा का असर भी बुरा होता है। एक तो यह दवा बहुत महंगी होती है दूसरे इसमें बहुत ब्लैकमेल हो रहा है, कुछ दवायें अच्छी असली बनती हैं तो उसी में की तमाम दवायें नकली बन रही है। फिर अपस्तालों में गरीब को तो दवा मिल ही नहीं पाती। इसलिये मेरा सुझाव है कि स्वास्थ्य को ठीक रखने पर पहले बल दिया जाये। ऐसा प्रयास किया जाये कि रोग कोई किसी को हो ही न पाये।

इसके अलावा जो सस्ती दवायें हैं उन्हीं का इस्तेमाल होना चाहिये ताकि वे दवायें सभी जगह सुलभ हो सकें। यूनानी, आयुर्वेदिक और होम्योपैथी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होना चाहिये। इससे भी बढ़ कर प्राकृतिक चिकित्सा पर जोर देना चाहिये। प्राकृतिक चिकित्सा ऐसी चिकित्सा है जिस पर गरीब को कुछ खर्च नहीं करना पड़ता। बिना पैसे खर्च किये, प्राकृतिक साधनों को अपना कर ही इलाज हो जाता है, मर्ज दूर हो जाता है। मनुष्य जितना अधिक प्रकृति की गोद में जायेगा उतना अधिक स्वस्थ एवं सुखी रहेगा और जितनी अधिक कृत्तिमता को अपनायेंगे उतना ही अधिक अस्वस्थ्य एवं दुखी रहेगा।

[श्री राम प्यारे]

हम लोग आज अंग्रेजियत के दास बन गये है, अंग्रेजी खाना, अंग्रेजी पहनावा, अंग्रेजी बोलना, अंग्रेजी चलना एवं अंग्रेजी दवा करना हमारी आदत पड़ गयी है। इस अंग्रेजियत से मुक्ति दिलाना चाहिये।

एक सुझाव यह है कि ग्रामीण स्वास्थ्य रक्षकों की योग्यता जो कक्षा 8 है इसको बढ़ा कर कक्षा 10 कर दी जाये तथा इनको एक ट्रेनिंग दी जाये। महात्मा गाँधी ने, केवल भारत के लिये ही नहीं, सारी दुनिया के मनुष्यों के लिये एक पुस्तक "आरोग्य की कुंजी" लिखी है, वह मूल गुजराती में लिखी है। उसका अनुवाद हिन्दी में भी हुआ है, जिसे गाँधी जी ने स्वयं स्वीकृत किया है, स्वास्थ्य विभाग के जरिये उसे गाँव में बंटवाना चाहिये तथा प्राइमरी, मिडिल तथा हाई स्कूलों में उसकी शिक्षा दी जानी चाहिये। स्वास्थ्य विभाग द्वारा गाँव-गाँव में इसका प्रसार किया जाना चाहिये। और एक-एक किताब प्रति ग्रामीण स्वास्थ्य रक्षक को भी दी जानी चाहिये। इन शब्दों के साथ इस स्वास्थ्य विभाग के बजट का हार्दिक स्वागत करता हूं और समर्थन करता हूं।

*श्री बाबू राम वर्मा (जिला बस्ती)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं स्वास्थ्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए उनसे निम्नलिखित अनुरोध करता हूं:—

मान्यवर, आज जो चिकित्सा पद्धति हमारे मुल्क में व्यापक ढंग से चल रही है वह अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति है। आज शासन की तरफ से अधिक से अधिक धन काट कर उसी चिकित्सा पद्धति पर व्यय किया जा रहा है। भूतपूर्व केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री राजनारायण जी ने आयुर्वेदिक चिकित्सा और यूनानी चिकित्सा की तरफ देश का ध्यान आकर्षित किया था और उस क्षेत्र में उनके माध्यम से जो प्रस्ताव किया गया था, वह भी सराहनीय रहा है। लेकिन उनके हटते ही उस दिशा में सरकार ने ध्यान देना प्रायः समाप्त कर दिया है। माननीय मंत्री जी से हम अनुरोध करेंगे कि हिन्दुस्तान की चिकित्सा पद्धति में आयुर्वेद का प्रमुख स्थान होना चाहिए, क्योंकि यह हमारे मुल्क की मूल चिकित्सा पद्धति है। आजकल गाँवों में ऐसे-ऐसे चिकित्सक पड़े हुए हैं जिनके बारे में कोई जानकारी शासन को नहीं है और न कोई शोध का कार्य ही हो रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि चिकित्सा पर शोध करने वाला भी दल बनायें, जो गाँवों में जाकर जो पेशेवर दवा करने वाले लोग हैं, उनसे जानकारी करें और उन जड़ी-बूटियों को, जिनको आज लोग पहचानते तक नहीं हैं, उनको एक आधुनिक ढंग से शोध के काम में प्रयोग करायें, तो एक सस्ती चिकित्सा की जानकारी व्यापक ढंग से हो सकती है। इस तरह से हमारे जो कटौती के प्रस्ताव करने वाले वैद्य जी है, उन्होंने इस संबंध में काफी सुझाव दिये है, खास कर डाक्टरों के संबंध में। वास्तव में डाक्टरों की कमी है, इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। 3—3, 4—4 सालों तक गाँव के अस्पतालों में डाक्टर नहीं रहते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि तमाम डाक्टर घूम रहे है, उन डाक्टरों की भर्ती करके, वहाँ पर भेजने की कृपा करें। वैसे तो उनकी नियुक्तियों में तमाम बाधायें हैं, उनकी रेगुलर नियुक्ति नहीं की सकती हैं, तो उनकी तदर्थ नियुक्ति आप कर सकते हैं।

हमारे जिले में जो अस्पताल हैं, उनमें हृदय रोग का कोई विशेषज्ञ नहीं है। इसी तरह से और जो भयंकर से भयंकर रोग हैं, उनकी दवा की कोई व्यवस्था नहीं है। बस्ती जनपद का जिला अस्पताल जो है, उसे एक नये ढंग से बनाने में काफी धन की व्यवस्था करें और कम से कम उसे 500 शैय्याओं का अस्पताल बनायें और हृदय रोग का विशेषज्ञ शीघ्र से शीघ्र बस्ती जनपद में जरूर भेजा जाय। वहाँ पर टी0 बी0 क्लीनिक एक है। वहाँ पर एक्सरे की मशीनें 3 साल से खराब पड़ी हुई है, उसकी कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। 80—80

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किलो मीटर से टी0 बी0 के मरीज वहाँ पर आते हैं, मशीन खराब होने के कारण वे बेचारे लौट जाते हैं। पूर्वांचल के प्राय: हर जिले के मरीज वहाँ आया करते हैं। इसके अतिरिक्त जो है, हम आपसे अनुरोध करेंगे कि हमारे जिले की जितनी तहसीलें हैं खासकर नौगढ़ तहसील करीब 100 किलो मीटर की दूरी पर है, वहाँ पर जो अस्पताल है, उसकी हालत बड़ी दयनीय है। इधर नई योजना के अन्तर्गत जो नये अस्पतालों का निर्माण हो रहा है, कम से कम एक 50 शैय्या का एक अलग अस्पताल खोला जाये। मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि सभी तहसील में कम से कम 30 शैय्याओं के अस्पताल खोले जायं ताकि बढ़ती जनसंख्या के लोगों की चिकित्सा की जाये। आखिर में स्वास्थ्य मंत्री द्वारा पेश किये हुए बजट का स्वागत करता हूं।

(श्री मन्नू लाल द्विवेदी का नाम पुकारे जाने पर) (शोर)

श्री अधिष्ठाता––

आप लोगों ने कहा इधर देखिये, उधर देखिये, इसलिए मैंने मन्नू लाल द्विवेदी को बुलाया है।

(शोर)

कृपया शान्तिपूर्वक बैठ जाइये।

श्री शतरुद्र प्रकाश––

माननीय सदस्य यहाँ है आपके पैरों पर नहीं हैं। आप सब जगह देखा करें।

श्री अधिष्ठाता––

आप ही एक जगह नहीं बैठो हैं। कभी दायें कभी बायें।

*श्री मन्नू लाल द्विवेदी (जिला रायबरेली)––

जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया गया है उसका समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। चिकित्सा के बारे में बड़ी उपेक्षा है ग्रामों में। अभी कहा गया कि बड़े अस्पताल खुल गये हैं ग्रामों में फिर भी 10–15 मीलों तक कोई अस्पताल नहीं है। धूता, सुदामापुर, थुलरई गाँवों की जनसंख्या 3 हजार से अधिक है। डलमऊ में प्राइमरी हेल्थ सेन्टर है। इसके अलावा वहाँ पर एक महिला अस्पताल चल रहा है कागज पर। मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इस ओर ध्यान दें जिसे एक कम्पाउन्डर चला रहा है उसे बरारा बुजुर्ग में कर दें जिससे क्षेत्र की जनता का कल्याण हो जायेगा। छोटे-छोटे पुरवों में एलोपथिक अस्पताल खोले जा रहे हैं। धूता, सुदामापुर, थुलरई में अस्पताल नहीं है। आजकल एक सिलसिला चला है नर्सों के साथ बलात्कार का। जब से जनता पार्टी आई है इस प्रकार के अत्याचार बढ़ रहे हैं क्योंकि ऐसे लोगों को जनता पार्टी ही बढ़ावा देती है। बस्ती में सामूहिक बलात्कार हुआ। इस तरह के और भी कई मामले आये हैं। इस बारे में शासन को सुझाव देना चाहता हूं कि जो मर्दों के अस्पताल हैं वहाँ नौजवानों को और महिला अस्पताल में नर्सों को रखा जाये। यह सुझाव बहुत जरूरी है और इससे तमाम नौजवानों को काम मिलेगा। मेडिकल कालेज की क्या हालत है, 4–5 दिन पहले मैं गया था, इतनी गन्दगी रद्दी से रद्दी जगहों में नहीं हो सकती है। इमरजेंसी वार्ड में, एक डी0 आई0 जी0 का एक्सीडेन्ट हो गया था, वहाँ बदबू आ रही थी। तो कम से कम मेडिकल कालेज में सफाई का इंतजाम तो जरूर होना चाहिए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री लक्खी सिंह (जिला मथुरा)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है यह आपके पास जो हममें से लोग पहुंच जाते हैं, क्या यह संसदीय प्रणाली है और यह काना-फूसी जो करते हैं क्या यह भ्रष्टाचार नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप बैठ जायें।

श्री लक्खी सिंह—

यह सब काना-फूसी बन्द कर दीजिये।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप बैठ जायें।

एक सदस्य—

मान्यवर, लक्खी सिंह जी ने जो व्यवस्था उठाई इस पर आप व्यवस्था दें।

श्री अधिष्ठाता—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। माननीय सदस्यों को पूरा अधिकार है कि जो पीठासीन व्यक्ति है, उससे वह संपर्क स्थापित कर सकें। यह पीठासीन व्यक्ति का कार्य है, कि किसको वह देखता है, किसको वह बुलवाता है। माननीय लक्खी सिंह के न कहने पर भी कई बार बोल चुके हैं। यह बात नहीं है कि जो काना-फूसी नहीं करते उनको न बुलवाया जाये। इसमें भ्रष्टाचार की कोई बात नहीं है। कृपया अपना समय न गंवायें।

श्री मन्नू लाल द्विवेदी—

मान्यवर, यह हमारी सरकार सुनती तो है, लेकिन बहुत देर में सुनती है। अभी होम्यो-पैथिक के लड़कों ने आन्दोलन किया, कितने लड़के जेलों में चले गये। तब कहीं उनकी वाजिब बातों पर सरकार ने गौर किया। नकली दवाओं की भर-मार हो गयी। पता नहीं कितनी नकली दवायें बन गयीं। उनसे मरीजों का किस तरह से फायदा हो रहा है, मैं नहीं समझ पाता। आप डाक्टर बढ़ाते हैं, दवाइयाँ कम हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में एक डाक्टर था, अब दो हो गये, तीसरा डाक्टर होने जा रहा है। डाक्टर आप देते हैं, मरीज को दवा नहीं मिल पाती, पर्ची मिलती है तो जब पर्ची ही मिलती है तो डाक्टर बढ़ाने से क्या फायदा। डाक्टर बढ़ाकर एक ही अस्पताल के बजाये दूसरे नये अस्पतालों में उन्हें भेजें तो अच्छा हो। गाड़ियाँ दी जाती है। जीप, मोटर, साइकिल, एम्बुलेन्स यह सब प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में रहते हैं। यह निजी कार्य में प्रयोग की जाती हैं सैर करते है, सिनेमा देखते है, बच्चों को स्कूल भेजा जाता है सरकारी गाड़ियों में। इसकी आप जाँच करवा लें। मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इन गाड़ियों से स्मगलिंग का सामान आता है नैपाल से। लखनऊ में जहाँ मंत्री जी रहते है, वहाँ तो चिराग तले अंधेरा है। प्राइ-वेट काम लिये जाते है गाड़ियों से।

आपने स्वास्थ्य रक्षक रखा है, जिन्हें कोई जानकारी नहीं, जो बिलकुल ही पढ़े लिखे नहीं होते। वह इन्जेक्शन लगाते हैं, अपनी तरफ से दवा आदि देते हैं। मैं तो कहना चाहूंगा कि यह जो स्वास्थ्य रक्षक रखे गये हैं यह चुनाव के प्रचार के लिये रखे गये हैं। यह लोग इनका चुनाव में प्रचार करेंगे, मान्यवर। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और मंत्री जी के द्वारा जो बजट पेश किया गया है उसका विरोध करता हूं।

*श्री विष्णु प्रताप सिंह (जिला गोंडा)—

अधिष्ठाता महोदय, जो बजट प्रस्तुत किया गया है माननीय मंत्री जी के द्वारा मैं इसका समर्थन करता हूं साथ ही कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं। गाँवों के अन्दर जो

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराई गयी हैं उनके लिये बधाई देता हूं। पिछले तीस सालों में कांग्रेस शासन काल में किस तरह से, हमारे जनपद गोंडा में एक टाउन एरिया खरगूपुर है जिसकी आबादी 10,000 है, में कोई चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं कराई गयी। एक जिला परिषद् की डिस्पेन्सरी है जिसमें 200–400 रुपये की ही दवायें मुश्किल से उपलब्ध हो पाती है। इस तरफ मैंने पिछले स्वास्थ्य मंत्री और जो वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री हैं उनसे मैंने कहा कि हमारे यहाँ जो जिला परिषद की डिस्पेंसरी है उसको प्रोविंशियलाइज कर लिया जाय और उसके लिये मैंने जिला स्वास्थ्य कमेटी से प्रस्ताव पास कराके मंत्री जी को भेज दिया। मंत्री जी ने आश्वासन दिया था लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुयी। मान्यवर, इतनी बड़ी आबादी की टाउन एरिया है और चिकित्सा सुविधा नहीं है यह आश्चर्य की बात है।

मान्यवर, एक चीज के बारे में और कहना चाहूंगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के बारे में कहा गया कि 905 हमारे सूबे में हैं। हमारे जिले में 10–15 हैं। हमारे विधान सभा क्षेत्र में सुभागपुर है वहाँ पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन नहीं है। एक पंचायत भवन में वह है जहाँ कर्मचारियों के बैठने की भी जगह नहीं है, न इंस्ट्रूमेंट्स रखने की जगह है। मैंने इसके लिये ग्राम सभा के प्रधान से बात करके जमीन के लिये वहाँ एक एकड़ जमीन ग्राम सभा की अधिगृहण करने के लिये प्रस्ताव कराया कि विभाग इस जमीन का अधिग्रहण कर ले और भवन बना ले। मंत्री जी को भी उसके लिये लिखकर दिया लेकिन क्या कार्यवाही हो रही है यह मैं कह नहीं सकता हूं। तो मेरे कहने का मतलब है कि ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये विशेष ध्यान देना होगा। नहीं तो केवल बजट में घोषणा करते रहने से कोई लाभ नहीं होगा।

मैं एक चीज की तरफ और ध्यान आकृष्ट करूंगा कि ग्रामीण अंचलों में दाइयों की कमी है। पुराने जमाने में बच्चे पैदा कराने के लिये बूढ़ी दाइयाँ जो इस काम की विशेषज्ञ हुआ करती थीं वह यह काम कराती थीं। लेकिन कुछ समय से इस कार्य को अब घृणित मानने लगने के कारण गाँवों में यह काम उन्होंने बन्द कर दिया है इसलिये गाँवों में प्रसव के लिये काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। मैं चाहूंगा कि इस कार्य के लिये ध्यान देकर कम से कम हर न्याय पंचायत स्तर पर एक मिड वाइफ और एक दाई उपलब्ध करायी जाय। मैं इन शब्दों के साथ इस बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री राम नरेश पाण्डेय (जिला देवरिया)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिये मौका दिया मैं बड़े गौर से जो भाषण चल रहा था उसको सुन रहा था। मैं वैद्य जी का आभारी हूं कि विशेषकर उन्होंने आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के बारे में जोर देकर उस पर कार्यवाही करने का सुझाव दिया। आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से प्रदेश का ही नहीं सारे देश की जनता का हित हो सकता है। आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक और जो देशी चिकित्सा पद्धति है उस पर हमारी सरकार ने अमल करना शुरू किया है। तो इस संबंध में सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाय। काशी विश्वविद्यालय से आयुर्वेदिक समाप्त किया गया एलोपैथी और इंस्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज ने आयुर्वेदिक को खा लिया। अगर इस तरफ सरकार सचमुच काम करना चाहती है तो आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की स्थापना की जाय। अगर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री राम नरेश पाण्डेय]

काशी जैसे स्थान पर की जाय तो बहुत ही अच्छा होगा। काशी विश्वविद्यालय के अन्तर्गत क्वींस कालेज में एक कमरे में आयुर्वेदिक विभाग चल रहा है। जिसको देखकर शर्म आती है। इस तरफ ध्यान देकर इसका विकास किया जाय।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि मलेरिया बहुत ज्यादा हमारी तरफ है। देवरिया, गोंडा, बहराइच, जो पूर्वांचल के इलाके हैं जो नैपाल से सटे ह वहाँ इनसेफेलाइटिस की बीमारी फिर फैल रही है। यह बीमारी फिर चल पड़ी है। चंपारन जो बिहार में है वहाँ यह शुरू हो गया है। हमारी तरफ भी दो चार मौते हो गयीं है, आजमगढ़ में 2–4 मौते हो गयी हैं। तो इस तरफ ध्यान देकर नेशनल मलेरिया इराडिकेशन प्रोग्राम की तरह काम किया जाय। अगर नहीं किया गया तो जन स्वास्थ्य के साथ धोखा होगा और बीमारी बढ़ेगी, इसलिये दिवायें छिड़कवाने का प्रबन्ध करिये। मान्यवर, जहाँ तक नशबंदी का प्रश्न है तो इसमें बहुत कमी हुई है। इस सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि जनता पार्टी के राज्य में हर प्लानिग सेन्टर पर 2 से 5 नसबन्दी केसों के अलावा ज्यादा नसबन्दी नहीं हुई है आप लोग सोचते हैं कि इन्दिरा गाँधी के समय में नसबन्दी पर ज्यादा जोर दिया गया, इस लिए उनको जनता के वोट नहीं मिले। इसलिए आप नसबन्दी पर जोर देने से डरते हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि बढ़ती हुई आबादी को रोकने के लिए जिस तरह नशाबन्दी पर जोर दिया है उसी तरह नसबन्दी पर आप जोर दें, और शासन ने जो ग्रामीण स्वास्थ्य रक्षक नियुक्त किए हैं उनको इस सम्बन्ध में ट्रेनिग दें जिससे उनका इस्तेमाल फेमिली प्लानिंग में किया जा सके।

मान्यवर, छोटी गण्डक में कप्तानगंज डिस्टलरी का पानी छोड़ा जाता है जिससे वहाँ के कुओं का पानी खराब हो जाता है। मछलियाँ उससे काफी मर जाती हैं, सड़ जाती हैं जिससे कुओं के पानी में उनकी बदबू आती रहती है। इसलिए वहाँ के कुओं में लाल दवा डालने के लिए उसकी व्यवस्था मन्त्री जी करवायें।

मान्यवर, मैं नकली दवाओं के सम्बन्ध मैं कहना चाहता हूं कि नकली दवा को रोकने के लिए कोई प्रभावी कदम आप उठायें। नकली दवाओं की बाढ़ सी आ गई है। बिहार से ऐसी नकली दवाएं आ रही हैं। इसलिए इसमें ध्यान देने की जरूरत हैं।

मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का स्वागत करता हूं ताकि प्रशासन स्वस्थ्य, कुशल, चुस्त और दुरुस्त हो।

*श्री शतरुद्र प्रकाश—

मान्यवर, मैं आज सोच रहा हूं कि स्वास्थ्य मन्त्री जी की कैसे हिम्मत पड़ गयी कि वह विधायकों से पैसा माँग रहे हैं जबकि वह कह रहे हैं कि विधायकों के ऊपर दवा में एक करोड़ रुपया खर्च होता है। मैं चुनौती उनको देता हूं कि वह साबित करें, यदि बहादुर हैं कि एक करोड़ रुपया विधायकों की दवा पर खर्च होता है।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इस समय स्वास्थ्य मन्त्री जी को सोचना चाहिए कि स्वास्थ्य का मतलब क्या है। केवल बीमार को दवा देने से स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। बल्कि इस देश में 95 प्रतिशत जो बीमार रहते हैं उनमें आधे से ज्यादा लोगों को आधा पेट खाना नहीं मिलता है इसलिए वह बीमार रहते हैं। क्या स्वास्थ्य विभाग इन तमाम बुनियादी चीजों पर गौर करेगा। लेकिन मन्त्री जी को फुरसत ही नहीं है कि वह स्वास्थ्य विभाग को देखें। जब से यह मन्त्री बने हैं मुझे तो पता नहीं लेकिन क्या यह बलरामपुर अस्पताल, सिविल अस्पताल या मेडिकल कालेज को देखने गये हैं। इनको मौका ही देखने का नहीं मिला होगा। तो जो स्वास्थ्य मन्त्री अपने घर के बगल के अस्पतालों, जोकि चार किलोमीटर पर हैं, का निरीक्षण नहीं कर सकते हैं वह पूरे सूबे को कैसे चलायेंगे।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बलरामपुर अस्पताल में एक एम्बुलेंस है और एक ड्राइवर है और वह केवल वी0आई0पीज0 को देखता है। इन अस्पतालों में छोटी-छोटी दवाएं तक नहीं हैं। और यहाँ तक कि सेवलान, एण्टीसेप्टिक दवा तक मरीजों को बाहर से अस्पतालों में खरीदना पड़ता है। मान्यवर, जानकारी मिली है कि मेडिकल कालेज का चेक डिस्आनर हो गया जिसके कारण वहाँ के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है। यदि एक महीने मन्त्री जी को वेतन न मिले तो हाय-तोबा मच जायेगी, लेकिन उनको नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं। इससे शर्म की और क्या बात हो सकती है। मान्यवर, नकली दवाएं प्रदेश में बहुत बेची जा रही हैं। बिक नहीं रहीं, बल्कि बेंची जा रही हैं। मान्यवर, 24 मार्च, 1979 को बलरामपुर हास्पिटल में करीब 6 मरीजों को नकली ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा था। उसकी विपरीत प्रक्रिया हो गयी। वरिष्ठ चिकित्साधिकारी ने लिख कर दिया, ड्रग अनालिस्ट ने अपनी रिपोर्ट दी, कलकत्ता से रिपोर्ट आई और स्वास्थ्य मन्त्री जी को जानकारी दी गयी, लेकिन स्वास्थ्य मन्त्री जी के कान में जूं तक नहीं रेंगी। इसी तरीके से गोरखपुर में कैपसूल बरामद हुए जिसमें हल्दी बरामद हुई है। नकली ग्लूकोज बरामद हुए हैं। मन्त्री जी को जानकारी देने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। मान्यवर, स्वास्थ्य मन्त्री का काम है कि वह लोगों के स्वास्थ्य को बढ़ायें। लेकिन आज हो यह रहा है कि लोग नकली दवाओं के कारण मर रहे हैं। ये, मान्यवर, स्वास्थ्य मन्त्री हैं या मानुष-खाओ मन्त्री हैं। नकली दवाओं से लोग मर रहे हैं और इनके कान में जूं तक नहीं रेंग रही है।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इस समय इस प्रदेश में अस्पतालों का प्रशासन पंगु हो गया है। 27 अप्रैल को श्रीमती स्वरूपरानी हास्पिटल में डाक्टरों और नर्सों में झगड़ा हो गया जिसके फलस्वरूप करीब 17 मरीज मर गए और इसके बारे में श्री रमा शंकर कौशिक, स्वास्थ्य मन्त्री से कहा गया, वहाँ के जनता पार्टी के हृदय नारायण शुक्ला ने कहा, लेकिन इनको विश्वास नहीं हुआ। मैं, मान्यवर, चुनौती के साथ कहना चाहता हूं कि 27 और 30 अप्रैल के बीच में नेहरू हास्पिटल, इलाहाबाद में जो मौतें हुईं, उसका कारण हमारे स्वास्थ्य मन्त्री की उपेक्षा है, इनका निकम्मापन है। इसी कारण ये मौतें हुई हैं। अभी वीरेन्द्र चतुर्वेदी बता रहे थे कि मेडिकल कालेज में हड़ताल चल रही है। उनकी माँ को देखने के लिए एक व्यक्ति वहाँ नहीं है। लेकिन स्वास्थ्य मन्त्री जी के कान में जूं नहीं रेंगती। कौशिक जी को इसकी परवाह नहीं है। जिसके पैर न फटी बेवाई, वे क्या जाने पीर पराई। मन्त्री बनने के बाद वे सब कुछ भूल गये हैं। वे भूल गये हैं कि वे एक साधारण कार्यकर्ता रहे हैं। अगर उनके परिवार के किसी व्यक्ति को नकली दवा दी जाती और उसके साथ उपेक्षा का व्यवहार किया जाता तो वे समझ सकते थे कि जिन्दगी कैसे बचाई जाती है और कैसे ली जाती है। अभी वे इस बात को नहीं महसूस करते।

मान्यवर, कुछ लोगों को सत्ता का घमंड हो गया है। मान्यवर, एक ऐसा यहाँ पर अस्पताल बनना चाहिए जिसमें अगर किसी को कुर्सी का घमण्ड हो जाय, तो उसको भर्ती किया जा सके और हमारे रमा शंकर कौशिक जी को उस अस्पताल में भेजा जाना चाहिए। वह किसी से कायदे से बात नहीं करते। साधारण आदमी से भी कायदे से बात नहीं करते। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि यह कुर्सी किसी की नहीं रही है। यह कुर्सी आपकी भी नहीं रहेगी। अभी चेतिए, अभी मौका है। अभी बहुत कुछ कर सकते हैं। घमण्ड में मत आयें। मान्यवर, मैं फिर कहना चाहता हूं कि एक ऐसा हास्पिटल खुलना चाहिए कि अगर किसी को कुर्सी का घमण्ड हो जाय, तो उसका उसमें

[श्री शतरुद्र प्रकाश]

इलाज होना चाहिए और हमारे रमा शंकर कौशिक जी को सबसे पहले उस हास्पिटल में भेजा जाना चाहिए। तो मैं, मान्यवर, कहना चाहता कि नकली दवाओं का जो दौर चल रहा है, उसको रोका जाय और हमारे मानुष-खाओ मन्त्री, स्वास्थ्य मन्त्री बनें, यही मैं चाहता ।

*श्री सुरेन्द्र पाल (जिला बाँदा)—

मान्यवर, स्वास्थ्य ही संसार में अमूल्य निधि है। लेकिन यह जानते हुए भी आज देश और प्रदेश में तमाम लोग ऐसे हैं जो बगैर दवा के बेमौत मरा करते हैं जिनको दवा खाने की कौन कहे, देखने को भी नहीं नसीब हो रही है। मान्यवर, देहात में देखा जाता है कि तमाम लोग बगैर दवाओं के मर जाते हैं और उसका कारण उपचार की कमी है। मैं इस ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आज 55 हजार की आबादी पर एक डाक्टर है जबकि सर्वेक्षण के अनुसार 3000 की आबादी पर एक डाक्टर होना चाहिए। तो सबसे पहले, डाक्टरों की संख्या बढ़ाई जाय और उनके पर्याप्त साधनों को इकट्ठा किया जाय। इस सम्बन्ध में मेडिकल कालेज के सम्बन्ध में कहना चाहूंगा कि हमारे प्रदेश में 9 मेडिकल कालेज चल रहे हैं। जबकि एक मेडिकल कालेज इस वक्त एक करोड़ की जनसंख्या पर है। जब आपका सर्वेक्षण हुआ था तो उसमें यह बात कही गयी कि 50 लाख की आबादी पर एक मेडिकल कालेज बनाया जाय। इस तरह से 18 मेडिकल कालेज होने चाहिए। अगर आप 9 मेडिकल कालेज एक साथ न बढ़ा सकें तो कम से कम एक मेडिकल कालेज खोल दें।

मान्यवर, अक्सर यह देखा जाता है कि प्राइमरी हेल्थ सेन्टर पर ऐसी दवाएं भेज दी जाती हैं जिनकी आवश्यकता नहीं होती और ऐसी दवाओं की कमी बनी रहती है जिनकी बहुत जरूरत होती है। जैसे डायबिटीज की दवायें हजारों लाखों रुपए की भेज दी जाती हैं जिनकी उतनी जरूरत नहीं होती और जिनकी उपयोगिता होती है उनका अभाव रहता है। मान्यवर, इसके साथ ही साथ मेरी अपनी जानकारी है कि ऐसी दवाएं वहाँ जाती हैं जिन की एक्सपायरी डेट पन्द्रह बीस दिन या महीना भर रह जाती है। जब ऐसी दवाएं जाती हैं तो डाक्टर के लिए यह प्रश्न पैदा हो जाता है कि या तो उनको डेस्ट्राय कर दें या फिर फर्जी कन्ज्यूम दिखलाएं। इस तरह से आप स्वयं ही भ्रष्टाचार उत्पन्न कर रहे हैं। यह आपकी जिम्मेदारी है। आपने आयुर्वेद के विकास के सम्बन्ध में बहुत घड़ियाली आँसू बहाए। इस तरह के कोरे आश्वासन से कुछ नहीं होने वाला है। आपने कालेजों का प्रान्तीयकरण किया, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, लेकिन इसके बाद भी आप उनकी दयनीय दशा देखें। वहाँ से ऐसे डाक्टरों को आप निकाल रहे हैं जो रोगी और मरीज पैदा करने वाले डाक्टर हैं। उनके लिए वहाँ पर्याप्त साधन नहीं है। न तो वहाँ एक्स-रे प्लान्ट हैं, और न ही सर्जीकल इंस्ट्रूमेन्ट्स हैं। अगर वहां ऐसे साधनों की पूर्ति नहीं हुई तो वहाँ से जो डाक्टर बनकर बाहर आयेंगे वे ऐसे होंगे कि जब सौ दो सौ रोगियों को मार डालेंगे तब उन्हें इलाज करने का अनुभव होगा। आयुर्वेद डाक्टरों के सम्बन्ध में एक बात और कहनी है कि इनको थर्ड मेडिकल अफसर की जगह नियुक्त किया था। जब आप मन्त्री हुए तो इसको भी आपने छीन लिया। जहाँ आप तीन मेडिकल आफिसर रख रहे हैं वहाँ एक आयुर्वेद का डाक्टर रखें। अगर वहाँ न रख सकें तो सेकन्डरी प्राइमरी हेल्थ सेन्टर खोलें। वहाँ पर रखें। इसके अतिरिक्त मैं यह कहना चाहता हूं कि क्षेत्रीय अधिकारी आयुर्वेद का होता है वह किसी भी मायने में एलोपैथिक क्षेत्रीय अधिकारी से न तो ज्ञान की दृष्टि से और न प्रशासनिक ज्ञान की दृष्टि से कम होता है लेकिन उसके वेतन में अन्तर है। वेतन कम मिलता है और भत्ता भी कम मिलता है। यह नहीं होना चाहिए। एक और मेरा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

निवेदन है कि जिस प्रकार सी0एम0ओ0 है उसी तरह से जिला स्तर पर आयुर्वेद अधिकारी की नियुक्ति की जानी चाहिए। इससे आपका काम भी आसान हो जायगा।

इसके अतिरिक्त मुझे यह कहना है कि आपने आयुर्वेदिक डाक्टरों का वेतन तो एलोपैथिक डाक्टरों के बराबर कर दिया लेकिन अभी कम्पाउन्डरों की समस्या उसी तरह बनी हुई हैं। आपको कम्पाउन्डरों की समस्या पर भी गौर करना पड़ेगा। दोनों के कार्यक्षेत्र बराबर हैं तो आप आयुर्वेदिक कम्पाउन्डरों को भी एलोपैथिक कम्पाउन्डरों के बराबर वेतन दें। बलरामपुर अस्पताल के सम्बन्ध में मुझे सबसे बड़ी बात यह कहनी है कि इसके पहले डाक्टर खरे वहाँ पर सीनियर सुपरिटेन्डेंट थे, उन्होंने तीन मशीनें खरीदी थीं सिपौलोग्राम, मायोग्राफिक मशीन और किडनी डायलिसिस मशीन––पिछले साल उनका ट्रान्सफर हो गया और अब यह 7–8 लाख रुपए की मशीने वहाँ बेकार पड़ी हुई हैं। मैं शासन से निवेदन करूंगा कि एक अच्छे न्यूरो सर्जन या न्यूरो फिजीशियन को बुलाकर इन मशीनों को चलवाएं।

बाँदा जिले में अतर्रा में एक आयुर्वेदिक कालेज हैं, वहाँ पर बहुत भ्रष्टाचार व्याप्त है। जाने कितने महीने हो गये बल्कि साल हो गये, अभी तक वहाँ कार्यवाहक अधिकारी काम कर रहे हैं। 15–20 हजार रुपए का शिलाजीत ले गए जिसका कोई उपयोग नहीं है। इसके अतिरिक्त जो भी वहाँ सामान गया है वह कागज में हो गया है। अगर आप सी0 आई0डी0 इंक्वायरी करा लें तो 50–60 हजार रुपए का गबन सामने आ जायगा। इसके अलावा वहाँ सभी लोकल डाक्टर हैं जिनकी दादागिरी वहां चलती है। इसलिए आप उनका ट्रान्सफर करें ताकि वहाँ का वातावरण सही हो सके।

(कई सदस्यों के एक साथ खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता––

माननीय सदस्यगण चिन्ता न करें। अभी बहुत समय है, आप लोगों को समय दिया जायेगा।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)––

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरी तो एक मजबूरी है कि जब विधान सभा में बोलने के लिए खड़ा हूंगा तो माननीय सदस्य कहेंगे कि मैं अधिष्ठाता हूं। मैं सबसे कहता हूं कि अधिष्ठाता होना कोई पाप नहीं है। मैं जब कभी यहाँ बोलता हूं तो एक सदस्य के मौलिक अधिकारी से बोलता हूं।

श्री अधिष्ठाता––

यह कोई प्रश्न नहीं है। आप अपनी बात पर आयें।

श्री राधेश्याम शर्मा––

मैं समझता हूं कि इस वक्त हिन्दुस्तान में 4–6 प्रणाली चिकित्सा पद्धति की हैं। एलोपैथी है जो सर्वविदित और सब जगह फैली हुई है, उसके बाद आयुर्वेद है, उसके बाद होम्योपैथी की किसी से कम नहीं पड़ती है और उसके बाद प्राकृतिक चिकित्सा भी, जैसा तिवारी जी ने कहा, का बहुत बड़ा स्थान है। मान्यवर, पहले मैं एलोपैथी का जिक्र करूंगा। मैं इसलिए बोलने खड़ा हुआ हूं कि मैं खुद बड़े भयंकर रोग में रहा हूं। मैं 4 वर्ष तक एक बार लगातार बीमार रहा और दूसरी बार फिर 4 वर्ष तक लगातार बीमार रहा। मैंने एलोपैथी का हिन्दुस्तान का कोई अस्पताल नहीं छोड़ा, नई दिल्ली के और जितने बड़े-बड़े अस्पताल थे, सबके विशेषज्ञों को मैंने देखा। एलोपैथी में रोग का कोई निदान मुझको

[श्री राधेश्याम शर्मा]

समझ में नहीं आता है। चीर-फाड़ तक तो ठीक है लेकिन रोग का निदान नहीं है। जिन-जिन अस्पतालों में मैं गया हूं, मर्ज कुछ था, दवा कुछ दे दी गयी। मैं जानता हूं कि ऐसी गरम और खराब कैपसूल, अनाप-शनाप, खिलाई गयी फिर उसका किसी भी पैथी से कोई इलाज करना मुश्किल है। जहाँ तक ऐलोपैथी का सवाल है इसे छोटी-मोटी चीर फाड़, आपरेशन तक सीमित रखा जाय या छोटा-मोटा इलाज हो उस तक इसे रखा जाय और उसे ठीक किया जाय। इसमें एक व्यापक सुधार की आवश्यकता है।

आयुर्वेदिक पद्धति के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं जैसा कि धर्म दत्त वैद्य जी ने अपने भाषण में कहा, वह एक अनुभवी वैद्य हैं, कि यह प्रणाली एक सर्वोत्तम प्रणाली है। कटौती का प्रस्ताव तो वैद्य जी ने सिर्फ शायद औपचारिकता के कारण रखा है। मैं तो यह समझता हूं कि इस बजट के लिए कोई भी मना नहीं करेगा क्योंकि यह स्वास्थ्य का बजट है, इसके लिए तो कितना ही रुपया माननीय मन्त्री जी माँगें उसका सदुपयोग होना चाहिए।

आयुर्वेदिक पद्धति से जटिल रोगों का इलाज होता है इसके लिए ज्यादा से ज्यादा इन्तजाम करना चाहिए।

मान्यवर, प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में जो हिन्दुस्तान के अन्दर इतनी बड़ी कमजोरी रही है उसे दूर करने के लिए आप सब जगह इसे फैलायें। ज्यादा से ज्यादा इसके केन्द्र खोलने चाहिए। गोरखपुर में आरोग्य मन्दिर है, ऐसे केन्द्र भारतवर्ष और उत्तर प्रदेश में खुलने चाहिए। प्राकृतिक चिकित्सा के आधार पर भी रोगियों के रोग का बड़ा सही निदान हो सकता है। अच्छाई या बुराई तो सभी प्रणालियों में होती है इसलिए मैं नहीं कहता कि यह प्रणाली अच्छी ही है लेकिन इतना अवश्य है कि इसके लिए व्यापक प्रबन्ध हो।

मान्यवर, देहाती अंचलों के बारे में आपसे कहना चाहता हूं कि आठ-आठ, दस-दस, तीस-तीस मील तक कोई अस्पताल नहीं है। मेरा सुझाव है कि सारे प्रदेश में दो–दो किलो-मीटर के दूरी पर एक–एक अस्पताल चाहे आयुर्वेदिक अस्पताल हो, चाहे एलोपैथिक हो खोले जायं जिससे कम से कम यह हो जाय कि हर जगह अस्पताल हैं।

इसके साथ ही साथ आपको मथुरा जनपद की बात बता दूं। मैंने सबेरे पार्टी मीटिंग में भी कहा था मथुरा की हालत चल कर देखिए। हमारा जिला बड़ा पिछड़ा जिला है और स्वास्थ्य की दृष्टि से भी पिछड़ा है। यदि मथुरा जिले में माननीय अधिष्ठाता जी और माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी कभी आयें तो अस्पतालों को देख कर ऐसा लगेगा कि कभी इन्दिरा जी के राज्य में या पुराने राजों के वक्त में घुड़सालों की हालत थी वैसी हालत है। वहाँ पर कोई भवन नहीं है। दवा-दारू का इन्तजाम सही तरीके से नहीं होता है। मान्यवर, हमारे जिले में बहुत ही पिछड़े गाँव हैं जैसे ऐंच, शाहपुर कराहरी, शेरगढ़, पारसौली हर-नौल, जिनकी आबादी पाँच हजार, आठ हजार की है इन सब गाँवों में चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे एलोपैथिक हो आप एक–एक अस्पताल खोल दें। इसकी बड़ी सख्त आवश्यकता है। सारे जनपद का मानचित्र रख कर आप हर जगह एक–एक अस्पताल खोल दें तो अच्छा होगा।

अभी मान्यवर, बलरामपुर अस्पताल की बात कही गयी। बलरामपुर अस्पताल जाने का मुझे कम मौका मिलता है। एक बार गया था जब हमारे प्रदेश के अध्यक्ष बीमार थे। माननीय मुख्य मन्त्री सारे मन्त्री लोग वहाँ थे। प्रदेश के अध्यक्ष बीमार थे उनको साधारण हैजा हुआ था। जब वह अस्पताल में लें जाए गए तो वहाँ पर अगर दूसरे मेडिकल कालेज के मिश्रा न आते तो 10–15 मिनट में अध्यक्ष जी खत्म हो गये होते। बलरामपुर में कोई सही इन्तजाम नहीं है उसे सुधारिए राजधानी का अस्पताल है। इसके साथ-साथ दारुलशफा की डिस्पेंसरी में भी सही तरह का इन्तजाम नहीं है। इसका ठीक

इन्तजाम करें। माननीय मन्त्री जी ने अपने भाषण में कहा था कि विधायक इतनी दवा खा जाते हैं। मैं विधायकों से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि अपने इस्तेमाल के लिए दवा लें औरों के लिए पर्चा न लिखें। मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि जो कोई बात आप को कहनी हो विधायकों की मीटिंग में कह दें। सार्वजनिक तौर से विधान सभा के सदस्यों के मामलों में ऐसी बातें न कहें।

मेरा अन्तिम सुझाव यह है कि स्वास्थ्य विभाग के सारे अधिकारियों की एक मीटिंग बुलाई जाय ताकि यह विभाग स्वच्छ तथा साफ किया जा सके। अगर स्वास्थ्य विभाग में गड़बड़ी होगी तो फिर जिन्दा रहना मुश्किल हो जायगा। मुझे उम्मीद है कि मन्त्री महोदय में यह क्षमता है और उसको इस्तेमाल करके प्रदेश के अस्पतालों को वह ठीक करने की व्यवस्था करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री गेन्दा लाल गुप्त (जिला एटा)––

माननीय स्वास्थ्य मन्त्री द्वारा जो बजट रखा गया है उसका मैं समर्थन करता हूं। मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं, उम्मीद है कि माननीय स्वास्थ्य मन्त्री उनको कार्य रूप में परिणत करेंगे। हमारे देश में आयुर्वेदिक तथा यूनानी पद्धति इतनी अच्छी तथा कम खर्चीली है कि इस पर अधिक से अधिक ध्यान दिया जाय तो जो लाखों लोग देहात में बसे हुए हैं उनका इलाज हो सकेगा और वे इससे लाभान्वित हो सकेंगे। लेकिन आयुर्वेद की जो फार्मेसीज हैं उनमें बड़ी गलत दवाएं मिलती हैं। सितोपलादि की शुद्ध चटनी तक उनके यहाँ नहीं मिलती। देहात तथा गरीब आदमी के लिए, इससे अच्छी बुखार उतारने की कोई दूसरी दवा नहीं है आज वह भी शुद्ध रूप में अवेलेबिल नहीं है। इसकी व्यवस्था की जाय।

आज हम देख रहे हैं कि देहातों में तथा शहरों में जो वैद्य रहते हैं वे एलोपैथिक इंजेक्शनों का ज्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं। इस पर मन्त्री महोदय को प्रतिबन्ध लगाना चाहिए। उनको केवल आयुर्वेद तथा यूनानी पद्धति की दवाइयों को ही इस्तेमाल करना चाहिए और एन्टीबायटिक्स का इस्तेमाल वह न करें। इसके कारण बहुत सी मृत्युएं हो चुकी हैं। देहात में जब हैजे का प्रकोप होता है तो जब वह अस्पताल में जाता है डाक्टर उसको बाजार से खरीदने के लिए ग्लूकोज सेलाइन वाटर लिख देता है। चार–पाँच बोतलें चढ़ाने से ही फायदा हो जाता है लेकिन वह अस्पताल में अवेलेबिल नहीं होतीं। हर प्राइमरी हेल्थ सेन्टर पर ये बोतलें अवेलेबिल होना चाहिए जो गरीबों को बिना पैसे दिए मिलना चाहिए ताकि देहात का आदमी हैजे के इलाज में ठीक हो सके और ठगा न जा सके इसकी व्यवस्था होनी चाहिए। मैंने यह देखा है कि डिप्थीरिया और टिटनेंस के मर्ज से जो देहात का आदमी ग्रस्त होता है तो उसका इन्जेक्शन वह नहीं खरीद पाता है। वह बहुत महंगे होते हैं। गरीब आदमी के बस का रोग नहीं है। अस्पताल में वह मिलते नहीं। जब तक वह बाजार में खरीदने जाता है वह मर जाता है और उसका इलाज नहीं हो पाता है। बहुत कीमती यह इलाज है। आप इसको सस्ता कराने की व्यवस्था करें। इसके लिए कोई सीरम उसी तरह बनवायें जैसे हैजे तथा चेचक के टीके की व्यवस्था की गयी है। इसके अलावा जब कोई घटना हो जाती है और आदमी मर जाता है देहात में तो जिला स्तर पर ही पोस्ट मार्टम केन्द्र होता है जहाँ उसकी लाश को ले जाना पड़ता है। दो तीन दिन बाद सड़ी हुई लाश को ले जाने में दिक्कत होती है। लिहाजा हर तहसील हेड क्वार्टर पर पोस्ट-मार्टम की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे लोगों को तकलीफ न हो। आज भी 50–50 कि0मी0 तक आदमी को ले जाना पड़ता है। इसलिए तहसील केन्द्रों में पोस्ट-मार्टम की व्यवस्था की जाय।

[श्री गेंदा लाल गुप्त]

मेरा एक और निवेदन है कि आपके जो पी0एच0सी0 है उनमें हर एक में एक्सरे प्लान्ट होने चाहिए। लोग जिला अस्पतालों तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसी प्रकार रेफरीजिरेटर जो आपने दिए हैं वह चालू हालत में नहीं हैं उनको ठीक कराने की व्यवस्था की जाय ताकि जो दवाइयाँ खराब होने वाली होती हैं वह उनमें रखी जा सकें।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें।

श्री गेन्दा लाल गुप्त—

एक बात मैं अपने क्षेत्र के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। मेरा क्षेत्र अलीगंज, एटा में है। वहाँ पर कम से कम दो नए अस्पताल खोलने की व्यवस्था होनी चाहिए और जो पी0एच0सी0 सेंटर हैं उनमें डाक्टर नहीं हैं इसलिए डाक्टरों की व्यवस्था होनी चाहिए। वहाँ पर जो पी0एच0सी0 की बिल्डिंग है उसकी हालत बहुत खराब है उसको नए सिरे से बनाना चाहिए। हमारे यहाँ 50 कि0मी0 के क्षेत्र में कोई महिला सर्जाना शल्य चिकित्सा का नहीं है उसकी भी इसी बजट में व्यवस्था होनी चाहिए।

*श्री श्याम सुन्दर गुप्त (जिला जालौन)—

माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी ने आबकारी और स्वास्थ्य का बजट एक साथ प्रस्तुत किया है। कुछ दिनों पहले माननीय मैनेजर सिंह जी ने उन्हें दवादारू मन्त्री की संज्ञा दी थी। मैं भी आबकारी और स्वास्थ्य के सम्बन्ध में दो मिनट में अपने विचार रखूंगा।

सबसे पहले आबकारी के सम्बन्ध में एक बात कहना चाहता हूं कि जहाँ तक नशाबन्दी की नीति का सम्बन्ध है इस सम्बन्ध में जनता पार्टी की स्पष्ट नीति है कि इसको सम्पूर्ण प्रदेश में लागू किया जाय, मैं उसका समर्थक हूं। लेकिन नशाबन्दी जिस रूप में लागू होनी चाहिए उसमें आप देखें कि कहीं ऐसा न हो कि आपको राजस्व की हानि होती रहे और नशाबन्दी का उद्देश्य भी पूरा न हो। यह बात किसी से छिपी नहीं है कि लखनऊ और कानपुर जैसे महानगरों में पूर्ण नशाबन्दी होने के बाद भी हर गली कूचे में शराब उपलब्ध है। रोज समाचार पत्रों में समाचार प्रकाशित होते हैं बसों से, ट्रकों से, कारों से और रेलवे तक से शराब की बोतलें खुलेआम लखनऊ और कानपुर में आती हैं और बिकती हैं। मैं समझता हूं कि इसमें केवल अपराधी तत्व ही जिम्मेदार नहीं हैं इसमें आबकारी विभाग के कर्मचारियों की साँठ-गाँठ अवश्य रहती है। उसके बगैर यह काम नहीं हो सकता है।

मान्यवर, झांसी और ललितपुर में नशाबंदी लागू हुई। लेकिन झांसी के जो ठेकेदार थे उन्होंने शासन को एप्रोच किया कि एक महीने तक यहाँ नशाबन्दी लागू न की जाय ताकि हम अपना पुराना स्टाक निकल सकें और इसी बीच वह हाईकोर्ट से स्टे ले आए। मैं नहीं कहता कि किसी को हाई कोर्ट जाने के अधिकार न हो लेकिन इसी में शराब के ठेकेदारों ने पैसा कमा लिया। तो वह किस दबाव से ऐसा कर पाए इस पर आप स्वयं विचार करें। मैं इस पर विस्तार में जाना नहीं चाहता हूं। मैं एक बात कहना चाहता हूं। आप किसी समय ज्यादा उत्साही हो जाते हैं, सभी यह चाहते हैं नशाबन्दी हो लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि आप होमियोपैथी की दवाओं पर भी रोक लगा दें। आपके आदेश से होमियोपैथी की दवाओं पर रोक लग गयी है। आबकारी अधिनियम की धारा 31 (4) (1) के अन्तर्गत होमियोपैथी दवाओं पर प्रतिबन्ध लग गया है परिणाम यह है कि होमियोपैथी के जो मैन्यूफैक्चरर्स हैं उनका कहना है कि

(इस समय 3 बजकर 19 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसके कारण हमारे यहाँ दवाओं का स्टाक कम हो गया है और जर्मनी और यू0एस0 ए0 से जो दवाएं आती हैं, उनके दाम 5–6 गुने बढ़ गये हैं। तो आप यह देखें कि गरीब लोग जो होम्योपैथिक चिकित्सा का लाभ उठा सकते हैं, वह आपकी नीति के कारण कहीं उस सुविधा से वंचित न हो जायं। अल्कोहल पर आप प्रतिबन्ध लगा रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप यह देखें कि उसका दवाओं के निर्माण पर किस कदर कुप्रभाव पड़ रहा है। फ्रेंच कालोब्रोशन से साहिबाबाद में दवा बनाने की एक कम्पनी खुली थी, उसने इस हेतु अल्कोहल का आपसे कोटा माँगा, लेकिन आपने उसे बहुत ही कम मात्रा का कोटा दिया। उसने आस-पास के हरियाणा व पंजाब प्रदेश में अपनी जो कम्पनियाँ खोली, वह पर्याप्त मात्रा में प्रदेशीय सरकार द्वारा अल्कोहल उपलब्ध कराए जाने के कारण भली प्रकार चल रही हैं। लेकिन हमारे यहाँ की साहिबाबाद वाली महीने में 10 दिन काम करती है, क्योंकि आप उनको पूरा अल्कोहल देते नहीं हैं। हमने इसके लिए माँग की, लोगों ने इसके लिए माँग की कि इस तरह से दवा बनाने पर रोक न लगाई जाय, लेकिन उसका कोई भी परिणाम नहीं निकला। क्योंकि विदेशी कालोब्रोशन से खुलने वाली कम्पनी आबकारी विभाग के उच्चाधिकारियों को रिश्वत नहीं दे सकती है। 45 हजार की उनकी माँग थी, लेकिन उनको केवल 15 हजार का कोटा दिया जाता है। इसके कारण वह कम्पनी बन्द होने जा रही है, जिससे आपको एक्साईज टैक्स और सेल्स टैक्स आदि का नुकसान होगा साथ ही दवाओं को भी क्षति पहुंचेगी। अतः आप इस पर पुनः गम्भीरतापूर्वक विचार कर उसे पूरा अल्कोहल देने पर विचार करें।

पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री ने यह घोषणा की थी कि अस्पताल के पर्चे पर 50 पैसे का जो शुल्क लिया जाता है उसे समाप्त किया जाता है, क्योंकि यह गरीब पर बोझ है। लेकिन अब यह बोझ डाक्टर पर पड़ता है। देखा जाता है कि मरीज लोग गफलत और लापरवाही के कारण एक बार बनवाया हुआ अपना पर्चा भूल आते हैं, जिससे बार–बार पर्चे बनाते रहने के कारण डाक्टर का बहुत समय बर्बाद हो जाता है। डाक्टर जब मरीज को देखता है, उसकी थारो चेकिंग करता है और तब पर्चा लिखता है और उसके बाद हर बार डाक्टर पर्चा देखकर पता लगा लेता है कि इसको हमने क्या निदान किया था और क्या दवा दी थी। पर्चे भूल जाने के कारण डाक्टर नये मरीजों को अधिक नहीं देख पाते हैं, उन्हीं को उन्हें नये सिरे से फिर देखना पड़ता है। तो मेरा निवेदन है कि यह शुल्क आवश्यक है और इसे पुनः लगाया जाना चाहिए। यह कोई बड़ा भार नहीं है। इसके लागू होने से डाक्टरों का बहुत सारा समय बचेगा और अस्पतालों की आमदनी बढ़ेगी।

(लाल बत्ती जलने पर)

अभी श्रीमन्, हमें और समय दें . . .

श्री उपाध्यक्ष––

6 मिनट आपके हो गये।

श्री श्याम सुन्दर गुप्त––

अभी आपके सामने यूनानी और आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति की बात की गयी। ये भारत की प्राचीन और उन्नतशील चिकित्सा पद्धतियाँ हैं और यहाँ के वैद्यों और हकीमों ने बड़े-बड़े असाध्य रोग ठीक किए हैं। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि धर्मदत्त जी ने एक वैद्य होते हुए भी इनके लिए धनराशि बढ़ाए जाने की माँग न करके इसके बजट में कटौती की माँग की है। मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वह यूनानी और आयुर्वेदिक में प्रशिक्षण और अनुसन्धान की और अच्छी व्यवस्था करें और इसे बढ़ाएं। वह इन पद्धतियों को और

[श्री श्याम सुन्दर गुप्त]

अधिक फलने-फूलने दें, अन्वेषण होने दें और इसके लिए बजट में धनराशि बढ़ाई जाय। आज अच्छे-अच्छे वैद्यों और हकीमों का अभाव सा हो गया है, जिसके कारण जो डाक्टर के पास नहीं जाना चाहते हैं, वे भी मजबूरी में जाते हैं।

अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि अस्पतालों की हालत बहुत खराब है, उसकी ओर भी कृपा करके ध्यान दें। हमारे जिले में जिला केन्द्र उरई है। जालौन एक तहसील केन्द्र है। वहाँ पर एक अस्पताल है। जब किसी मन्त्री से जालौन के जिला अस्पताल की बात करते हैं तो वह समझ लेता है कि जालौन अस्पताल को जिला अस्पताल समझ लेता है। लेकिन वह उपेक्षित पड़ा रहता है। जानवरों के बाँधने की जगह उससे ज्यादा साफ सुथरी होगी, जानवरों के लिए उससे अच्छा भवन होगा। तहसील केन्द्र का अस्पताल अपनी दशा को रो रहा है। उसकी इमारत से पानी टपकता है। न मरीजों के बैठने की जगह, न डाक्टरों के बैठने की जगह, न वार्ड बाय के बैठने की जगह। 25 हजार की आबादी का कस्बा, और उससे जुड़ी हुई 4 लाख की आबादी की तहसील, तहसील केन्द्र का अस्पताल अपनी दुर्दशा को रो रहा है। उसकी मरम्मत के लिए एक लाख रुपया मन्जूर किया गया था। पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री के पास दौड़ता-दौड़ता थक गया, डाइरेक्टर बदल गए, अस्पताल की मरम्मत का नक्शा बन कर पता नहीं कहाँ चला गया। मेरा आपसे निवेदन है कि जालौन कस्बे के अस्पताल की मरम्मत की विशेष व्यवस्था करें।

श्रीमती कुदसिया बेगम (जिला हरदोई)—

उपाध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य मन्त्री ने आज अपना बजट पेश किया। हम लोग आभारी हैं बहुत वाजैतौर पर उन्होंने अपनी स्कीमों का यहाँ जिक्र किया। इसमें शक नहीं है कि इन्सान के लिए स्वास्थ्य सबसे बड़ी चीज है। उसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी सरकार पर है। शिक्षा और दूसरी चीजें हैं, अगर लोग चाहें तो शिक्षा हासिल करें या न करें, और काम न करें लेकिन बीमारी एक ऐसी चीज है जिसको कोई रोक नहीं सकता। उसका इलाज करना जरूरी है। हमारे प्रदेश में इसकी जागृति भी बहुत हो गयी है। अब ज्यादा-तर लोग अस्पतालों में पहुंचते हैं। उनके लिए उतना इन्तजाम नहीं है जितना होना चाहिए। इसके कोई वजूहात हैं। हम दोष नहीं देंगे डाक्टरों और अस्पताल के लोगों को क्योंकि मरीजों की तादाद बहुत बढ़ती चली जा रही है। दवाएं इतनी मंहगी हैं कि गवर्नमेंट जो रुपया अस्पतालों को देती है उसमें उनकी पूर्ति होना मुश्किल होता है। इसलिए इस चीज का इन्तजाम करें कि दवाएं ज्यादा से ज्यादा तादाद में सस्ती से सस्ती मिलने का प्रबन्ध किया जाय। चूंकि वक्त बहुत कम है, मैं डाकगाड़ी की तरह चला करती हूं जब मौका मिलता है बोलने का।

मैं थोड़ा सा महिलाओं की बाबत कहना चाहता हूं। हमारे समाज की औरतें सबसे वनरेबिल अंग हैं। इसमें दो राय नहीं हो सकती। उनके लिए सबसे कम इन्तजाम हर मुहकमे में है, हर जिन्दगी के शोबे में है। औरतों के ऊपर सबसे ज्यादा बोझ पड़ता है, बच्चा पैदा करने का, उसकी परवरिश करने का, घर की देखभाल की और गाँवों की औरतें खेतों में काम करने जाती हैं। लेकिन उनके लिए क्या इन्तजाम किया गया है? मैं स्वास्थ्य मन्त्री जी से कहना चाहती हूं कि इसकी तरफ गौर करें। महिला मंगल में इस बात की कोशिश करनी चाहिए कि ट्रेन्ड औरतें होनी चाहिए जोकि स्वास्थ्य के मामले में औरतों को बता सकें और उनको ज्यादा से उसकी तरफ रुझान दें। प्रिवेन्शन इज-बेटर-दैन-क्योर, यानी अगर ऐसा तरीका अख्तियार करें जिनसे बीमारियाँ खत्म हों, तो वह ज्यादा बेहतर है बनस्पद इसके कि इलाज तक नौबत पहुंचे।

हमारे गाँवों में हमारी सरकार ने क्या किया है। आप गाँवों में जाकर देखिए, मक्खियाँ उसी तरह से, गन्दगी उसी तरह से, घर के रहन-सहन का तरीका उसी तरह से हैं जैसा पहले था। मैं पूछना चाहती हूं कि तीस साल की आजादी के बाद हमारे गाँवों की हालत क्यों

नहीं बेहतर हुई, वह इसलिए कि जितना भी पया खर्च हुआ है, हमारी सरकार ने किया है, वह सही तरीके से खर्च नहीं हुआ है और जिन लोगों को लाभ पहुंचना चाहिए था वह नहीं पहुंचा है। सरकार को चाहिए कि देहातों में दाइयों को ज्यादा से ज्यादा ट्रेनिंग दें, पार्ट टाइम डाक्टर्स को ज्यादा से ज्यादा तादाद में गाँव में भेजने की कोशिश करें और मोबाइल अस्पताल कायम करें। गाँव में डाक्टर्स कम से कम हफ्ते में दो बार जरूर जायं और वहाँ पर जाकर औरतों की सेहत की ओर ज्यादा ध्यान दें। आज कल सबसे ज्यादा मुकम्मिल चीज सिनेमा है। इसके द्वारा औरतों को सफाई का इन्तजाम और खाने-पीने की आदतों को बतलाया जा सकता है। उनको अपने बच्चों की सफाई के लिए, अपने घरों की सफाई के लिए इन्तजाम करना बहुत जरूरी है। जनाबेवाला, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से अर्ज करना चाहती हूं कि लोगों के लिए पीने के पानी की सबसे ज्यादा जरूरत है, उसकी सफाई होनी चाहिए पानी में सबसे ज्यादा गन्दगी गाँव में रहती है इसलिए हमें गाँव में अच्छे कुएं बनवाने चाहिए और हर छः महीने में उनकी सफाई की जाय। जनाबेवाला यह तो हर एक कहता है लेकिन मैं फिर दोहराना चाहती हूं कि देहातों में कोई डाक्टर जाता नहीं है उसका क्या कारण है औरतों के लिए जो डाक्टर हैं उनके लिए सिक्योरिटी का कोई इन्तजाम नहीं है।

माननीय मन्त्री जी बता रहे थे कि हम इतने और हास्पिटल खोल रहे हैं प्राइमरी हेल्थ सेन्टर खोल रहे हैं उनका कोई फायदा नहीं है जब तक आप डाक्टरों के रहने के लिए मकान वहाँ न बनवायें लेडी डाक्टर के रहने के लिए देहात में कहीं पर इन्तजाम नहीं है और ला एण्ड आर्डर की सिचुएशन बहुत खराब है जिसके कारण डाक्टर या सोशल वर्कर वहाँ पर जाने के लिए तैयार नहीं है अगर वह गाँव में रहें तो ज्यादा अच्छा है और वह अच्छा काम भी करेंगे। अगर कोई आदमी रात्रि में आता है तो लेडी डाक्टर हरगिज जाने के लिए तैयार नहीं होती है क्योंकि उसकी सेक्योरिटी बिलकुल नहीं है।

(लाल बत्ती जलने पर)

मैं तीन चार मिनट और लेना चाहती हूं। सबसे ज्यादा औरतों की ओर ख्याल किया जाय। स्वास्थ्य मन्त्री जी का फेमिली वेल्फेयर की ओर क्या ख्याल है, यह जरूर है कि इसमें पहले बदनामी हुई है लेकिन यह नेशनल जरूरत है जिसको आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते हैं उस तरफ आप अपनी आँख नहीं बन्द कर सकते हैं इसलिए ज्यादा से ज्यादा डाक्टरों को वहाँ पर मुहैया करें और वे वहाँ जाकर समझाएं। औरतें चाहती हैं, औरतें कमजोर हैं उनकी सेहत पर बुरा असर पहुंचता है वह चाहती हैं कि इसका इन्तजाम हो, मध्य प्रदेश में 125 रु0 इन्सेटिव दिया जाता है जबकि हमारे यहाँ 80 रु0 ही दिया जाता है आप इसको बढ़ावें। आयुर्वेदिक और यूनानी डाक्टरों का वेतनमान 450 से 850 तक है लेकिन जो पहले थे उनको 550 से 1200 रुपए तक दिया जाता है। यह गवर्नमेंट का सर्कुलर है मेरे पास लिखा हुआ है उनको वही तनख्वाहें मिलनी चाहिए जो पहले को मिलती है। तो यह जो गवर्नमेंट का सरक्यूलर है मैं उसका हवाला नहीं देती हूं। शासन को मालूम है। मेरी गुजारिश है कि उनको भी वही तनख्वाह मिलनी चाहिए जो पहले को मिलती है।

अब मैं 25 हजार वेलफेयर के जो कार्यकर्ता हैं उनके बारे में अर्ज करना चाहती हूं। वे अभी तक भी टेम्पोरेरी चल रहे हैं। मेरी सरकार से प्रार्थना है कि उनको मुस्तकिल किया जाय ताकि वे अपने काम में दिलचस्पी ले सकें और अपना काम अच्छी तरह से कर सकें।

हमारे क्षेत्र में सण्डीला (गौरी खालसा) भी एक है कई प्राइमरी हेल्थ सेन्टर्स हैं लेकिन डाक्टर्स नहीं हैं। मल्लावाँ ब्लाक हमारे पास है वहाँ पर भी कोई डाक्टर नहीं है।

[श्रीमती कुदसिया बेगम]

मेरी माननीय मन्त्री जी से प्रार्थना है कि वे इस तरफ ध्यान दें और वहाँ पर डाक्टरों को भेजें ताकि वहाँ के लोगों को अधिक से अधिक सहायता मिल सके।

कानपुर के बारे में निवेदन है जहाँ पर 18 लाख का गबन है उसकी तुरन्त देखभाल करें। माननीय मन्त्री जी से प्रार्थना है कि उसके बारे में बताने की कृपा करें कि क्या-क्या किया जा रहा है ?

*श्री विद्या शंकर (जिला प्रतापगढ़)—

मैं माननीय दवा दारू के जो कैबिनेट मन्त्री हैं, श्री रमा शंकर कौशिक, उनके द्वारा जो आज सदन में आबकारी और स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के सम्बन्ध में बजट रखा गया है उसका मैं समर्थन करता हूं लेकिन साथ-साथ मैं कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं।

बहुत से माननीय सदस्यों ने स्वास्थ्य के सम्बन्ध में, अस्पतालों के सम्बन्ध में, डाक्टरों के सम्बन्ध में बहुत से सुझाव दिए हैं। चूंकि समय कम है इसलिए मैं केवल कुछ अन्य बातें ही सदन में रखना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में प्रसार शिक्षक और मातृ शिशु कल्याण विभाग में लगभग 22 हजार कर्मचारी कार्यरत हैं। मैंने देखा है कि हिन्दुस्तान के अन्दर ही ऐसे कर्मचारी हैं जो 15–15 और 20–20 वर्ष से नौकरी में हैं, सेवा करते हैं, लेकिन न तो आज तक उनकी कोई सिनयोरिटी या जूनियोरिटी की सूची ही बन पाई हैं और न उनको स्थायी ही किया गया है। इस सम्बन्ध में पारसाल 17 दिसम्बर से लेकर 17 जनवरी तक 22 हजार कर्मचारियों ने यहाँ लखनऊ में एक प्रदर्शन किया था। एक महीने तक उनकी हड़ताल भी चली। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जब इस सदन में उनके स्थायीकरण के सम्बन्ध में प्रश्न आया तो तत्कालीन मन्त्री, श्री कल्याण सिंह, ने 18 जनवरी को कर्मचारियों के प्रतिनिधियों और सरकारी अधिकारियों के बीच एक बैठक करके एक समझौता कराया और फिर एक कमेटी भी गठित की गयी जिसमें 3 प्रतिनिधि कर्मचारियों की ओर से और 3 सरकार की ओर से थे। उनसे कहा गया था कि यह समिति कर्मचारियों की तमाम समस्याओं पर विचार करेगी और रिपोर्ट देगी लेकिन बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं कि जब उस दिन सदन में सवाल पूछा गया तो हमारे मौजूदा मन्त्री ने, पता नहीं फाइल को देखा, आदेश को देखा, पूरी बात की जानकारी किए बिना ही कह दिया कि मुझे इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है। इसलिए मैं मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे फाइल का अध्ययन करें और इन 22 हजार कर्मचारियों के साथ खिलवाड़ न करें। इनमें से बहुत से कर्मचारी तो ऐसे हैं कि बिना स्थायी हुए ही रिटायर हो गये। न इनको पेंशन मिल पाती है और न उनकी सेवा की कोई सुरक्षा ही रह पाती है। मौजूदा सामाजिक स्थिति में और परिवार कल्याण के क्षेत्र में ये बहुत ही आवश्यक अंग हैं। आज के जमाने में जबकि प्रदेश की जनसंख्या इतनी बढ़ती जा रही है, उस पर कन्ट्रोल रखने की बहुत आवश्यकता है लेकिन हमारे यहाँ पर लोगों की और माताओं की मनोवृत्ति ऐसी हैं कि बच्चे हों चाहे हम भीख माँग कर ही रहें। जहाँ इस तरह की सामाजिक मनोवृत्ति हो वहाँ किस तरह से कन्ट्रोल किया जा सकता है ? मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह काम जिन कर्मचारियों के ऊपर है, जिनको उसे करना है, जब तक उन कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित नहीं होगी तब तक वे समाज में यह काम नहीं कर पायेंगे।

हमारी सरकार की यह नीति है कि नसबन्दी के काम में जोर जबरदस्ती नहीं की जायेगी, फिर यही एक उपाय रह जाता है कि गाँव-गाँव में जाकर लोगों को शिक्षित किया जाय। यह कर्मचारी लोगों को शिक्षित तभी करेंगे जब उनके हितों की भी आप रक्षा करें। मैं माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वे अपनी हठवादिता को छोड़ दें। वे भी अपने को डाक्टर राम मनोहर लोहिया के भक्त कहते हैं। अतः उनको इन 22 हजार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कर्मचारियों के जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। यहाँ की सरकार कहती है कि इसका सम्बन्ध केन्द्रीय सरकार से है, किन्तु केन्द्रीय सरकार कहती है कि यह प्रान्तीय सरकार के कर्मचारी हैं, इसको इस सरकार को करना चाहिए। केन्द्र सरकार ने एक नहीं, 3–3 जी0ओ0 भी प्रान्तीय सरकार को भेजे हैं इस सम्बन्ध में, इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि आप इन कर्मचारियों के साथ न्याय करें, यह आपको धन्यवाद देंगे। जब केन्द्र सरकार ने 33 प्रतिशत स्थायी करने के लिए कह दिया है और जी0 ओ0 भी आ चुका है तो आप अपनी हठवादिता को छोड़ कर इन लोगों को स्थायी करें तथा सीनियारिटी व जूनियारिटी की लिस्ट बना दें तथा पेंशन आदि की सभी सुविधाएं प्रदान करें। यह कहकर मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री गिरधारी लाल (जिला बस्ती)––

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय स्वास्थ्य मन्त्री जी के अनुदानों पर बोलने के लिए समय दिया। मैं बस्ती जनपद से आता हूं और अपने क्षेत्र की कुछ समस्याओं को आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरा निर्वाचन क्षेत्र घाघरा के कटान पर है। वहाँ के इंसानों को अगर आप देखेंगे तो हैवान नजर आयेंगे। मेरे इलाके में हर साल बाढ़ आती है। बाढ़ के बाद वहाँ के रहने वालों को हाइड्रोसील और घेंघा जैसी बीमारी हो जाती हैं। उनका स्वास्थ्य बहुत खराब हो जाता है। उनको समय से दवा नहीं मिल पाती। एक आयुर्वेदिक अस्पताल है मगर वहाँ भी दवाएं नहीं है। वहाँ कर्मचारियों पर तो साल भर में 15 हजार खर्च किया जाता है, पर दवाओं पर साल भर में केवल 1,500 रुपए ही रखे गये है। तो मान्यवर, वहाँ के आदमी इस कदर पीड़ित रहते हैं कि उस बाढ़ के इलाके में अस्पताल तक जाना मुश्किल हो जाता है। मैं रामपुर इलाके में दौरे में गया, एक आदमी मलेरिया से बीमार था, उसका सही ढंग से उपचार नहीं हो पाया। मुझसे एक आदमी ने शिकायत किया कि जो आपकी सरकार ने प्राइवेट प्रैक्टिस करने के लिए डाक्टरों पर रोक लगा दी है उससे बड़ी परेशानी हम लोगों को पैदा हो गयी हैं। जब तक हम उस आदमी को अस्पताल ले जायेंगे, तब तक तो वह मरने के घाट उतर जायगा।

मैं अपने क्षेत्र की तरफ माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। वहाँ वानपुर इलाका हैं, जहाँ पर एक जिला परिषद् का मामूली अस्पताल हैं। पिछले साल मैंने आग्रह किया कि यह जो जिला परिषद् का अस्पताल है, इसको अपने हाथ में ले लें, जिससे उस अस्पताल में कुछ सुधार हो सके। लेकिन मान्यवर, उस पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया गया। तो मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि उस वानपुर जिला परिषद् के अस्पताल को अपने हाथ में ले लें, जिससे कि सुचारु रूप से वह अस्पताल चल सके। इस प्रकार की अनेकों कठिनाइयाँ हैं। अभी एक स्वास्थ्य समीक्षा का कुछ माननीय सदस्यों ने उल्लेख किया। मैंने भी उसे पढ़ा और देखा कि इसमें जो गाँव में शौचालय की व्यवस्था की जा रही है, यह राजधानी लखनऊ के 27 गाँवों में व्यवस्था की गयी है। इस शौचालय की व्यवस्था हर जिले के इंटीरियर गाँवों में करनी चाहिए। इस जनता पार्टी की सरकार से जनता ने बहुत ही उम्मीद लगा रखी है। इसीलिए उसने अपने मत प्रदान करके इस जनता पार्टी की सरकार को बनाया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जो और लक्ष्य इस सरकार ने निर्धारित किया है कि जहाँ पर 1000 की आबादी है, वहाँ पर एक स्वास्थ्य रक्षक नियुक्त किए जायेंगे। माननीय मन्त्री जी से मेरा अनुरोध है कि उसमें जितनी भी जल्दी की जाय उतना ही अच्छा है। वह बहुत ही सुन्दर योजना है। जो डाक्टर के ऊपर प्राइवेट प्रैक्टिस करने का प्रतिबन्ध लगा दिया गया है, जो मरीज उनके पास जाता है, जब तक वह फीस नहीं देता है, तब तक उसको स्वयं भी संतोष

[श्री गिरधारी लाल]

नहीं होता है। उनको जो प्राइवेट प्रैक्टिस करने का प्रतिबन्ध लगाया है और उसके बदले में एलाउन्स देते हैं, तो यह एलाउन्स का उनको देना सरकार के पैसे का एक प्रकार से अपव्यय है। उनको प्राइवेट प्रैक्टिस की अनुमति दें। जब तक मरीज उनको फीस नहीं देता है, तब तक उनको सही दवा भी नहीं मिलती है।

हमारे कलवारी के इलाके में गौरैया को भी बुखार आ जाता है, तो मेरे निर्वाचन क्षेत्र कलवारी के इलाके में एक एलोपैथिक अस्पताल खोलवाने की व्यवस्था करें। वहाँ पर इन्सान हैवान की जिन्दगी व्यतीत कर रहे हैं। वहाँ पर एक एलोपैथिक अस्पताल होना बहुत जरूरी है, ताकि वहाँ के लोगों की स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षा की व्यवस्था हो सके। हमारे बस्ती जिले में और भी बहुत से इलाके हैं जहाँ पर 12–14 मीलों तक चल कर डाक्टरों के पास तक लोग पहुंच पाते हैं। गनेशपुर का जहाँ पर इलाका है, बरसात में वहाँ पर टापू बन जाता है, वहाँ पर जाते-जाते रास्ते में ही आदमी मौत के घाट उतर जायगा। बड़ोखर एक इलाका है जहाँ पर बरसात में रास्ता नहीं रहता है कि वह राजमार्ग तक पहुंच सके। 8–8 मील की दूरी तय करके वहाँ तक पहुंचने का साधन है। मेरा आपसे निवेदन है कि बड़ोखर में एक अस्पताल खोलने की व्यवस्था करें। वहाँ के भूतपूर्व जमींदार दान स्वरूप जमीन देने को तैयार हैं वहाँ के नागरिक, वहाँ के एक जमींदार स्वेच्छा से जमीन देने के लिए तैयार हैं और जो भी सहयोग होगा, वह देंगे। अन्त में मैं मान्यवर, बजट का समर्थन करता हूं।

श्री राम देव दुबे (जिला प्रतापगढ़)––

मान्यवर, स्वास्थ्य का जीवन में सर्वोपरि महत्व है और अगर यह नहीं, तो कुछ भी नहीं। ठीक किसी ने कहा है "साउण्ड माइण्ड इन साउण्ड बाडी." स्वस्थ मस्तिष्क स्वस्थ शरीर में ही रहता है लेकिन आज स्वास्थ्य की स्थिति क्या है और तत्संबंधी चिकित्सा की क्या स्थिति है, इस पर एक सिंहावलोकन करना चाहता हूं।

लोगों ने कहा आयुर्वेद और यूनानी में काफी सुधार हो रहा है, उसका विकास हो रहा है लेकिन हो नहीं रहा है, सारे हिन्दुस्तान की चिकित्सा इस समय एलोपैथी पर चल रही है और आयुर्वेद को हम भुलाते जा रहे हैं इसका यह मतलब नहीं कि आयुर्वेद के जानकार कम हैं या उसमें क्षमता कम है या शक्ति नहीं है, बल्कि सरकार के माध्यम से सदैव-सदैव आयुर्वेद और यूनानी जैसी दवा विधियों की उपेक्षा होती रही है। माननीय मंत्री जी ने कहा कि आयुर्वेद का विकास करेंगे, मैं तथा पूरा उत्तर प्रदेश कृतज्ञ होगा यदि उनकी इन बातों का कार्यान्वयन हो जायेगा।

मैं प्रतापगढ़ से आया हूं, वहाँ अस्पतालों की क्या स्थिति है, कहना पसन्द नहीं करता, इतना भ्रष्टाचार है, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। डाक्टर दूसरे ब्रह्मा होते हैं। यदि वह भ्रष्टाचार करें तो अच्छा नहीं जंचता। भ्रष्टाचार जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है, सदर अस्पताल के अलावा, वहाँ तो है ही, उनमें भी 323 का 325, 323 का 307 बना देंगे। किसी को जरा भी चोट नहीं लगी लेकिन उसके प्रतिपक्षी को 307 का अभियुक्त घोषित कर देना, डाक्टरों की सामान्य क्रिया है। क्षेत्र में मेरे सामने ऐसे अनेक प्रश्न आते हैं, गरीबों के साथ इतनी ज्यादती होती है कही नहीं जा सकता है कि अगर किसी फौजदारी में उसने नहीं मारा, दूसरे बड़े लोगों ने उसे ही मारा है तो उल्टे उसके ऊपर ही 307 का अपराध आयत कर दिया जाता है। पैसा लेकर लोग करते हैं इसे। ए0एन0एम0 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में न्याय पंचायत वार दवा करने तथा जच्चा बच्चा के लिए रखा जाता है, मैं समझता हूं कि कोई काम नहीं है। अभी कहा न्याय पंचायत पर एक ए0एन0एम0 हो जाय शायद ऐसा है भी, वह करती क्या है, कुछ नहीं। पूरा भ्रष्टाचार है इस विभाग में तो इसे रोका कैसे जाय, मंत्री जी रोक सकते हैं, अगर रोक देते हैं तो उत्तर प्रदेश का बहुत संकट अपने आप कट जायेगा। श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि मंत्री जी रोकने की व्यवस्था करें। अस्पताल कम हैं,

लोगों ने कहा 10 हजार की जनसंख्या पर एक अपस्ताल हो जायेगा। माननीय मंत्री जी ने भी कहा लेकिन मैं कहता हूं कि एक लाख की जनसंख्या पर भी एक अस्पताल नहीं है। एक ब्लाक में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है और एक ब्लाक की जनसंख्या एक लाख से कम नहीं होती। मैं यह चाहूंगा कि अस्पतालों की संख्या बढ़ाई जाय। बीरापुर क्षेत्र में दीवानगंज एवं शेखपुर में अस्पताल खोले जाये। जो अस्पताल खुल गये हैं वह रो रहे हैं सरकार और शासन के नाम पर। 10 वर्ष हो गये वहाँ भवन नहीं है और न ही कोई व्यवस्था है, न दवायें हैं। न डाक्टर हैं मेरे जनपद प्रतापगढ़ में बीरापुर क्षेत्र के जगतपुर और जोगीपुर अस्पताल हैं जहाँ पर डाक्टर नहीं हैं और भवन नहीं हैं, दवाइयाँ नहीं हैं और अस्पताल खुले हैं। आज ही नहीं, 10 वर्षों से वहाँ डाक्टर नहीं हैं। इन अभावों को पूरा करने का प्रयास होना चाहिये।

जनसंख्या द्रुत गति से बढ़ रही है। अगर शासन यह चाहेगा या जनता पार्टी की सरकार यह चाहेगी कि हम परिवार नियोजन न करावें, नसबन्दी न करावें परिवार कल्याण न करावें तो इसका परिणाम बड़ा भयंकर होगा, इसकी जानकारी बाद में हमें होगी कि देश की क्या दशा है और वह कहाँ जा रहा है। (लाल बत्ती जलने पर) दो मिनट समय और दे दें। दो मिनट में समाप्त कर दूंगा। प्रतापगढ़ सदर अस्पताल में डाक्टरों एवं नर्सों का स्टाफ बहुत कम है। कोई आस्थि विशेषज्ञ डाक्टर नहीं है। लगभग 9डाक्टर तथा एक दर्जन नर्सों का अभाव है।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका समय पूरा हो गया।

श्री राम देव दुबे—

मात्र दो मिनट, मान्यवर।

श्री उपाध्यक्ष—

नहीं, अब नहीं।

श्री राम देव दुबे—

प्राविकृत आयुर्वेदिक कालजों में प्रधानाचार्यों की नियुक्ति नहीं हुई है। प्रधानाचार्यों की नियुक्ति क्यों नहीं हुई है, यह हमारी समझ में नहीं आता। इससे वहाँ का प्रशासन बिगड़ रहा है। नियुक्ति तुरन्त कराई जाय। बहुत सारी समस्यायें हैं, स्वास्थ्य के संबध में किन्तु उन सब पर प्रकाश डालने का समय मुझे नहीं मिल रहा है। आबकारी पर एक बात कह कर बैठ जाऊंगा। अगर नशाबन्दी हो तो एकसाथ पूरे प्रदेश में हो जाय। कहीं नशाबन्दी है कहीं नशाबन्दी नहीं है तो इससे भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। तो मेरा आग्रह है कि पूरे उत्तर प्रदेश भर में एक साथ आप नशाबन्दी करावें। इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल (जिला आगरा)—

मान्यवर, माननीय वैद्य जी ने आबकारी और चिकित्सा के बजट पर कटौती करते हुये उसकी धनराशि एक रुपये करने का जो प्रस्ताव किया है उसका मुझे आश्चर्य है। देखा जाय तो यह विभाग इस लायक भी नहीं है कि इसको एक रुपया भी दिया जा सके, खर्च करने के लिये। यह वैद्य जी ने बड़ी ही उदारता दिखाई है।

श्रीमन्, आबकारी और चिकित्सा दोनों ही विषय हैं तो मैं आबकारी से ही शुरू करता हूं क्योंकि यह मंत्री जी का प्रिय विभाग है। जब से नशाबन्दी हुई है इस प्रदेश में एक होड़ ही लग गयी है कि कहाँ अधिक भ्रष्टाचार हो। जितना भ्रष्टाचार व्याप्त है, इस विभाग में, मैं समझता था और इस प्रदेश के लोगों को भी यह मालूम था कि सहकारिता विभाग ही भ्रष्टाचार में सबसे आगे है, परन्तु इस विभाग

[डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल]

ने उसको भी पीछे छोड़ दिया। आज भ्रष्टाचार के मामले में यह सबसे आगे हैं। बरेली में सिन्थेटिक एण्ड केमिकल्स लिमिटेड एक कम्पनी है। श्रीमन्, बिकी कर के रूप में 5 करोड़ रुपया हर वर्ष शासन को प्राप्त होता है और 28 करोड़ रुपया बकाया है इस पर। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से शासन के पक्ष में निर्णय भी हो गया। मुझे जानकारी मिली है कि वह सब रुपया माफ करने की ही कार्यवाही हो रही है और हो चुकी है। इस बात की भी गरम चर्चा है कि इस पर एक लम्बी रकम के लेन देन की बात चल रही है।

आबकारी इन्सपेक्टर होते हैं। 50 आबकारी इन्सपेक्टर्स को एडहाक बेसिस पर नियुक्त कर दिया गया। विभागीय प्रोन्नति और लोक सेवा आयोग को ताक पर रखकर यह जो कार्य किया गया है, वह एक जाँच का विषय है। एक और दूसरी चीज कहना चाहता हूं। फतेहपुर में मंत्री जी ने 2 आबकारी इंसपेक्टरों की नियुक्ति कर दी, उनको इसका ज्ञान नहीं है कि एक आवकारी इन्सपेक्टर ही नियुक्त होना है, तो होड़ में दो कर दिये गये और दोनों पंहुच गये। यही नहीं रोजगार दफ्तर से सिपाहियों के लिये भर्ती के लिये नाम माँगे गये किन्तु आखिरी टाइम पर टेलीफोन से मना कर दिया और 11 पदों पर सिपाही वैसे ही रख लिये गये। अभी आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि कानपुर में एक करोड़ रुपये की जहरीली शराब जब्त की गयी। यह 26 मई के करेंट में निकला है। आज जहाँ पर नशान्बदी नहीं है वहाँ से लाखों रुपयों की शराब ट्रकों में भर कर उन स्थानों पर जा रही है जहाँ पर नशाबन्दी है। एक ट्रक पर लाखों रुपयों का फायदा होता है। उस ट्रक पर राइफल धारी बैठ कर जाते है ताकि रास्ते में कोई पूछताछ न हो सके।

श्रीमन्, बड़ी गरम चर्चा है एक ट्रांसपोर्ट से नयी-नयी मोहब्बत हो गयी है। मंत्री जी की बड़ी चर्चा है, समझ गये होंगे, ज्यादा विस्तार में मैं नहीं जाऊंगा। इसके साथ-साथ एक भ्रष्टाचार का नया नमूना और दूंगा विभाग का। दो यहाँ पर महान पुरुष जो ट्रांसफर्स के मामलों में और नियुक्ति के मामलों में बहुत माहिर है, वलिंगटन होटल में ठहरे है, उनका काम ट्रांसफर और प्रोमोशन इस विभाग में करवाना है। एक भूतपूर्व ठेकेदार है और एक असिस्टेंट इंजीनियर सिंचाई विभाग का है।

एक और उदाहरण मैं देना चाहता हूं। आगरा मेडिकल कालेज के अन्दर गायनेक्स विभाग जो होता है उसमें एम0 एस0 का रजिस्टेशन होता है, 6 सीटें है। जनवरी में रजिस्ट्रेशन हो गया। लेकिन आज करीब 4–5 महीने बाद एक दिल्ली के आई0 जी0 हैं उनकी पुत्रबधू का रजिस्ट्रेशन कर दिया गया जबकि एप्लीकेशन रिजेक्ट हो चुकी थी। इन्डियन मेडिकल काउन्सिल की संस्तुति के अनुसार 6 से ज्यादा जगहें नहीं हैं लेकिन नामाँकित पाँच महीने के बाद कर दिया, वह भी वैतनिक किया गया है। साढ़े चार सौ रुपया वजीफा दिया जा रहा है। अन्य छात्रों का वजीफा बन्द कर दिया गया है। वहाँ के विद्यार्थियों ने जो पत्र शासन को लिखा है, उसकी नकल मेरे पास है। उन्होंने धमकी दी है कि अगर उनकी नैतिक माँगों पर शासन ने विचार नहीं किया और भ्रष्टाचार दूर नहीं किया गया तो वह आन्दोलन के रास्ते पर जाने को मजबूर होंगे। मंत्री जी अपने भाषण में इसका जिक्र कर दें।

मान्यवर, एक बड़े ताज्जुब की बात यह है, अभी उन्होंने बताया कि 13 करोड़ रुपया दवाओं पर खर्च करते हैं। यहाँ पर एक सेंट्रल ड्रग परचेज कमेटी है जो दवायें क्रय करती है। इसके पहले सदन में माँग उठ चुकी है कि कितना ज्यादा घपला और भ्रष्टाचार इस कमेटी द्वारा होता है, पूर्ववर्ती मंत्री जी ने तसलीम किया और उन्होंने एक इन्क्वायरी कमेटी बनायी। लेकिन उस इन्क्वारी कमेटी की रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गयी है। श्रीमन्, ऐसी दवायें खरीदी जाती है जो सब स्टैन्डर्ड है। कानपुर, मेरठ, लुधियाना आदि से तमाम दवायें खरीदी जाती हैं। ऐसी दवायें खरीदी जाती हैं जो सबस्टैंडर्ड तो होती ही हैं इस्तेमाल में भी नहीं आती हैं। केवल इसलिये खरीदते हैं कि उनको उसमें कमीशन जो बंधा हुआ है, वह मिलता है।

श्रीमन्, कानपुर में एक हृदय संस्थान है जिसमें 80 लाख रुपया जे0 के0 और सरकार का लगा हुआ है। इस संस्थान का उद्घाटन 1976 में हुआ तो उस समय तीन ओपेन हार्ट सर्जरी के केसेज किये गये लेकिन ताज्जुब करेंगे कि उसके बाद आज तक कोई केस ओपेन हार्ट सर्जरी का वहाँ नहीं हुआ। इसी सदन में कई बार विधायकों ने वहाँ के संस्थान के जो डाइरेक्टर हैं उनके विरुद्ध जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं उनके संबंध में कहा, विदेशी मुद्रा के घोटाले की बात यहाँ कही, विजीलेन्स को इंक्वायरी उनके खिलाफ हुई लेकिन पता नहीं उस पर क्या कार्यवाही हुई। वह कारडियोलाजिस्ट हैं। विदेशों से त्यागपत्र देकर जो डाक्टर इस संस्थान में आये थे वह वहाँ से इस्तीफा देकर चले गये क्योंकि इनका व्यवहार ठीक नहीं है। इसलिये जब तक उनका वहाँ से ट्रांसफर नहीं होगा तब तक कानपुर का यह संस्थान काम नहीं कर सकता, आपको बंद करना पड़ेगा। इसलिये अनुरोध है कि मंत्री जी अपने उत्तर में विजीलेन्स की रिपोर्ट क्या थी, उस पर प्रकाश डालेंगे।

मान्यवर, ग्रामीण स्वास्थ्य योजना के बारे में बहुत कुछ कहा गया। मैं तो इतना ही कहूंगा कि सिर्फ लाइसेंस दे दिया गया है गरीब जनता की जान से खिलवाड़ करने का। यह स्कीम राजनीति से प्रेरित है। तीन महीने में आठवीं पास व्यक्ति आप चाहते हैं तो उनसे अच्छे इस प्रकार के हजारों लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं तजुर्बे के बल पर मिल जायेंगे तो उनको आप क्यों रिकगनाइज नहीं कर रहे हैं कि वहाँ डाक्टरी करें। तीन महीने ट्रेनिंग वालों से वह ज्यादा काबिल होंगे। उनको आप 50 रुपये महीने की दवा देकर एक हजार लोगों का इलाज करवाते हैं और वह भी एलोपैथिक में, आयुर्वेद में और होम्योपैथिक में। इसलिये इससे ज्यादा मजाक इस प्रदेश की जनता के प्रति और क्या हो सकता है।

मान्यवर, जो बजट की पुस्तिका मिली है उसमें बजट प्राविधान की बढ़ोत्तरी की गयी है, ऐसा मंत्री जी ने कहा है, सही नहीं है। परिवार नियोजन को लें, लेकिन यह सरकार परिवार नियोजन से डरती है, उससे शर्माती है। इसीलिये परिवार कल्याण के मामले में दो साल बाद आपकी नींद टूटी है। लेकिन दो साल में जो नहीं किया है उसको आपको पूरा करना होगा। आबादी पर रोक लगाये बिना, जिसको जनता पार्टी के विधायकों ने भी कहा है, इस प्रदेश का विकास नहीं हो सकता है और जो विदेशों से सहायता मिल रही है वह नहीं मिलेगी।

मान्यवर, परिवार नियोजन के आँकड़े देखकर ताज्जुब हुआ 1977–78 में महिला नसबन्दी का जो प्रस्तावित टारगेट था वह 4 लाख का था, लेकिन वह एक वर्ष में 10,393 ही हुआ। 1978–79 में कोई टारगेट नहीं रखा और अब दो साल बाद फिर कुम्भकरण की नींद खुली तो टारगेट रखा है और कहा है कि यह टारगेट स्वेच्छा से ही पूरा हो जायगा। मैं नहीं जानता कि वह कौन सा चिराग अलादीन आपके पास है जिससे रातों रात उस टारगेट को पूरा कर देंगे। आपने जो लूप निवेषण के आँकड़े दिये हैं वह फर्जी आँकड़े हैं क्योंकि आपने लूप लगा दिया और 15 दिन बाद महिला ने उसको निकलवा दिया। तो आपके रजिस्टर में भले ही नंबर बढ़ गया लेकिन उसका लाभ तो हुआ नहीं। इसलिये इस तरह के फर्जी आँकड़े देकर आप सस्ती वाहवाही भले ही लूट लें लेकिन उसका कोई परिणाम निकलने वाला नहीं है।

मान्यवर, आजकल पेय पदार्थों की बिक्री बहुत हो रही है क्योंकि गर्मी का मौसम है। आज ही के अखबार में पढ़ा। कानपुर में कैम्पा कोला में काक्रोच निकला। कारण यह है कि घर घर में बोतलें भरी जा रही हैं और अनहाइजेनिक कंडीशंस में यह काम हो रहा है। कोई स्टैन्डर्डराइजेशन नहीं है। लेकिन आपका विभाग आँखें मूंदे बैठा है और इस तरह से आप जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप जनता के

[डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल]

साथ इस प्रकार से खिलवाड़ न करें जिससे कि आप टैक्स लेते हैं। यह एक गम्भीर समस्या है और इस पर आप ध्यान दें।

एक बात कहना चाहूंगा आगरा मेडिकल कालेज के सम्बन्ध में। वहाँ पर ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट्स, ई0सी0जी0 के इंस्ट्रूमेन्ट्स बेकार पड़े हुए हैं उनको ठीक कराने के लिये जो प्रणाली आपने बना रखी है, वह बहुत जटिल है। वह यहाँ डायरेक्टोरेट को लिखें और फिर आप उनको लिखें। इनमें रिमाइन्डर्स आ चुके लेकिन वह मशीनें ठीक नहीं हुई। आप इस प्रणाली को बदलें। स्थानीय अधिकारियों को ही अधिकार दे दें कि माइनर वर्क वहीं करा लिया करें। मान्यवर, आप ताज्जुब करेंगे कि अस्पतालों में दवाइयों की बात तो छोड़ दें, मरीजों का खाना भी बंद कर दिया है। गाँव से किसान कोई सीरियस केस लेकर आता है तो कहा जाता है खाना घर से लाना पड़ेगा। वह किस तरह इंतजाम करे। खाना जो मिलता है वह भी इतना रद्दी कि जेल का खाना उससे कहीं ज्यादा अच्छा होता है। जली हुई रोटी, पतली दाल मिलती है। दूध में पानी मिला रहता है। दवाइयों की हालत यह है कि एमरजेन्सी में भी चीजें उपलब्ध नहीं है। अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाय और वह एमरजेन्सी में ड्रेसिंग कराने के लिये जाय तो वहाँ बैन्डेज तक नहीं है। इतना ही नहीं टाँका लगाने वाली सुई तक नहीं है। कम से कम एमरजेन्सी विभाग के अन्दर तो ऐसी व्यवस्था हो कि लोगों को तुरन्त सुविधा उपलब्ध हो सके। इन शब्दों के साथ मैं वैद्य जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री हरिपाल सिंह शास्त्री (जिला बिजनौर)---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन और वैद्य जी द्वारा कटौती के प्रस्ताव का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। कटौती के प्रस्ताव का विरोध करने का एक कारण है कि माननीय वैद्य जी के यहाँ धनवन्तरी के रूप में बहुत सी औषधियों का निर्माण होता है और उनकी काफी बिक्री होती है।

आचार्य धर्मदत्त वैद्य---

यह बिल्कुल गलत है। कोई निर्माण नहीं होता, एक दवा का भी निर्माण नहीं होता।

श्री हरिपाल सिंह शास्त्री---

मैंने स्वयं देखा है निर्माण होते हुए। खैर, मैं कटौती के प्रस्ताव का घोर विरोध करता हूं। आज प्रदेश के अन्दर स्थिति यह है कि अगर स्वास्थ्य की चिन्ता न की जाय तो मनुष्यों का जीवन इस प्रकार का हो जायेगा कि वह किसी काम का नहीं रह जायगा। इसलिये स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो बजट रखा है इसको और बढ़ाया जाना चाहिए। हमें मनुष्य के जीवन से खिलवाड़ नहीं बल्कि उसकी सुरक्षा की बात सोचनी चाहिये।

मान्यवर, मुझे पिछले दिनों रूस जाने का मौका मिला। मैंने देखा है कि रूस के अन्दर प्रत्येक 30 आदमियों के ऊपर एक डाक्टर की नियुक्ति की जाती है जबकि हमारे प्रदेश में एक लाख के ऊपर भी डाक्टरों की स्थिति नहीं है। मैं कहना चाहूंगा कि स्वास्थ्य की दृष्टि से सम्पूर्ण न्याय पंचायतों के स्तर पर स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना होनी चाहिए और एक ऐसे हास्पिटल का निर्माण होना चाहिए जो मनुष्य के जीवन को स्वास्थ्य प्रदान कर सके। इसके साथ-साथ एक बात यह भी कहना चाहूंगा कि स्वास्थ्य रक्षकों की जो नियुक्ति की गई है, इस पद्धति को समाप्त कर न्याय पंचायत के स्तर पर इस प्रकार का हास्पिटल खोला जाए जिससे सम्पूर्ण मनुष्यों को उसमें योगदान करने का अवसर मिले और स्वास्थ्य के प्रति अपना निरीक्षण करने का अवसर मिले। यदि इस प्रकार के हास्पिटलों की स्थापना की गई तो सारे प्रदेश में एक स्वास्थ्य का वातावरण पैदा हो जाएगा और

जो इस समय अपव्यय हो रहा है वह भी समाप्त हो जाएगा। आजकल यह देखा जाता है कि स्वास्थ्य निरीक्षकों के माध्यम से जिन औषधियों का निर्माण निरीक्षण किया जाता है, उसको भी हमें प्रतिबंधित करना होगा। मान लीजिये कोई व्यक्ति किसी चीज या औषधि का उत्पादन करता है, उसका जब चालान होता है तो फुटकर विक्रेताओं का तो चालान हो जाता है लेकिन उसका उत्पादन करने वाले बच जाते हैं। मैं चाहूंगा कि उत्पादकों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए जिससे इस प्रदेश के लोगों का जीवन स्वस्थ रह सके।

आज सारे प्रदेश के अन्दर जिस प्रकार का वातावरण है, उसमें एक चीज और भी आवश्यक है कि आयुर्वेद की शिक्षा को आगे बढ़ाया जाए। आयुर्वेद की जितनी उन्नति होनी चाहिए थी वह नहीं हुई है। हरिद्वार और ऋषिकेश के अन्दर औषधियों का निर्माण होता था, वह आज उतना नहीं हो रहा है जितना होना चाहिए। रानीखेत में एक औषधि कम्पनी का निर्माण किया गया है लेकिन उसको और आगे बढ़ाया जाना चाहिए। इस देश की जलवायु इस प्रकार की है जिसमें आयुर्वेदिक औषधियों के माध्यम से मनुष्य के जीवन को अधिक सुरक्षित रखा जा सकता है और आयुर्वेदिक चिकित्सा अपेक्षाकृत सस्ती भी है। आयुर्वेदिक औषधियों के उत्पादन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। एक बात और कहना चाहूंगा कि सम्पूर्ण प्रदेश की अगर विवेचना की जाए तो मालूम पड़ेगा कि हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अन्दर मेडिकल कालेजों का एकदम अभाव सा मालूम पड़ता है। इसलिये मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि मुरादाबाद या बिजनौर में एक मेडिकल कालेज की स्थापना की जाए जिससे वहाँ के लोग अपनी स्वास्थ्य रक्षा कर सकें।

हमारी तहसील में एक धामपुर नगर है, वहाँ के लोगों ने निश्चय किया है कि हम 3 लाख रुपया देने को तैयार हैं, वहाँ एक हास्पिटल का निर्माण कराया जाए जिसमें 100 बेड हों। मैं उस राशि को 7 लाख रुपये कराने के लिये तैयार हूं। मैं चाहूंगा कि हमारे धामपुर नगर में एक हास्पिटल का तुरन्त निर्माण कराया जाए जिसका नाम बाबू गोविन्द सहाय के नाम पर हो। इसके साथ ही मैं आपके बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री वंश गोपाल चौबे (जिला फर्रुखाबाद)––

उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है उसका समर्थन करते हुये कुछ बातें कहना चाहता हूं।

मुझे पहली बार मौका मिला है इस सदन में बोलने का। मैं यह देख रहा हूं कि उत्तर प्रदेश की यहाँ पर रुह इकट्ठी हुई है, उत्तर प्रदेश की एक टीम यहाँ पर बैठी हुई है और मैं देखता हूं कि मंत्री जी पर बातें उछाली जा रही हैं कि भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया है। मेरी समझ में यह नहीं आ रहा है कि यह क्या है। आज भ्रष्टाचार हर खून में, हर शरीर में व्याप्त हो गया है। क्या कभी इस बात की ओर ध्यान दिया कि भ्रष्टाचार क्यों है। बुनियाद इस की क्या है। आज 30–32 वर्ष हो गये मुल्क को आजाद हुये। बड़े-बड़े भाखड़ा बाँध बनाये, बड़ी-बड़ी बिल्डिगें बनायीं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि किसी सरकार ने मनुष्यों की इन्सानियत का भी ऐसा स्कूल खोला जिसमें इन्सानियत की शिक्षा दी जाती, मनुष्य को मनुष्य बनाया जाता। आज मनुष्य का चरित्र बिल्कुल गिर चुका है। जिस देश का चरित्र गिर जाता है उस देश का ठिकाना नहीं रहता।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री वंश गोपाल चौबे—]

मैं आपका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि एक ओर तो आप कहते हैं कि समाज कल्याण, दूसरी तरफ सिनेमा खोलते हैं, शराब का दौर चलता है, अंडे खाये जाते हैं। इससे क्या होता है। आप को सोचना पड़ेगा। भारतीय परम्परा को मानना पड़ेगा। यहाँ पर पूज्य बापू जी के शिष्य बैठे हैं, लोहिया जी के शिष्य भी बैठे हैं, हमारे कम्युनिस्ट भाई भी बैठे हैं, हर दल के सदस्य बैठे हैं, कभी किसी ने सोचा कि बापू जी ने क्या कहा था। क्या उनका आचरण था, क्या वह कहते थे। लोहिया जी क्या कहते थे। आज हम भ्रष्टाचार की बात उछाल रहे हैं, चरित्र आपका गिर चुका है, आपकी शिक्षा गिर गयी है। देश की शिक्षा जब तक ठीक नहीं होगी तब तक कोई सुधार नहीं हो सकता। आज जो शिक्षा मंत्री महोदय हमारे मिले हैं उन्होंने आज जो शिक्षा के बारे में विचार प्रकट किये हैं मैं उनको बधाई देता हूं। भगवान ने उनको सुबुद्धि दी है, हमारे प्रान्त को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।

इसी प्रकार से मैं अपने स्वास्थ्य मंत्री से भी कहना चाहूंगा कि जो कुछ उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा है यदि उस पर गौर करें और सफल होते हैं तो मैं बड़ा आभारी रहूंगा, उत्तर प्रदेश आभारी रहेगा। बापू जी ने कहा था खान-पान। आज देश पश्चिमी सभ्यता में जुटा है। आप उम्मीद करते हैं कि सिनेमा देख कर, वेशभूषा, फैशन बदल कर, आबादी कैसे नहीं बढ़ेगी। अभी एक महोदय ने कहा कि नसबंदी करायी जाय। मैं कहता हूं सफाया हो जायगा। एक भी यहाँ नहीं रह जायगा। नसबंदी का नाम वापस लो। इसका उपचार है, साधन है, हर भारतीय संस्कृति के अन्दर इसका साधन है। आप प्रयोग कीजिए, उपचार कीजिए और आपका दुःख दूर हो जायगा। यह खाली उपचार आप का हो रहा है। अस्पतालों से कुछ नहीं होगा। हमारे मंत्रियों के ग्यारह-ग्यारह बच्चे हैं, दस-दस बच्चे हैं.....

एक सदस्य—

मुख्य मंत्री जी के कितने हैं, पूछिये।

श्री वंश गोपाल चौबे—

मंत्रियों का कोई नाम नहीं लेना चाहता हूं। आप शराब पीयें, अंडा खायें, सिनेमा देख कर घर पहुंचे तो आप क्या करेंगे। इसका फैसला करें। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप इस पर विचार करें। हमारा सदन इस पर विचार करे।

आज देश की हालत क्या है। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैंने खून बहाया है देश की आजादी के लिए। 1919 से लेकर आज तक जेलों में कई बार जीवन व्यतीत किया है। यहाँ डींग मारते हैं, उपदेश देते हैं। भ्रष्टाचार की बात करते हैं। हम कैसे हैं, अपने दिल पर हाथ रख कर सोचिये। हम क्या हैं? हम भ्रष्टाचारी हैं? जब हम अपने को सही कर लेंगे तो भ्रष्टाचार दूर होगा, तब दूसरे को अपने ऊपर अंगुली उठाने के हकदार हम नहीं होंगे।

इन शब्दों के साथ मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

श्री नरेन्द्र सिंह (जिला मेरठ)—

मान्यवर, स्वास्थ्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुदानों का समर्थन करते हुए कुछ सुझाव मैं दूंगा। मेरे क्षेत्र में स्वास्थ्य सम्बन्धी स्थिति बड़ी शोचनीय है। यह क्षेत्र दिल्ली से सहारनपुर तक 150 किलोमीटर लम्बा तथा 70 किलोमीटर चौड़ा है और उसमें कोई बड़ा अस्पताल नहीं है जिसमें किसी गंभीर रोग अथवा दुर्घटनाग्रस्त रोगी का इलाज हो सके। कई कस्बे हैं बड़ौत, शामली तथा बागपत। स्वास्थ्य मंत्री जी को मैंने एक पत्र दिया था कि बड़ौत प्राइमरी हेल्थ सेन्टर का उच्चीकरण कर दें। यह पुस्तिका जो दी गयी है 'स्वास्थ्य समीक्षा', इसमें पृष्ठ 13 पर उन अस्पतालों का जिक्र है जिनका उच्चीकरण किया गया है

मुरादाबाद जिले में चार अस्पताल ऐसे हैं जिनका उच्चीकरण किया गया है। बाकी सारे प्रदेश में 17 जनपदों में उच्चीकरण हुआ है। अपने क्षेत्र की गंभीरता को देखते हुए जो दुर्घटनाएं मेकेनाइज्ड फार्मिंग के कारण होती है या औरतों की डिलीवरी के समय जो दुर्घटनायें हो जाती है उन तमाम रोगियों को दिल्ली या मेरठ ले जाना पड़ता है। अगर इन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में किसी का मेरे क्षेत्र में उच्चीकरण कर दिया जाता तो समस्या का निराकरण कुछ हद तक हो जाता।

मेरठ में जो मेडिकल कालेज है उससे मिला हुआ सरकारी अस्पताल है। अगर मंत्री जी कभी वहाँ का निरीक्षण करें तो वे किसी बाथरूम अथवा यूरिनल में घुस नहीं सकते। अत्यन्त ही दुर्गन्धयुक्त वे होते हैं। उनको देख कर ऐसा लगता है कि यह अस्पताल नहीं है कोई बड़ा शौचालय है। इसके अलावा जहाँ तक दवा का सम्बन्ध है छोटी मोटी टेब-लेट्स के अलावा कोई दवा वहाँ उपलब्ध नहीं होती। सारी दवाइयाँ रोगियों को खरीदनी पड़ती है। माननीय मंत्री जी ने यह तो बड़ा अच्छा किया कि सरकारी डाक्टरों की प्राइवेट प्रैक्टिस बन्द कर दी लेकिन वहाँ के डाक्टर स्टे ले आये। गरीब लोग जो मेडिकल कालेज में एडमिट होते हैं उनको प्राइवेट क्लिनिक्स में मेडिकल कालेज के डाक्टरों से इलाज कराना पड़ता है और डेढ़-दो हजार रुपये देकर आपरेशन कराने पड़ते हैं। गरीब आदमी इन डाक्टरों की सेवाओं से अधिकतर वंचित रहते हैं। कम से कम मंत्री जी एक बात कर सकते हैं। वह प्राइवेट प्रैक्टिस तो नहीं रोक सकते लेकिन जिन डाक्टरों की ल्युकरेटिव प्रैक्टिस है उनका स्थानान्तरण कर दें अथवा कोई अन्य तरीका निकालें जिससे उनकी सेवाओं का आम लोग फायदा उठा सकें। सामूहिक शौचालय गाँवों में बनाये जाने का जिक्र माननीय मंत्री जी ने इस पुस्तिका में किया है। लेकिन यह देख कर निराशा होती है कि पूरे प्रान्त में कुल एक जनपद लखनऊ में किसी एक ब्लाक में सामूहिक शौचालय बनाने का कार्य प्रारम्भ किया गया है। मैं यह कहूंगा कि यह बहुत गंभीर समस्या है। गाँव के स्वास्थ्य के लिये यह बहुत महत्वपूर्ण है। अगर माननीय मंत्री जी कम से कम 10 गाँव एक ब्लाक के ले लें और इस योजना को अपने मंत्रित्व काल में शुरू कर दें तो गाँवों के लिए वह बहुत सफल स्वास्थ्य मंत्री होंगे। इस ओर समुचित ध्यान दें क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण समस्या है।

अंत में मैं एक सुझाव देना चाहता हूं वह यह है कि आपके अस्पताल रविवार को बन्द रहते हैं जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनकी शिकायत यह है कि जिस दिन उनकी छुट्टी होती है उसी दिन अस्पताल भी बंद रहते हैं। इसलिये बजाय रविवार के इस पर विचार करें कि किसी और दिन छुट्टी रखें तो जो लाखों की संख्या में गवर्नमेंट सर्वेन्ट्स हैं उन को भी लाभ हो सकता है। इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री श्यामधर मिश्र—

मान्यवर, मैं अपने सीमित 15 मिनट के समय में अपनी बात समाप्त करूंगा.....

श्री उपाध्यक्ष—

आपने अपने आप बना लिया, आपके केवल 7 मिनट है।

*श्री श्यामधर मिश्र--

मैं पार्टी की ओर से बोल रहा हूं और मैं अपनी सीमाओं को जानता हूं। मेरे सामने यह सवाल नहीं है कि मैं माननीय मंत्री जी को बधाई दूं या उनकी कोई बुराई करूं। प्रश्न यह है कि इस विभाग के कार्यों की विवेचना की जाय और भविष्य में क्या हो इस संबंध में हमारे सुझाव उनको मिलने चाहिये।

मान्यवर, दो वर्ष पहले महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में वचन दिया गया था कि स प्रदेश में एक मेडिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना तत्काल हो जायेगी। उसके लिए केवल 50 लाख रुपये रखे गये हैं। मैं समझता हूं कि इसके लिए मैं उनको बधाई नहीं दे सकता हूं क्योंकि इस प्रकार तीन वर्षों में मेडिकल इंस्टीट्यूट खड़ा नहीं हो सकता है कि आज 50 लाख रख दिये अगले साल फिर 50 लाख रख दिये इस प्रकार दो करोड़ रुपये करने से यह काम नहीं बनेगा क्योंकि तब तक कीमतें बढ़ती चली जायेंगी। मैं नहीं जानता कि वर्तमान मंत्री जी अपने कार्यकाल में इसे पूरा कर पायेंगे। मैं चाहता हूं कि आप उसकी नींव भी डाल दें और आप ही उसका उद्घाटन भी कर दें।

उन्होंने चिकित्सालयों के संबंध में बहुत सी बातें कहीं क्योंकि उनके पास समय काफी था। आपने जिला स्तर के अस्पतालों, तहसील स्तर के अस्पतालों और प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स की बात कही और फिर उससे नीचे के स्तर के अस्पतालों की बात कही। मैं, उन्होंने जो जिला स्तर की बात कही, उसकी ताईद करता हूं। लेकिन तहसील स्तर के अस्पतालों को आप देखें उसमें पूरी साजसज्जा नहीं दे पाये हैं और अब योजना बना रहे हैं कि चार को क्लब करके एक को सुसज्जित करने की। आपके प्राइमरी हैल्थ सेंटर्स में तीन-तीन डाक्टर हैं वह तीनों ही आपस में लड़ते रहते हैं और एक दूसरे को दवाई बेचते रहते हैं जिसने यह नहीं किया उसकी बुराई करते हैं। अब आप 28 हजार से घटाकर 10 और 5 हजार की बात कर रहे हैं मैं कहता हूं कि आप संख्यात्मक आधार पर मत जाइये बल्कि गुणात्मक आधार पर जाइये। आज आपका जो उद्देश्य है उसको आप कहां तक पूरा कर पायेंगे। पैथालोजी, एक्स-रे आदि की सुविधा आज तहसीलों में बहुत सी जगहों में नहीं है। मैं आपको अगले साल बधाई दूंगा अगर तहसीलों में यह कर देंगे तो।

एक बात मैं तबादलों के संबंध में कहना चाहता हूं और नीति की बात उठाना चाहता हूं। इस प्रदेश में गत दो सालों में नहीं बल्कि तीन-चार और पाँच वर्षों से मंत्रिगण, यदि किसी एक बात में दिलचस्पी रखते हैं तो वह तबादला है और हमारे मंत्री, भूतपूर्व मंत्री और उसके भूतपूर्व के मंत्री केवल इसी काम में दिलचस्पी रखते थे और उसमें कोई किसी प्रकार का नियम नहीं है। कल्याण सिंह का साल भर तक तबादला करते करते खुद का तबादला हो गया और उसको श्रीमान जी दुरुस्त कर रहे हैं, पता नहीं उनका अब कब तबादला होगा। तो यह कोई नीतिगत काम करेंगे या तबादले में ही लगे रहेंगे? मंत्री को भी इस काम के लिए ऊपर से पूछना पड़ता है। यह गौण काम में ही लगे हैं, मुख्य काम में नहीं। तो इसके लिए कोई फर्म नीति निर्धारित की जानी चाहिए और उसका पालन भी करना और कराया जाना चाहिये। तबादले में पड़े रहने के कारण गलत सही भ्रष्टाचार के आरोप आप पर आएंगे। 8 मेडिकल कालेज प्रदेश में हैं। कौन रोकता है आपको कि आप इन्हें और न बढ़ाएं, क्या उसके लिए हम आपको रुपया नहीं देंगे? तो क्या कमी है कि आप कालेज नहीं खोलते हैं? लेकिन यह भी नहीं कि आप मुरादाबाद में खोल दें। यहाँ तो यह रोग है कि जो मंत्री आया उसने अपने ही जिले को देखा। यह पिछले साल भी मंत्री थे, इनका असर इतना व्यापक था कि जो चाहा वह करा लिया। उसका नतीजा यह है कि चार अस्पताल ठाकुरद्वारा, अमरोहा आदि में दिये गये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एक प्रश्न यह आया कि दवाएं अनावश्यक बिक रही हैं। एम0 एल0 एज0 आदि के संबंध में बात आई, उसके संबंध में मंत्री जी का वक्तव्य भी आया। जो हिसाब यहाँ बताया गया, उसके मायने तो यह है कि हम दो हजार रुपये महीने की दवाएं दे रहे हैं। तो इस संबंध में मेरा सुझाव यह है कि जितने अधिकारी हैं, उन्हें अपने वेतन का 10 प्रतिशत तक और एम0 एल0 एज0 व एम0 एल0 सीज0 के लिए 2 सौ या 3 सौ की सीमा निर्धारित कर दें कि वह इतने रुपये तक की धनराशि रियम्बर्स करा सकते हैं। मैं समझता हूं कि इस तरह से किया जाए तो विधायकों के ऊपर ज्यादा से ज्यादा कुल 15 लाख रुपया वार्षिक खर्च में काम चल जाएगा। यह मेरा सुझाव है और उसके अलावा भी माननीयमंत्री जी अपनी कोई व्यवस्था सोच सकते हैं, लेकिन वह इस प्रकार की कोई व्यवस्था अवश्य लागू करने की कृपा करें।

लखनऊ में सिविल अस्पताल है और उसका कुछ हिस्सा कैपिटल सिनेमा के पास में भी है। हम बलरामपुर अस्पताल में भी जाते हैं। मुख्य मंत्री के बाद, उप मुख्य मंत्रियों को छोड़ दीजिए, इन्हीं मंत्री का नम्बर है, तो इनका बहुत व्यापक असर है, तो यह क्यों नहीं सूचना विभाग से सिविल अस्पताल के बगल वाली उनकी बिल्डिंग ले लेते हैं। उनको कैपिटल के पड़ोस वाली सिविल अस्पताल वाली बिल्डिंग दे दें। (लाल बत्ती होने पर) अन्तिम बात की आज्ञा दे दें और लाल बत्ती बुझा दें।

एक सदस्य—

समय बढ़ा दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

वह तो चल रहा है, जब तक चले।

श्री श्यामधर मिश्र—

उन्होंने मेरे लिए कहा है कि समय बढ़ा दिया जाय। एक व्यवस्था यह है कि हर जिले में सी0एम0ओ0 और तीन डिप्टी सी0एम0 ओ0 हैं। वही पुराना मर्ज कन्टीन्यु करवा रहे हैं। सबसे बड़ा मर्ज यह है कि यह समझ नहीं सकते कि मर्ज क्या है। तीन डिप्टी सी0एम0ओ0 की क्या जरूरत है? एक जरा स्टडी करवाएं, अपने अधिकारियों से, या हमारी कमेटी बना दें माननीय सदस्यों की। आयुर्वेद के डाइरेक्टर यहाँ बैठे हैं या नहीं। जब यह जाते हैं तो गाड़ी माँगते हैं। तीन डिप्टी सी0एम0ओ0 हैं, 20 गाड़ियाँ हैं। आयुर्वेद के डाइरेक्टर जब प्रार्थना करते हैं तो उनको देते हैं। आयुर्वेद का व्यक्ति कभी सी0एम0ओ0 हो सकता है? नहीं हो सकता। जो डिस्पेंसरीज है, हमारे जिले में कम से कम 25 डिस्पेंसरीज हैं। 18 हजार रुपया साल में तनख्वाह देते हैं लेकिन केवल 15 सौ पये की दवाई दी जा रही है। एक इंटीग्रेटेड सिस्टम बना कर सबको मिला कर एक आर्गेनाइजेशन बनाइये। इन शब्दों के साथ माननीय मंत्री जी इन बातों पर विचार करेंगे।

*श्री गिरीश चन्द्र तिवारी (जिला फर्रुखाबाद)—

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी के बजट का समर्थन करते हुए निवेदन करूंगा कि यदि शासन ने कोई सबसे बड़ा सराहनीय कार्य किया है तो शराबबन्दी का किया है। महात्मा गाँधी के अरमान पूरे करने का तो उन्होंने कदम उठाया है उसकी हम प्रशंसा करते हैं लेकिन साथ-साथ मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि शराबबन्दी आपने कर दी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गिरीश चन्द्र तिवारी]

लेकिन गाँव-गाँव में शराब की भट्ठियाँ चल रही हैं, जो अवैध रूप से शराब तैयार होकर वहाँ पर चलने लगी है, उसको रोकने के लिए कोई प्रभावी कदम उठाने के लिए शासन असमर्थ है। शराब कानूनी ढंग से बन्द हो जाने से सुधार नहीं हो सकेगा। गाँवों में भट्ठियाँ चल रही हैं। कुछ गाँव ऐसे हैं, एक गाँव है टपुआ नगला, जहाँ शराब बनती है, क्षेत्र का क्षेत्र निरन्तर शराब में मुब्तला है। इसकी शिकायत हर स्तर पर की गयी। लेकिन आज तक कभी कोई रोक नहीं लग सकी। ऐसा लगता है कि सारा विभाग साझीदार है। हर गाँव में दो चार ऐसे गाँव मिल जायेंगे। शराबबन्दी का सराहनीय काम हुआ है, महात्मा गाँधी की समाधि पर जो प्रतिज्ञा की थी, उनके अरमानों को पूरा करने के लिए सरकार का यह प्रशंसनीय कार्य है। लेकिन यह जरूर आश्वासन चाहता हूं कि कोई ऐसी प्रभावी व्यवस्था हो जानी चाहिए कि जो शराब गाँव में बनती है बन्द हो। हम जानते हैं कि उस क्षेत्र के दरोगा, एक्साइज इन्सपेक्टर सब जानते हैं। यह पाबन्दी क्यों नहीं लगती? जिस गाँव में शराब बनती है उस क्षेत्र के एक्साइज इन्सपेक्टर और दरोगा को जिम्मेदार ठहराया जाय कि उनकी देख-रेख में शराब कैसे बनती है।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर आप चिकित्सा विभाग का भ्रष्टाचार समाप्त कर दें तो जनता का बड़ा भारी उपकार हो जाये। डाक्टरों का व्यवहार इतना खराब होता है कि वे डाक्टरों की हैसियत से बात ही नहीं करते हैं। वह इस प्रकार से बात करते हैं जैसे कोई दुकानदार हो। हमारे शास्त्री जी ने अभी बताया, फतेहगढ़ के सम्बन्ध में 7 लाख की दवायें खरीदी गयीं बताई गई, वह गलत कम्पनियों से खरीदी गई और ऐसी खरीदी गई जिनका उपयोग जनता के लिए हो नहीं सकता है। माननीय मंत्री जी कोई ऐसी व्यवस्था करें कि दवायें ठीक खरीदी जायें और ठीक कम्पनियों से खरीदी जायें। वहाँ पर जो कमेटी बनी है वह प्रभावी नहीं है।

एक बात मैं यह कहना चाहता हूं कि डाक्टर जो सार्टीफिकेट देते हैं वह मनमाने ढंग से देते हैं, जितना चाहते ह उतना रुपया लेते हैं, यह बीमारी बहुत ज्यादा फैल गयी है। मैंने ऐसे 2 प्रमाण पत्र देखे हैं जिनको देखकर मुझे विश्वास नहीं होता है कि डाक्टर ऐसा प्रमाण-पत्र भी दे सकता है। आप इस प्रकार के भ्रष्टाचार को रोकने के लिये प्रभावी कदम उठावें।

हमारे जिले में पिछले साल दो प्रकार के संक्रामक रोग फैले एक मलेरिया तथा ूसरा हैजा। उनकी व्यवस्था गत वर्ष बहुत धीमी रही और इस वर्ष यह रोग हमारे क्षेत्र में व्यापक रूप से फैले। प्राइवेट डाक्टरों ने इसमें काफी मदद की लेकिन जो सरकारी अस्पताल थे उनसे कहने के बावजूद भी कोई सहायता नहीं की गयी। इन संक्रामक रोगों के लिए माननीय मंत्री जी कोई व्यवस्था करें। होम्योपैथिक चिकित्सालय के बारे में एक बात सुन लें।

श्री मुकीमुर्रहमान (जिला मुरादाबाद)—

मैं सुबह से कोरम बनाये हुए हूं लेकिन मेरे ऊपर आपकी नजर नहीं पड़ती है।

श्री उपाध्यक्ष—

2-1 बार और खड़े होइये।

*श्री बाबू राम शुक्ल (जिला कानपुर)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे स्वास्थ्य और आबकारी से संबंधित बजट मांगों का समर्थन करने के लिए मौका दिया।

मान्यवर, मैं ऐसे नगर से चुन कर आ रहा हूं जो शायद संसार में टी0 बी0 का सबसे बड़ा सेन्टर है और वह ऐसा नगर है जहाँ नकली दवायें, मैं समझता हूं कि भारतवर्ष में सबसे ज्यादा बनती हैं। कानपुर में मान्यवर, तीन प्रकार के अस्पताल हैं, कुछ सरकारी हैं कुछ नगर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

महापालिका द्वारा संचालित हैं और कुछ कर्मचारी राज्य बीमा अस्पताल हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि बीमा चिकित्सालयों में बहुत भ्रष्टाचार है, उसकी ओर उनका मैं ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। इन बीमा अस्पतालों में जितना भ्रष्टाचार है उतना शायद ही किसी दूसरे अस्पताल में हो। जितनी दवायें यहाँ पर आती हैं उनका 90 प्रतिशत दवायें बाजार में बिक जाती है और जो दवायें मरीजों को मिलती हैं वे एक्सपायरी डेट के बाद में और नकली भी मिलती है। वहाँ के डाक्टर लोग झूठे प्रमाण-पत्र दे देते हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं और वे शायद जानते भी होंगे कि हमारे यहाँ पर आजाद नगर में एक टी0 बी0 का बीमा अस्पताल है। हालांकि मजदूरों को टी0 बी0 नहीं होती है लेकिन उनको सर्टिफिकेट दे देते हैं। उसमें एक मजदूर को 365 दिन की सवेतन छुट्टी मिल सकती है। इसमें दुहरा फायदा है। मजदूर को बिना काम किए पूरे साल का वेतन मिल गया और डाक्टर लोग उसके नाम पर दी जाने वाली दवा को बेच देते हैं। इसी तरह से मजदूरों को पागलपन का सर्टिफिकेट देने पर उनको 120 दिन की छुट्टी मिल जाती है। मजदूर को पागल करार दे दिया जाता है और उसके नाम पर मिलने वाली दवा को बेच देते है। इसी प्रकार के इन अस्पतालों में व्याप्त भ्रष्टाचार के अनेक उदाहरण दिये जा सकते है। हमारे यहाँ पर एक रेल बाजार में बीमा चिकित्सालय है उसमें 4000 लोग बीमांकित है, उसमें 4 डाक्टर हैं और शास्त्री नगर में भी एक बीमा अस्पताल है, उसमें 22 हजार लोग बीमांकित है, उसमें भी 4 डाक्टर हैं। किस प्रकार की असमानता है, जहाँ पर 4000 लोग बीमांकित वहाँ भी 4 डाक्टर और जहाँ पर 22000 वहाँ पर भी 4 डाक्टर। इस असमानता को दूर किया जाय और मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस विषय पर विशेष ध्यान दें।

इसके अलावा जो हमारे सरकारी अस्पताल हैं उनकी दशा का तो वर्णन बहुत से माननीय सदस्य कर चुके हैं। उनकी दुर्दशा के वर्णन में अपना समय नहीं खराब करूंगा। उनमें दवाइयाँ नहीं है, ब्लाक्स में पंखे नहीं मिलते है, मरीजों को भर्ती करने में डाक्टर्स पैसा लेते हैं, इस प्रकार की हर जगह दुर्दशा है।

अब मैं एक बात की ओर ध्यान दिलाऊंगा खास तौर से जो हमारे मेडिकल कालेजेज के डाक्टर्स है, उनकी प्राइवेट प्रैक्टिस सरकार ने बन्द कर दी, कुछ लोगों ने हाई कोर्ट से स्टे ले लिया है और प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। उनकी प्रैक्टिस को बंद कर देने से मरीजों को कोई फायदा नहीं हुआ है। इसलिए मैं सुझाव देना चाहूंगा कि उन्हें पुन: प्रैक्टिस करने की अनुमति दे दें और जो फीस वे लेते है, मरीजों से, उसकी वे फीस दें ताकि उसमें से 50 फीसदी वे सरकारी खजाने में जमा करवा दें और 50 प्रतिशत को अपने पास रख लें। प्राइवेट प्रैक्टिस करने से तो वे मानेंगे नहीं लेकिन उससे मरीजों को कोई दिक्कत नहीं होगी।

अब मैं आबकारी के सम्बन्ध में कुछ निवेदन करना चाहता हूं। हमारे नगर कानपुर में नशाबन्दी है लेकिन मैं समझता हूं कि जब वहाँ पर नशा बन्दी नहीं थी तब से आज जितनी शराब और मादक वस्तुयें बिक रही हैं, वह कहीं अधिक हैं। जब मैंने शून्य प्रहर में इस बात को सदन में उठाया था तो कुछ पकड़ा-धकड़ी भी हुयी थी। अभी हमारे माननीय सदस्य, डाक्टर कौशल ने कहा कि 1 करोड़ रुपये की शराब पकड़ी गयी, कई बार इस प्रकार से शराब पकड़ी गयी लेकिन यह पुलिस और आबकारी विभाग की मिली भगत से बिक रही है।

[श्री बाबू राम शुक्लत]

हमारे यहाँ पर हरबंस मुहाल में एक थाना है। उसके इलाके में यह धन्धा बड़ी मात्रा में चल रहा है। वहाँ पर एक थानाध्यक्ष रणवीर सिंह चौहान गये हैं। उनका कहना है कि हर चौकी में एक-एक दुकान टिंचर जिंजर को खुलवा दी और हमारी पार्टी के कार्यकर्त्ताओं से खुले आम कहते हैं कि आबकारी मंत्री और मुख्य मंत्री भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। मुझे तो यहाँ पर रह कर पैसा कमाना है। गोविन्द नगर क्षेत्र में बड़ी मात्रा में शराब पकड़ी गयी। उसमें प्राणनाथ नामक एक हमारे साथी को झूठा आरोप लगाकर पुलिस ने पकड़ लिया। आज कानपुर में बड़े पैमाने पर शराब, चरस, गांजा, टिंचर जिंजर आदि की खुले आम बिक्री हो रही है। आबकारी विभाग और पुलिस की इसमें मिली भगत रहती है। मैं कहता हूं कि ऐसी नशाबन्दी से क्या लाभ कि जिसमें सरकार के राजस्व की इतनी बड़ी हानि हो, किन्तु नशा पीने वालों को वह खुले आम मिले और शराब खराब क्वालिटी की मिले जिससे उनका स्वास्थ्य भी खराब हो।

एक बात और अंत में कहूंगा कि माननीय शतरुद्र प्रकाश जी ने कुछ व्यक्तिगत आरोप लगाये हैं, वे कृपया उनकी नाराजगी दूर कर दें। व्यक्तिगत आक्षेप लगाना ठीक नहीं होता है। इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी के बजट का समर्थन करता हूं।

श्री मुकीमुर्रहमान—

मान्यवर, आपका बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे इस अनुदान पर बोलने के लिये मौका दिया। मैं मंत्री जी के बजट का स्वागत करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मेरी तहसील में 32 लाख रुपये की लागत से एक अस्पताल बना, वहाँ पर एक्सरे की मशीन मौजूद है, मगर उसके लिये स्टाफ नहीं है। आज वैसा अस्पताल 50 लाख में भी बन कर तैयार नहीं होगा। पर न तो वहाँ डाक्टर ही भेजे जाते हैं और न ही दूसरा स्टाफ जो जरूरी है एक्सरे मशीन आदि चलाने के लिये वहा रखा गया है। दो वर्ष से वहाँ स्टाफ नहीं है। दूसरा जनाना अस्पताल क ठाकुरद्वारा में है, उसकी छतें ऐसी है जो बरसात में चूती हैं, इमारत बहुत ही खस्ता हालत में है। वहाँ कोई मरीज जाना नहीं चाहता। एक अस्पताल और जिला परिषद् का ऐसा है जिसका छप्पर तो उड़ गया है, दीवार खाली रह गयी है। अगर आप वहाँ जायें तो आपको न वहाँ डाक्टर मिलेगा और न ही आपको कोई मरीज मिलेगा। कोई डाक्टर वहाँ जाना भी नहीं पसन्द करता।

जहाँ तक एक्साइज विभाग का सवाल है इसमें बड़ा भ्रष्टाचार है। शराब खुलेआम बिकती है। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से कहूंगा मेरे भाई होते हैं, उम्र में भी बड़े हैं, हमारे लीडर भी हैं, उनका तजुर्बा भी हमसे बहुत ज्यादा है, हम उनकी इज्जत भी बहुत ज्यादा करते है, वे इन चीजों को देखें, आखिर हम उनसे फरियाद नहीं करेंगे तो किससे करेंगे। उत्तर प्रदेश के गाँव की ओर बढ़ते कदम किसानों की जो तहसील ठाकुरद्वारा के अन्दर 2—3 थानेदार रहते है। मुझे आज मालूम हुआ है कि मिस्टर शर्मा, सब-इन्सपेक्टर, दोयम, ठाकुरद्वारा सिर्फ शराब की उगाही पर रहते हैं। शाम हुई वह शराब जहाँ-जहाँ बिकती है, वहाँ पर चले गये, जहाँ-जहाँ पर चोरी से शराब बिकती है, वहाँ पर मिस्टर शर्मा जाकर शराब बिकवाते हैं। श्रीमन्, मेरे साथ एक दिन ऐसा हुआ, मुरादाबाद से ठाकुरद्वारा, मैं अपने क्षेत्र में जा रहा था, प्राइवेट बस वाले ड्राइवर ने रास्ते में पीपलसान से आगे काशीपुर रोड पर गाड़ी रोकी और वह शराब पीने चला गया। सारी बस के आदमियों ने कहा कि साहब यह है जनता पार्टी। वह ड्राइवर शराब के नशे में कहता है कि मोरार जी कहते है कि मूत पिओ और ये लोग कहते हैं कि शराब मत पिओ, मूत पिओ। खुद तो मूत पीते हैं, हमें शराब पीने नहीं देते है। हमारे एम0 एल0 ए0 साहब बहुत अच्छे है, देवेन्द्र कुमार मालूम होते हैं, हीरो हैं। लेकिन हीरो तो कोई ऐसा नहीं होता जो शराब न पीता हो। हमारे एम0 एल0 ए0 साहब लखनऊ में अंग्रेजी शराब पीते होंगे। तो श्रीमन्, हमारे यहाँ क्षेत्र में रोडवेज है नहीं, न ही कोई रेलवे स्टेशन

है, मुझे हर हालत में उसी बस से जाना पड़ता है। जब जनता मुझसे पूछती है, कि साहब यह जनता पार्टी ने वादा किया था तो मेरे पास कोई भी उत्तर नहीं होता। वैसे मंत्री जी मेरे डिस्ट्रिक्ट के हैं और इस कैबिनेट के अन्दर आप बड़ा ही ओहदा रखते हैं। बड़े खेद की बात है कि इस मसले पर अमल नहीं हो पाता।

हमारे यहाँ रामपुर पोकर अस्पताल है। 32 बेड का अस्पताल है, लेकिन डाक्टर गायब, स्टाफ गायब, दवाई गायब, कोई चीज नहीं है। ठाकुरद्वारा में जो अस्पताल है वह सब बरसात में चूता है। वहाँ का कोई कार्य नहीं होता। उसे कृपया मरम्मत करायें। हमारे यहाँ जो जनाना अस्पताल ठाकुरद्वारा में है, वह बरांडे में है और एक कमरा भी है। मेरी माँग है मंत्री जी से कि इसे बड़ा बनवाया जाय। कहीं कहीं देहातों के अन्दर डिस्पेंसरीज है, तो मालूम हुआ कि वह जिला परिषद् की ओर से ग्राम्य विकास की ओर से है। उसमें डाक्टर रहते है, गाँव जाओ तो कोई डाक्टर मिलता ही नहीं है। किसी अस्पताल में किसी तरह की कोई दवाई नहीं। मान्यवर, तमाम इधर उधर के शराबी लोग हमारी तहसील के करीब के गाँव में शराब पीने के लिए आते हैं और पुलिस उगाही करती है। यह है माननीय मंत्री जी की नशाबन्दी। पीपलसाना, भोजपुर, सुल्तानपुर वाली रोड पर तहसील ठाकुरद्वारा में कहीं जच्चा-बच्चा के दो केन्द्रों की आवश्यकता है, परन्तु वहाँ पर कोई कार्य अब तक आरम्भ नहीं किया गया है। सम्भल में दो साल से कोई लेडी डाक्टर नहीं है। मिस्टर महेश, एक्स एम0 एल0 ए0 सम्भल मुझसे मिले, मुझसे उन्होंने प्रार्थना की। मैंने एक प्रार्थना पत्र लिख कर माननीय मंत्री जी को प्रस्तुत किया, परन्तु अभी तक कोई लेडी डाक्टर सम्भल नहीं गयी। इस संबंध में मेरा अनुरोध है कि हमारे यहाँ लेडी और जेन्ट दोनों डाक्टरों की जरूरत है। वहाँ पर पति पत्नी दोनों डाक्टरो को भेजें। वह दोनों रह लेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय मंत्री जी की जितनी आज इज्जत की गयी है, उसको देखते हुए भविष्य में तुरन्त ही कार्यवाही करने की कृपा करेंगे।

*श्री सुन्दर लाल दीक्षित (जिला बाराबंकी)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो बजट इस सदन में प्रस्तुत किया है, इसमें सदन के सम्मानित साथियों ने अपने क्षेत्र की, जिले की और प्रदेश की समस्याओं की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया है। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं हमारे बहुत से वक्ताओं ने वास्तव में इस स्वास्थ्य विभाग के बारे में वास्तविक चित्रण आपके सामने जोरदार शब्दों में रखा है। वही आपके मित्र हो सकते हैं लेकिन जिन लोगों ने आपकी तारीफ की है वे आपको सही दिशा नहीं देना चाहते हैं।

आपातकाल स्थिति में स्वास्थ्य विभाग में जिस तरीके की ज्यादती प्रदेश की जनता के साथ की गयी कि उसने काँग्रेस सरकार को हटाकर आपको मौका दिया, आपसे आशा थी कि जिस प्रकार जबरन नसबन्दी की गयी, उसके नाम पर सुल्तानपुर, मुजफ्फरनगर में गोली चलायी गयी, उनको आप सजा देंगे। लेकिन वही आपके शासन में घुसकर ईमानदारी का सार्टिफिकेट प्राप्त कर लिये हैं, आपमें क्षमता नहीं कार्यवाही करने की। बाराबंकी जिले में 6 महिलाओं की मृत्यु हो गयी बलरामपुर अस्पताल ले जाया गया, उनकी लाशें नहीं मिलीं। आशा थी उन गल्तियों की जनता सरकार जाँच करायेगी। आज स्थिति यह है कि काँग्रेस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री सुन्दर लाल दीक्षित]

के मंत्रिमंडल में मंत्री थे प्रभु नारायण सिंह जी और आज कौशिक जी, आपके और उनके कार्यों में अन्तर होना चाहिए। राज्य सभा के सदस्य भी और कांग्रेस के मंत्री भी रह चुके हैं, आप सदन के नेता भी हैं माननीय श्यामधर मिश्र। उन्होंने कहा कि ट्रांसफर की नीति स्पष्ट है। चपरासी से लेकर डाइरेक्टर तक का आप कर रहे हैं, आपको क्या मिल रहा है, आप बदनामी का कार्य क्यों कर रहे हैं। निदेशक, सी0 एम0 ओ0, डिप्टी सी0 एम0ओ0 की पोस्टें खाली कर दीजिये, आप ही काम कर लीजिये। डाइरेक्टर, अतिरिक्त निदेशक कौन सा काम करेंगे, अगर काम नहीं देंगे तो क्यों जनता का पैसा खर्च करवा रहे हैं। अस्पतालों का बड़ा निर्माण कर रहे है, कर्मठ हैं आप। होम्योपैथी छात्रों की समस्या थी, दूर की, बड़ा अच्छा काम किया। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि उनको किसी विश्वविद्यालय से सम्बद्ध करें। जितने भी अस्पताल खुले हैं चाहे बलरामपुर हो, कानपुर का हो, सिविल अस्पताल हो, गाँवों में चलने वाले अस्पताल हों, न तो पर्याप्त सफाई है, न दवा की व्यवस्था है।

मान्यवर, यदि आप वास्तव में इस बजट के माध्यम से सुधार करना चाहते हैं तो पर्याप्त स्टाफ रखें, दवाओं की व्यवस्था करें, भवन बनवायें। मैं अपने जनपद की समस्या की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। भूतपूर्व स्वास्थ्य मंत्री जी से भी मेरी बात हुई थी, श्री कल्याण सिंह जी से, मैंने बाराबंकी जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी, श्री राजपूत को शीघ्र हटाने के लिये कहा था। इसने अस्पताल के सारे ठेके अपने साले को अपने रिश्तेदारों को दे रखा है। उसके खिलाफ बड़े चार्ज हैं। कहीं नहीं जाता है, फर्जी दौड़ा बनाया जाता है, कमीशन लेता है, उसको हटाया जाये। इसी प्रकार कानपुर के सी0 एम0 ओ0 के खिलाफ लाखों रुपये का घपला है, इनको हटाया जाये। मान्यवर, एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि जो प्राथमिक स्वास्थय केन्द्र हैं, इनको 30 शैयाओं वाले बड़े अस्पताल बनाया जाये। चौबिसी, टिकरहुआ, किरसिया, फतेगंज, त्रिवेदीगंज, हसनपुर, शिवनाम, कान्हूपुर, तेजवापुर, कान्धीत्रिलोकपुर आदि स्थानों पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना की जाये। लाखों रुपयों का कानपुर के सी0 एम0 ओ0 के खिलाफ जो आरोप है, इनको तुरन्त हटाकर इनके खिलाफ जाँच करायें। जनता पार्टी के राज्य में कहीं भी भ्रष्टाचार को आश्रय दिया गया तो उसका भी वही हश्र होगा जो इधर के लोगों का है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार के मामलों की निष्पक्ष जाँच करायें। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री मोती राम (जिला कानपुर)—

मान्यवर, बजट जो पेश हुआ है, इसका समर्थन करते हुये मैं कहना चाहता हूं कि काफी चर्चा हो चुकी है। मंत्री जी काफी भ्रष्टाचार की बातें सुन चुके हैं। वह भी सजग होंगे, सजग हैं भी वह इसके बारे में। कानपुर में एक बड़ा अस्पताल है, लाला लाजपत राय हास्पिटल। वह अस्पताल कम और राजनीतिक अखाड़ा अधिक बना हुआ है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अस्पताल जैसे पवित्र स्थान को राजनीति का अखाड़ा न बनायें। जो उसको राजनीति का अखाड़ा बनाना चाहते हैं, उनका ट्रांसफर कर दें। मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि जो आदमी ठीक से प्रशासन नहीं चला सकता उसको वहाँ रोकना जनहित में उचित नहीं। मैं किसी व्यक्ति का नुक्सान नहीं कराना चाहता लेकिन वहाँ की व्यवस्था को देखते हुये, कपूर साहब है वहाँ, उन्हें हटा देना चाहिये। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन यह है कि इस तरफ ध्यान दें और अस्पतालों की चर्चा हुई लेकिन यह सब भ्रष्टाचार के कारण बूचड़ खाने में बदल गये हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आजाद नगर में एक बड़ा अस्पताल है, 8 दिन तक इलाज के लिये एक औरत रही, 9वें दिन इन्जेक्शन का एक रुपया उसने पेमेंट नहीं किया। नौबत यह हुई कि इन्जेक्शन नहीं लगा। 2 घन्टे के बाद उसकी मृत्यु हो गयी। शासन को लिखा, डायरेक्टर को लिखा, सचिव को लिखा, कोई पता नहीं चला। यह दो साल से हम लोग आये हैं, उसी लकीर पर हम लोग चल रहे हैं। वही सिपाही की रिपोर्ट आई0 जी0 मान लेता हैं। कपाउन्डर की बात डाक्टर मान रहा है। मंत्री जी उसी तरह से फाइलों को खिसका रहे हैं तो कैसे परिवर्तन होगा। जनता का लाखों रुपया बरबाद हो रहा है, सारी की सारी प्रोसिडिंग और सारे पत्र सचिवालय में सिसक रहे हैं, उसी लीक पर सब चल रहा है। मैं जानता हूं कि मंत्री जी के पास विभाग काफी दिनों से है लेकिन मंत्री जी को सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ कि वह कानपुर गये हों और उन्होंने वहाँ की व्यवस्था देखी हो। आठ आठ दिन चादर नहीं बदली जाती है, अस्पतालों के अन्दर शौचालय ऐसे हैं कि आदमी उनमें जाय तो बीमार हो जाय तो कैसे यह चलेगा। क्या इसी लिये कि हम यहाँ भाषण कर दें निवेदन कर दें और दरख्वास्ते लिख दें और वह रद्दी की टोकरी में चली जाय। यही करना है तो एक दिन जनता सड़क पर हमसे, मंत्री जी से, सब लोगों से हिसाब माँगेगी। फिर मैं चेतावनी देना चाहता हूं कि शासन को कहीं यह न करना पड़े कि यह अराजक तत्व हैं। सब्र का घड़ा भर चुका है वह स्थिति आ गयी है कि अब लिखने और कहने की इच्छा नहीं है।

मैंने लिख कर दिया था, मेडिकल कालेजों में भर्ती होती है। मैं मंत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने 18 प्रतिशत का कोटा पूरा किया। इसमें सवर्ण जातियों में छात्रों और छात्राओं का आरक्षण अलग किया, बैक वर्डस में अलग किया, लेकिन सेड्यूल कास्ट में छात्राओं को आरक्षण नहीं दिया। 142 में केवल 7 लड़कियाँ सेड्यूल कास्ट की आ पायीं। मैंने सुझाव दिया था और आज दे रहा हूं कि आप 18 प्रतिशत में 12 प्रतिशत छात्रों को और 6 प्रतिशत छात्राओं को रिजर्वेशन दें। अगर छात्रायें न आ सकें तो उन स्थानों को छात्रों से पूरा कर लें ताकि इन वर्गों की छात्रायें आ सकें। मैंने इस संबंध में पत्र द्वारा निवेदन किया था, जीरो अवर में निवेदन किया लेकिन कोई आश्वासन नहीं मिला। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि शीघ्र निर्णय लेकर मंत्री जी इसकी पूर्ति करायें।

*श्री ओंकार सिंह (जिला मथुरा)—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो अनुदान प्रस्तुत किया है उसके समर्थन में मैं बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं बहुत सूक्ष्म मैं अपने क्षेत्र में की एक समस्या के बारे में मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में राया टाउन एरिया है। यहाँ पर जिला परिषद् का एक अस्पताल है? उसके लिये मैंने जिलाधीश महोदय से सरकार द्वारा लिये जाने के लिये लिखवा चुका था। लेकिन अफसोस की बात है डाइरेक्टर ने लिखा कि वहाँ के प्रधान नहीं चाहते कि यह अस्पताल सरकार ले लें। मुझे यह निश्चित जानकारी है कि यह केवल डाइरेक्टर स्तर पर ही किसी विशेष प्रभाव के कारण यह लिखाया गया कि प्रधान नहीं चाहते। जब वहाँ का विधायक चाहता है, जिलाधीश चाहता है, फिर भी लिखा गया कि क्षेत्रीय प्रधान नहीं चाहते। मैं चाहता हूं कि डाइरेक्टर महोदय उस लिस्ट को भेजें कि कितने प्रधानों ने उसमें लिखा है। यह बात जरूर है कि उस जिला अस्पताल में जो वहाँ का डाक्टर है, वह मेरे क्षेत्र के निवासी हैं, उनको लगभग 10 वर्ष हो गये हैं, वहाँ से वह हटना नहीं चाहते हैं। 1974 में कोशिश की गयी थी लेकिन फिर भी वह नहीं हटे।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री ओंकार सिंह]

उसी के प्रभाव मे डाइरेक्टर इस समस्या को हल नहीं करना चाहता है। इसलिये मंत्री जी इसको व्यक्तिगत रूप से देखें और शीघ्र ही उस अस्पताल को लेकर सरकारी अस्पताल की स्थापना करें। मान्यवर, इसके साथ ही सौंख में पी0एच0सी0 के लिये जमीन का रजिस्ट्रेशन हो गया है लेकिन भवन का निर्माण नहीं हुआ है इसलिये मंत्री जी वहाँ भवन निर्माण की व्यवस्था करें। मान्यवर, बलदेव टाऊन एरिया एक मुख्य तीर्थ स्थान है। वहाँ भी कोई पी0एच0सी0 का सरकारी भवन नहीं है। किराये में अस्पताल चल रहा है। इसलिये वहाँ पर भी भवन निर्माण के लिये मंत्री जी ध्यान दें। इन्हीं शब्दों के साथ में प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री राम देव यादव (जिला रायबरेली)—

मान्यवर, समय कम है इसलिये मैं आपके माध्यम से चिकित्सा विभाग में कुछ सुझाव मंत्री जी को देना चाहता हूं। मान्यवर, जीवन की महत्वपूर्ण चीजों के साथ साथ जैसे कि रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा मनुष्यों के लिये आवश्यक है उसी प्रकार चिकित्सा और स्वास्थ्य भी एक आवश्यक अंग है। अन्य विकास के साथ साथ काँग्रेस सरकार ने चिकित्सा विभाग का काफी विस्तार किया, अस्पतालों को शहरों और देहातों में गाँव गाँव छोटे तथा बड़े, खोल रखे है, उनमें हजारों डाक्टर और स्वास्थ्य कार्यकर्त्ताओं को पहले से नियुक्त कर रखा है। इसलिये मैं मंत्री जी से केवल दो ही बातों में सुधार की अपील करना चाहता हूं। आप व्यवहार और व्यवस्था में सुधार करें। मान्यवर, कहते हैं कि यदि डाक्टर का व्यवहार मरीज के प्रति अच्छा हुआ तो मरीज निश्चय ही 50 फीसदी बिना दवा क अच्छा हो जाता है। इसलिये मैं मंत्री जी का ध्यान डाक्टरों के व्यवहार की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। व्यवहार के प्रति मैं अपने जिले का एक उदाहरण देना चाहता हूं।

हमारे जिले के सदर अस्पताल में दो साल पहले एक डा0 एस0 के0 मलिक आये थे, जिसका व्यवहार इतना अच्छा था कि एक तरफ आधे से ज्यादा मरीज उसके पास आते थे और आधे से कम मरीज दूसरे डाक्टरों के पास जाते थे। दो साल बाद उसके ट्रांसफर की बात आयी तो उसने वहाँ रायबरेली में अपना एक चिकित्सालय खोल लिया। उसकी पत्नी भी डाक्टर है। इस समय जिले भर में सरकारी अस्पताल और अन्य प्राइवेट डाक्टरों से सबसे ज्यादा उसकी प्रैक्टिस चल रही है। तो मान्यवर, मैं मंत्री जी का ध्यान उन डाक्टरों और विभाग के अधिकारियों के व्यवहार के प्रति आकर्षित करना चाहता हूं कि इसमें सुधार लायें। इस के साथ ही व्यवस्था की बात है। अस्पतालों में दवाओं की खरीद फरोख्त में बहुत भ्रष्टाचार है। अस्पतालों में पंखे नहीं है। गर्मी में कूलर नहीं है। फर्नीचर नहीं है। बिस्तर नहीं है। चारपाई नहीं है। इनकी व्यवस्था के बारे में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अगर इन दो बातों की ओर ध्यान दे दें तो यह सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। आपने स्वास्थ्य रक्षक नियुक्त किये हैं और पौष्टाहार की योजना है। जिस प्रकार शिक्षा विभाग में प्रौढ़ शिक्षा के लिए अध्यापक नियुक्त किये जा रहे हैं और बालाहार की योजना है वे दोनों ही बेकार हैं इसी तरह से आपके विभाग की भी ये दोनों योजनाएं बेकार हैं। इनको बंद करके इसका पैसा अन्य योजनाओं में खर्च करें तो ज्यादा लाभ होगा। परिवार नियोजन के सम्बन्ध में एक बात कहना चाहूंगा। काँग्रेस सरकार ने अच्छा काम किया। अच्छा काम करने में कुछ गल्तियाँ हो ही जाती हैं। नेताओं ने भी गल्ती की और अधिकारियों ने भी गल्ती की। लेकिन जनसंख्या इतनी बढ़ती जा रही है कि 1921 में 25 करोड़ थी इस समय 62 करोड़ हो रही है। हमारा कृषि प्रधान देश है। 80 प्रतिशत जनता कृषि पर निर्भर करती है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, एक समय आयेगा अगर इसी तरह जनसंख्या बढ़ती रही जबकि खेती करने की कौन कहे मकान बनाने के लिए भी जगह नहीं रह जायगी। इसलिये इस सम्बन्ध में आपको विचार करना चाहिए। जिसको आप हौवा समझते हैं उसी हौवे से आप पैदा हुए हैं। अगर इसको ध्यान में न रखा तो देश बरबाद हो जायगा। एक बात और निवेदन करनी है कि जैसे आल इंडिया मैडीकल इंस्टीट्यूट दिल्ली में है उसी प्रकार का एक अपने प्रदेश में लखनऊ में भी खुलना चाहिये जिससे कि यहाँ की 10 करोड़ जनता की कुछ सेवा हो सके। आबकारी के सम्बन्ध में भी दो शब्द कहना चाहूंगा। पहले लोग कहते थे कि शराब लेने जाना पड़ता है ठेके पर और रिक्शे में पैसे खर्च होते हैं। लेकिन अब तो जो पीने वाले है उनके घर पर ही शायद पहुंच जाती है। गाँव गाँव में कुटीर उद्योग चल रहे हैं। महुआ तैयार हो रहा है। अगर आपने इस दिशा में शख्ती से कदम न उठाया तो इस मद्य निषेध को कैसे लागू कर पायेंगे। एक माननीय सदस्य ने कहा कि पूरे प्रदेश में यह एक साथ लागू करना चाहिए। मैं भी इससे सहमत हूं। तभी उसका कुछ लाभ होगा।

श्री रघुबर दयाल वर्मा (जिला आगरा)—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं। मैं चार पाँच सुझाव देना चाहता हूं। भारतवर्ष में यह बड़े दुख की बात है कि शहर की जनता के लिये तो अस्पताल हैं लेकिन देहात की जनता के लिये उपलब्ध नहीं है। देहाती जनता जो 80 सैकड़ा इस देश में रहती है वह बिना चिकित्सा के मरती रहती है। वैद्य जी आपकी हुकूमत में भी इधर ध्यान नहीं गया। आयुर्वेद अस्पताल जो आप चलाते हैं, जो लखनऊ में है मैं उसके बारे में आपसे निवेदन करूंगा कि आपके प्रधानाचार्य महोदय शव को झूठा लिख देते हैं और विद्यार्थियों को डराते धमकाते हैं और कभी कभी तो पूरे पूरे साल तक छात्रों को शव परीक्षण को देते नहीं हैं और वह देखते तक नहीं हैं। विधान सभा में मैंने प्रश्न भी किया था लेकिन उस आयुर्वेदिक कालेज की जो दुर्दशा है, वहाँ के प्रधानाचार्य की जो तानाशाही है, उसकी तरफ आपको ध्यान देना चाहिये। मंत्री जी से एक निवेदन और करूंगा कि आप अपने-अपने कार्यालय में एक ऐसा दस्ता बनाइये (सचान अस्पताल) मोबाइल हास्पिटल, जो देहात में जाकर चिकित्सा सेवायें उपलब्ध करा सकें।

मैंने विधान सभा में पिछले वर्ष कुछ ऐसी दवाओं के सैम्पिल रखे थे जो कि एस० एन० मेडिकल कालेज, आगरा और फिरोजाबाद से बेची गई थी लेकिन आपका जो निदेशालय है वह दोनों सैम्पुलों को जाने कहाँ खा गया, क्या जाँच हुई, कोई पता नहीं? आज जो नकली दवाइयाँ इतनी बड़ी मात्रा में चल रही है, इसकी पूरी जिम्मेदारी आपके निदेशालय की है। निदेशालय के लोग ट्रांसफर के नाम पर, अस्पताल के नाम पर तमाम रिश्वतें लेते हैं। आगरा में जो हृदय रोग का संस्थान है, उसकी शय्यायें बढ़ाइये और उसका आधुनीकरण करिये। एमरजेंसी में कोई अच्छा डाक्टर नहीं उपलब्ध होता है, जो ट्रेनिंग के डाक्टर या सर्जन होते हैं, वही एमरजेंसी का काम देखते हैं। एक ऐसी प्रभावी व्यवस्था होनी चाहिये कि इमरजेंसी में अच्छे से अच्छा डाक्टर उपलब्ध रहे। हमारे यहाँ एक लड़के का मोटर साइकिल से एक्सीडेंट हो गया, जब वह आगरे में इमरजेंसी में गया तो एक-दो घंटे तक उसकी कोई परवाह नहीं की गई, इसका नतीजा यह हुआ कि उसका आधा पैर काटना पड़ा। एस० एन० हास्पिटल, फिरोजाबाद में बड़ी दुर्दशा है, उसमें शय्यायें बढ़ाई जायें और एस० एन० मेडिकल कालेज से जो प्रोफेसर और डाक्टर है, उनको फिरोजाबाद के हास्पिटल में भेजे तो आप एक बहुत बड़ा काम करेंगे। इसके साथ ही फिरोजाबाद में एक रक्त बैंक की स्थापना की जाए। और मेरे क्षेत्र में तीन अस्पताल चन्दवार, भरसैना, जलालपुर में खोलें जायं।

श्री नाथू राम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करते हुए अपने कुछ सुझाव रख रहा हूं। मान्यवर, पहले अपनी बीती कही जाए उससे पराई बीती पर अंदाजा लगाया जा सकता है। मैं पिछले वर्ष 1978 के जून में बीमार पड़ा था। इलाहाबाद मेडिकल कालेज में दाखिल हुआ, 4 दिन तक मुझे कोई दवा नहीं दी गई, बाजार से मुझे खरीदनी पड़ती थी। जिस कमरे में मैं था उस प्राइवेट कक्ष की सारी खिड़कियाँ टूटी हुई थीं, फ्लश लैटरीन सब गंदी थीं। सारी दुर्दशा होने के बाद एक्सरे विभाग में तीसरे दिन भेजा गया। मुझे तो टाइम से भेज दिया गया लेकिन एक्सरे करने वाले एक स्टैण्डर्ड लेडी और उसके हस्बैन्ड के साथ टाइम के बाद आए, पहले उनका काम किया और हमको कहा कि एम0 एल0 एज0 का तो एक्सरे होता ही नहीं। डाक्टर से लिखवाया, फिर दूसरे डाक्टर को दिखाने के बाद काम हुआ। उसके बाद मुझे बिजली विभाग भेजा गया, वहाँ तो दलाल लगे हुए हैं। इलाहाबाद मेडिकल कालेज दलालों का अड्डा है। अन्त में मुझे अपनी जान बचाकर भागना पड़ा और 750 रुपये अलग से खर्च करके अपनी जिन्दगी बचानी पड़ी। मेरा यह कहना है कि इतनी बड़ी फौज को हटाइये। जिस प्रकार से आप गाँवों की जनता को भगवान के भरोसे छोड़े हुए हैं, उसी तरह से आप जनता को भगवान के भरोसे छोड़ दीजिये लेकिन इनको हटाइये। ये भ्रष्टाचार को बढ़ा रहे हैं, अपने परिवार को भी बढ़ा रहे हैं और उनको पेन्शन भी मिलेगी। इसलिये इस फौज की हर विभाग से छटनी करनी चाहिए। इससे जनता को कोई लाभ नहीं है। मान्यवर, ग्रामवासियों के लिये जो समाज के प्राण हैं, अपना खून पसीना एक करके सब को खिलाते हैं यह सफेद पोश, नगर की चिकनाहट उनकी कमाई के कारण है, उनके लिए न भोजन की व्यवस्था है न पानी की व्यवस्था है न बिजली की व्यवस्था है और न दवा की व्यवस्था है।

इन शब्दों के साथ मेरी खुली माँग है कि हर विभाग से यह लम्बी फौज को हटाइये। ग्राम सफाई का उचित प्रबन्ध हो। ग्राम अंचल में अयोग्य डाक्टरों की रोक थाम की जाय . . .

(व्यवधान)

*श्री गंगा सहाय यादव (जिला मैनपु ी)—

मान्यवर, मे क्षेत्र शिकोहाबाद तहसील हेडक्वार्टर का केन्द्र है। वहाँ के अस्पताल में डाक्टरों की व्यवस्था नहीं है। वहाँ पर दो तीन डाक्ट ों की आवश्यकता है जबकि एक डाक्टर वहाँ पर है। वह रात को वहाँ पर नहीं रहता है। मरीज चाहे जिन्दा रहे चाहे मरे इसकी कोई परवाह नहीं है। सारा कार्य कम्पाउन्डर के भरोसे पर चलता है। लिहाजा मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जल्द से जल्द वहाँ पर दो डाक्टर भेज दें और कम से कम क डाक्टर अवश्य भेज दें जिससे मरीजों को राहत मिल सके। इसके अलावा वहाँ पर मरीजों के लिये कोई भवन नहीं है। वे जमीन पर लेटे रहते हैं। मरीजों के जो आश्रित आते हैं उनके ठहरने के लिये, भोजन के लिये कोई व्यवस्था नहीं है वे धूप में बैठते हैं। इन समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाय।

इसके अलावा वहाँ पर अस्पताल की चहारदीवारी बनाने की बड़ी जरूरत है। मैंने भूतपूर्व मंत्री जी से प्रार्थना की थी और उन्होंने मौके पर देखा भी था जिसका नतीजा यह हुआ कि 20 हजार रुपये स्वीकृत किये गये। लेकिन वहाँ के सी0 एम0 ओ0 महोदय ने रुपया स्वीकृत हो जाने के बावजूद भी अन्य काम में इसे लगा दिया और उस काम पर एक पैसा भी खर्च नहीं किया। लिहाजा मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वहाँ के लिए कम से कम पचास हजार रूपये स्वीकृत किये जायं ताकि कम्पाउन्ड की दिवाल बन सके।

इसके अलावा मैं एक निवेदन यह भी करना चाहता हूं कि बहुत से गाँवों के लिए कोई अस्पताल नहीं है। मरीज 15–20 मील चल कर आते हैं। वहाँ पर अस्पताल कायम किये जायं जिससे जनता को राहत मिल सके।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अंत में एक बात यह निवेदन करनी है कि वहाँ जिले के अस्पताल मैनपुरी में जो अधीक्षक है उनका व्यवहार इतना खराब है कि जनता से वह ठीक तरह से बात नहीं करता है। माननीय विधायक लक्खी सिंह जी एक बार अस्पताल गये तो उनको मालूम हुआ कि विधायक हैं तो उन्होंने यह नहीं कहा कि बैठ जाइये। मंत्री जी को हम तीन चार विधायकों ने लिख कर भी दिया है कि इनका जबाव तलब किया जाय और उनका स्थानान्तरण तुरन्त वहाँ से किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

श्री देव कुमार, आप केवल सुझाव दे दें।

*श्री देव कुमार (जिला बाँदा)—

मैं कोई लम्बी स्पीच नहीं दूंगा केवल कुछ निवेदन मुझे माननीय मंत्री जी से बड़ी तकलीफ के साथ करना है। माननीय कल्याण सिंह जी ने ट्रांसफर का दौर चलाया था। उस आधार पर हमारे बाँदा सदर अस्पताल से सर्जन का ट्रांसफर हुआ लेकिन हम लोग इस उम्मीद में थे कि सर्जन जाने के बाद कोई व्यवस्था होगी और बाँदा जनपद की करीब 13 लाख की आबादी है और अपराध में हम बहुत आगे हैं। मेरा घर अस्पताल के पास है। कोई दिन नहीं जाता होगा जब गोली लग कर कोई मरीज न आता हो या कोई मौत न होती हो। मैंने कल्यान सिंह जी को पत्र लिखा था और उन्होंने डायरेक्टर महोदय को आदेश दिये थे उनसे बातचीत करें। फिर कौशिक जी आ गये। उनको भी पत्र लिखे गये लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है कि बाँदा जैसे जिले में 7, 8 महीने से सर्जन की व्यवस्था नहीं हो पाई है। बहुत सी जानें वहाँ जा रही हैं। अगर कुछ न हो सके तो जो पहले डाक्टर थे के0 एन0 पिल्लई उनको ही वापस कर दिया जाय। दूसरे बबेरू में महिला अस्पताल खोलने की बात थी उसे तो भूतपूर्व मंत्री ने खोल दिया लेकिन कोई महिला डाक्टर नहीं गई। महिला डाक्टर आती हैं और चली जाती हैं। उस जगह महिला डाक्टर की अविलम्ब व्यवस्था कर दी जाय। इसी तरह एक क्रान्तिकारी की अन्तिम इच्छा के सम्बन्ध में आग्रह है कि उसे पूरा कर दिया जाय। झांसी में मेडिकल कालेज में कोबाल्ट मशीन लगा दी जाय।

डाक्टर भगवान दास माहौर जो क्रान्तिका ी थे 12 तारीख को मेडिकल कालेज में देहान्त हो गया। उनकी पत्नी कैंसर से पीड़ित थीं। उनका इलाज करा रहे थे। झांसी मेडिकल कालेज में कोवाल्ट मशीन की व्यवस्था हो जाय तो लाखों जनता के साथ उपकार होगा और मरने वाले की इच्छा का सम्मान हम कर सकेंगे जो राजकीय सम्मान सरकार ने उनको उनकी मृत्यु के बाद दिया था। मुझे उम्मीद है कि मंत्री महोदय इस पर विचार करेंगे। इसी तरह से पी0 एच0 सी0 विसंडा में जो डाक्टर हैं उन्होंने 34, 35 हजार रुपये की दवाइयों का गबन किया है और उनका जो ए0 एन0 एम0 उनके साथ है अनुचित सम्बन्धी है और प्रेस वालों ने उनकी बातों को टेप किया है, पूरे जिले में उनके प्रति रोष है लिहाजा ऐसी घटनाओं को मंत्री महोदय रोकें। इस विभाग में विलक हेल्थ नर्सेज भी हैं। जो मिडवाइफ ट्रेनिंग सेंटर में काम करती हैं उनको 51 रुपये यूनीफार्म के लिये प्रतिमाह देते हैं लेकिन जब उनका स्थानान्तरण परिवार कल्याण सेंटर में कर दिया जाता है तो ऐसे सेंटर प्रदेश में केवल 7 हैं और नर्सेज इस तरह की 14 हैं जिनको इस सुविधा से वंचित किया जाता है तो मेरा आग्रह है कि उन पर आर्थिक बोझ न डाला जाय इस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री देव कुमार]

लिये उनको भी यह सुविधा दी जाय। यूनानी तथा आयुर्वेद के जो कम्पाउन्डर होते हैं उनको भी एलोपैथी कम्पाउन्डर्स की तरह समान कार्य के लिये समान वेतन के सिद्धान्त पर वही वेतन दिया जाय। मुझे उम्मीद है कि आप इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

*श्री अशोक बाजपेयी (जिला हरदोई)—

माननीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रगतिशील बजट की मैं भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं और समर्थन करता हूं। माननीय वैद्य जी ने कटौती का प्रस्ताव अपने समय को देखते हुए रखा है जब दवाइयाँ कहीं पहुंचती ही नहीं थीं। गाँव के अस्पताल उस समय केवल कागज पर चलते थे। न दवायें जाती थीं और न डाक्टर पहुंचते थे। उस समय कटौती से काम चल सकता था लेकिन आज प्रत्येक गाँव में अस्पताल तथा चिकित्सा की व्यवस्था यह सरकार करने जा रही है तब यह जरूरत है कि चिकित्सा के लिये अधिक से अधिक रुपया दिया जाय। अभी तक वैद्य जी ने केवल बड़े-बड़े नगरों बरेली और कानपुर में ही चिकित्सा की व्यवस्था की थी। दोहरा पैमाना अपनाया गया था जो बेहतरीन सुविधायें थीं वह बड़े-बड़े शहरों तक ही थी। शहरी जनता और देहाती जनता के बीच फर्क था और केवल शहरी लोगों की ही तबियत देखी जाती थी और गाँव के लोगों को जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता था उस काँग्रेसी शासन के लिये यह कटौती का प्रस्ताव वाजिब था। लेकिन जनता पार्टी का ध्यान आज गाँवों की ओर है जिसकी सारी नीतियाँ ग्रामोन्मुखी हैं, जो गाँवों की जनता को बराबर का दर्जा देने जा रही है, जिसके बजट का बहुत बड़ा हिस्सा गाँवों के लिए खर्च हो रहा है इसमें यह कटौती का प्रस्ताव निंदनीय है और अव्यावहारिक है।

इतना ही नहीं आज गाँवों के जनजीवन को चिकित्सा की सुविधाएं देने के लिए नयी योजना शुरू की गयी है वह सराहनीय है। माननीय मन्त्री जी ने होम्योपैथी के मसले को सुलझा कर न जाने कितने नौजवानों के भविष्य को बचाया है। इतना ही नहीं आयुर्वेदिक अस्पतालों के स्तर को सुधारने का उनका प्रयास सराहनीय है। मान्यवर, इन सारी बातों के साथ-साथ मैं सुझाव रखना चाहता हूं कि जिला स्तर के जो अस्पताल है उनमें कम से कम प्राथमिक चिकित्सा की सुविधाएं अवश्य उपलब्ध हों जैसे हर अस्पताल में इलेक्टोकार्डियोग्राम, ब्लड बैंक, पैथोलोजी आर्थोपैडिक्स की सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। हरदोई जिले में इलेक्टोकार्डियोग्राम की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर ब्लड बैंक की कोई व्यवस्था नहीं है जिसके अभाव में आये दिन लोगों को लखनऊ आना पड़ता है और जब तक यहाँ से खून लेकर पहुंचते हैं, मरीज की हालत खराब हो जाती है और वह बच नहीं पाता। इसलिए माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि जिला स्तर के अस्पतालों में इन सुविधाओं को उपलब्ध कराने का प्रायस किया जाय।

एक मेरा सुझाव अन्त में यह है कि बस्ती जिले की नर्सों के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं न दोहराई जायं इसके लिए जिला स्तर पर नर्सों के रहने के लिए एक सुरक्षित हास्टल बनाया जाय। आज जिलों में नर्सों को कहीं पर किराए में मकान लेकर रहना पड़ता है और इस प्रकार असुरक्षित स्थानों पर वह रहती हैं इससे सरकार की छवि धूमिल होती है। समाज की आवश्यकताओं को देखते हुए हर जिले में नर्सों के लिए हास्टल बनाये जायं। इन सुझावों के साथ मैं माननीय मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत ग्रामोन्मुखी बजट की सराहना करता हूं और उसका पूर्ण सनर्थन करता हूं।

*डाक्टर बंगाली सिंह (जिला अलीगढ़)—

माननीय मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत स्वास्थ्य बजट का समर्थन करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष—

आप केवल सुझाव दें।

डाक्टर बंगाली सिंह—

गत दो साल के शासन में जनता पार्टी ने जनता को जो सुविधाएं दी हैं उसकी मैं सराहना करता हूं। मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी को सुझाव देना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में जितने चिकित्सालय हैं टूटी चारपाइयाँ, फटी चादरें मरीजों को दी जाती हैं जहाँ पर न पीने के पानी की व्यवस्था है और न अन्य सुविधाएं हैं। इसकी तरफ माननीय मन्त्री जी अवश्य ध्यान दें।

मान्यवर, भूतपूर्व स्वास्थ्य मन्त्री जी ने जो अस्पतालों में पर्चियों पर से शुल्क हटा दिया है उससे अस्पतालों में भीड़ बढ़ गयी है। पर्चियों पर टिकट लगना चाहिए जिसमें टी0बी0 आदि की सील हो ताकि मरीजों को पर्ची की अहमियत मालूम रहे और साथ ही उस पैसे से उसी अस्पताल में दवाइयाँ खरीदी जायं जो गरीब हरिजनों को दिलाई जायं।

मान्यवर, आज बहुत सी समस्याएं हैं देहातों में जो आप दवाएं भेजते हैं वह बाजारों में चली जाती हैं। अभी हाथरस में नकली कैपसूल पकड़ा गया जिसको हमने सी0एम0 ओ0 को दिखाया उस वक्त उन्होंने उसे सस्पेन्ड कर दिया लेकिन बाद में वह बहाल हो गया। शासन से लिखा पढ़ी हुई लेकिन उस मामले में कुछ नहीं हुआ। इस तरह से नकली दवाइयाँ; आज अस्पतालों में सप्लाई हो रही हैं। साथ ही साथ बहुत सी दवाइयाँ अस्पतालों में उपलब्ध नहीं हैं उनको मरीजों से खरीदवाया जाता है। इसको रोका जाय जिससे मरीजों की जान बच सके।

हमारे आयुर्वेदिक कम्पाउण्डर और एलोपैथिक के कम्पाउन्डर की क्वालिफिकेशन बराबर है, दोनों की ट्रेनिंग बराबर है पर उनके साथ शासन की तरफ से सौतेला व्यवहार किया गया है। आयुर्वेदिक जो कम्पाउण्डर हैं उनके साथ जो सौतेला व्यवहार है उसको दूर किया जाय। आयुर्वेदिक अस्पतालों के दूसरे जितने कर्मचारी हैं उनको वही सुविधाएं मिलती हैं जो एलोपैथी वालों को मिलती हैं इसलिए कम्पाउण्डरों को भी उसी तरह से सुविधाएं मिलनी चाहिए ताकि उनका मनोबल बढ़े और वह लगन से काम कर सकें। इन शब्दों के साथ मैं स्वास्थ्य मन्त्री जी के बजट का समर्थन करता हूं।

श्री रणवीर सिंह (जिला ललितपुर)—

मान्यवर, मैं मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और साथ ही उनका ध्यान पिछड़े क्षेत्र बुन्देलखण्ड की ओर दिलाना चाहता हूं। वह क्षेत्र सबसे ज्यादा दरिद्र है और उसका मानकपुर क्षेत्र तो सबसे पिछड़ा है, जो बाँदा में पड़ता है और ललितपुर में महरौनी क्षेत्र है, जो सबसे पिछड़ा हुआ हर दृष्टि से है। आपको आश्चर्य होगा मैंने नियम 301 में अपने यहाँ के क्षेत्र के बारे में सूचना दी थी, जिसमें पानी के इस्तेमाल करने से कुष्ठ रोग होता है और एक डोरुआ रोग होता है, जो फैल रहा है, लेकिन उसका कोई उत्तर नहीं मिला। मन्त्री जी कुछ न करें, तो कम से कम वायरलेस करके उसकी जाँच शुरू ही करा दें। हमारे यहाँ कोई आदमी गम्भीर रूप से बीमार होता है तो उसकी अर्थी जलाने के सिवा कोई उपाय नहीं है क्योंकि अस्पताल चिकित्सा के लिए नहीं है। वहाँ पर 11-12 ऐसे अस्पताल हैं, जहाँ कोई डाक्टर नहीं पहुंचे हैं। धौरा क्षेत्र में टी0बी0 के बहुत से मरीज हैं, लेकिन वहाँ इसका एक डाक्टर भी नियुक्त नहीं हुआ है, एक कम्पाउण्डर अवश्य पहुंचा

[श्री रणवीर सिंह]

है। जो लखंजर–पापड़ा क्षेत्र, डाकूग्रस्त क्षेत्र है, वहाँ पर भी कोई चिकित्सा सुविधा उपलब्ध नहीं है। वहाँ पर भी सर्वे कराकर आप अस्पताल और डाक्टर की व्यवस्था करें। बरुवा सागर में भी एक नर्सिंग होम के लिए मैंने और डाक्टर भगवत दयाल ने कहा था, लेकिन वह नहीं हुआ। कोशिश कर हम लोग वहाँ एक महिला अस्पताल शैदपुर ले गए थे, लेकिन उसे वहाँ न खोलकर जखौरा में खोल दिया गया। 33 से 50 हजार की आबादी के लिए एक अस्पताल खोलने की जो आपकी नीति है, उस हिसाब से हमारे यहाँ 25 अस्पताल और होने चाहिए। पर्वतीय क्षेत्रों में आपने 55 बहुत से अस्पताल दिए हैं और एक ई0एस0 आई0 का अस्पताल भी आपने वहाँ के लिए दिया है. . . .

(व्यवधान)

*श्री जयशंकर पाण्डेय (जिला फैजाबाद)—

मैं स्वास्थ्य मन्त्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं. . . .

(व्यवधान)

फैजाबाद मण्डल उत्तर प्रदेश का हृदय स्थल है। पूरे प्रदेश में, लगभग हर प्रमुख कमिश्नरी मुख्यालय पर मेडिकल कालेज है, लेकिन वह एक ऐसी कमिश्नरी है, जहाँ पर कोई मेडिकल कालेज नहीं है। हमारे क्षेत्र की आम जनता की यह माँग है कि फैजाबाद में मेडिकल कालेज की स्थापना मण्डलीय मुख्यालय के तरीके से की जाय। हमारे यहाँ मन्त्री जी राजकीय चिकित्सालय में हृदय रोग विभाग का उद्घाटन करने गये थे, तो उस समय भी आम जनता ने इस चीज की माँग की थी। फैजाबाद राजकीय अस्पताल में बाहर से भी सैकड़ों मरीज आते हैं, लेकिन वहाँ पर विस्तरों की अधिकाधिक कमी है। मरीज जमीन पर लेटते हैं। माननीय मन्त्री जी फैजाबाद राजकीय अस्पताल में शैय्याएं बढ़वायें। मैं माननीय मन्त्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे जनपद में देहाती अंचल में मड़ना जैसे सुदूरवर्ती क्षेत्र में अस्पताल स्वीकृत किया है। साथ ही साथ फैजाबाद और अयोध्या में कुष्ट रोगियों की गम्भीर समस्या है। इस तरफ सदन का भी ध्यान आकर्षित कर चुका हूं। फैजाबाद में रेलवे स्टेशन के दक्षिण तरफ सैकड़ों कुष्ट रोगी रेलवे की जमीन पर बस गये हैं और कालोनी जैसी बना ली है। जन जीवन को उनके आने–जाने से एक खतरा पैदा हो गया है, लोगों का कहना है कि उनके शरीर में खुजली पैदा होती जा रही है। वह अन्तराष्ट्रीय तीर्थ स्थान है। हजारों की संख्या में कुष्ट रोगी नदी में नहाते हैं। नए घाट पर जो सबसे प्रमुख घाट है हजारों की संख्या में कुष्ट रोगी रहते हैं। आने जाने वाले हर पर्यटक से चाहे देशी हो या विदेशी धनोपार्जन करते हैं। न अपने स्वास्थ्य की चिन्ता है न समाज के स्वास्थ्य की।

हमारे क्षेत्र में कुछ ऐसे अस्पताल हैं, जहाँ पर, हमारे क्षेत्र में एक रसूलाबाद अस्पताल है, जहां पर सरकार का मासिक वेतन 12 सौ रुपए से ज्यादा खर्चा होता है लेकिन साल भर में केवल 7–8 सौ रुपए की दवाएं मिलती हैं। इस तरफ मन्त्री जी ध्यान ें। वहाँ पर अस्पतालों की व्यवस्था की जाय और दवाओं की व्यवस्था की जाय। एक बात और रखना चाहता हूं। पूरे प्रदेश में यह बात फैली है कि जितनी दवाएं विधायकों को मिलती हैं आम जनता को नहीं मिलती। मैं सरकार से कहूंगा कि विधायकों को दी जाने वाली दवाओं में से कटौती करें और आम जनता को दवाएं दी जायं ताकि समानता का राज्य स्थापित हो सके।

श्री मन्जूर अहमद (जिला मेरठ)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दवा दारू मन्त्री जी सामने बैठे हैं। 20 साल इन्होंने नारा लगाया—दवा कड़ाई सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। इत्तफाक से मन्त्री हैं। मैं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

समझता था कि डाक्टर लोहिया के चेले मन्त्री बनेंगे तो इस प्रदेश और देश में कुछ क्रांति आएगी। आम लोगों को दवाई मिलेगी। गांव के रहने वाले 80 फीसदी लोग जिनके लिए रात दिन चिल्लाते थे, उनके लिए कोई बुनियादी तब्दीली आएगी। हम पिछले बीस वर्षों से देख रहे हैं, जितने भी मन्त्री बने उनसे आगे भाई कौशिक जी, उन सारी परम्पराओं को तोड़ कर एक्साइज इंस्पेक्टर, डाक्टर व सेनेट्री इन्सपेक्टरों में ही घिरे रहते हैं। ऐसा मालूम होता है कि जैसे वाजिद अली शाह का दरबार लगा हो, समाजवादी से इनका कोई ताल्लुक न रहा हो। मैं चाहूंगा कि माननीय मन्त्री कौशिक जी अपने को यह न समझें कि मैं इन्सान नहीं , मैं मानव नहीं रह गया, समाजवादी तो छोड़िए समाजवाद का नामो-निशान मिटा कर तानाशाही के साथ बैठे हुए हैं अपनी आदतें और चाल-चलन भी बदल दिया है। आज प्रदेश में कोई बुनियादी काम किया होता तो हम समझते कि डाक्टर लोहिया के चेले हैं।

श्री उपाध्यक्ष—

चिकित्सा के ऊपर भी बोलिए।

श्री मन्जूर अहमद—

मैं कौशिक जी से कहना चाहता हूं, माननीय मन्त्री जी से कहना चाहता हूं वह अपने को एक मानव समझें, हिन्दुस्तानी समझें और यहां का नागरिक समझकर इस प्रदेश को जो 10 करोड़ का है, मुरादाबाद और गजरौला ही नहीं है, इसको बराबर समझें।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

मन्जूर साहब, क्या माननीय मन्त्री जी का इलाज कर रहे हैं ?

श्री मन्जूर अहमद—

पहले दारू पी लेंगे फिर दवा पी लेंगे। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि. . .

श्री उपाध्यक्ष—

मन्जूर साहेब, आप दवा पर बोल रहे हैं या दारू पर बोल रहे हैं ? आप अपने विषय पर आइए।

श्री मन्जूर अहमद—

मैं दवा और दारू दोनों पर बोल रहा हूं। नाटकीय ढंग से दारू को बन्द करके भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे दिया है। मान्यवर, मैं मेरठ की बात कहना चाहता हूं कि वहाँ पर 25 परसेन्ट डाक्टर मेरठ के ही रहने वाले हैं। आपने नियम बना दिया कि वे प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं उनको सीधे मरीजों की देखभाल करनी चाहिए, लेकिन आपको उनको मना करने की हिम्मत नहीं है। डाक्टर एक घंटे के लिए अस्पताल जाता है। अस्पतालों में दवाएं नहीं हैं। एक बात और कहना चाहता हूं कि मेरठ में सी0एम0 ओ0 मेरठ का रहने वाला है और वह वहीं पर पोस्टेड है। सभी नियमों का उल्लंघन करके उसको वहाँ रखा गया है और मेरठ का सी0 एम0 ओ0 बना दिया गया है। मेरठ में जो मेडिकल कालेज है वहाँ के जो डाक्टर और प्रोफेसर हैं वह मेरठ के ही रहने वाले हैं वह पढ़ाते नहीं हैं और राजनीति करते हैं और घर पर अपनी प्रैक्टिस करते हैं और अपनी अलग-अलग दूकान खोले हुए हैं और मेडिकल कालेज को तबाह किए हुए हैं। आप इसमें कुछ परिवर्तन लावें, मरीजों तक दवा पहुंचावें। आप कहते थे कि देहातों में डाक्टर पहुंचेंगे जब समाजवाद आएगा जब हमारी सरकार आएगी।

आज 80 परसेन्ट कस्बों में अस्पताल नहीं हैं, नगर महापालिकाओं में सरकारी अस्पताल नहीं हैं, आपने वहाँ पर डाक्टर नहीं भेजे। आप डाक्टरों का ट्रान्सफर कर देते हैं परन्तु उनका पालन नहीं करा पाते हैं। आप एम0एल0ए0 की बात करते हैं। वह करोड़ों

[श्री मंन्जूर अहमद]

रुपए की दवा खा जाता है आप जब मन्त्री नहीं थे तो कितनी दवा लेते थे और अब मन्त्री हो गए हैं तो कितनी खा रहे हैं। बनारसी दास जी खलीफा हैं और एक खलीफा छांटकर उसको दवा और दारू दोनों दे दिया। आपके एक्साइज इन्सपेक्टर हैं, उनके दूसरे काम हैं। भट्टियां खुलवा रखा है और पैसा कमा रहे हैं। आप उसको आक्सन कर दें तो सरकार को चौगुना मिल जायगा। सैनिटरी इन्सपेक्टर हैं, उनका आक्शन कर दें तो एक हजार रुपया सरकार को दे देंगे और चार गुना मिल जायगा। आप के पूरे प्रदेश में यह हो रहा है कि दवा नहीं है। आप कोई बुनियादी तब्दीली लावें, अपने को आदमी समझें। अपने को आदमी के ऊपर नादिर शाह न समझें।

(श्री मान सिंह आजाद के खड़े होने पर)

श्री राम आसरे वर्मा--

मान्यवर, मान सिंह जी को दो मिनट दे दें।

*श्री मान सिंह आजाद (जिला लखनऊ)--

मान्यवर, हरिजनों का मामला है। आप देखें तो . . .

(अनुमति मिलने पर)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे आबकारी एवं स्वास्थ्य के बजट पर बोलने का अवसर दिया जिनका मैं समर्थन करता हूं। एमर्जेन्सी हटने के बाद जब हमारी सरकार पावर में आई तो नारा दिया गया कि चलो गांव की ओर लेकिन आज हमारे गांवों में कुछ नहीं हो रहा है।

मलिहाबाद में तो क्या मान्यवर, आप लखनऊ में ही कैसरबाग में चले जाइए आज सारे शहर लखनऊ में शराब खूब बिक रही है। आपने कभी भी यह गवारा नहीं किया कि आप शहर में घूमें और देखें कि क्या हो रहा है। गांधी जी ने कहा था कि गरीब लोग दारू न पियें और आगे बढ़ें। आप हरिजनों का नाम लेकर कहते हैं कि वे पीते हैं लेकिन आप डाक्टरों की दुकानों पर चले जाइए, वे लोग दारू शीशी में बेचते हैं। हमारे यहाँ पर माल ब्लाक में आयुर्वेदिक अस्पताल खुला था लेकिन वह आज तक वहाँ पर नहीं खुला है। आपके अधिकारीगण मेरे पत्रों का उत्तर नहीं देते हैं। आपको सोचना होगा आप दवा और दारू दोनों के मन्त्री हैं, आपने, पार्टी ने, जनता पार्टी ने गाँवों की ओर चलने का नारा भी दिया है लेकिन आपने गाँवों के लिए कुछ नहीं किया है। आपके अधिकारीगण मेरे पत्रों का उत्तर न दें, आपको लज्जा आनी चाहिए। अन्त में मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप हरिजनों का कोटा अपने विभाग में पूरा कीजिए।

इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं और प्रस्तुत माँगों का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री शिव लाल मित्तल (जिला बस्ती)--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इन अनुदानों के सम्बन्ध में बोलने का अवसर दिया। मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और निवेदन करता हूं कि हमारे जिले बस्ती में बढ़नी, नौगढ़, उस्का और बर्डपुर में एक-एक अस्पताल है। इसके अलावा कटहना, डबरा, सनई, कनवा बाजार परसा में भी एक-एक अस्पताल खोले जावें कनवा बाजार में चालू सत्र में एक अस्पताल का उद्घाटन हुआ था लेकिन पता नहीं कि कनवा अस्पताल को वहाँ के सी0एम0ओ0 क्यों डुमरियागंज ले गए। इससे वहाँ की जनता में बड़ा ही क्षोभ व्याप्त है। शोहरतगढ़ अस्पताल की नीव माननीय चन्द्र भानु गुप्त ने रखी थी, जबकि वे खाद्य मन्त्री थे। अब वहाँ की छत गिर रही है, चारपाई टूट गयी है,

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उनकी रिपेयर्स का कोई प्रबन्ध नहीं है। नौगढ़ तहसील मुख्यालय से 80 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ से मरीजों को बस्ती जिला अस्पताल या गोरखपुर जाने में बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। मेरी प्रार्थना है कि वहाँ पर जिला लेविल का एक अस्पताल खोला जाय। इसके अतिरिक्त वहाँ पर एक्सरे का प्लान्ट भी लगाया जाय।

शोहरतगढ़ के लेडीज अस्पताल में कोई डाक्टरनी नहीं है। मेरी प्रार्थना है कि वहाँ पर किसी डाक्टरनी का तुरन्त प्रबन्ध किया जाय, बढ़नी में जो डाक्टर कार्यरत है वह बहुत शराब पीता है। ऐसे डाक्टर का वहाँ से तुरन्त तबादला कर देना चाहिए।

श्री खान मोहम्मद आतिफ खां (जिला बहराइच)—

मरीजे इश्क पर रहमत खुदा की,
मर्ज बढ़ता गया ज्यूं-ज्यूं दवा की।

आज अस्पतालों की हालत यह है कि 15—20 दिन तक वहाँ रहने के बाद, तमाम टेस्ट होने के बाद भी यह तस्दीक नहीं हो पाती कि आखिर मरीज का मर्ज क्या है। जब डाक्टर ही यह पता नहीं लगा पाते तो इन अस्पतालों का क्या काम है? इनको खत्म करके यहाँ खेती कराना चाहिए। मैं 18–19 दिन तक अस्पताल में रहा और तमाम टेस्ट हुए पर डाक्टर यह नहीं पता लगा सके कि पथरी कहाँ है। जबकि एक हकीम की मैंने दवा की और उसकी दवा से दो पथरी मेरी निकल चुकी हैं। आखिर जब यूनानी और होम्योपैथी में हर मर्ज का इलाज है और वे नब्ज देख कर बता देते हैं कि मर्ज क्या है तो ऐसी चिकित्सा पद्धति को सरकार क्यों नहीं बढ़ावा दे रही है। मैंने सुना है कि होम्योपैथी के लाइसेन्स आप कैंसिल करने जा रहे हैं, इसका नतीजा खराब होगा। एक गरीब आदमी एक रुपए में एक हफ्ते की दवा ले लेता है यही उसके लिए मुनासिब इलाज है। अगर इनके लाइसेन्स आप कैंसिल कर देंगे तो इनके डाक्टर यह सोचने के लिए मजबूर हो जायेंगे कि वे या तो तरकारी बेचें या और कोई फल बेचें।

हमारे बहराइच में एक अस्पताल है वहाँ मरीजों को दवा ही नहीं मिल पाती। रिश्वत का बाजार इतना वहाँ गरम है कि सारी दवा बाजार में चली जाती है। वहाँ कोई माकूल इन्तजाम नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में लोग आपकी सराहना करें तो आप अस्पतालों का माकूल इन्तजाम करें, जो खामियाँ हैं उनको दूर करें, डाक्टरों को इस बात के लिए मजबूर करें कि वे बातें कम और काम ज्यादा करें, बहुत से अस्पतालों में तो हर वक्त शेरो-शायरी होती रहती है।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप बैठें।

आचार्य धर्मदत्त वैद्य—

मान्यवर, मेरे कटौती के प्रस्ताव पर जिन माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए हैं और अपने सुझाव दिए हैं मैं उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं। माननीय सदस्यों ने जो यहाँ पर अपने विचार प्रकट किए वे इस प्रदेश की जनता के विचार और भाव हैं। इस प्रदेश के 11 करोड़ व्यक्तियों का इस स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग से सम्बन्ध है और अगर इस विभाग की दशा दयनीय होगी तब तो इस प्रदेश का भगवान ही मालिक है।

(व्यवधान)

मैं मन्त्री जी से यह निवेदन करूंगा कि वे यहाँ जो माननीय सदस्यों द्वारा सुझाव दिए गए हैं उनसे लाभ उठा कर विभाग में आमूलचूल परिवर्तन करें।

[आचार्य धर्मदत्त वैद्य]

श्रीमन्, अगर वह अपने आप को इसमें असमर्थ पाते हैं, तो मेरा एक सुझाव है कि वे इस चिकित्सा विभाग को किसी निःशुल्क काम करने वाले संस्थान को दे दें। जैसे राम कृष्ण सेवा आश्रम है, ...

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

आप बोलिए, वैद्य जी को टोकना नहीं चाहिए, बुजुर्ग आदमी हैं।

आचार्य धर्मदत्त वैद्य--

मेरे जो विचार हैं, उनको मैं रखता हूं। जो कार्य शासन न कर सके, तो जो करने वाले सक्षम संस्थाएं हैं, उनको वह दें। मैंने जो राम कृष्ण सेवा आश्रम की बात कही, वह इसलिए कही कि जिन्होंने अपना जीवन दान तक दे दिया है, उनके अस्पतालों में ऐसे डाक्टर हैं, जाकर देखिए। मुझे बड़ा दुख होता है, इस प्रदेश में हम उन डाक्टरों के लिए लाखों रुपए खर्च करके शिक्षा की व्यवस्था करते हैं, उनमें से हम 10-15 फीसदी भी ऐसे नहीं निकाल सकते, जो सेवा भाव से कार्य कर सकें। जो साज-सज्जा की बात कही गयी उसके सम्बन्ध में मुझे कहना है कि इस साज-सज्जा पर सरकार का बहुत बड़ा धन व्यय हो रहा है। हमारा कर्तव्य है कि इसमें हम कुछ सेवा की बात करें।

श्रीमन, यह उपहास की बात नहीं है। यह बड़े आश्चर्य की बात है। इसलिए, मैं माननीय मन्त्री जी के समक्ष आपके माध्यम से रखना चाहूंगा कि जो कुछ सुझाव आए हैं हैं उन पर सहानुभूति से विचार करें। मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि कुछ योजनाओं के अन्दर जो कार्य रखे जाते हैं वह पूर्ण हो जाते हैं, लेकिन छठी योजना में मेडिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना के लिए प्रस्तावित था, जिसके लिए लखनऊ विश्वविद्यालय के लिए 50 लाख रुपए दे भी दिया था, लेकिन वह आज तक नहीं हो पाया। मैं नहीं समझ पाया कि हमारे इस प्रदेश में 9 मेडिकल कालेज हैं और 9 मेडिकल कालेजों में सम्भवतः 908 विद्यार्थी प्रवेश पाते हैं। 11 करोड़ की प्रदेश की आबादी के लिए इतने डाक्टर की संख्या बहुत कम है, छठी योजना के अन्तर्गत प्रत्येक गाँव को प्राइमरी हेल्थ सेन्टर से मिला दिया जाय, जिसके लिए हमें उप केन्द्रों में डाक्टरों की आवश्यकता पड़ेगी। इस दृष्टि से कभी मन्त्री जी ने यह विचार किया कि जो दो मेडिकल कालेज छठी योजना में प्रस्तावित थे, उनकी कितनी आवश्यकता है। आज कितने गाँवों में डाक्टर नहीं है। कितने चिकित्सालय खाली पड़े हुए हैं। श्रीमन, मन्त्री जी ने कह दिया कि उससे बेकारी बढ़ेगी। वह उन सबको आप नौकरी नहीं देंगे, कुछ लोगों को नौकरी देंगे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जो दो मेडिकल कालेज प्रस्तावित थे उनकी तुरन्त स्थापना की जाय। यह डाक्टर बेकारी बढ़वायेंगे नहीं। आप से न वह सब नौकरी माँगेंगे। वे इंजीनियर नहीं हैं, वे कहीं पर दवा लेकर बैठेंगे, अपना काम चलायेंगे।

श्री सत्य प्रकाश (जिला बरेली)--

आपने जो मेडिकल कालेज की घोषणा किया था, उसको तो आपने किया नहीं।

आचार्य धर्म दत्त वैद्य--

58 से आज तक इस प्रदेश में राजनैतिक अस्थिरता बनी हुई है, एक सरकार ने एक कार्य किया, दूसरी सरकार आई, उसने उसको खटाई में डाल दिया, यह इस देश का दुर्भाग्य है। तो श्रीमन, आयुर्वेदिक कालेजों को आपने ले लिया, लेकिन उन कालेजों को लेने से काम चलने वाला नहीं है, जब तक उनमें साज-सज्जा की जो आवश्यकता है, उसे पूरा नहीं करेंगे, तब तक उनमें शोध के कार्य प्रारम्भ नहीं किये जायेंगे, जो आप उनसे आशा करते हैं, वह उसे आप पूरा नहीं कर सकेंगे।

श्रीमन्, एक सुझाव और देना चाहता हूं बड़ी शिकायत आई कि एक्स-रे मशीन खराब हो जाती है। 1971 में यह भी सुझाव था कि हम प्रदेशीय स्तर पर कुछ टेक्निकल आदमियों को रखें जो मशीन खराब हो जायं तो आवश्यकता पड़ने पर हम भेज दें ताकि मशीन खराब होने पर डाक्टर कह देता है एक्सरे नहीं होगा रोगी को डाक्टर द्वारा निश्चित दुकान पर मनचाही फीस देकर एक्स-रे कराना पड़ता है।

औषधियों के बारे में बातें कही गयीं। कुछ औषधियों का निर्माण यहाँ करायें ताकि लाखों, करोड़ों पए की न खरीदनी पड़े और शुद्ध औषधियाँ दी जा सकें। मुकीम साहब ने कहा, मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, मन्त्री जी शायद उन्हीं के शहर के रहने वाले हैं। आपने स्वयं भी सुना, समझा होगा, उसमें देखने की बात है।

पोस्ट मार्टम की बड़ी समस्या है। 1—2—4 दिन तक लाशें पड़ी रहती हैं। कभी महीने में 10—20 पोस्ट मार्टम होते थे आज रोज 4—6 होते हैं। जनता को प्रतीक्षा करनी पड़ती है, लाशें सड़ती है, डाक्टरों, अभिभावकों को भी परेशानी होती है। इसकी व्यवस्था तहसील स्तर पर की जाय तो बड़ा उपकार करें। रविवार को अस्पतालों की छुट्टी रहती है। जब अस्पतालों की छुट्टी रहती है सरकारी, गैर सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी रहती है तो कर्मचारियों को लाभ उठाने में असुविधा होती है। रविवार के अतिरिक्त किसी दूसरे दिन छुट्टी कर दी जाय ताकि उन कर्मचारियों को लाभ मिल सके।

योजना के अन्तर्गत प्रत्येक इकाई बनानी पड़ेगी। ग्रामीण स्वास्थ योजना का प्राविधान केन्द्र सरकार ने किया था उसके पीछे भी यही एक बात थी। उसमें ऐसे चिकित्सक रखे जायं जिन्हें ज्ञान हो स्वास्थ रक्षा का। स्थानीय जड़ी बूटियों का ज्ञान हो ताकि दवाओं के अभाव में उपचार कर सकें।

छठी योजना के अन्तर्गत जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में उपकेन्द्र बनाने का विचार है, इनमें योग्यतम व्यक्तियों को रखे चाहें एलोपैथी, होम्योपैथी, यूनानी हो, उनको सक्षम कीजिए, ऐसी व्यवस्था कीजिए कि उनके माध्यम से काम चले। इसलिए स्वास्थ्य के नाम पर ही सही, स्वास्थ्य केन्द्र 11 करोड़ की जनता के जनजीवन की रक्षा करने में सक्षम हों, यही मेरा निवेदन है।

श्री रमा शंकर कौशिक—

मान्यवर, मैं आभारी हूं उन सभी माननीय सदस्यों का जिन्होंने अपने अमूल्य सुझाव देकर स्वास्थ्य, चिकित्सा विभाग का मार्ग दर्शन किया और आबकारी विभाग का भी मार्ग दर्शन किया। मान्यवर, जहाँ तक स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित बातें हैं, जैसा कि वैद्य जी ने भी सुझाव दिया और मैं भी शुरू में निवेदन कर चुका हूं कि दवा के बजाए हम लोगों को अन्ततोगत्वा स्वास्थ्य के ऊपर अधिक ध्यान देना पड़ेगा। हम अपने प्रदेश में व्यवस्थाएं कर सकें ऐसे उपाय कर सकें जिससे कि रोग हो ही न और उसी आधार पर मैंने निवेदन किया था कि हम इस दिशा में अग्रसर हैं और हमारी कोशिश है कि चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग का जो हमारा बजट है उस बजट में से अधिक हिस्सा स्वास्थ्य के काम में ही लिया जाय ताकि शुरू में ही रोकथाम की व्यवस्था की जा सके। अगर ऐसा वातावरण हम नहीं पैदा करते हैं तो दवा भी हम बढ़ातें चले जायेंगे और रोग भी बढ़ते चले जायेंगे। जहाँ तक जल के प्रदूषण का सवाल है, वायु के प्रदूषण का सवाल है और भी जो इस प्रकार के सवाल हैं, इन पर हमको गम्भीरता से सोचना है। हमने निवेदन किया कि हम इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। 24 प्रतिशत या उससे भी कम बजट चिकित्सा और स्वास्थ्य के बारे में रहता था, उसको बढ़ा कर 27 प्रतिशत किया गया है, आगे और बढ़ेगा।

[श्री रमा शंकर कौशिक—]

जहाँ तक ग्रामीण स्वास्थ्य रक्षक का सवाल है। वहाँ पर बड़ी गल्ती हो जायगी जब हम उसको डाक्टर मान कर चलेंगे। वह डाक्टर नहीं है। वह तो ऐसा सेवक है जो ग्राम वासियों को यह बताता है कि उन्हें यह रोग हो गया है अब उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में या बड़े अस्पताल में जाना चाहिए। उन्हें रोग का ज्ञान कराकर, उन्हें छोटी-मोटी दवाएं देकर, जिनको हम दिन प्रति दिन में इस्तेमाल करते हैं, उन्हें अन्धकार से हटाता है। 3 महीने के प्रशिक्षण के बाद उसे भेजा जाता है कि वह मामूली दवाओं का इस्तेमाल कर सकें, रोगियों को बताने में सक्षम हो सके कि उन्हें कौन सा रोग है और उन्हें किस अस्पताल में जाना है। यह उसका काम है। अगर हम उसको डाक्टर मानकर चलेंगे तो गल्ती हो जायगी। हमारी यह मंशा कतई नहीं है कि हम उसे डाक्टर मान कर चलें। जिन लोगों के पास सुझाव के नाम पर कुछ नहीं, जिन्हें पता नहीं कि हमें स्वास्थ्य कैसे ठीक रखना है, कौन से अस्पताल में जाना है, कहाँ जाना उचित है, उनकी मदद हो सके, उनको उचित सलाह दे सके।

जहाँ तक प्रैइवेट प्रैक्टिस का सम्बन्ध है। निश्चित रूप से शासन ने फैसला लिया है कि इस मामले में विभाग की ओर से कोई ढिलाई नहीं होगी। मैं इस सदन को और उत्तर प्रदेश की जनता को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस मामले में कोई भी ढिलाई नहीं बरती जायगी और प्राइवेट प्रैक्टिस पर जो प्रतिबन्ध है उसको कायम रखा जायगा। उस पर कड़ाई से पालन किया जायगा।

जैसा कि यूनानी के बारे में हमारे बारी साहब ने कहा बहुत से लोग इस बात को स्वीकार करेंगे कि आयुर्वेदिक और यूनानी की जो पद्धतियाँ हैं उनमें कोई फर्क नहीं है। जब हम आयुर्वेद को बढ़ाने की बात करते हैं तो यूनानी भी उसमें सम्मिलित है। जैसा कि बारी साहब ने विद्यालयों में अनुदान का जिक्र किया। जो हम आयुर्वेद को देते हैं उसी अनुपात में 50 प्रतिशत न यूनानी कालेजों को भी देते हैं। इसी के अनुसार इस वर्ष एक यूनानी कालेज का राजकीयकरण कर लेंगे। जैसे आयुर्वेदिक को करेंगे उसी प्रकार यूनानी को कर देंगे। जो यह बात है कि यूनानी को प्राथमिकता नहीं देना चाहते, इसको निकाल देना चाहिए। निश्चित रूप से अब हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो यूनानी उसमें शामिल है।

मान्यवर, जहाँ तक नकली दवाओं के सम्बन्ध में माननीय शतरुद्र प्रकाश जी ने कहा, दो तीन बातें उन्होंने विशेष रूप से कहीं। ग्लूकोज के सम्बन्ध में जिसका उन्होंने जिक्र किया तो उसके प्रयोग से कंपकपाहट कुछ रोगियों को बलरामपुर अस्पताल में हुई थी। जिसकी रिपोर्ट तत्काल सुपरिंटेंडेंट ने की और उस पर तत्काल कार्यवाही की गयी और उसकी सील किया गया। दूसरे अस्पतालों में उस ग्लूकोज को सील कर दिया गया। उसके बाद जो हमारे यहाँ के विश्लेषक हैं उनको जाँच के लिए भेजा गया। राजकीय विश्लेषक ने घोषणा किया कि जो सैम्पिल है वह मानक के अनुसार है। हमने उसको कलकत्ता को भी जाँच के लिए भेजा तो वहाँ से रिपोर्ट आई कि पार्टीकुलेट मैटर इसमें है। जो भारत सरकार की गाइड-लाइन्स है उसके अनुसार यह एक माइनर डिफेक्ट है।

श्री शतरुद्र प्रकाश—

क्या ड्रग इन्सपेक्टर की कोई रिपोर्ट आई है कि यह निम्न स्तर का है। मन्त्री जी ने केन्द्र सरकार का हवाला दिया यह पूरे प्रदेश के स्वास्थ्य के लिए मजाक है।

श्री रमा शंकर कौशिक—

मान्यवर, पूरी बात सुन लें। ड्रग इन्सपेक्टर का सवाल ही नहीं है। जो राजकीय विश्लेषक हैं उसने कहा है कि यह मानक के अनुसार है। फिर भी उनको कड़ी चेतावनी

और जो आवश्यक हो सकती थी उसका आदेश दिया गया। भारत सरकार की गाइड लाइन्स के मुताबिक पार्टीकुलेट मैटर कोई बड़ा डिफेक्ट नहीं है।

श्री शतरुद्र प्रकाश––

वह किस कम्पनी का था ?

श्री रमा शंकर कौशिक––

इसकी जानकारी करनी पड़ेगी।

मान्यवर, जहाँ तक इलाहाबाद की हड़ताल के सम्बन्ध म बात है तो मैं माननीय विधायक महोदय को बताना चाहता हूं कि वह हड़ताल 27 अप्रैल को हुई तथा 2 मई को खत्म हो गयी। जूनियर डाक्टर और नर्सों के बीच झगड़ा हुआ था। उसको रोकने के लिए तत्काल कार्यवाही की गयी, अधिकारी भेजे गए उन्होंने जाकर समझौता कराया और 2 मई को हड़ताल समाप्त हो गयी। जहाँ तक अस्पताल की उस दौरान में व्यवस्था का सवाल है, जो मरीज वहाँ भर्ती थे उन मरीजों की पूरी तरीके से देखभाल वहाँ के वरिष्ठ डाक्टरों ने की, वह हड़ताल पर नहीं थे। केवल इमरजेंसी वार्ड बन्द कर दिया गया था पर जो दूसरे मरीज थे उनकी देखभाल की गयी और कोई ऐसी शिकायत नहीं प्राप्त हुई। उसके बावजूद भी मैंने अपने अधिकारियों को भेजा था। ऐसी कोई बात नहीं आई कि इसी वजह से 17 व्यक्तियों की मृत्यु हो गयी।

श्री शतरुद्र प्रकाश––

मेरी निश्चित जानकारी है। स्वास्थ्य मन्त्री वहाँ खुद जाते। यह गम्भीर मामला था। जनता पार्टी के एक ऐसे नेता जी मीसा में जेल गए उन्होंने 17 आदमियों की जानकारी दी। मैं चाहूंगा कि इसकी जाँच करायें।

श्री रमा शंकर कौशिक––

मान्यवर उनको भी मैं जानता हूं। शुक्ला जी का जिक्र कर रहे हैं। मैं उनको अच्छी तरह जानता हूं। मान्यवर, जहाँ तक आयुर्वेद की तरक्की करने का जिक्र है, जैसा मैंने शुरू में निवेदन किया कि पिछले 30 वर्षों के दौरान हम इसमें वाँछित तरक्की नहीं कर पाए। लेकिन जैसा मैंने निवेदन किया कि शासन की बिल्कुल निश्चित नीति है कि आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति का हम विकास करें। प्रदेश में इंडियन मेडिकल सिस्टम्स को सुधारने के लिए, विकास के लिए 1 करोड़ 9 लाख रुपए का प्राविधान किया गया है। जो हमारे दूसरे कालेज हैं उनकी साज-सज्जा के लिए 14 लाख रुपए का प्राविधान किया गया है। मेडिकल कालेजों की माँग चारों तरफ से आती है, इसमें कोई शक नहीं है। जब वैद्य जी मेडिकल कालेजों से सम्बन्धित बातें कर रहे थे और जो डाक्टरों की बात की गयी उसमें उन्होंने एलोपैथिक, मेडिकल कालेजों की स्थापना का जिक्र किया तो आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक के जो कालेज हैं, जिनको लिया है वहाँ भी डाक्टर बनेंगे। इसलिए यदि इस दृष्टि से वह देखते तो जितनी डाक्टरों की कमी की बात कहते हैं उतनी कमी नहीं है। इसके बावजूद भी कि और मेडिकल कालेज खोलें लेकिन प्रश्न है कि जो कालेज खुले हैं उनको क्या हम पूरी तरह सक्षम बना पाए हैं, यह बहुत बड़ा सवाल है और इसमें इंडियन काउन्सिल कहती है कि जब तक मेडिकल कालेजों में सारी व्यवस्थाएं न हो जायं तब तक किसी प्रकार और मेडिकल कालेजेज नहीं खोलना चाहिए। जो नए मेडिकल कालेजेज खुले हैं जैसे गोरखपुर, झांसी और मेरठ उनमें हम वह सुविधाएं नहीं दे पाए हैं जो आवश्यक हैं। किसी को स्नातक बनाने के लिए यदि उनको गुणात्मक रूप से हल करें तो वह

[श्री रमाशंकर कौशिक]

ज्यादा हितकारी बात होगी अपेक्षाकृत कि नये-नये मेडिकल कालेज खोले जायं। इससे समस्या हल होने वाली नहीं है। गुणात्मक दृष्टि से इन कालेजों को अधिक बलशाली और सक्षम बनायें यह ज्यादा अच्छा होगा।

आचार्य धर्म दत्त वैद्य--

मान्यवर, कालेज की जो व्यवस्था है यह योजना के अन्तर्गत है। यदि हम नहीं करेंगे तो जो आयुर्वेदिक और एलोपैथिक कालेज हैं उनमें जो रुपया हमको मिल सकता है वह नहीं मिलेगा। इसलिए सक्षम बनाने के लिए छठी योजना में क्यों अधिक से अधिक माँग नहीं की गयी जिससे जो कमी थी वह पूरी होती। इसलिए जब योजनाएं समाप्त हो जायेंगी तब इस काम को कैसे आप कर पायेंगे ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

मान्यवर, जो पैसा मिल रहा है और जो प्लानिंग कमीशन से निश्चय हुआ है वह माननीय सदस्य को मालूम है। इसलिए इसमें मैं नहीं जाना चाहता हूं, क्योंकि समय कम है।

मान्यवर, डा0 कौशल ने खण्डेलवाल में गाइनेक्स और एम0एस0 में प्रवेश के सम्बन्ध में कहा तो उनकी बात सही है कि वहाँ एक सीट को बढ़ाकर प्रवेश दिया गया है। उसका कारण, जहाँ तक इस महिला के मेरिट का सवाल है उसका नाम उसमें आता है और मेरिट लिस्ट के मुताबिक उसका नाम छठे नम्बर पर आता है। लेकिन उसका एडमीशन इसलिए नहीं हुआ था चूंकि आगरा मेडिकल कालेज के विद्यार्थियों ने विरोध किया कि यह लखनऊ मेडिकल कालेज की छात्रा है, वहाँ से उसने एम0 बी0 बी0 एस0 पास किया है, इसलिए यहाँ एडमीशन नहीं होना चाहिए। इसलिए उस विरोध को देखते हुए आगरा के मेडिकल कालेज के लड़कों को प्रवेश मिला। लेकिन इस मामले में इंडियन काउन्सिल के स्पष्ट आदेश हैं कि इस प्रकार का भेदभाव मेडिकल कालेज में नहीं रखना चाहिए और इसके बावजूद हम लोग उस समय तक विभाग ने उसका प्रवेश रोक दिया, चूंकि गलत या सही की बात नहीं बल्कि वहाँ एक आक्रोश था इसलिए। लेकिन जब वह हाई कोर्ट में महिला चली गयी तो वहाँ फैसला हुआ कि उसका प्राविजनल एडमीशन होना चाहिए और हम भी समझते हैं कि मेरिट में उसका नम्बर आता है सिर्फ गलत धारणा पर उसको रोका गया, इसलिए एक सीट बढ़ाकर उसको एडमीशन दिया गया है।

डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल--

अगली बार भी इस सीट को कायम रखेंगे ?

श्री रमा शंकर कौशिक--

ठीक है। इस पर विचार कर लेंगे। मान्यवर, कौशल जी ने दो चार बातें आबकारी विभाग के सम्बन्ध में भी कही। जो औद्योगिक अल्कोहल है उसके सम्बन्ध में दो चार शब्द कहना चाहता हूं। मान्यवर, काँग्रेस पार्टी की सरकार ने जब जैसा चाहा वैसा कर वसूलने की नीति रखी थी और कोई स्पष्ट नीति की घोषणा उसने नहीं की थी जिसका दुष्परिणाम यह हुआ कि जो अल्कोहल वेस्ड इंडस्ट्री हमारे उत्तर प्रदेश में लगनी चाहिए थी वह न लगकर कलकत्ता और बम्बई में लगी। यद्यपि कलकत्ता में जिन्होंने फैक्टरियाँ लगाई वह अल्कोहल हमसे मंगाते हैं। लेकिन गलत नीतियों के कारण और इस प्रकार से अपने राजनीतिक स्वार्थ सिद्धि करने के लिए जो गलत नीति बनाई गयीं उसका यह दुष्परिणाम हुआ कि जो हमारा सबसे अधिक पैदा करने वाला प्रदेश था यहाँ अल्कोहल वेस्ड इंडस्ट्री नहीं लग पाई। शुरू में इन्होंने लगाया सेल्स टैक्स। हाई कोर्ट ने उसको रद्द कर दिया। जब हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया तो उन्होंने बैंड को लगायी। हाईकोर्ट ने उसको भी रद्द कर दिया। फिर इन्होंने परचेज टैक्स लगाया। 40 रुपया पहले मिलियन पर और 20

रुपया आने वाले मिलियन पर और यही व्यवस्था उत्तर प्रदेश में लागू थी। लेकिन बरेली सिन्थेटिक ने चैलेन्ज कर रखा है और वह मामला न्यायालय में है।

आज तक जबसे वह फैक्टरी लगी एक पैसा भी शासन को नहीं दिया, कांग्रेस के जमाने में भी नहीं दिया। इस गलत नीति के कारण हमें अल्कोहल को बाहर भेजना पड़ता है। हमें अपने सीरे को उठाने के लिए तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि हम अल्कोहल बनाते हैं। इसलिए महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में एक अल्कोहल समिति प्रस्तावित की थी और उसके अनुसार उसका गठन हो भी चुका है। अब जहाँ तक इंस्पेक्टर्स की भर्ती का सवाल है तो उसमें पब्लिक सर्विस कमीशन से पूछा गया। उसने कहा कि अभी इनकी भर्ती करने में डेढ़ साल लगेगा। पर्वतीय क्षेत्र में कोई व्यक्ति जाने को तैयार नहीं होता। खाली जगह पड़ी हुई है। इसलिए कुछ एडहाक नियुक्तियाँ की गयी हैं और इस शर्त पर पब्लिक सर्विस कमीशन में जाना होगा। डाक्टर की नियुक्ति का भी एक बहुत बड़ा सवाल है। माननीय सदस्यों ने कहा कि डिस्पेन्सरी में डाक्टर नहीं हैं। मैं स्वीकार करता हूं कि रिक्तियाँ रही हैं। उसका कारण यह रहा कि भर्ती नहीं हुई और पब्लिक सर्विस कमीशन के इन्तजार में अनेक वर्षों तक यह रिक्तियाँ रहती रहीं। पब्लिक सर्विस कमीशन ने ऐसी लिस्ट बनाई कि दस बारह साल पुराने डाक्टरों की सेवाएं समाप्त कर दीं और नई लिस्ट बना दी। अब उन रिक्तियों को भरा जा रहा है। मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देना चाहता हूं कि जुलाई के अन्त तक हर डिस्पेन्सरी में डाक्टर चला जायेगा। कई माननीय सदस्यों ने कहा कि जो यह फ्री पर्चा बनता है, इससे बहुत परेशानी है। प्रशासनिक दृष्टि से यह बात देखने में आई है कि हमारे बड़े-बड़े जिला मुख्यालयों पर जो अस्पताल हैं वहाँ जब रोगी पर्चा नहीं लाते हैं तो परेशानी का सामना करना पड़ता है। जितनी देर में एक पुराना मरीज डाक्टर निपटाता है उतनी देर में 10नये मरीज निपटा लेता है क्योंकि पुराने मरीज का पुराना रिकार्ड देखना पड़ता ह, रजिस्टर देखने पड़ते हैं और पर्चा उसके पास से गुम हो जाता है क्योंकि पैसे नहीं लगते। इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए यह निश्चय किया जाता है कि जिला मुख्यालयों में अस्पतालों में 50 पैसे का शुल्क लगना शुरू हो जायगा। जो दूसरे अस्पताल हैं उन पर यह शुल्क नहीं लगेगा। जहाँ तक परिवार कल्याण का सवाल है इसमें पिछली कांग्रेस सरकार के पापों के कारण हमको कुछ कष्ट झेलना पड़ रहा है।

यह प्राकृतिक नियम है कि यदि किसी भी चीज के साथ, ज्यादती और जबरदस्ती की जाती है तो उससे उतनी ही वितृष्णा पैदा हो जाती है, उसको प्रतिक्रिया होती है और आज यही प्रतिक्रिया हमारे उत्तर प्रदेश में व्याप्त है कि लोग फेमिली वेलफेयर की ओर जाने के आकृष्ट नहीं होते और हम इस मामले में काफी पिछड़ गये। लेकिन अब इस मामले में हम कोशिश कर रहे हैं कि लक्ष्यों को प्राप्त करें लेकिन किसी भी हालत में जोर जबरदस्ती का सहारा नहीं लिया जायगा। लोगों को समझाकर किया जायगा। लोग समझ भी रहे हैं। पुरुष नसबन्दी को लेकर ज्यादा विरोध और वितृष्णा में अपने प्रदेश की महिलाओं को धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं कि वे इस मामले में अग्रणी हैं। यद्यपि पुरुष नसबन्दी की अपेक्षा महिलाओं का आपरेशन अधिक जटिल है और उसमें अधिक समय लगता है लेकिन इसके बावजूद भी हमारे प्रदेश की महिलायें इसको स्वीकार कर रही हैं। एक बात मैं और कह देना चाहता हूं जो हेल्थ मिनिस्टरों की सेन्ट्रल काउंसिल की बैठक हुई थी उसमें भी मैंने कहा था कि हमको हकीकत को स्वीकार करना होगा और आज हकीकत यह है कि पुरुष नसबन्दी के कार्यक्रम को अपनाना नहीं चाहता, चाहे किसी भी कारण से। चाहे कांग्रेस की सरकार ने जो पास किए थे, उन कारणों से। महिलाओं ने इस कार्यक्रम को अधिक स्वीकारा है।

[श्री रमाशंकर कौशिक]

ऐसी स्थिति में हमारा यह दायित्व है कि हम वैसी परिस्थितियां पैदा करें कि महिलाओं को इस ओर ज्यादा आकृष्ट किया जा सके। इसके लिए मैं समझता हूं कि जब महिलाओं का प्रसव अस्पताल में हो, उस समय उनको आपरेशन की अधिक से अधिक सुविधाएं दी जायें तो वे इस कार्यक्रम को ज्यादा अपनायेंगी और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे। आप यह भी देखें कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं ने 60 हजार आपरेशन कराये हैं। यह मामूली बात नहीं है। मैं यह मानता हूं कि गर्भ समापन और भी कारणों से कराए जाते हैं लेकिन इन 60 हजार में से कुछ ही ऐसे होंगे जो अन्य कारणों से कराये गये हों, अन्यथा सभी इस कारण से कराए गये हैं कि हमारा बच्चा छोटा है और हमें गर्भ समापन कराना है। इसलिए हमें उनकी ओर अधिक ध्यान देना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी इस कार्यक्रम को अपनाने के लिए वे उत्सुक हैं और 60 हजार महिलाओं ने गर्भाधान समापन करके इस कार्यक्रम को स्वीकारा। मैं कहना चाहता हूं कि हमारी यह कोशिश रहेगी कि हम महिलाओं को अधिक से अधिक सुविधा प्रसव के लिए मुहैय्या कर सकें। जब तक वे होस्पीटलाइज नहीं होंगी तब तक उनकी नसबन्दी नहीं होगी और तब तक हम इस कार्यक्रम के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। महिलाओं को सुविधा मुहैय्या करने में हम तत्पर रहेंगे।

मान्यवर, जहाँ तक होम्योपैथिक दवाओं का सवाल है मुझे यह निवेदन करना है कि दवाओं के ऊपर कोई पाबन्दी नहीं है। जो मिश्रण होता है, सुरा के रूप में, उस पर पाबन्दी है। पाबन्दी भी नहीं एक नियन्त्रण उस पर है। लाइसेन्स लेने में कोई परेशानी है तो व्यवहारिक तौर पर है। व्यवहारिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए मैं तैयार हूं। लेकिन अगर दवाओं के नाम पर कोई सुरा का इस्तेमाल करेंगे, शराब बेचेंगे तो इसे बरदाश्त नहीं किया जायगा। मान्यवर, इसी प्रकार का मामला डाबर कम्पनी का है गाजियाबाद में जो स्थित है। माननीय श्याम सुन्दर जी चले गये हैं जिसके बारे में वह जिक्र कर रहे थे। डाबर वह कम्पनी है जो मृत्यु संजीवनी सुरा बनाती है। मृत्यु संजीवनी सुरा में कई प्रतिशत अलकोहल यहाँ तक कि 60 प्रतिशत अल्कोहल रहता है। वह पहाड़ों पर बेची जा रही है। मृत्यु संजीवनी का मामला लेकर अदालत में मुकदमा चल रहा है। हाई कोर्ट ने उनके हक में थोड़ा बहुत फसला कर दिया है। जहाँ तक बनाने का सवाल है उस पर पाबन्दी लगाने का हमको अधिकार है और हम ऐसा समझते हैं कि ऐसी सुरा का निर्माण न हो जो औषधि तो है ही नहीं किन्तु उसके नाम पर दुरुपयोग करते हैं शराब के नाम पर बेचते हैं। इस प्रकार से पर्वतीय क्षेत्र में यह बड़ा प्राब्लम है।

मान्यवर, बहुत बातें हैं . . . .

एक सदस्य——

आखिरी करिए.. . . .

श्री रमा शंकर कौशिक——

आपकी यह राय है तो मैं यही अनुरोध करते हुए कि आप भी परिवार कल्याण के कार्यक्रम में अपनी शक्ति के साथ सहयोग करें जो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की बढ़ोत्तरी को कम करने का सवाल है उस पर अपना सहयोग दें ताकि हमारा प्रदेश तरक्की के रास्ते पर बढ़ सके। इसी अनुरोध के साथ एक बार फिर जिन माननीय सदस्यों ने अपने बहुमूल्य सुझाव दिए हैं उनको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं और अनुरोध करता हूं कि इन अनुदानों को सर्वसम्मति से पारित करें, स्वीकार करें।

श्री उपाध्यक्ष——

क्या आप कटौती का प्रस्ताव वापस लेते हैं ?

(कोई उत्तर न मिलने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि . . . . .

श्री बाबू बदरे (जिला कानपुर)—

वापस ले रहे हैं मान्यवर, . . .

श्री उपाध्यक्ष—

मन्त्री जी ने कोई निवेदन नहीं किया . . . . .

श्री रमा शंकर कौशिक—

मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा हूं. . . . .

(कोई उत्तर न मिलने पर)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 10—आबकारी विभाग-सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 10–आबकारी विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,26,18,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष —

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 39—चिकित्सा विभाग (चिकित्सा) के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 39–चिकित्सा विभाग (चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 47,31,58,000 रुपए से अधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 40—चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अधीन माँग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 40–चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 10,54,00,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 41—चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 41—चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 17,58,92,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष —

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 84—चिकित्सा विभाग (पूंजीगत परिव्यय) के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 84—चिकित्सा विभाग—पूंजीगत परिव्यय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 13,74,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष—

आज नियम 51 के अन्तर्गत मुझे 3 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं जिनमें श्री ओम प्रकाश उर्फ राम मिलन सिंह की सूचना दिनाँक 19 मई, 1979 की बस्ती के हरैया तहसील के अन्तर्गत घाघरा नदी में एकाएक 6 फुट पानी आ जाने से दर्जनों आदमियों की मृत्यु तथा पूरी तहसील में जन जीवन का अस्त व्यस्त होने से सम्बन्धित है जिसे मैंने केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया है।

दूसरी सूचना सर्वश्री गोविन्द सिंह नेगी, देव कुमार यादव तथा श्रीनारायण की है, प्रदेश के हथकरघा उद्योग पर भारी संकट आ जाने से बुनकर परिवारों में बेरोजगारी के कारण 28 मई, 1979 से क्रमिक भूख हड़ताल के सम्बन्ध में। इसको मैंने स्वीकार किया है।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

इस सिलसिले में मैंने कार्य-स्थगन प्रस्ताव दिया था। अब यह नियम 51 में आपने स्वीकार किया है तो मेरा भी नाम इसमें जोड़ दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष—

आप इस पर बोल लेंगे।

श्री गुलाब सेहरा का भी इसी सम्बन्ध में आया है।

तीसरी सूचना श्री मौजी लाल कुरील की है, कानपुर के अन्तर्गत ग्राम चौराह में निकाली जा रही बालू व मौरंग से उत्पन्न परेशानी के सम्बन्ध में। इसे मैंने अस्वीकार कर दिया है।

वक्तव्य दोनों सूचनाओं पर 6 जून, 1979 को होंगे।

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (प्रबन्ध ग्रहण) विधेयक, 1979

स्वास्थ्य मंत्री (श्री रमा शंकर कौशिक)—

मान्यवर, मैं माननीय अध्यक्ष की अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (प्रबन्ध ग्रहण) विधेयक, 1979, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

मान्यवर, इस संबंध में कुछ विशेष कहना नहीं है क्योंकि माननीय सदस्य जानते हैं कि किन परिस्थितियों में यह किया गया।

श्री राम आसरे वर्मा (जिला हरदोई)—

मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (प्रबन्ध ग्रहण) विधेयक, 1979, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ, को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो 15 दिन के अन्दर अपना प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत कर दे।

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी को और शासन को बधाई देना चाहूंगा क्योंकि यह विधेयक जो पेश किया गया है इसके पीछे उनकी नियत अच्छी है। कभी-कभी अच्छी नियत के पीछे भी कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं जिनकी तरफ संकेत करना जरूरी हो जाता है। मान्यवर, शासन ने होम्योपैथी के छात्रों की लम्बी लड़ाई के बाद जो सहानुभूतिपूर्ण रुख अपनाया है उनकी हर आदमी सराहना करेगा। अध्यादेश की रोशनी में जिस तरह से कालेजों का अधिग्रहण किया जाना चाहिये था उस तरह से नहीं किया गया। उसके लिए कुछ कारण हैं। आपकी नियत अच्छी थी लेकिन उसको गड्ढे में डालने वाले लोग भी आपके बीच में मौजूद हैं। मुझे याद है जिस समय आप कालेजों को अधिग्रहण करने की व्यवस्था कर रहे थे उस समय इसी सचिवालय के उप सचिव ने कालेजों के प्रबन्धकों को बुला-बुला कर षड्यंत्र किया। (व्यवधान) बाद में वह हटा दिये गये हों या नहीं, मैं नहीं जानता लेकिन मैं कहूंगा कि उसके कारण अधिग्रहण ठीक से नहीं हो पाया। उन्होंने सम्पत्ति को हड़प लिया और सामान को इधर से उधर कर दिया। आपने उनके बैंक एकाउन्ट्स को सिर्फ क्लोज करवा दिया है।

एक बात मेरी समझ में नहीं आई, आपने कहा है कि प्रबन्ध समिति को सीमित अवधि के लिए अधिग्रहण करने के लिए यह ला रहे हैं। तो यह सीमित अवधि का संकेत क्या है। क्या थोड़े दिनों बाद आप फिर प्रबन्ध समितियों के हवाले इनको कर देंगे या कोई और व्यवस्था करेंगे। इससे संदेह पैदा होता है कि जिनके हाथ से आपने इनको छुड़ाया है उनको फिर दे देंगे क्या?

जब किसी चीज का अधिग्रहण होता है चाहे मिल हो या दूसरी चीजें उसकी लाइबिलिटी का भी शासन निर्वहन करता है। तो जो विद्यालय आपने लिए उनके ऊपर लाइबिलिटी भी थी। शिक्षकों के वेतन आदि के मामले थे जो उनके नहीं मिले थे उसके लिए कोई आश्वासन शासन की ओर से नहीं मिला है।

विद्यार्थियों की लम्बी लड़ाई के बाद आपने उनकी समस्या सुलझाई लेकिन उनकी शुरू से यह मांग रही है उनको किसी महाविद्यालय से सम्बद्ध कर दिया जाय। इसमें संम्बद्धता के बारे में कोई बात नहीं की गई है। आपने अधिग्रहण सभी कालेजों का कर लिया होगा और कालेज अभी तक खुले नहीं हैं, छात्र इम्तहान के लिए बेचैन घूम रहे हैं। मेरा कहना है कि इन तमाम गुत्थियों को सुलझाना है। इसलिए इन सब बातों पर विस्तार से और गहराई से विचार करने के लिए इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय और तब यह सदन में आये।

श्री रमा शंकर कौशिक--

मान्यवर, यह सही है जैसा माननीय वर्मा जी ने कहा कि यह सीमित अवधि के लिए किया गया है। उसके पीछे उद्देश्य यह है कि हम इन विद्यालयों का किस ढंग से नियमन करें, यह मामला भी शासन के विचाराधीन है और शासन ने जो एक सात सदस्यीय समिति बनाई थी, उसकी संस्तुतियाँ भी शासन के विचाराधीन हैं। उ के तहत और अपने संसाधनों को देखते हुए हम इन्हें इस स्तर का बनाना चाहते हैं कि यह वस्तुतः हमारे प्रदेश की आवश्यकताओं के अनुरूप डाक्टरों को पैदा कर सकें। आज की मौजूदा स्थिति में, जिसे राम आसरे जी भी जानते हैं कि विद्यालयों के पास कुछ नहीं है। शैय्यायें हैं तो भवन नहीं और भवन हैं तो डाक्टर नहीं हैं। और जो प्रिंसिपल है डाक्टर उसका रिश्तेदार है या उसका लड़का आदि है तो इस तरह की बहुत सी अनियमित बातें इनमें हैं। इस प्रकार इनकी व्यवस्था चल ही थी, तो हमें इस व्यवस्था को नये सिरे से बदलना पड़ेगा। इसमें कुछ समय लगेगा, 1 वर्ष का और दो वर्ष का भी लग सकता है, क्योंकि हमारे पास साधन सीमित हैं। इनकी आवश्यकता हमारे प्रदेश में है, लेकिन हमारे सामने धन का सवाल है। इनको किस ढंग से इस लायक बना सकें, यह एक गम्भीर समला है। इसलिए सीमित व्यवस्था की गयी है और इस दौरान हम इन विद्यालयों को उस योग्य बनाने का व्यवस्था कर लेंगे चाहे कुछ विद्यालयों को कम करना पड़े। जैसे कुछ जगह तीन तीन विद्यालय हैं तो उन्हें एक में लाना पड़ेगा। हमारा प्रयास है कि चाहे आयुर्वेदिक, चाहे एलोपैथी और चाहे होम्योपैथी कोई भी विद्यालय हो, हम उसे ठीक ढंग से चलावें. . .

श्री मन्जूर अहमद (जिला मेरठ)--

कोरम नहीं है, बिल कैसे पास हो जाएगा ?

(कोरम के लिए घंटी बजाई गई।)

श्री रमाशंकर कौशिक--

कोरम पूरा है।

श्री उपाध्यक्ष--

आप इसे वापस लेते हैं ?

श्री राम आसरे वर्मा--

मैं अपने प्रस्ताव को वापस लेता हूं।

श्री रमाशंकर कौशिक--

मैं एक घोषणा और करना चाहता हूं कि जुलाई के अन्त तक कानपुर विश्वविद्यालय के जरिए से इन छात्रों की परीक्षाएं ले ली जायेंगी।

(व्यवधान)

श्री बाबू बदरे (जिला कानपुर)--

मान्यवर, इसे वापस ले लिया है।

श्री उपाध्यक्ष--

अब तो घंटी बज रही है।

श्री मन्जूर अहमद--

जब मैंने कोरम चैलेंज किया, उसके बाद वापस लिया है।

(गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय राम आसरे, आप वापस ले रहे हैं ?

श्री राम आसरे वर्मा--

मैं संशोधन वापस ले रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि श्री राम आसरे वर्मा को अपना संशोधन वापस लेने की यह सदन अनुमति प्रदान करता है ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (प्रबन्ध ग्रहण) विधेयक, 1979, जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड 2 से 16, अनुसूची, खण्ड 1, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (प्रबन्ध ग्रहण) विधेयक, 1979

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ।)

कुछ होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालयों का प्रबन्ध लोक-हित में, सीमित अवधि के लिए ग्रहण करने के लिए और उनका समुचित प्रबन्ध सुनिश्चित करने के लिये, और उससे सम्बद्ध या आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के तीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (प्रबन्ध-ग्रहण) अधिनियम, 1979 कहा जायगा ।

(2) यह 30 अप्रैल, 1979 को प्रवृत्त समझा जायगा ।

परिभाषाएं

2—इस अधिनियम में,—

(क) "प्रशासक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के निकाय से है जिसे धारा 4 के अधीन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया जाय;

(ख) "नियत दिन" का तात्पर्य धारा 3 के प्रयोजनों के लिये राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित दिनांक से है ;

(ग) "अनुसूचित महाविद्यालय" का तात्पर्य अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय से है और इसके अन्तर्गत सभी आस्तियाँ, अधिकार, पट्टा, शक्तियाँ, प्राधिकार और विशेषाधिकार, और सभी जंगम और स्थावर सम्पतियाँ भी हैं, जिसमें भूमि, भवन, निर्माण-कार्य, फर्नीचर, उपस्कर, औषधि, स्टोर, उपकरण, मशीन, आटोमोबाइल और अन्य गाड़ियाँ, नकदी, बैंक शेष, आरक्षित निधि विनिधान और वही ऋण और ऐसे महाविद्यालय से संबंधित ऐसी सम्पत्ति से उद्भूत होने वाले सभी अन्य अधिकार और हित, जो नियत दिन के ठीक पूर्व ऐसे महाविद्यालय का संचालन करने वाले व्यक्ति, सोसाइटी या अन्य निकाय के स्वामित्व, कब्जा, शक्ति या नियंत्रण में रहे हों, और उससे सम्बन्धित सभी लेखा-बही, रजिस्टर और किसी भी प्रकार क अन्य दस्तावेज भी हैं ।

अनुसूचित महाविद्यालयों का प्रबन्ध राज्य सरकार में निहित होना

3—नियत दिन को और उसी दिन से, एक वर्ष की अवधि के लिये सभी अनुसूचित महाविद्यालगों का प्रबन्ध राज्य सरकार में निहित होगा:

परन्तु यदि राज्य सरकार की यह राय हो कि किसी अनुसूचित महाविद्यालय का समुचित प्रबन्ध सुनिश्चित करने के उद्देश्य से यह समीचीन है कि ऐसा प्रबन्ध एक वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् भी राज्य सरकार में पूर्ववत निहित रहे तो वह, अधिसूचना द्वारा, ऐसे महाविद्यालय के सम्बन्ध में उक्त अवधि को इस प्रकार बढ़ा सकती है कि ऐसी कुल अवधि जब तक कि ऐसा प्रबन्ध राज्य सरकार में निहित रहे, किसी भी स्थिति में दो वर्ष से अधिक न होगी।

प्रशासकों की नियुक्ति

4—(1) राज्य सरकार, नियत दिन से, प्रत्येक अनुसूचित महाविद्यालय का प्रबन्ध ग्रहण करने के प्रयोजनों के लिये प्रशासक नियुक्त करेगी, और प्रशासक राज्य सरकार के लिये और उसकी ओर से ऐसे महाविद्यालय का प्रबन्ध करेगा।

(2) ऐसे प्रशासक की नियुक्ति हो जाने पर नियत दिन के ठीक पूर्व अनुसूचित महाविद्यालय के प्रबन्ध के प्रभारी सभी व्यक्ति, ऐसे प्रबन्ध के प्रभारी नहीं रह जायेंगे और ऐसा प्रबन्ध प्रशासक को सौंप देंगे।

(3) राज्य सरकार प्रशासक को उसकी शक्तियों और कर्त्तव्यों के संबंध में ऐसे निदेश (जिसके अन्तर्गत किसी न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकारी के समक्ष किसी विधिक कार्यवाही के प्रारम्भ करने, प्रतिवाद करने या जारी रखने से संबंधित निदेश भी है) दे सकती है, जिन्हें वह उचित समझे।

(4) किसी अनुसूचित महाविद्यालय का प्रशासक किसी भी समय राज्य सरकार से उस रीति के सम्बन्ध में जिससे वह ऐसे महाविद्यालय के प्रबन्ध का संचालन करे, या किसी ऐसे विषय के संबंध में जो ऐसे प्रबन्ध के दौरान उदभूत हो अनुदेश दिये जाने के लिये आवेदन कर सकता है।

(5) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, प्रशासक को उसके प्रबन्ध के अधीन अनुसूचित महाविद्यालय के प्रबन्ध के प्रभारी व्यक्ति या निकाय की (चाहे वह किसी भी नाम से पुकारा जाय) सभी शक्तियाँ प्राप्त होंगी जिसके अन्तर्गत ऐसे महाविद्यालय की किसी सम्पत्ति या आस्तियों का निस्तारण करने की शक्ति भी है।

(6) विशेष रूप से और उपधारा (5) के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रशासक को निम्नलिखित कार्य करने की शक्ति भी होगी—

(क) अनुसूचित महाविद्यालय में किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी की नियुक्ति और सेवा समाप्ति;

(ख) ऐसे अध्यापक या कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही (जिसके अन्तर्गत पदच्युत या निलम्बित करने की भी शक्ति है);

(ग) ऐसे महाविद्यालय से अनुलग्न, या उसके या उसके प्रयोजनार्थ या विन्यस्त सम्पत्ति का प्रबन्ध;

(घ) ऐसे महाविद्यालय के बैंक लेखे का संचालन और उसके छात्रों से फीस वसूली।

कब्जा देने का कर्त्तव्य

5—(1) प्रत्येक व्यक्ति, जिसके कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में किसी अनुसूचित महाविद्यालय से सम्बन्धित कोई सम्पत्ति हो, ऐसे महाविद्यालय के लिये प्रशासक की नियुक्ति हो जाने पर, ऐसी सम्पत्ति प्रशासक या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी को जिसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाय, तत्काल देने के लिये बाध्य होगा।

(2) नियत दिन के ठीक पूर्व किसी अनुसूचित महाविद्यालय के प्रबन्ध का प्रभारी प्रत्येक व्यक्ति उस दिन से दस दिन के भीतर या ऐसी अग्रतर अवधि के भीतर, जिसकी राज्य सरकार इस निमित्त अनुज्ञा दें प्रशासक को, नियत दिन के ठीक पूर्व ऐसे महाविद्यालय से सम्बन्धित सभी सम्पत्ति और आस्तियों की, (जिसके अन्तर्गत बही-ऋण, विनिधान और सामान के ब्योरे भी हैं) और नियत दिनाँक के ठीक पूर्व विद्यमान ऐसे महाविद्यालय के सम्बन्ध में सभी दायित्व और आभार की, और ऐसे महाविद्यालय के सम्बन्ध में किये गये और नियत दिन के ठीक पूर्व प्रवृत्त सभी करार की, एक पूर्ण तालिका प्रस्तुत करेगा।

प्रशासक को कब्जा लेने के लिये कलेक्टर को आवेदन करने की शक्ति

6—जहाँ कोई व्यक्ति जिसके कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण किसी अनुसूचित महाविद्यालय से सम्बधित कोई सम्पत्ति हो, उसका क धारा 5 के अनुसार या प्राधिकृत अधिकारी या कर्मचारी को देने में वि रहता है, वही प्रशासक कलेक्टर को आवेदन कर सकता है, और कलेक्टर ऐसी सम्पत्ति पर प्रशासक को कब्जा देगा और इस प्रयोजन के लिये ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है या करा सकता है, जैसा आवश्यक हो।

अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की समाप्ति

7—(1) किसी अन्य विधि या किसी संविदा या अन्य लिखत में किसी बात के होते हुए भी, यदि प्रशासक का समाधान हो जाय कि किसी अनुसूचित महाविद्यालय के किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी का सेवा में बना रहना इस अधिनियम के प्रयोजनों, या महाविद्यालय के हित , के प्रतिकूल है तो वह किसी समय नोटिस देकर, बिना कोई कारण बताये, उसकी सेवायें समाप्त कर सकता है।

(2) ऐसी नोटिस की अवधि तीन मास, या उस पर यदि कोई सेवा की शर्तें लागू हों, तो उसमें विनिर्दिष्ट अवधि, जो भी कम हो, होगी :

परन्तु किसी ऐसे अध्यापक या कर्मचारी की सेवायें ऐसी नोटिस बिना या अल्पतर अवधि की नोटिस देकर समाप्त की जा सकती हैं, और इस प्रकार सेवा समाप्ति पर, यथास्थिति, अध्यापक या अन्य कर्मचारी अनुसूचित महाविद्यालय से नोटिस की अवधि के लिए या, यथास्थिति, उतनी अवधि के लिए जितनी अवधि से ऐसा नोटिस उस नोटिस की अवधि से कम पड़ जाय, जिसके लिए वह इस उपधारा के अधीन अन्यथा हकदार होता, उसी दर से जिस दर से वह ऐसी सेवा समाप्ति के तुरन्त पूर्व वेतन और भत्ते पा रहा हो, अपने वेतन और भत्ते की, यदि कोई हो, धनराशि के बराबर धनराशि का दावा करने का हकदार होगा।

(3) उपधारा (1) के अधीन प्रशासक के किसी आदेश से व्यथित कोई अध्यापक या अन्य कर्मचारी आदेश तामील होने से तीस दिन के भीतर राज्य सरकार को अपील कर सकता है जिसका उस पर विनिश्चिय अन्तिम होगा।

प्रशासक को देय पारिश्रमिक

8—(1) प्रशासक को अनुसूचित महाविद्यालय की निधि से ऐसा पारिश्रमिक मिलेगा जैसा राज्य सरकार समय-समय पर निश्चित करे।

(2) राज्य सरकार, किसी समय, किसी अनुसूचित महाविद्यालय के प्रशासक को बदल सकती है।

प्रबन्ध ग्रहण के लिये कोई प्रतिकर देय नहीं होगा

9—सन्देहों को दूर करने के लिए, एतद्द्वारा यह घोषणा की जाती है, कि—

(क) उस व्यक्ति, सोसायटी या अन्य निकाय को जिसके स्वामित्व या प्रबन्ध में कोई अनुसूचित महाविद्यालय हो, उसका प्रबन्ध इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार अस्थायी अवधि के लिए राज्य सरकार के पास रहने के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई प्रतिकर या अन्य राशि देय या संदेय न होगी ;

(ख) नियत दिन के पूर्व किसी अनुसूचित महाविद्यालय के सम्बन्ध में उपगत कोई दायित्व, राज्य सरकार या प्रशासक के विरुद्ध प्रवर्तनीय न होगा।

प्रबन्ध का त्यजन

10—(1) धारा 3 में किसी बात के होते हुए भी, यदि राज्य सरकार को उक्त धारा में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पूर्व किसी समय यह प्रतीत हो कि सभी या किसी अनुसूचित महाविद्यालय का प्रबन्ध ऐसी सरकार में निहित करने का प्रयोजन पूरा हो गया है या किसी अन्य कारण से यह आवश्यक नहीं है कि ऐसा प्रबन्ध ऐसी सरकार में निहित बना रहे तो वह, अधिसूचना द्वारा, ऐसे दिनांक से जैसा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाय, ऐसे प्रबन्ध का त्याग कर सकती है।

(2) उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अधिसूचना में विनिर्दिष्ट दिनांक से या, यथास्थिति, धारा 3 में निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पश्चात्, सम्बद्ध अनुसूचित महाविद्यालय का प्रबन्ध उस व्यक्ति, सोसायटी या अन्य निकाय को, जिससे ऐसा प्रबन्ध धारा 3 के अधीन ग्रहण किया गया था, या यदि ऐसा व्यक्ति, सोसायटी या अन्य निकाय विद्यमान न हो तो उस व्यक्ति, सोसायटी या अन्य निकाय को, जिसको विधि के अनुसार ऐसे प्रबन्ध का अधिकार प्राप्त हो गया हो, प्रवर्तित हो जायगा।

शास्ति

11—कोई व्यक्ति,—

(क) जिसके कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में किसी अनुसूचित महाविद्यालय से संबंधित कोई सम्पत्ति हो, ऐसी सम्पत्ति को प्रशासक या इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत व्यक्ति से सदोष, विधृत करता है, या

(ख) जो किसी ऐसी सम्पत्ति पर सदोष कब्जा करता है, या

(ग) जो किसी ऐसी सम्पत्ति को सदोष रोक रखता है या उसे हटाता या नष्ट करता है, या

(घ) जो किसी पुस्तिका पत्रादि या अन्य दस्तावेज को, जो उसके कब्जे, अभिरक्षा या नियंत्रण में हो, सदोष विधृत करता है या प्रशासक या इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत व्यक्ति को देने में विफल रहता है, या

(ङ) जो किसी युक्तियुक्त कारण के बिना, धारा 5 की उपधारा (2) के अनुसार सूचना या ब्योरा प्रस्तुत करने में विफल रहता है, ऐसी अवधि के, जो दो वर्ष तक हो सकती है, कारावास से, या जुर्माना से जो दो हजार रुपये तक हो सकता है या दोनों से दण्डनीय होगा।

कम्पनी द्वारा अपराध

12—(1) जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया हो, वहाँ ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को जो अपराध किये जाने के समय कम्पनी का प्रभारी रहा हो और उसके कार्य-संचालन के लिये उसके प्रति उत्तरदायी रहा हो, और कम्पनी को भी, अपराध का दोषी समझा जायगा और तदनुसार उनके विरुद्ध कार्यवाही की जा सकेगी और दण्ड दिया जासकेगा :

परन्तु इस उपधारा की किसी बात से ऐसा कोई व्यक्ति दण्डनीय नहीं होगा यदि वह यह साबित कर दे कि अपराध बिना उसकी जानकारी के किया गया था या उसने उस अपराध के निवारण के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहाँ इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया हो और यह साबित हो जाय कि अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुमति से किया गया है या उसकी ओर से कोई उपेक्षा किये जाने के कारण हुआ है तो ऐसे निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी को, उस अपराध का दोषी समझा जायगा और उसके विरुद्ध तदनुसार कार्यवाही की जा सकेगी और उसे दण्ड दिया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "कम्पनी" का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है और उसके अन्तर्गत कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य समुदाय भी है; और

(ख) किसी फर्म के सम्बन्धमें "निदेशक" का तात्पर्य उस फर्म के भागीदार से है।

अधिनियम का अधिभावी प्रभावी होगा

13—इस अधिनियम के उपबन्ध प्रभावी होंगे भले ही तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उससे असंगत कोई बात क्यों न हो।

सद्भावना से किये गये कार्य का संरक्षण

14—(1) कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही प्रशासक या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध किसी ऐसे कार्य के लिए नहीं की जा सकेगी जो इस अधिनियम के अधीन, सद्भावना से, किया गया हो या किये जाने के लिए आशयित हो या किया गया समझा जाय।

(2) कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही राज्य सरकार या प्रशासक या राज्य सरकार के किसी अन्य अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध किसी ऐसी बात से हुई या सम्भावित किसी क्षति के लिए नहीं की जा सकेगी जो इस अधिनियम के अधीन सद्भावना से, की गई हो या किये जाने के लिए आशयित हो या की गयी समझी जाय।

नियम बनाने की शक्ति

15—राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

निरसन और अपवाद

उत्तर प्रदेश अध्यादेश 14 सन् 1979

16—(1) उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक महाविद्यालय (प्रबन्ध ग्रहण) अध्यादेश, 1979 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम के अधीन कृतकार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानों यह अधिनियम सभी सारभूत समय पर प्रवृत्त था।

अनसूची

[धारा 2 खण्ड (ग) देखिये]

1—इलाहाबाद होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, इलाहाबाद ।
2—लाल बहादुर शास्त्री होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, इलाहाबाद ।
3—दयानन्द जनवादी होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, कानपुर ।
4—कानपुर होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, कानपुर ।
5—डा0 बृज किशोर होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, फैजाबाद ।
6—मोहन होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ ।
7—श्री दुर्गा जी होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, चन्देसर, आजमगढ़ ।
8—बजरंग लाल डालमिया होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लच्छी रामपुर, आजमगढ़ ।
9—गाजीपुर होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, गाजीपुर ।
10—होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, मलिकापुर, गाजीपुर ।
11—तिलकधारी होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, जौनपुर ।
12—रानी ईश्वरी देवी होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, जौनपुर ।
13—ग्राम विकास होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, जौनपुर ।
14—होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, टिगरी मनकाबाला नगीना, बिजनौर ।
15—केदारनाथ गिरधारी लाल खत्री होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, मुरादाबाद ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड 2 से 16, अनसूची, खंड 1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाये ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री रमाशंकर कौशिक—

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूं, कि उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (प्रबन्ध ग्रहण) विधेयक, 1979, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय (प्रबन्ध ग्रहण) विधेयक, 1979, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे फिर ठेंगे ।

(इसके बाद सदन 7 बजकर 13 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ:
29 मई, 1979

सत्य प्रिय सिंह,
सचिव, विधान सभा;
उत्तर प्रदेश ।

नत्थी 'क'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या 13 का उत्तर पीछे पृष्ठ 840 पर)

तालिका 'क'

जनपदवार स्थापित बिकास केन्द्रों की सूची

क्र0 सं0 जिले का नाम	विकास केन्द्र का नाम	क्र0 सं0 जिल का नाम	विकास केन्द्र का नाम
1—आगरा	फतेहाबाद	2—अलीगढ़	अतरौली
3—मथुरा	कोसीकलाँ	4—एटा	जलेसर, अलीगंज
5—मैनपुरी	मक्खनपुर भोगाँव	6—इलाहाबाद	औता, करछना, चायल, मंझनपुर, हन्डिया।
7—कानपुर	पुखरायाँ	8—फर्रुखाबाद	कन्नौज
9—फतेहपुर	बिन्दकी	10—इटावा	जसवन्तनगर, एकदिल।
11—बरेली	भोजीपुरा	12—मुरादाबाद	गजरौला, चन्दौली।
13—शाहजहाँपुर	तिलहर	14—पीलीभीत	ललौरीखड़ा
15—रामपुर	बिलासपुर	16—बिजनौर	नजीबाबाद, फीना।
17—बदायूं	उझानी	18—पौड़ीगढ़वाल	कोटद्वार
19—टिहरी गढ़वाल	चम्बा	20—चमोली	चमोली
21—उत्तरकाशी	उत्तरकाशी	22—देहरादून	विकासनगर
23—गोरखपुर	नौतनवाँ	24—बस्ती	नौगढ़
25—देवरिया	बरहजबाजार	26—आजमगढ़	घोसी
27—झांसी	मोठ	28—प्रतापगढ़	कुण्डा
29—बहराइच	नानपारा जरवल रोड	30—ललितपुर	तालबेहट
31—जालौन	कौंच, कठौद	32—हमीरपुर	राठ, हमीरपुर, चरखारी।
33—बाँदा	अतर्रा	34—रायबरेली	लालगंज
35—लखनऊ	चिनहट, मलिहाबाद।	36—उन्नाव	नवाबगंज
37—सीतापुर	सिधौली, रेऊंस	38—हरदोई	संडीला, शाहाबाद, बावन।
39—लखीमपुर खीरी	पलिया कलाँ, मोहम्मदी, गोला।	40—मेरठ	भरथना, हस्तिनापुर
41—मुजफ्फरनगर	पुरकाजी	42—सहारनपुर	नागल, मंगलौर।

क्रम सं0 जिले का नाम	विकास केन्द्र का नाम	क्रम सं0 जिले का नाम	विकास केन्द्र का नाम
43—बुलन्दशहर	मुलावठी, डिबाई।	44—गाजियाबाद	मुरादनगर
45—नैनीताल	रामनगर	46—अल्मोड़ा	रानीखेत
47—पिथौरागढ़	लोहाघाट	48—वाराणसी	रामगगर
49—मिर्जापुर	रावर्ट्सगंज	50—बलिया	बेलथरारोड, हनुमानगंज।
51—जौनपुर	मछलीशहर	52—गाजीपुर	नन्दगंज
53—फैजाबाद	गोसाईगंज	54—गोण्डा	अतरौला, बलरामपुर, पचपेरवा, तुलसीपुर।
55—सुल्तानपुर	कूड़ेभार	56—बाराबंकी	रुदौली

विधान सभा सचिवालय

अनुलग्नक 'ख'

विकास केन्द्रों में निम्नांकित सुविधायें अनुमोदित की गई हैं:—

(1) कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराने हेतु 4 प्रतिशत की दर से ब्याज उपादान।

(2) 5–1/2 प्रतिशत ब्याज दर पर उद्योग की लागत के 10 प्रतिशत तक तथा निर्बल वर्ग के उद्यमियों को 15 प्रतिशत तक मार्जिन मनी ऋण। ऋण 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर स्वीकृत किया जायेगा। परन्तु मूलधन व ब्याज के समय से भुगतान की दशा में ब्याज में 3–1/2 प्रतिशत छूट देय होगी।

(3) शत प्रतिशत परामर्श उपादान इस प्रतिबन्ध के साथ देय है कि उपादान की धनराशि परियोजना लागत की 2 प्रतिशत अथवा 2,000 रुपया, जो भी कम हो, के समकक्ष होगी।

(4) 20 अश्व शक्ति तक विद्युत भार उपयोग करने वाले सभी उद्योगों को 9 पैसे प्रति-यूनिट की दर से विद्युत् कनेक्शन की प्राप्ति की तिथि से 5 वर्ष तक विद्युत् उपादान देय होगा।

(5) उद्यमकर्त्ता विकास योजना के अन्तर्गत मण्डल स्तर पर उद्यमियों को प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था उपलब्ध है।

पी0 एस0 यू0 पी0—एल0 222 वि0 सभा (355)—1980—835।